

NEXT IAS THE CRUX

अगस्त अंक 2026

मुख्य संपादक

बी. सिंह

CMD, NEXT IAS & MADE EASY Group



Published by:

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

Corporate Office: 44-A/4, Kalu Sarai, New Delhi-110016

Visit us at: www.madeeasypublications.org

☎ 011-45124660, 8860378007

E-mail: infomep@madeeasy.in

© Copyright 2026

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. In spite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect policy or position of CURRENT AFFAIRS Magazine or MADE EASY Publications. They should be understood as the personal opinions of the author/authors. The MADE EASY assumes no responsibility for views and opinions expressed nor does it vouch for any claims made in the advertisements published in the Magazine. While painstaking effort has been made to ensure the accuracy and authenticity of the informations published in the Magazine, neither Publisher, Editor or any of its employee does not accept any claim for compensation, if any data is wrong, abbreviated, cancelled, omitted or inserted incorrect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher.

1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक यूपीएससी से संबंधित प्रासंगिक समसामयिकी का संकलन

विषयसूची



विशेष लेख

कवर स्टोरी

संसदीय उत्पादकता तथा व्यवधान.....	4
अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026	7
SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर.....	9
नेपाल-तिब्बत में आकस्मिक बाढ़.....	11

भारत का देखभाल करने वाला कार्यबल.....	13
IRDAI सुधार 2026.....	15
ILO अभिसमय संख्या 193.....	17
चीनी की बढ़ती कीमतें.....	18
भारत में हवाई अड्डों का निजीकरण.....	19
पहली नियमित जाति जनगणना.....	20
राजनीति का अपराधीकरण.....	21
आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भूमिका और उपस्थिति.....	23
मक्का संयुक्त रक्षा समझौता.....	25
भारत की सांस्कृतिक कूटनीति.....	27
ई-प्रत्यारोपण पोर्टल.....	28
भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026.....	30
भगोड़ों को वापस लाना.....	31
भारत-उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी.....	32

Disclaimer:

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. In spite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

1. राजव्यवस्था एवं शासन

एआई पारदर्शिता संहिता.....	33
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना.....	33
दानवीर पहल.....	34
भारत में अश्लीलता और अपशब्दों से संबंधित कानून.....	35
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026.....	35
सरकारी स्कूलों का बंद होना.....	36
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026.....	37
दिल्ली लक्ष्मी योजना.....	37
हिरासत में मृत्यु.....	37
लिव-इन संबंधों में महिलाओं को घरेलू क्रूरता से संरक्षण.....	38
अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT).....	39
विनियोग विधेयक, 2026: अतिरिक्त अनुदान.....	39
गुड सेमेस्टिन (राह-चोर) योजना.....	40
उच्चतम न्यायालय द्वारा DPDP अधिनियम के अंतर्गत आरटीआई संशोधनों की जाँच.....	40
शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923.....	41
पीएम-यशस्वी.....	41
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026.....	42
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना.....	42
राजस्थान वृक्ष (संरक्षण) विधेयक, 2026.....	43
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026.....	43
बीननएसएस के अंतर्गत पुलिस हिरासत का दायरा.....	44
गिरफ्तारी की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ.....	44
संशोधन विज्ञान.....	45
चुनावों में काले धन पर उच्चतम न्यायालय.....	45
धार्मिक भावनाएँ और संवैधानिक स्वतंत्रताएँ.....	46
पीएम केयर्स फंड.....	47
भारत में बहुविवाह.....	47
भारत में फौसी द्वारा मृत्युदंड.....	48
आपराधिक न्याय व्यवस्था में 'आदर्श पीडित' की अवधारणा.....	49
'उद्योग' की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय.....	49
क्षेत्रीय परिषदें.....	50
नमस्ते योजना.....	50
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन.....	51
जिला कलेक्टरों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार.....	52

2. अंतरराष्ट्रीय संबंध

रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर 100% शुल्क लगाने के लिए अमेरिकी विधेयक.....	53
पैक्स सिलिका पहल.....	53
फरक्का संधि (गंगा जल संधि), 1996.....	53
16वाँ ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक.....	54
वर्ष 2028-29 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए भारत का अभियान.....	54
यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था.....	55
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB).....	56
भारत-जापान समुद्री सुरक्षा सहयोग.....	56
भारत-यू.के. रक्षा और समुद्री सझेदारी.....	57
25वाँ भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता.....	57
दक्षिण चीन सागर में चीन का सैन्य बुनियादी ढाँचा विस्तार.....	58
दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन.....	59
भारत-कुवैत संयुक्त रक्षा समिति.....	59
नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति.....	60

3. अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना.....	61
कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 2026.....	62
पॉलिमर बैंकनोट.....	62
'समुद्र मंथन' - राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना.....	62
भारत समुद्री बीमा पूल (BMIP).....	63

ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स.....	63
एग्रीवोल्टाइक्स: AI बुनियादी ढाँचे को सतत रूप से ऊर्जा प्रदान करना.....	63
भौगोलिक संकेतक (GI).....	63
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM).....	64
कटेनर विनिर्माण सहायता योजना.....	65
MSME सतत (ZED) प्रमाणन योजना.....	65
मिथिला मखाना.....	66
भारत की क्रिएटर्स अर्थव्यवस्था.....	66
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी.....	66
बेहतर अरहर की किस्में.....	66
आरबीआई के नए ऋण वसूली नियम.....	67
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान.....	67
कोर क्षेत्र की वृद्धि में मंदी.....	68
GST अपीलाली न्यायाधिकरण (GSTAT).....	68
ई-श्रम पोर्टल के 5 वर्ष.....	68
सेबी का आईटी लचीलापन सूचकांक (ITRI).....	69
आपातकालीन ऋण-संबद्ध गारंटी योजना (ECLGS) 5.0.....	69
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना.....	69
राष्ट्रीय परिपत्र जैव-ऊर्जा योजना (गोबरधन योजना).....	70

4. पर्यावरण

पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी.....	72
हुबारा बस्टर्ड (एशियाई हुबारा/मैक्वीन का बस्टर्ड).....	72
क्लाउडडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना (CAP).....	73
स्लेंडर-बिल्ड और व्हाइट-रम्प गिद्ध.....	74
ग्लोबल शील भारत का 101वाँ रामसर स्थल घोषित.....	74
संशोधित मिक्स सील सरफेसिंग प्लस (MSS+) प्रौद्योगिकी.....	75
भारतीय मोर (PAVO CRISTATUS).....	75
ओडिशा तट के साथ तटीय अपरदन.....	76
विश्व हाथी दिवस 2026.....	77
ब्लैक-नेकड क्रैन.....	77
हारा मैंग्रोव वन.....	78
बन्नी घासभूमि में ब्लैकबक का पुनःप्रवेश.....	78
सतकोसिया टाइगर रिजर्व.....	79
बंजर-भूमि प्राप्ति.....	79
रायचूर मियावाको वन.....	80
जंगली जल भैंसा.....	80

5. भूगोल

शिपकी ला दर्रा.....	82
ब्रॉड पीक (फालचन कांगरी).....	82
कावेरी नदी.....	83
लेक मीड.....	83
तामिराभरणी (पोरुनई) नदी.....	84
डेन्यूब नदी.....	84
लाइबेरिया.....	84
भारत की आपदा वित्तीय संरचना.....	85
लेक ओंटरियो.....	85
अवरोध झीलें (BARRIER LAKES).....	86
जॉस्कर हिमनदों का धीमा होना.....	86

6. आंतरिक सुरक्षा

भारतीय सशस्त्र बलों का थिएटर-आधारित पुनर्गठन.....	88
नागरिक उपयोग के लिए 'गरुड़' दूरबीन.....	88
MQ-9B सीगाडियन HALE RPAS.....	89
टेरिस्टर साइबर क्वेस्टर (TCQ) 3.0.....	89
अग्नि-4.....	89
आईएनएस मैंगरोल.....	90
आईएनएस निपुण.....	90
रक्षा उद्योग को मिसाइल प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण.....	90

जबलपुर में टी-सीरीज टैंक ओवरहॉल सुविधा.....	91
भारत-अमेरिका जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल समझौता.....	92
शांति नियम, 2026 का मसौदा.....	93

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ.....	94
प्रयोगशाला में विकसित होरे.....	94
कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित पैलेटाइजिंग.....	95
लेप्टोस्पायरोसिस.....	96
भारतीय नक्षत्रमंडल के साथ नौवहन.....	96
भारत समक्ष वैज्ञानिक प्रतिभा को बनाए रखने की चुनौती.....	97
भारत का पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका.....	97
वाहन-से-वाहन (V2V) संचार.....	98
पहला निजी रूप से विकसित FFSC रॉकेट इंजन (एवरैस्ट).....	99
मेंडेलियन अनुवंशिकी से परे एपिजेनेटिक वंशानुक्रम.....	99
मून बेस प्रोग्राम.....	100
कजाकिस्तान में सूखे से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग.....	100
ग्लूबॉल.....	101
सवाणी.....	102
फ्रेंडराइक्स अटैक्सिया (FRDA).....	102
घूर्णन विस्फोट इंजन (RDE).....	103
हेलिकेज (HELICASE).....	103
गगनयान का तापीय सुरक्षा तंत्र (TPS).....	104
निर्वात द्विवर्णिता.....	104
स्वाइन इन्फ्लुएंजा.....	105
कैंसर पैदा करने वाली दवाओं के तौर पर वर्गीकृत दवाएँ.....	105
पॉलीसिलिकॉन.....	106

8. समाज

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा.....	107
स्वैच्छिक मादक पदार्थ जाँच.....	107
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम.....	108

9. संस्कृति एवं इतिहास

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर.....	109
मैथिलीशरण गुप्त जयंती.....	109
आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय.....	109
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026.....	110
पिंगली वेंकैया.....	110
भारत छोड़ो आंदोलन.....	111
उत्कलमणि पंडित गोपबन्धु दास.....	111
श्री अरविंद (1872-1950).....	112
रॉयल इंडियन नेवी (RIN) विद्रोह, 1946.....	112
दही हांडी उत्सव.....	113
राजघाट उत्खनन, वाराणसी.....	113

10. विविध

संशोधित खेले इंडिया योजना.....	114
फील्ड्स पदक 2026.....	114
कॉसपार विक्रम साराभाई पदक 2026.....	115
ब्लू जौन.....	115
डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार.....	115
2026 डिंकरा पदक.....	116
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार.....	117
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026.....	117
गर्भिणी मित्र पाठ्यक्रम.....	118
वैश्य टेकरी स्तूप, उज्जैन.....	118

डेटा पुनर्कथन.....	119
--------------------	-----

स्वयं परीक्षण.....	120
--------------------	-----

संसदीय उत्पादकता तथा व्यवधान

संसदीय कार्य मंत्री के अनुसार, लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% उत्पादकता रही।

संसद

- यह संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च विधायी संस्था है। अनुच्छेद 79 के अनुसार, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं।

संसद की भूमिका

संविधान संसद को निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ देता है:

- विधि निर्माण:** संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाती है। यह अनुच्छेद 249, 250 और 252 जैसी विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
- वित्तीय नियंत्रण:** संसद बजट, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और अनुदान की माँगों के माध्यम से कर लगाने और सार्वजनिक व्यय को मंजूरी देती है।
- कार्यपालिका की जवाबदेही:** संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, बहस, प्रस्तावों, संसदीय समितियों और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद को जवाबदेह बनाती है।
- संविधान संशोधन:** अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित मूल संरचना सिद्धांत के अधीन है।
- प्रतिनिधित्व की भूमिका:** लोकसभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा संघीय ढाँचे में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है।

संसदीय संप्रभुता

संप्रभु ब्रिटिश व्यवस्था के विपरीत, भारत का लिखित संविधान संघीय ढाँचे, मौलिक अधिकारों और मूल संरचना सिद्धांत के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संसद की विधायी शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमित करता है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 75(3)**  मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है।
- अनुच्छेद 112-117**  वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) और वित्तीय कानूनों से संबंधित प्रावधान करते हैं।
- अनुच्छेद 118**  प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है।
- अनुच्छेद 93**  लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 'जितनी जल्दी हो सके' करने की आवश्यकता बताता है।
- अनुच्छेद 79-81**  संसद की स्थापना और लोकसभा तथा राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करते हैं।
- अनुच्छेद 107-111**  विधेयकों को पेश करने, पारित करने और उन पर स्वीकृति देने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।
- अनुच्छेद 105**  संसदीय विशेषाधिकार और संसद के भीतर बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 121-122**  संसदीय कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करके संसदीय स्वायत्तता की रक्षा करते हैं और न्यायाधीशों को हटाने की कार्यवाही को छोड़कर उन पर चर्चा को प्रतिबंधित करते हैं।

संसदीय व्यवधान क्या हैं?

- संसदीय व्यवधानों में बार-बार सदन का स्थगन, नारेबाजी, विरोध-प्रदर्शन, सदन के वेल में आना और अन्य ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जो निर्धारित कार्यवाही को रोकती हैं।
- जब सामान्य संसदीय व्यवस्थाएँ प्रभावी नहीं होती हैं, तब सीमित व्यवधान कभी-कभी जरूरी सार्वजनिक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक लोकतांत्रिक माध्यम के रूप में काम कर सकता है।
- हालाँकि, लगातार व्यवधान संसद की संवैधानिक भूमिका को कमजोर करता है। इससे विचार-विमर्श कम होता है, विधायी जाँच कमजोर होती है और कार्यपालिका की जवाबदेही सीमित होती है।

संसदीय व्यवधानों के उदाहरण

कई सत्रों में गंभीर व्यवधान देखने को मिले हैं।

- शीतकालीन सत्र 2010:** 2G स्पेक्ट्रम विवाद के कारण लोकसभा की उत्पादकता लगभग 5% और राज्यसभा की 2% रह गई।
- शीतकालीन सत्र 2013:** तेलंगाना और 2G JPC रिपोर्ट को लेकर विरोध-प्रदर्शनों के कारण उत्पादकता क्रमशः 6% और 19% रह गई।
- अंतरिम बजट सत्र 2014:** लोकसभा में उत्पादकता 21% और राज्यसभा में 27% रही।
- मानसून सत्र 2015:** ललित मोदी और व्यापम विवादों के कारण लोकसभा में उत्पादकता 48% और राज्यसभा में 9% रह गई।
- शीतकालीन सत्र 2016:** नोटबंदी को लेकर विरोध-प्रदर्शनों के कारण उत्पादकता 15% और 18% रह गई।
- बजट सत्र 2018:** कावेरी विवाद, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की माँग और बैंकिंग धोखाधड़ी के आरोपों के कारण उत्पादकता 21% और 27% रह गई।
- मानसून सत्र 2021:** पेगासस और कृषि कानूनों को लेकर विरोध-प्रदर्शनों के कारण लोकसभा में उत्पादकता 21% और राज्यसभा में 29% रह गई।
- बजट सत्र 2023:** राजनीतिक टकराव के कारण उत्पादकता क्रमशः 33% और 24% रह गई।
- मानसून सत्र 2025:** लोकसभा में उत्पादकता 29% और राज्यसभा में 34% रही।
- मानसून सत्र 2026:** दोनों सदनों की बैठक 19 दिनों तक हुई, लेकिन लोकसभा में उत्पादकता घटकर 19% और राज्यसभा में 39% रह गई।

जिम्मेदार कारक

कई संरचनात्मक और राजनीतिक कारक बार-बार होने वाले व्यवधानों के लिए जिम्मेदार हैं।

- राजनीतिक ध्रुवीकरण** आम सहमति और रचनात्मक संवाद की गुंजाइश को सीमित करता है।

- जब चर्चा की माँगें स्वीकार नहीं की जाती हैं, तो विपक्ष अक्सर विरोध-प्रदर्शन का सहारा लेता है।
- ♦ **उदाहरण:** मानसून सत्र 2026 के दौरान NEET पेपर लीक, जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर दान विवाद को लेकर बार-बार हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण लंबे समय तक व्यवधान हुआ।
- सरकार के विधायी एजेंडे को कभी-कभी जल्दबाजी में आगे बढ़ाया गया माना जाता है, जिसमें बहस के लिए सीमित अवसर मिलता है।
- ♦ **उदाहरण:** मानसून सत्र 2026 के दौरान अधिकरण सुधार विधेयक, 2026; MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026; और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 सहित कई विधेयक लोकसभा में बिना किसी संसद (मंत्री के अलावा) के बहस में भाग लिए पारित किए गए।
- कम विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजा जाता है, जिससे विस्तृत जाँच के अवसर कम हो जाते हैं।
- सीमित बैठक दिवसों के कारण कम समय में बड़ी मात्रा में संसदीय कार्य पूरा करने का दबाव बनता है।
- कमजोर संसदीय परंपराओं ने धीरे-धीरे राजनीतिक रणनीति के रूप में व्यवधान को सामान्य बना दिया है।
- अनुच्छेद 93 की आवश्यकता के बावजूद उपाध्यक्ष का पद लगातार खाली रहने से संस्थागत संतुलन को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।

संसदीय व्यवधान

कब उचित है	कब उचित नहीं है
<ul style="list-style-type: none"> जब सामान्य संसदीय उपायों का पूरा उपयोग किया जा चुका हो। जब मुद्दा किसी तत्काल संवैधानिक या राष्ट्रीय चिंता से जुड़ा हो। जब सरकार सार्थक चर्चा या जवाबदेही से इनकार करे। जब विरोध शांतिपूर्ण, उचित और अस्थायी हो। 	<ul style="list-style-type: none"> जब यह विधायी बहस या बजट की जाँच को रोकता हो। जब यह प्रश्नकाल या समितियों के कामकाज में बाधा डालता हो। जब इसमें शारीरिक अवरोध, धमकी या संसदीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का सहारा लिया जाए। जब पर्याप्त चर्चा की अनुमति मिलने के बाद भी व्यवधान जारी रहे।

विधायी जाँच में गिरावट के प्रमाण

हाल के रुझान संसद की विचार-विमर्श संबंधी भूमिका के लगातार कमजोर होने का संकेत देते हैं।

- 17वीं लोकसभा में 15 सत्रों के दौरान केवल 274 बैठकें हुईं, जो किसी भी पूर्ण कार्यकाल वाली लोकसभा के लिए सबसे कम थीं।
- 17वीं लोकसभा के दौरान पेश किए गए केवल 16% विधेयकों को विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के पास भेजा गया, जबकि 15वीं लोकसभा में यह 71% और 16वीं लोकसभा में 28% था।
- मानसून सत्र 2026 के अंत तक, 18वीं लोकसभा में पेश किए गए केवल 21% विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजा गया था।

- मानसून सत्र 2026 के दौरान लोकसभा ने 11 विधेयक पारित किए, जिनमें से नौ विधेयक बिना किसी सदस्य के, मंत्री के अलावा, बहस में भाग लिए पारित किए गए। इससे सार्थक विधायी जाँच कम हुई।
- लोकसभा में प्रश्नकाल निर्धारित समय के केवल 1% और राज्यसभा में 12% समय तक चला, जिससे कार्यपालिका की जवाबदेही काफी सीमित हुई।
- हालाँकि, बजट सत्र 2026 में लोकसभा की उत्पादकता 86% और राज्यसभा की 92% रही, फिर भी मतदान वाले व्यय का लगभग 77% बिना चर्चा के गिलोटिन के माध्यम से पारित कर दिया गया, जिससे संसद की वित्तीय निगरानी कमजोर हुई।

प्रमुख चिंताएँ

- विधायी जाँच कमजोर होती है क्योंकि विधेयकों को पर्याप्त बहस, हितधारकों से परामर्श या समिति द्वारा जाँच के बिना कानून बनाया जा सकता है।
- इससे कानूनों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- कार्यपालिका की जवाबदेही कमजोर होती है क्योंकि व्यवधानों के कारण प्रश्नकाल, बहस और अन्य संसदीय माध्यमों से मंत्रियों से सवाल पूछने के अवसर कम हो जाते हैं।
- वित्तीय नियंत्रण कमजोर होता है क्योंकि अनुदान की माँगों को गिलोटिन करने से सरकारी व्यय की विस्तृत जाँच सीमित हो जाती है।
- अनुदान की माँगों का गिलोटिन वह प्रक्रिया है, जिसमें लोकसभा बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित अंतिम दिन शेष सभी बिना चर्चा वाली अनुदान की माँगों को बजट की समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए बिना आगे की बहस के एक साथ मतदान के लिए रखती है।
- कार्यपालिका का प्रभुत्व बढ़ता है, जब जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों, प्रत्यायोजित विधान या अध्यादेशों की सीमित संसदीय जाँच होती है।
- संघीय विचार-विमर्श प्रभावित होता है क्योंकि राज्यसभा में बार-बार व्यवधान होने से राज्यों की परिषद के रूप में उसकी संवैधानिक भूमिका कमजोर होती है।
- जब सदन की कार्यवाही बाधित रहती है, तो क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाने के अवसर कम मिलते हैं।
- व्यवधान-निलंबन का चक्र सार्थक भागीदारी को और कम कर सकता है तथा संवाद को बढ़ावा देने के बजाय राजनीतिक टकराव को गहरा कर सकता है।
- जनता का विश्वास कम होता है क्योंकि बार-बार अव्यवस्था होने से देश की सर्वोच्च विचार-विमर्श संस्था के रूप में संसद की विश्वसनीयता कमजोर होती है और लोकतांत्रिक शासन में भरोसा कम होता है।

साझा जिम्मेदारी

संसद के प्रभावी कामकाज के लिए सभी संवैधानिक हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक है।

- सरकार को केवल अपने संख्यात्मक बहुमत पर निर्भर रहने के बजाय चर्चा, परामर्श और विधायी जाँच के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए।
- विपक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतांत्रिक विरोध लंबे समय तक चलने वाली ऐसी बाधा न बने, जो संसद को अपने संवैधानिक कार्यों को पूरा करने से रोके।

- पीठासीन अधिकारियों को सरकार और विपक्ष दोनों के अधिकारों की रक्षा करते हुए निष्पक्ष रूप से व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।
- राजनीतिक दलों को संसदीय परंपराओं को मजबूत करना चाहिए और व्यवधानकारी तरीकों के बजाय रचनात्मक बहस को प्रोत्साहित करना चाहिए।

आगे की राह

- **एजेंडा प्रबंधन** के लिए नियमित सर्वदलीय बैठकों और कार्य मंत्रणा समिति के प्रभावी उपयोग के माध्यम से राजनीतिक सहमति बनाई जानी चाहिए।
- नियमित व्यवधानों को रोककर **प्रश्नकाल की रक्षा** की जानी चाहिए, क्योंकि यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
- स्पष्ट रूप से निर्धारित आपात स्थितियों को छोड़कर, सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को **विभाग-संबंधित स्थायी समितियों** के पास भेजकर समिति की जाँच को संस्थागत बनाया जाना चाहिए।
- मतदान से पहले संवैधानिक, वित्तीय और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त बहस सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- अनुदान की माँगों की जाँच के लिए पर्याप्त समय देकर और परिणाम-आधारित बजट जाँच में सुधार करके वित्तीय निगरानी को मजबूत किया जाना चाहिए।
- विधायी कार्यों के दबाव को कम करने और विचार-विमर्श में सुधार के लिए संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) जैसे विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के अनुरूप वार्षिक बैठक दिवसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

- व्यवधानकारी विरोध-प्रदर्शनों की आवश्यकता को कम करने के लिए राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर बहस के लिए विपक्ष को निर्धारित समय दिया जाना चाहिए।
- प्रमुख विधेयकों को पेश करने से पहले अधिक हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके विधेयक-पूर्व परामर्श को मजबूत किया जाना चाहिए।
- एक पारदर्शी और उचित आचार संहिता के माध्यम से संसदीय नियमों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए, जो वैध असहमति की रक्षा करे और अव्यवस्था को हतोत्साहित करे।
- संस्थागत संतुलन को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 93 के अंतर्गत उपाध्यक्ष के पद सहित संवैधानिक रिक्तियों को भरा जाना चाहिए।
- सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए विधायी प्रभाव आकलन, समिति रिपोर्ट, उपस्थिति, बहस में भागीदारी और मतदान रिकॉर्ड प्रकाशित करके पारदर्शिता में सुधार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- संसद कानून निर्माण, जवाबदेही और लोकतांत्रिक विचार-विमर्श का प्रमुख मंच है।
- सीमित व्यवधान कभी-कभी असाधारण सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन यह बहस और संवैधानिक जाँच का विकल्प नहीं बन सकता।
- एक स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र के लिए ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो जवाबदेह रहे, ऐसा विपक्ष जो जिम्मेदारी से जाँच करे और ऐसे पीठासीन अधिकारी जो संस्थागत निष्पक्षता बनाए रखें।
- संसद की प्रभावशीलता को बहाल करने और भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विचार-विमर्श, समिति जाँच, वित्तीय निगरानी और संसदीय परंपराओं को मजबूत करना आवश्यक है।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

- **यूनाइटेड किंगडम - प्रधानमंत्री प्रश्न (PMQs):**
 - ♦ प्रधानमंत्री प्रत्येक बुधवार हाउस ऑफ कॉमन्स में एक निर्धारित सत्र के दौरान सांसदों के सवालों का जवाब देते हैं।
 - ♦ यह कार्यपालिका की जवाबदेही को मजबूत करता है, सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए नियमित मंच प्रदान करता है और बार-बार होने वाले व्यवधानों की आवश्यकता को कम करता है।
- **यूनाइटेड किंगडम - विभागीय चयन समितियाँ:**
 - ♦ विभिन्न दलों के सदस्यों वाली चयन समितियाँ विधेयकों, सरकारी नीतियों, व्यय और विभागों के कामकाज की जाँच करती हैं।
 - ♦ उनकी विस्तृत जाँच कानूनों की गुणवत्ता में सुधार करती है और जानकारीपूर्ण संसदीय बहस को बढ़ावा देती है।
- **यूनाइटेड किंगडम - ई-याचिका प्रणाली:**
 - ♦ नागरिक संसद में ऑनलाइन याचिकाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **10,000 हस्ताक्षर प्राप्त करने वाली याचिकाओं पर सरकार को जवाब देना आवश्यक होता है, जबकि 100,000 हस्ताक्षर वाली याचिकाओं पर संसदीय बहस के लिए विचार किया जाता है।**
- **इससे विधायी प्रक्रिया में जनता की भागीदारी संस्थागत होती है।**
- **जर्मनी - प्रमुख और लघु प्रश्न प्रणाली:**
 - ♦ बंडेस्टाग के सदस्य औपचारिक लिखित और मौखिक प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका सरकार को जवाब देना होता है।
 - ♦ यह संसदीय कार्यवाही को बाधित किए बिना कार्यपालिका की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करता है।
- **न्यूजीलैंड - कार्य समिति:** सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों वाली कार्य समिति आम सहमति से संसदीय कार्यों का कार्यक्रम तय करती है। इससे सदन की कार्यवाही अधिक सुचारु रूप से चलती है और प्रक्रियागत टकराव कम होते हैं।

अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026

संसद ने अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 पारित किया है, जिसमें अधिकरणों की भर्ती, प्रशासन और कामकाज की निगरानी के लिए राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

अधिकरणों के बारे में

- अधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जो विशेष प्रकार के विवादों का निर्णय करते हैं और नियमित न्यायालयों का बोझ कम करने में मदद करते हैं।
- ये सेवा विवाद, कराधान, कॉर्पोरेट कानून, वित्त, दूरसंचार, पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण, श्रम, रक्षा और दिवालियापन सहित विशेष मामलों से संबंधित होते हैं।
- इनके बढ़ते महत्व ने ऐसे सुधारों की आवश्यकता बढ़ा दी है, जो न्यायिक स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण और न्याय तक पहुँच को बनाए रखते हुए त्वरित न्याय सुनिश्चित करें।

संवैधानिक और न्यायिक ढाँचा

- भाग XIV-I, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 323A और 323B के माध्यम से अधिकरणों के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 323A संसद को प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, जिनमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SATs) और संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण (JATs) शामिल हैं।
- अनुच्छेद 323B संसद और राज्य विधानमंडलों को कराधान, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार, चुनाव, विदेशी मुद्रा, आयात, निर्यात, किराया, किरायेदारी और आवश्यक वस्तुओं सहित निर्धारित मामलों के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 226 और 227 उच्च न्यायालयों को अधिकरणों के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा और उन पर अधीक्षण करने का अधिकार देते हैं।
- अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) के माध्यम से अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार देता है।
- एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकरण संवैधानिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के पूरक हो सकते हैं, लेकिन उनका स्थान नहीं ले सकते। मद्रास बार एसोसिएशन के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि अधिकरणों का प्रशासन कार्यपालिका के अत्यधिक नियंत्रण से मुक्त रहना चाहिए।

अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 की मुख्य विशेषताएँ

- राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC):** यह अधिनियम अधिकरणों के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय अधिकरण आयोग को सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित करता है, साथ ही उनके संबंधित मूल कानूनों के अंतर्गत अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बनाए रखता है।
- संरचना:**
 - अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।

- आयोग में दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य शामिल होंगे।
- तकनीकी सदस्यों के पास कानून, वित्त, लेखांकन, बैंकिंग, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी या लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में कम-से-कम 25 वर्षों का पेशेवर अनुभव होना चाहिए।
- केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

कार्य:

- NTC खोज-सह-चयन समितियों के माध्यम से अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करेगा।
- यह सदस्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और शिकायतों की जाँच की निगरानी करेगा।
- यह मामलों से संबंधित जानकारी वाला राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रीड बनाए रखेगा।
- यह अधिकरणों के प्रशासन की निगरानी करेगा और अधिकरण व्यवस्था में समान मानकों को बढ़ावा देगा।
- यह अधिनियम अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को निरस्त करता है, साथ ही NTC के कार्यशील होने तक मौजूदा नियुक्तियों और चल रही चयन प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखता है।

नियुक्तियाँ और प्रशासन

- अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश के लिए अलग-अलग खोज-सह-चयन समितियाँ होंगी।
- इन समितियों की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी और न्यायिक अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिससे कार्यपालिका के विवेकाधिकार को सीमित किया जाएगा।
- प्रत्येक समिति हर रिक्त पद के लिए एक चयनित उम्मीदवार और एक प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार की सिफारिश करेगी।
- सिफारिशें तीन दिनों के भीतर केंद्र सरकार तक पहुँचनी चाहिए और नियुक्तियाँ सामान्यतः तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
- भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता वाला सचिवालय प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा, विशेषज्ञों का पैनल बनाएगा, सिफारिशों को भेजेगा और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

सेवा शर्तें और संस्थागत ढाँचा

- NTC के अध्यक्ष और सदस्य पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे।
- अधिकरण के सदस्य पाँच वर्ष या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे।
- अधिनियम पिछले कार्य-प्रदर्शन पर विचार करने के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है।

- यह ढाँचा 16 अधिकरणों और अपीलीय प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिसमें प्रशासनिक सेवाएँ, कराधान, सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट मामले, वित्त, पर्यावरण, बिजली, दूरसंचार, उपभोक्ता संरक्षण, रेलवे, औद्योगिक संबंध, सशस्त्र बल, ऋण वसूली और दिवालियापन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- अलग-अलग अधिकरण अपनी वित्तीय और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी आवश्यकताओं का आकलन करेंगे, जबकि NTC इन आवश्यकताओं को एक साथ संकलित करेगा।
- केंद्र सरकार संसदीय विनियोग के बाद अनुदान प्रदान करेगी और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) आयोग के खातों का ऑडिट करेगा।

अधिनियम का महत्त्व

संवैधानिक महत्त्व

- यह अधिनियम अधिकरणों के प्रशासन को कार्यपालिका के प्रभुत्व से हटाकर न्यायपालिका के नेतृत्व वाले संस्थागत ढाँचे में लाकर न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है।
- यह उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बनाए रखते हुए शक्तियों के पृथक्करण, कानून के शासन और न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखता है।
- यह विशेष विवाद समाधान को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर न्याय तक पहुँच को मजबूत करता है।
- यह अधिकरणों के प्रशासन को एल. चंद्र कुमार और मद्रास बार एसोसिएशन के निर्णयों में निर्धारित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाता है।

शासन और आर्थिक महत्त्व

- एकीकृत प्रशासनिक ढाँचा बिखराव को कम करेगा और अधिकरणों के बीच समन्वय में सुधार करेगा।
- राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रिड रिक्तियों, लंबित मामलों, निपटान दर और संस्थागत प्रदर्शन की आँकड़ा-आधारित निगरानी को आसान बनाएगा।
- पारदर्शी नियुक्तियाँ और प्रदर्शन की समीक्षा अधिकरणों में जनता का विश्वास बढ़ाएगी।
- विवादों के तेजी से निपटारे से व्यवसाय करने में सुगमता मजबूत होगी, नियामक निश्चितता में सुधार होगा और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
- न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विशेष मामलों के निर्णय से जटिल क्षेत्रों में निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- हालाँकि प्रस्तावित NTC पर लगभग ₹27.14 करोड़ की लागत आने की उम्मीद है और दूसरे तथा तीसरे वर्ष के दौरान आवर्ती व्यय में 10% की वृद्धि होगी, लेकिन बेहतर दक्षता से दीर्घकाल में संस्थागत लाभ मिलने की उम्मीद है।

मुख्य मुद्दे और चिंताएँ

संवैधानिक और संस्थागत मुद्दे

- नियुक्तियों, कार्यकाल, वित्त और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका का प्रभाव अधिकरणों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता रह सकता है, जब तक कि NTC स्वायत्त रूप से कार्य न करे।
- अधिकरणों को संवैधानिक न्यायालयों का पूरक होना चाहिए, न कि अत्यधिक अधिकरणीकरण के माध्यम से धीरे-धीरे उनका स्थान लेना चाहिए।

प्रशासनिक चुनौतियाँ

- अध्यक्षां और सदस्यों के पदों पर लगातार बनी रिक्तियाँ लंबित मामलों को बढ़ाती हैं और न्याय मिलने में विलंब करती हैं।
- उदाहरण के लिए, आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) में सदस्यों के 126 स्वीकृत पदों में से 27 पद खाली थे (मई 2026), जिसके कारण संसदीय स्थायी समिति ने चेतावनी दी कि रिक्तियाँ मामलों के समय पर निपटारे को प्रभावित कर रही हैं।
- अधिकार क्षेत्रों में आपसी टकराव और कई अपीलीय व्यवस्थाएँ प्रक्रियागत जटिलता और अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं।
- निर्णय संबंधी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सक्षम तकनीकी सदस्यों की भर्ती करना एक चुनौती बनी हुई है।
- बुनियादी ढाँचे, वित्त और कर्मचारियों के लिए मंत्रालयों पर निर्भरता संस्थागत स्वायत्तता को सीमित करती है।

पहुँच और जवाबदेही

- कुछ ही शहरों में अधिकरणों के केंद्रित होने से व्यक्तियों और छोटे संगठनों के लिए मुकदमेबाजी की लागत बढ़ जाती है।
- जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के लिए पारदर्शी प्रदर्शन मूल्यांकन और शिकायत निवारण तंत्र आवश्यक हैं।
- लोकतांत्रिक वैधता को मजबूत करने के लिए प्रमुख संस्थागत सुधारों की सार्थक संसदीय जाँच आवश्यक है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय अधिकरण आयोग को पर्याप्त वित्तीय, प्रशासनिक और कार्य संबंधी स्वायत्तता के साथ काम करना चाहिए।
- नियुक्तियाँ पारदर्शी, योग्यता-आधारित और समयबद्ध होनी चाहिए तथा प्रत्येक चरण में न्यायपालिका की मजबूत भागीदारी होनी चाहिए।
- लंबित मामलों को कम करने और विशेष मामलों के निर्णय की दक्षता में सुधार के लिए रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए।
- पारदर्शिता, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और प्रभावी मामला प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रिड को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।
- तकनीक-सक्षम सुनवाई, अधिक क्षेत्रीय पीठों और निरंतर क्षमता निर्माण के माध्यम से पहुँच और संस्थागत प्रदर्शन में सुधार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और पेशेवर रूप से प्रबंधित अधिकरण व्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिकरण आयोग संस्थागत क्षमता में सुधार कर सकता है, जनता का विश्वास मजबूत कर सकता है और विशेष न्याय की गुणवत्ता बढ़ा सकता है।
- हालाँकि, इसकी दीर्घकालिक सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थागत स्वायत्तता, समय पर नियुक्तियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखे गए संवैधानिक मूल्यों के निरंतर पालन पर निर्भर करेगी।

SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का विरोध किया है।

क्रीमी लेयर

- क्रीमी लेयर में आरक्षित वर्ग के वे व्यक्ति शामिल होते हैं, जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत आगे हैं और उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाता है।
- इस अवधारणा की शुरुआत इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले से हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखते हुए OBC क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश दिया।
- यह सापेक्ष समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचित लोगों तक पहुँचे।
- वर्तमान में यह सिद्धांत केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर लागू होता है।
- इसे परंपरागत रूप से SC और ST पर लागू नहीं किया गया है, क्योंकि उनका संवैधानिक पिछड़ापन केवल आर्थिक अभाव के बजाय ऐतिहासिक भेदभाव, अस्पृश्यता, सामाजिक कलंक और जनजातीय हाशियाकरण से उत्पन्न होता है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आरक्षण भी आय और संपत्ति के मानदंडों पर आधारित है, लेकिन यह केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो SC, ST या OBC श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं।

अनुसूचित जातियाँ (SCs) और अनुसूचित जनजातियाँ (STs)

- **अनुसूचित जातियाँ:** अनुच्छेद 366(24) के अंतर्गत, SCs से ऐसी जातियाँ, नस्लें या जनजातियाँ अथवा उनके भाग/समूह अभिप्रेत हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियाँ माना गया है।
- **अनुसूचित जनजातियाँ:** अनुच्छेद 366(25) के अंतर्गत, STs से ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय अथवा उनके भाग/समूह अभिप्रेत हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है।

उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर

- उप-वर्गीकरण में एक ही श्रेणी के भीतर विभिन्न उप-समूहों के बीच मौजूदा आरक्षण कोटा बाँटा जाता है, जिससे लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित होता है।
- क्रीमी लेयर में अपेक्षाकृत आगे बढ़ चुके व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया जाता है।
- इस प्रकार, उप-वर्गीकरण कोटे के भीतर लाभों का पुनर्वितरण करता है, जबकि क्रीमी लेयर पात्र लाभार्थियों की संख्या को कम करती है।
- कई राज्यों ने SC या ST के लिए उप-वर्गीकरण अपनाया है। केंद्र सरकार भी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए सीमित रूप में उप-वर्गीकरण अपनाती है।

SC/ST के लिए क्रीमी लेयर के विरुद्ध केंद्र का रुख

- केंद्र का तर्क है कि SC/ST आरक्षण केवल आर्थिक पिछड़ेपन के बजाय ऐतिहासिक और संरचनात्मक भेदभाव को दूर करने के लिए है।
- केंद्र का मानना है कि आर्थिक प्रगति से जातिगत कलंक, सामाजिक बहिष्कार या सार्वजनिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व की बाधाएँ समाप्त नहीं होती हैं।
- SC और ST पर OBC के क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करना उनके आरक्षण के अलग संवैधानिक आधार की अनदेखी करेगा।
- अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत केवल संसद ही SC और ST की राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूचियों में बदलाव कर सकती है। केंद्र का तर्क है कि न्यायपालिका द्वारा क्रीमी लेयर लागू करने से यह संवैधानिक ढाँचा प्रभावित होगा।
- सरकार अनुच्छेद 16(4A) पर भी भरोसा करती है, जो SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का विशेष प्रावधान करता है और उनके लगातार बने हुए संरचनात्मक पिछड़ेपन को मान्यता देता है।
- केंद्र का यह भी तर्क है कि देशभर के अद्यतन सामाजिक-आर्थिक और जातिगत आँकड़ों की कमी के कारण क्रीमी लेयर का कोई भी ढाँचा समय से पहले और संभावित रूप से मनमाना हो सकता है।

केंद्र ने किस बात का विरोध किया है?

SC/ST के लिए क्रीमी लेयर?

केंद्र के रुख के पीछे प्रमुख कारण



01 ऐतिहासिक भेदभाव का समाधान

SC/ST आरक्षण केवल आर्थिक पिछड़ेपन पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भेदभाव पर आधारित है।



02 आर्थिक प्रगति से जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं होता

आर्थिक प्रगति से जाति-आधारित भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार या प्रतिनिधित्व की कमी नहीं होती है।



03 अलग संवैधानिक ढाँचा

न्यायपालिका द्वारा क्रीमी लेयर लागू करने से अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जहाँ केवल संसद ही SC/ST सूचियों में बदलाव कर सकती है।



04 लगातार बने हुए पिछड़ेपन को मान्यता

अनुच्छेद 16(4A) SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण को अनुमति देता है, जो उनके लगातार बने हुए संरचनात्मक पिछड़ेपन को मान्यता देता है।



05 अद्यतन आँकड़ों की कमी

रेगुलर अपडेटेड आर्थिक और जातिगत आँकड़ों की कमी के कारण क्रीमी लेयर व्यवस्था को लागू करना अन्यायपूर्ण और संभावित रूप से मनमाना हो सकता है।

न्यायिक स्थिति

- इंद्रा साहनी मामला (1992) में क्रीमी लेयर सिद्धांत को केवल OBC तक सीमित रखा गया।
- ई.वी. चिन्नैया मामला (2004) में अनुसूचित जातियों को एक समान वर्ग माना गया और उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी गई।
- अशोक कुमार ठाकुर मामला (2008) में फिर से पुष्टि की गई कि क्रीमी लेयर सिद्धांत SC/ST आरक्षण पर लागू नहीं होता है।
- जरनैल सिंह मामला (2018) में कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में क्रीमी लेयर को बाहर करना अपने आप में राष्ट्रपति की सूचियों में बदलाव नहीं करता है।

- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामला (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने ई.वी. चिन्नैया के निर्णय को पलट दिया और मापने योग्य आँकड़ों, अधिक पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा।
- मुख्य निर्णय में उप-वर्गीकरण को मान्यता दी गई। कुछ न्यायाधीशों ने SC/ST के लिए अलग क्रीमी लेयर सिद्धांत विकसित करने का भी समर्थन किया, लेकिन न्यायालय ने इसे तत्काल लागू करने का निर्देश नहीं दिया।

दविंदर सिंह (2024) बाद

- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) मामले में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से अनुसूचित जातियों (SCs) के भीतर उप-वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) के निर्णय को पलट दिया।
- न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जातियाँ एक समान वर्ग नहीं हैं। विभिन्न समुदायों ने ऐतिहासिक वंचना और प्रतिनिधित्व के अलग-अलग स्तरों का सामना किया है।
- इसलिए, उन्हें एक समान समूह मानना वास्तविक समानता के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है।
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत उप-श्रेणियाँ बना सकते हैं, ताकि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों के भीतर सबसे अधिक वंचित वर्गों तक पहुँच सके।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 341 और 342 राष्ट्रपति को SC और ST की पहचान करने का अधिकार देते हैं, लेकिन आरक्षण के लाभों के समान वितरण के लिए आंतरिक वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाते हैं। ऐसा वर्गीकरण राष्ट्रपति की सूचियों में बदलाव नहीं माना जाएगा।
- किसी भी उप-वर्गीकरण को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:**
 - यह मापने योग्य और वस्तुनिष्ठ आँकड़ों पर आधारित होना चाहिए।
 - इसमें अधिक पिछड़ापन या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व साबित होना चाहिए।
 - इसे अनुच्छेद 14 के उचित वर्गीकरण की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
 - इससे राष्ट्रपति की सूचियों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और न ही किसी एक उप-समूह को विशेष रूप से पूरा आरक्षण दिया जाना चाहिए।
- कुछ सहमति वाले मतों में SC और ST के लिए एक अलग क्रीमी लेयर सिद्धांत विकसित करने का सुझाव दिया गया, ताकि आरक्षण के लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित न रहें।
- हालाँकि, यह सिफारिश बाध्यकारी निर्देश नहीं थी और न्यायालय ने SC या ST के लिए क्रीमी लेयर को बाहर करना अनिवार्य नहीं किया।

प्रमुख संवैधानिक मुद्दे

- यह बहस अनुच्छेद 14 के अंतर्गत औपचारिक समानता और वास्तविक समानता के बीच संतुलन को दर्शाती है।
- यह SC और ST के लिए ऐतिहासिक न्याय, पर्याप्त प्रतिनिधित्व और सामाजिक गरिमा के संवैधानिक उद्देश्य से भी संबंधित है।

- एक प्रमुख मुद्दा यह है कि जब जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक कलंक पीढ़ियों तक बने रह सकते हैं, तो क्या केवल आर्थिक प्रगति आरक्षण से बाहर करने का आधार हो सकती है।
- यह बहस न्यायपालिका की व्याख्या करने की भूमिका और अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत SC और ST सूचियों को निर्धारित करने की संसद की विशेष शक्ति के बीच संतुलन की भी परीक्षा करती है।
- अनुच्छेद 335 सार्वजनिक रोजगार में SC और ST के दावों तथा प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के बीच संतुलन की आवश्यकता बताता है।
- देशभर में अद्यतन सामाजिक-आर्थिक और जातिगत आँकड़ों की कमी समूह के भीतर असमानताओं पर साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों को सीमित करती है।

प्रमुख चिंताएँ

- आरक्षित समुदायों के अपेक्षाकृत संपन्न वर्गों को आरक्षण के लाभों का अनुपात से अधिक हिस्सा मिल सकता है।
- सभी SC या ST को एक समान समूह मानने से सबसे अधिक वंचित समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है।
- केवल आर्थिक मानदंड लगातार बने रहने वाले जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को पूरी तरह से नहीं दर्शा सकते हैं।
- व्यापक अनुभवजन्य आँकड़ों की कमी के कारण मनमाने या असंगत नीतिगत निर्णय हो सकते हैं।
- जब तक संसद, राज्य और न्यायालय उप-वर्गीकरण तथा भविष्य में किसी भी क्रीमी लेयर व्यवस्था के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत ढाँचा विकसित नहीं करते, तब तक कानूनी और नीतिगत अनिश्चितता बनी रह सकती है।

आगे की राह

- दविंदर सिंह (2024) के निर्णय के अनुरूप साक्ष्य-आधारित उप-वर्गीकरण लागू किया जाए।
- भविष्य की नीति को व्यापक सामाजिक-आर्थिक और जातिगत डेटाबेस पर आधारित किया जाए तथा समय-समय पर आँकड़ों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाए।
- आरक्षण को केवल गरीबी कम करने के साधन के बजाय प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और वास्तविक समानता के साधन के रूप में देखा जाना जारी रखा जाए।
- आरक्षण के दायरे से बाहर आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए आय-आधारित छात्रवृत्ति, आवास सहायता, शिक्षा सहायता और वित्तीय अनुदान का उपयोग किया जाए।
- दीर्घकालीन सामाजिक प्रगति में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और भेदभाव-विरोधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई भी सुधार संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4), 16(4A), 17, 335, 341 और 342 के अनुरूप हो।

नेपाल-तिब्बत में आकस्मिक बाढ़

26 अगस्त, 2026 को नेपाल-चीन सीमा पर लांगटांग लिखुंग के पास एक ग्लेशियर से बर्फ और चट्टान का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 600 मीटर चौड़ा) टूटकर अलग हो गया। इससे भोटे कोशी और त्रिशूली नदी तंत्र में विनाशकारी अचानक बाढ़ आई।



भोटे कोशी-त्रिशूली नदी तंत्र

- **भोटे कोशी:** इसका उद्गम तिब्बत (पोङ्कू) में होता है और यह कोशी बेसिन में सुन कोशी के ऊपरी प्रवाह का निर्माण करती है। इसमें अचानक आने वाली बाढ़ और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs) का खतरा बहुत अधिक है।
- **त्रिशूली नदी:** यह नारायणी (गंडकी) बेसिन की एक प्रमुख सीमापार नदी है, जिसका उद्गम तिब्बत में होता है और यह मध्य नेपाल से होकर बहती है।
- इन नदियों के साथ स्थित **रसुवागढ़ी-ग्यारोंग गलियारा** नेपाल और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार, पारगमन और जलविद्युत मार्ग है।

घटनाओं का क्रम

- बर्फ और चट्टानों 5,600 मीटर की ऊँचाई से रसुवागढ़ी सीमा चौकी पर भोटे कोशी की सहायक नदी लेंडे खोला में गिरीं।
- माना जाता है कि हिमस्खलन के दौरान घर्षण से उत्पन्न हुई गर्मी ने बर्फ के बड़े हिस्से को तरल पानी में बदल दिया, जिससे पानी और मलबे की विनाशकारी धारा नीचे की ओर बहने लगी।
- बाढ़ तिमुरे और स्याबुबेसी से होकर तेजी से आगे बढ़ी और त्रिशूली नदी के रास्ते 150 किमी से अधिक दूरी तय करते हुए चितवन और नवलपरासी तक पहुँची।

- शव 240 किमी दूर पड़ोसी भारत तक बहकर पहुँचे, जो हिमालयी बाढ़ आपदाओं के सीमा-पार प्रभाव को सीधे दर्शाता है।
- 7,570 घर नष्ट हो गए, जिससे 32,933 लोग प्रभावित हुए। 18 स्कूलों और सात स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान पहुँचा।
- कुल आर्थिक नुकसान लगभग 4.8 अरब अमेरिकी डॉलर आँका गया है।

हिमालय की संवेदनशीलता बढ़ने वाले कारक

भूवैज्ञानिक और जलवायु संबंधी कारक

- हिमालय युवा और लगातार ऊपर उठने वाले वलित पर्वत हैं, जिनसे अत्यधिक सक्रिय भ्रंश गुजरते हैं—मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT), मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT) और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट (HFT)। भारतीय हिमालयी क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्र में आता है।
- ऊँचाई-निर्भर तापवृद्धि (EDW) पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने की गति बढ़ा रही है, जिससे चट्टानों को आपस में बाँधकर रखने वाली बर्फ कमजोर हो रही है। साथ ही, मोरेन से बनी हिमनदीय झीलों का विस्तार हो रहा है, जिससे हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ और बर्फ-चट्टान हिमस्खलन का खतरा बढ़ रहा है।
- 2021 की चमोली आपदा पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से शुरू हुई थी। सिक्किम में 2023 की दक्षिण ल्होनक झील आपदा मोरेन बाँध टूटने के कारण हुई। 2013 की केदारनाथ आपदा को स्थानीय बादल फटने और चोराबाड़ी झील के टूटने ने और गंभीर बना दिया।
- बदलते मानसून के कारण स्थानीय स्तर पर बादल फटने की घटनाएँ होती हैं, जो नदियों की तेज ढाल के साथ मिलकर विनाशकारी अचानक बाढ़ और मलबे के तेज बहाव को जन्म देती हैं।

मानवजनित कारक

- सड़क निर्माण के दौरान रिटेनिंग वॉल के बिना ढलानों के निचले हिस्से की सीधी कटाई पहाड़ी ढलानों को अस्थिर करती है। चार धाम परियोजना के अंतर्गत राजमार्ग चौड़ीकरण के कारण बार-बार भूस्खलन हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) ने चेतावनी दी थी कि इससे नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो सकता है।
- रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भूमिगत सुरंग निर्माण और विस्फोट गहरे जलभूतों को नुकसान पहुँचाते हैं, छिद्र-जल दबाव में बदलाव करते हैं और गंभीर भू-धंसाव का कारण बनते हैं, जैसा कि जोशीमठ संकट में देखा गया।
- सुरंग निर्माण से निकला मलबा अक्सर नदी तल में डाल दिया जाता है, जिससे अधिक जल-प्रवाह वाली बाढ़ घातक मलबे की धाराओं में बदल जाती है और नीचे स्थित बाँध नष्ट हो सकते हैं, जैसा कि तोस्ता-III के ढहने में हुआ।

शासन और नियामक विफलताएँ

- अलग-अलग पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIAs) में प्रत्येक परियोजना का अलग से आकलन किया जाता है। पूरे नदी बेसिन के स्तर पर रणनीतिक पर्यावरणीय आकलन (SEAs) अभी सीमित हैं, जिससे संयुक्त प्रभावों का आकलन नहीं हो पाता।

- 2016 के गंगा प्राधिकरण आदेश के बावजूद सक्रिय नदी तटों और नो-डेवलपमेंट जोन में अवैध बहुमंजिला निर्माण जारी है।
- भागीरथी इको-सेंसिटिव जोन के नियमों में ढील और वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत छूट बड़ी परियोजनाओं को महत्वपूर्ण पारिस्थितिक जाँच से बचने की अनुमति देती है।
- नेपाल में केंद्रीकृत, एकल-खिड़की वितरण व्यवस्था ने राहत संबंधी विफलताओं को और बढ़ाया, क्योंकि स्थानीय सरकारों के पास जमीनी स्तर पर तेजी से कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था।

भारत की निचले क्षेत्रों से जुड़ी संवेदनशीलता

- नेपाल की भोटे कोशी, गंडक, करनाली और कोसी जैसी नदियाँ भारत के घनी आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं या वहाँ से होकर गुजरती हैं।
- सीमा-पार नदियाँ ऊपरी क्षेत्रों के आपदा जोखिमों को बिहार और उत्तर प्रदेश तक पहुँचाती हैं, जिससे नेपाल के साथ सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है।
- भारत के हिमालयी राज्यों में बादल फटने, भूस्खलन और हिमनदीय खतरों से संयुक्त जोखिम बना हुआ है।

प्रमुख समितियों की सिफारिशें

- **मिश्रा समिति (1976):** जोशीमठ के धंसने की जाँच के लिए गठित की गई थी। इसने अस्थिर क्षेत्रों में निर्माण को सीमित करने और निर्माण तथा सड़क कार्यों के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और बड़े पथरों को हटाने पर रोक लगाने की सिफारिश की।
- **जे.सी. पंत समिति (1999):** इसने 31 आपदाओं को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया। इसने आपदा प्रबंधन को सातवीं अनुसूची में शामिल करने, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा कानून बनाने, भवन निर्माण नियमों को मजबूत करने और आपदा प्रबंधन तथा वित्तपोषण के लिए समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की।

आगे की राह

- **पारिस्थितिक वहन क्षमता को लागू करना:** बड़ी रैखिक या जलविद्युत अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले रणनीतिक पर्यावरणीय आकलन (SEAs) और भू-दृश्य स्तर पर संयुक्त प्रभाव आकलन को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए।
- **स्प्रिंगशेड प्रबंधन:** झरनों के पुनर्भरण क्षेत्रों की सुरक्षा और पुनर्भरण क्षेत्रों में सुरंग निर्माण को रोकने के लिए नीति आयोग द्वारा समर्थित आठ-चरणीय स्प्रिंगशेड प्रबंधन पद्धति का बड़े स्तर पर विस्तार किया जाए।
- **ढलान स्थिरीकरण के लिए जैव-इंजीनियरिंग:** कठोर कंक्रीट की रिटेंगिंग वॉल के बजाय वेटिवर जैसी गहरी जड़ों वाली घास, हाइड्रोसीडिंग, जियो-टेक्सटाइल और समोच्च वनस्पति वाली सीढ़ियों का उपयोग करके प्रकृति-आधारित ढलान स्थिरीकरण अपनाया जाए।
- **बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों (MHEWS) का आधुनिकीकरण:** निचले क्षेत्रों के समुदायों को वास्तविक समय में पहले चेतावनी देने के लिए InSAR, सैटेलाइट टेलीमेट्री, स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) और डॉप्लर रडार को एकीकृत किया जाए।
- **सीमा-पार सहयोग:** हिंदू कुश हिमालय सहयोग ढाँचे के अंतर्गत नेपाल, चीन और भूटान के साथ डेटा साझा करने और हिमनद निगरानी को संस्थागत बनाया जाए।
- **सेंदाई फ्रेमवर्क का एकीकरण:** भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में सभी अवसंरचना और शहरी नियोजन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु अनुकूलन को मुख्यधारा में शामिल किया जाए।
- **आपदा प्रतिक्रिया का विकेंद्रीकरण:** केंद्रीकृत वितरण प्रणालियों पर निर्भर हुए बिना तेजी से कार्रवाई करने के लिए स्थानीय सरकारों को स्वतंत्र अधिकार और संसाधन दिए जाएँ।

प्रमुख अवधारणाएँ

क्रायोस्फीयर

- इसमें हिमनद, बर्फ, पर्माफ्रॉस्ट और जमी हुई बर्फ जैसे जमे हुए पानी के सभी रूप शामिल हैं।
- यह प्राकृतिक जल भंडार के रूप में कार्य करता है और पूरे एशिया की नदियों को पानी उपलब्ध कराता है।
- अधिक ऊँचाई और पतले वायुमंडल के कारण हिमालयी क्रायोस्फीयर तापमान में वृद्धि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- तेजी से बढ़ता तापमान इस क्षेत्र में जमे हुए पानी की मात्रा, विस्तार और स्थिरता को बदल रहा है।

पर्माफ्रॉस्ट का क्षरण

- पर्माफ्रॉस्ट वह जमीन (मिट्टी, चट्टान और मलबा) है, जो कम-से-कम दो वर्षों तक जमी रहती है।
- इसमें चट्टान गिरना, भूस्खलन, मलबा प्रवाह, स्लॉप और हिमस्खलन शामिल हैं।
- पिघलने से चट्टानों और ढलानों को बाँधकर रखने वाला 'प्राकृतिक सीमेंट' कमजोर हो जाता है, जिससे वे अस्थिर हो जाते हैं।
- इससे विशेष रूप से अधिक ऊँचाई वाली खड़ी ढलानों पर भूस्खलन, चट्टान गिरने और चट्टान-बर्फ हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है।

मास वेस्टिंग

- गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टानों, मिट्टी और मलबे का ढलान की ओर नीचे खिसकना।
- इसमें चट्टान गिरना, भूस्खलन, मलबा प्रवाह, स्लॉप और हिमस्खलन शामिल हैं।
- खड़ी ढलानों, युवा और कमजोर भूगर्भीय संरचना, अधिक ऊँचाई के अंतर तथा तीव्र वर्षा या बर्फ पिघलने के कारण यह हिमालय में आम है।
- यह अक्सर हिमनद झील विस्फोट बाढ़ और अचानक बाढ़ जैसी पर्वतीय आपदाओं में एक कारण या साथ होने वाली प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

हिमनदों का पीछे हटना

- बढ़ते तापमान के कारण हिमालयी हिमनद पीछे हट रहे हैं और पतले हो रहे हैं।
- हिमनदों के पीछे हटने से ढीली चट्टानें, अस्थिर ढलानें और हिमनद झीलें सामने आती हैं, जिससे भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
- अधिक बर्फ पिघलने से हिमनद झीलों का निर्माण और विस्तार भी हो सकता है, जो अचानक फट सकती हैं।
- हिमनदों का पीछे हटना नदियों के प्रवाह को बदलता है, जिससे निचले क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र और समुदाय प्रभावित होते हैं।

चट्टान-बर्फ हिमस्खलन

- खड़ी पर्वतीय ढलानों से चट्टानों, बर्फ और मलबे का तेजी से नीचे की ओर खिसकना।
- यह अक्सर पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने, भारी वर्षा, भूकंप या हिमनदों के पीछे हटने जैसे कारणों से शुरू होता है।
- यह किसी नदी या हिमनद झील में गिर सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है और निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है।
- हाल की नेपाल-तिब्बत घटना में एक बड़े चट्टान-बर्फ हिमस्खलन ने विनाशकारी बाढ़ की शुरुआत की।

अचानक बाढ़

- पानी का तेज और अत्यधिक शक्तिशाली प्रवाह, जिसमें आमतौर पर बड़ी मात्रा में मलबा होता है।
- यह बहुत कम समय में आती है और अक्सर बहुत कम चेतावनी मिलती है।
- हिमालय में यह चट्टान-बर्फ हिमस्खलन, हिमनद झील के फटने, तीव्र वर्षा या भूस्खलन से बने बाँध के टूटने के कारण आ सकती है।
- इससे निचले क्षेत्रों में भारी विनाश होता है तथा जीवन, बुनियादी ढाँचे और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं।

भारत का देखभाल करने वाला कार्यबल

हाल ही में, नीति आयोग ने “रीइमेजिनिंग केयर: विकसित भारत@2047 में देखभाल करने वालों को सशक्त बनाने की रणनीतियाँ” रिपोर्ट जारी की है, जिसमें एक पेशेवर, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक रोडमैप प्रस्तावित किया गया है।

देखभाल अर्थव्यवस्था

- देखभाल अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य, कल्याण और दैनिक जीवन में सहायता देने वाले सभी भुगतान किए गए और बिना भुगतान वाले देखभाल कार्य और सेवाएँ शामिल हैं। इसमें परिवारों, सरकारों, निजी संस्थानों, MSMEs, गैर-लाभकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों द्वारा दी जाने वाली देखभाल शामिल है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, देखभाल का अर्थ उन व्यक्तियों को शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक सहायता प्रदान करना है, जो उम्र, बीमारी या दिव्यांगता के कारण दैनिक गतिविधियाँ स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते।
- औपचारिक देखभालकर्ता प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं, जो बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) और दीर्घकालिक या अंतिम अवस्था की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को गैर-चिकित्सीय सहायता प्रदान करते हैं।
- अनौपचारिक देखभालकर्ताओं में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र और स्वयंसेवक शामिल होते हैं।
- पेशेवर देखभाल अनुच्छेद 41 की संवैधानिक भावना का समर्थन करती है, जो राज्य को वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, साथ ही काम के अधिकार को भी बढ़ावा देता है।
- भारतीय देखभाल सेवा बाजार का मूल्य 29.62 अरब अमेरिकी डॉलर (2023) था और इसके 13.76% CAGR की दर से बढ़कर 2030 तक 72.31 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक और रोजगार संभावनाओं को दर्शाता है।

एक संगठित देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता

जनसांख्यिकीय बदलाव का प्रबंधन

- भारत की 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी 149 मिलियन (2022) से बढ़कर 347 मिलियन (2050) होने का अनुमान है, जो कुल आबादी का 20% से अधिक होगी।
- बढ़ती जीवन प्रत्याशा, दीर्घकालिक बीमारियाँ, डिमेंशिया और दिव्यांगताएँ दीर्घकालिक, वृद्धावस्था, उपशामक और घर-आधारित देखभाल की माँग बढ़ा रही हैं।

बढ़ती घरेलू देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करना

- लगभग 10% भारतीय पारिवारिक देखभालकर्ता के रूप में काम करते हैं, जिनमें से अधिकांश अप्रशिक्षित हैं और उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता।
- दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार के लिए पेशेवर देखभालकर्ताओं की कार्यशक्ति आवश्यक है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना

- बिना भुगतान वाली देखभाल की जिम्मेदारियों का अनुपातहीन बोझ महिलाओं पर पड़ता है।

- NSO समय उपयोग सर्वेक्षण (2024) के अनुसार: पुरुषों के 21.4% की तुलना में 41% महिलाओं ने देखभाल कार्यों में भाग लिया। महिलाओं ने देखभाल पर प्रतिदिन 140 मिनट खर्च किए, जबकि पुरुषों ने 74 मिनट खर्च किए।
- देखभाल अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने से बिना भुगतान वाले काम को कम किया जा सकता है और महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार किया जा सकता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश

- पेशेवर देखभाल भारत की बड़ी कामकाजी आयु वाली आबादी को कुशल रोजगार, मानव पूँजी और स्थायी आजीविका के स्रोत में बदल सकती है।

देखभाल अर्थव्यवस्था की क्षमता का उपयोग

- विश्व आर्थिक मंच (2024) का अनुमान है कि देखभाल अर्थव्यवस्था का वैश्विक रोजगार में 16% हिस्सा है।
- बिना भुगतान वाला देखभाल कार्य औपचारिक आर्थिक मान्यता सीमित होने के बावजूद सालाना लगभग 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है।
- देखभाल कार्य को पेशेवर बनाने से GDP, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा मिल सकता है।

वैश्विक देखभाल की कमी का समाधान

- WHO का अनुमान है कि 2030 तक लगभग 11 मिलियन स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होगी।
- OECD देशों को 2040 तक अतिरिक्त 13.5 मिलियन देखभाल कर्मियों की आवश्यकता होने की उम्मीद है।
- भारत सरकार-से-सरकार (G2G) गतिशीलता साझेदारी के माध्यम से इस अवसर का लाभ उठा सकता है।

समावेशी विकास और सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना

- एक मजबूत देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) और अन्य कमजोर समूहों के लिए सेवाओं में सुधार करता है।
- यह दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित देखभालकर्ता के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाकर पर्पल इकोनॉमी को भी समर्थन देता है, साथ ही कुशल कार्यबल के निर्यात के माध्यम से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।

भारत में मौजूदा देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र

संस्थागत ढाँचा

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (DoSJE) वृद्धावस्था देखभालकर्ता प्रशिक्षण लागू करता है और बुजुर्गों की देखभाल के लिए SHATAYU डैशबोर्ड और JEEVAN ऐप शुरू किए हैं।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के माध्यम से सर्टिफिकेट कोर्स इन केयरगिविंग (CCCG) प्रदान करता है।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE) लागू करता है। NCAHP, NIMHANS और नेशनल सेंटर फॉर एजिंग पेशेवर प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण देखभाल में सहायता करते हैं।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और विदेश मंत्रालय (MEA) NSQF-आधारित प्रमाणन, अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता कार्यक्रमों और प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) को बढ़ावा देते हैं।

राज्य-स्तरीय नवाचार

- कर्नाटक देखभालकर्ताओं के लिए मासिक भत्ता योजना प्रदान करता है और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से देखभालकर्ताओं को सहायता देता है।
- केरल ने K4Care, आशवासकरण, नेबरहुड नेटवर्क इन पैलिएटिव केयर और जर्मनी के साथ ट्रिपल विन प्रोग्राम की शुरुआत की है।
- ओडिशा बुजुर्गों की देखभाल के लिए कुशल देखभालकर्ता तैयार करने हेतु वृद्धावस्था देखभालकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

चुनौतियाँ

- **नियामक कमियाँ:** देखभाल कार्य को अभी पूरी तरह से विनियमित पेशे के रूप में मान्यता नहीं मिली है। समान मानकों, मान्यता, लाइसेंसिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की कमी इसके पेशेवर बनने को सीमित करती है।
- **बिना भुगतान वाले देखभाल कार्य का बोझ:** पारिवारिक देखभाल का काम काफी हद तक बिना भुगतान के किया जाता है और इसका अधिक बोझ महिलाओं पर पड़ता है।
 - ♦ हालाँकि, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिक सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के देखभालकर्ताओं को मान्यता देता है, लेकिन व्यापक वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा अभी भी सीमित है।
- **कौशल की कमी:** भारत में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की कमी है, विशेष रूप से वृद्धावस्था, डिमेंशिया, स्ट्रोक, उपशामक और दिव्यांग देखभाल के क्षेत्रों में। मौजूदा प्रशिक्षण पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे विदेशों में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं।
- **कमजोर देखभाल बुनियादी ढाँचा:** औपचारिक देखभाल सेवाएँ अभी भी अपर्याप्त हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। देखभालकर्ताओं को कुछ समय के लिए राहत देने वाली सुविधाओं की कमी से उनमें थकान बढ़ती है और सेवा की गुणवत्ता कम होती है।
- **प्रौद्योगिकी और विश्वास की कमी:** इस क्षेत्र में देखभालकर्ताओं के मजबूत सत्यापन, शिकायत निवारण तंत्र, डिजिटल रजिस्ट्रियों और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की कमी है, जिससे जनता का विश्वास कम होता है।
- **सीमित सामाजिक सुरक्षा:** देखभालकर्ताओं के पास अक्सर स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन लाभ और दीर्घकालिक देखभाल के लिए वित्तीय सहायता नहीं होती, जिससे देखभाल कार्य आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाता है।

- **कम सामाजिक मान्यता:** देखभाल कार्य को अभी भी उत्पादक आर्थिक गतिविधि के बजाय मुख्य रूप से परिवार की निजी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है, जिससे पेशे के रूप में इसका आकर्षण कम होता है।

नीति आयोग की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

नीति और विनियमन को मजबूत करना

- इस क्षेत्र को औपचारिक रूप देने और केंद्र-राज्य समन्वय में सुधार के लिए देखभाल पर राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।
- विनियमन, मान्यता, प्रमाणन, देखभालकर्ता रजिस्ट्री, मानक निर्धारण और शिकायत निवारण के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद (NCC) की स्थापना की जाए।

कार्यबल को पेशेवर बनाना

- वृद्धावस्था, उपशामक और डिमेंशिया देखभाल के लिए NSQF-अनुरूप प्रमाणन, मानकीकृत पाठ्यक्रम और विशेष कैंडर शुरू किए जाएँ। देखभाल कार्य को शैक्षणिक संस्थानों और डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्मों से जोड़ा जाए।
- RCI, NISD, सेक्टर स्किल काउंसिल, नेशनल सेंटर फॉर एजिंग और रीजनल जेरियाट्रिक सेंटर्स जैसे संस्थानों को मजबूत किया जाए।

वैश्विक गतिशीलता का विस्तार

- नैतिक भर्ती, भाषा प्रशिक्षण और पुनःएकीकरण सहायता के माध्यम से जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ G2G साझेदारी विकसित की जाए।

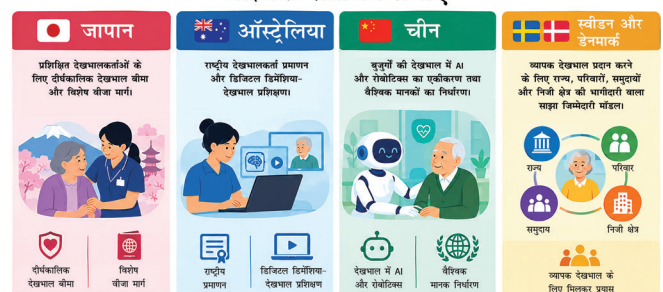
सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक देखभाल को मजबूत करना

- देखभाल उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए देखभालकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
- बिना भुगतान वाले देखभाल कार्य के बोझ को कम करने के लिए पारिवारिक देखभालकर्ताओं, SHGs, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और CSR-समर्थित सामुदायिक देखभाल पहलों को मजबूत किया जाए।

देखभालकर्ताओं के कल्याण और प्रौद्योगिकी में सुधार

- देखभालकर्ताओं की थकान को रोकने के लिए देखभाल अवकाश, राहत देखभाल सेवाएँ, परामर्श सहायता और कार्यस्थल पर संवेदनशीलता की व्यवस्था शुरू की जाए।
- प्रमाणित देखभालकर्ताओं की सूची, रजिस्ट्री, पृष्ठभूमि सत्यापन, बहुभाषी प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा प्रदान करने की व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय डिजिटल देखभालकर्ता पोर्टल विकसित किया जाए।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ



IRDAI सुधार 2026

हाल ही में, IRDAI ने बीमा क्षेत्र को आधुनिक बनाने और सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए प्रमुख सुधारों को मंजूरी दी।

पृष्ठभूमि

- बीमा क्षेत्र वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, दीर्घकालिक बचत को जुटाता है और आर्थिक विकास में सहायता करता है।
- भारत का लक्ष्य देशभर में बीमा कवरेज का विस्तार करके '2047 तक सभी के लिए बीमा' हासिल करना है।
- SBSR अधिनियम, 2025 बीमा क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- नवीनतम सुधारों का उद्देश्य शासन में सुधार करना, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा को मजबूत करना, पूँजी निर्माण को आसान बनाना और व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ाना है।

सुधारों का उद्देश्य

सुधारों का उद्देश्य है:

- बीमा कंपनियों को कामकाज में अधिक लचीलापन प्रदान करना।
- बीमा क्षेत्र में पूँजी निर्माण को आसान बनाना।
- कॉर्पोरेट प्रशासन और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना।
- पॉलिसीधारकों की सुरक्षा को बढ़ाना।
- पूरे बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करना।
- 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीमा की पहुँच को तेजी से बढ़ाना।

IRDAI द्वारा स्वीकृत प्रमुख सुधार

परिचालन और वित्तीय सुधार:

- IRDAI ने निम्नलिखित में संशोधनों को मंजूरी दी:
 - IRDAI (बीमा कंपनियों के बीमाकिक, वित्त और निवेश कार्य) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026
 - IRDAI (बीमा कंपनियों का पंजीकरण, पूँजी संरचना, शेरों का हस्तांतरण और विलय) (संशोधन) विनियम, 2026
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - संशोधन बीमा कंपनियों के लिए निवेश नियमों को उदार बनाते हैं और पूँजी निवेश के लिए अधिक स्पष्ट ढाँचा प्रदान करते हैं।
 - ये शेरों के हस्तांतरण को सरल बनाते हैं और बीमा कंपनियों के विलय की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं।
 - ये कॉर्पोरेट पुनर्गठन को आसान बनाते हैं और परिचालन में लचीलापन बढ़ाते हैं।
 - ये बीमाकिक निगरानी को मजबूत करते हैं, वित्तीय प्रशासन में सुधार करते हैं और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करते हैं।
 - ये सुधार व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करते हैं, बीमा कंपनियों की वित्तीय मजबूती बढ़ाते हैं और दीर्घकालिक विकास के लिए अधिक स्थिर वातावरण बनाते हैं।

पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष (PEPF):

- IRDAI ने SBSR अधिनियम, 2025 के माध्यम से IRDA अधिनियम, 1999 की धारा 16A के अंतर्गत पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष (PEPF) को लागू करने के लिए IRDAI (पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष) विनियम, 2026 को मंजूरी दी।
- PEPF का उद्देश्य है:
 - बीमा जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।
 - शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना।
 - प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पॉलिसीधारक सेवाओं में सुधार करना।
 - दावा न की गई बीमा राशि का पता लगाने और उसे प्राप्त करने में सहायता करना।
 - पॉलिसीधारकों की शिक्षा और उपभोक्ता सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।
 - यह कोष उपभोक्ताओं के विश्वास और पॉलिसीधारकों की सुरक्षा को मजबूत करता है।
 - यह बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाता है तथा अधिक जागरूक और सशक्त बीमा उपभोक्ता तैयार करने में सहायता करता है।

बीमा मध्यस्थों के लिए सुधार:

प्रमुख बदलाव:

- सुधारों के अंतर्गत प्रत्येक बीमा प्रस्ताव, पॉलिसी और प्रमाणपत्र के साथ अधिकृत विक्रेता को टैग करना अनिवार्य किया गया है।
- इनमें समय-समय पर नवीनीकरण के बजाय वार्षिक शुल्क व्यवस्था के माध्यम से स्थायी पंजीकरण की शुरुआत की गई है।
- ये नियामक ढाँचे को SBSR अधिनियम और विदेशी निवेश नियमों के अनुरूप बनाते हैं।
- ये प्रशासन, प्रकटीकरण मानकों और जवाबदेही को मजबूत करते हैं।

लाभ:

- ये सुधार बीमा वितरण व्यवस्था में जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता में सुधार करते हैं।
- ये पॉलिसीधारकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाते हैं।
- ये मध्यस्थों, TPAs और सर्वेक्षकों के लिए अनुपालन लागत कम करते हैं।
- ये पॉलिसीधारकों को अधिक तेज और कुशल सेवाएँ प्रदान करने में मदद करते हैं।

पारदर्शी नियामक प्रवर्तन:

- IRDAI ने IRDAI (दंड लगाने की रीति और प्रक्रिया) विनियम, 2026 को मंजूरी दी।
- प्रमुख प्रावधान:
 - ये विनियम एक समान और पारदर्शी प्रवर्तन ढाँचा स्थापित करते हैं।

- ये नियामक कार्यवाही के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।
- ये कारण बताओ नोटिस जारी करने और कारण सहित आदेश देने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करते हैं।
- ये निष्पक्ष, उचित और समान नियामक कार्यवाही को बढ़ावा देते हैं।
- यह ढाँचा नियामक निश्चितता में सुधार करता है और अनुपालन तथा जवाबदेही को मजबूत करता है। यह बीमा विनियमन में जनता का विश्वास भी बढ़ाता है।
- **बीमा बाजार का विस्तार:**
 - ◆ ProTec General Insurance Ltd. को सामान्य बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र मिला।
 - ◆ यह 2026 के दौरान पंजीकृत चौथी बीमा कंपनी है, जिसमें दो सामान्य बीमा कंपनियाँ, एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी और एक पुनर्बीमा कंपनी शामिल हैं।
 - ◆ यह मंजूरी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है और बीमा क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि करती है।
 - ◆ यह देशभर में बीमा की पहुँच को व्यापक बनाने में भी सहायता करती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सुधार

- सरकार ने SBSR अधिनियम, 2025 के अंतर्गत बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है।
- एक जीवन बीमा कंपनी और एक सामान्य बीमा कंपनी पहले ही विदेशी हिस्सेदारी को पहले की 74% सीमा से अधिक बढ़ा चुकी हैं।
- यह सुधार बीमा क्षेत्र में अधिक दीर्घकालिक पूँजी को आकर्षित करता है, निवेशकों का विश्वास मजबूत करता है और क्षेत्र की वित्तीय क्षमता में सुधार करता है।
- यह प्रतिस्पर्धा, नवाचार और उत्पाद विविधता को बढ़ावा देता है तथा बीमा कंपनियों को अपने कामकाज का विस्तार करने और बीमा की पहुँच बढ़ाने में सहायता करता है।

सुधारों का महत्त्व

- ये सुधार एक संतुलित ढाँचा बनाते हैं, जो बाजार के उदारीकरण के साथ पॉलिसीधारकों की मजबूत सुरक्षा को जोड़ता है।
- ये बीमा कंपनियों में कॉर्पोरेट प्रशासन, बीमाकिक निगरानी और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करते हैं।
- ये नियामक पारदर्शिता, जवाबदेही और निश्चितता में सुधार करते हैं।
- ये पूँजी निर्माण को आसान बनाते हैं और बीमा क्षेत्र के सतत् विकास में सहायता करते हैं।
- ये नियामक और अनुपालन के बोझ को कम करते हैं, जिससे व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार होता है।
- ये अधिक निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और नवाचार बढ़ता है।
- ये बीमा की पहुँच बढ़ाने को बढ़ावा देते हैं और 2047 तक सभी के लिए बीमा के राष्ट्रीय लक्ष्य का समर्थन करते हैं।

चुनौतियाँ

नियामक चुनौतियाँ

- नियामकों को परिचालन लचीलेपन और पॉलिसीधारकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।
- निजी भागीदारी और विदेशी निवेश बढ़ने के साथ मजबूत निगरानी आवश्यक है।
- बीमा बाजार की बढ़ती जटिलता के अनुरूप नियामक क्षमता का विकास किया जाना चाहिए।

क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

- बीमा कंपनियों को नए नियामक ढाँचे को पूरे क्षेत्र में समान रूप से लागू करना चाहिए।
- मध्यस्थों को प्रशासन, जानकारी के खुलासे और जवाबदेही के उच्च मानकों को अपनाना चाहिए।
- डिजिटल बुनियादी ढाँचे को पॉलिसी सेवाओं, शिकायत निवारण और दावा न की गई राशि की वसूली में प्रभावी रूप से सहायता करनी चाहिए।

बाजार संबंधी चुनौतियाँ

- कई ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में बीमा की पहुँच अभी भी कम है।
- कई कमजोर परिवारों के लिए किफायती बीमा उत्पाद अभी भी पर्याप्त नहीं हैं।
- अतिरिक्त पूँजी का उपयोग केवल कारोबार की मात्रा बढ़ाने के बजाय बीमा कवरेज को व्यापक बनाने में होना चाहिए।

उपभोक्ता-केंद्रित चुनौतियाँ

- कई नागरिकों में बीमा जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभी भी सीमित है।
- कई पॉलिसीधारक अपने अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्रों से अनजान हैं।
- बीमा की बड़ी राशि अभी भी बिना दावे के पड़ी हुई है।

आगे की राह

- SBSR अधिनियम और उससे जुड़े विनियमों को समय पर और समन्वित तरीके से लागू किया जाए।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियानों के माध्यम से बीमा संबंधी जानकारी को बढ़ाया जाए।
- पॉलिसी सेवाओं, शिकायत निवारण और दावा न की गई बीमा राशि की वसूली के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्मों का विस्तार किया जाए।
- जोखिम-आधारित विनियमन को बढ़ावा दिया जाए, जो पॉलिसीधारकों की सुरक्षा से समझौता किए बिना नवाचार को प्रोत्साहित करे।
- कम आय वाले परिवारों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए किफायती और समावेशी बीमा उत्पाद विकसित किए जाएँ।
- आँकड़ा-आधारित विनियमन और बीमा कंपनियों की निरंतर निगरानी के माध्यम से पर्यवेक्षण क्षमता को मजबूत किया जाए।
- बीमा जोखिम आकलन, दावों के प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाने और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए AI और उन्नत विश्लेषण सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक पूँजी प्रवाह से बीमा की पहुँच बढ़े, बीमा उत्पाद अधिक सुलभ हों और उपभोक्ताओं को बेहतर परिणाम मिलें।

ILO अभिसमय संख्या 193

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सम्मानजनक कार्य पर अभिसमय संख्या 193 को अपनाया, जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों पर विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।

पृष्ठभूमि

- डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्मों के तेजी से विस्तार ने विश्व भर में लाखों लचीले रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं।
- हालाँकि, कई प्लेटफॉर्म श्रमिकों को अभी भी कम सामाजिक सुरक्षा, आय की अनिश्चितता, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और कमजोर कानूनी सुरक्षा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अक्सर स्वतंत्र ठेकेदार माना जाता है।
- इन कमियों को दूर करने के लिए, ILO ने अभिसमय संख्या 193 को अपनाया, जो प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के लिए न्यूनतम वैश्विक श्रम मानक निर्धारित करता है।

ILO अभिसमय संख्या 193

- इस अभिसमय को जून 2026 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाया गया, जिसमें 406 वोट पक्ष में, 8 विरोध में और 36 वोट अनुपस्थित रहे, जिनमें भारत भी शामिल था।
- यह प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से समर्पित पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक है।
- यह डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रमिकों पर लागू होता है, चाहे वे कर्मचारी, स्व-रोजगार वाले व्यक्ति या स्वतंत्र ठेकेदार हों।
- इसमें स्थान-आधारित और ऑनलाइन, दोनों प्रकार के प्लेटफॉर्म कार्य शामिल हैं।

मुख्य प्रावधान

- उचित पारिश्रमिक, समय पर भुगतान, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है।
- काम के आवंटन, वेतन निर्धारण, रेटिंग और अकाउंट बंद करने में एल्गोरिदम की पारदर्शिता आवश्यक बनाता है।
- महत्वपूर्ण स्वचालित निर्णयों पर मानवीय निगरानी अनिवार्य करता है। केवल अनुबंध में दिए गए नाम के बजाय काम की वास्तविक प्रकृति को मान्यता देकर श्रमिकों के गलत वर्गीकरण को रोकता है।
- मौलिक श्रम अधिकारों और डेटा गोपनीयता की रक्षा करता है तथा प्रवासी और शरणार्थी श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- हिंसा, उत्पीड़न, अनुचित निलंबन और मनमाने ढंग से नौकरी समाप्त करने के विरुद्ध सुरक्षा को बढ़ावा देता है। श्रमिकों की न्याय तक पहुँच और प्रभावी शिकायत निवारण को मजबूत करता है।

भारत के मतदान से दूर रहने के कारण

- सरकार ने तर्क दिया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पहले से ही गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करती है।

- भारत आमतौर पर ILO अभिसमयों की पुष्टि तभी करता है, जब घरेलू कानूनों के साथ उनकी पूरी तरह अनुकूलता सुनिश्चित हो जाती है।
- चूँकि श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए केंद्र राज्यों को श्रम नियम बनाने में लचीलापन देने के पक्ष में है।
- सरकार ने यह भी चिंता व्यक्त की कि श्रमिकों के पुनर्वर्गीकरण और एल्गोरिदम की पारदर्शिता से संबंधित प्रावधान अनुपालन लागत बढ़ा सकते हैं और डिजिटल नवाचार को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत की गिग अर्थव्यवस्था

- भारत में 2020-21 में लगभग 77 लाख गिग श्रमिक थे, जिनकी संख्या 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ हो सकती है।
- डिजिटल इंडिया, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऐप-आधारित सेवाओं के विस्तार ने प्लेटफॉर्म कार्य को तेजी से बढ़ाया है।

भारत का मौजूदा ढाँचा

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानूनी मान्यता देती है।
- इसके अंतर्गत एग्रीगेटर्स को निर्धारित सीमा के अधीन अपने वार्षिक कारोबार का 1-2% सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करना आवश्यक है।
- पात्र श्रमिकों को दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व लाभ, पेंशन और अन्य अधिसूचित कल्याणकारी लाभ मिल सकते हैं। हालाँकि, सामाजिक सुरक्षा ढाँचा अभी भी काफी हद तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि इससे जुड़ी योजनाओं और विस्तृत नियमों को अभी पूरी तरह अधिसूचित किया जाना बाकी है।
- राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने गिग श्रमिकों के लिए अलग-अलग कल्याणकारी उपाय शुरू किए हैं।

चुनौतियाँ

- श्रमिकों के गलत वर्गीकरण के कारण कई प्लेटफॉर्म श्रमिक अभी भी बुनियादी श्रम अधिकारों से वंचित हैं।
- अपारदर्शी एल्गोरिदम पर्याप्त पारदर्शिता के बिना काम के आवंटन, कमाई और अकाउंट बंद करने का निर्णय करते हैं।
- कानूनी प्रावधानों के बावजूद सामाजिक सुरक्षा अभी भी कमजोर है।
- श्रमिकों को अभी भी आय में अनिश्चितता, काम से जुड़े जोखिमों और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
- महिला प्लेटफॉर्म श्रमिक सुरक्षा और उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं के प्रति अभी भी संवेदनशील हैं।
- कई गिग श्रमिक अभी भी औपचारिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के दायरे से बाहर हैं।

चीनी की बढ़ती कीमतें

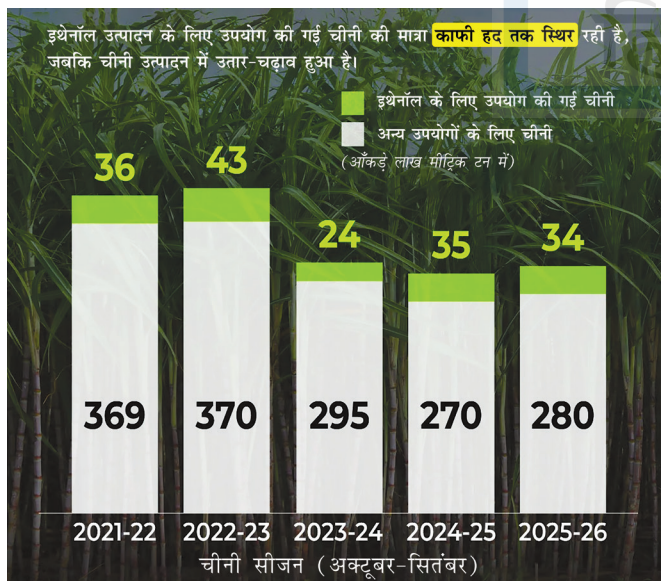
चीनी की बढ़ती कीमतों ने भारत में इथेनॉल मिश्रण, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर बहस फिर से तेज कर दी है।

पृष्ठभूमि

- इथेनॉल एक नवीकरणीय अल्कोहल है, जिसका उत्पादन गन्ना, मक्का, गेहूँ और अन्य स्टार्च-युक्त कच्चे माल से किया जाता है। जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने के लिए इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है।
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के अंतर्गत भारत ने 2025 में 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) का लक्ष्य हासिल किया और फ्लेक्स-पयूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू किया।

चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण

- लाल सड़न रोग, टॉप बोअर कीट के प्रकोप, अत्यधिक वर्षा और जलभराव के कारण घरेलू चीनी उत्पादन शुरूआती अनुमान 34.3 मिलियन टन के मुकाबले घटकर लगभग 30.6 मिलियन टन रह गया।
- त्योहारों के मौसम में अधिक माँग ने बाजार पर दबाव और बढ़ा दिया। वैश्विक स्तर पर चीनी की बढ़ती कीमतों और वैश्विक आपूर्ति में संभावित कमी ने भी घरेलू कीमतों को ऊपर बढ़ाया।
- स्ट्रेटिजी के लिए खरीद और जमाखोरी ने कमी को और बढ़ा दिया।
- परिणामस्वरूप, भारत में चीनी का अंतिम भंडार कई वर्षों के निचले स्तर तक गिरने का अनुमान है, जिससे घरेलू आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है।



इथेनॉल कारक

- सरकार ने इस दावे को खारिज किया है कि इथेनॉल के लिए चीनी के उपयोग से चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई।
- इथेनॉल के लिए उपयोग की जाने वाली चीनी की हिस्सेदारी 2022-23 में लगभग 12% से घटकर 2025-26 में करीब 9% रह गई।

- भारत के इथेनॉल उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अब अनाज, मुख्य रूप से मक्का, से आता है।
- इस कार्यक्रम ने अतिरिक्त चीनी भंडार को कम किया है, चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है और 2025-26 के गन्ना बकाये का 97% भुगतान संभव बनाया है।
- उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि इसका मुख्य कारण इथेनॉल के लिए चीनी का उपयोग नहीं, बल्कि कम उत्पादन था।

इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देना

- यह आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है और विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करता है।
- यह गन्ना, मक्का और अतिरिक्त खाद्यान्नों के लिए एक अतिरिक्त बाजार तैयार करता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है।
- यह कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करता है।
- यह डिस्टिलरी में निवेश को प्रोत्साहित करके और गैर-कृषि रोजगार उत्पन्न करके ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है।
- यह वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के माध्यम से भारत के वैश्विक नेतृत्व को भी मजबूत करता है।

प्रमुख चिंताएँ

- खाद्य-आधारित कच्चे माल पर अधिक निर्भरता इथेनॉल उत्पादन को खराब फसल की स्थिति में प्रभावित कर सकती है।
- कृषि उपज को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने से आपूर्ति की कमी के दौरान खाद्य पदार्थों और चीनी की कीमतें बढ़ सकती हैं। इथेनॉल का अधिक मिश्रण पारंपरिक वाहनों की ईंधन दक्षता को कम कर सकता है।
- पुराने वाहनों में इंजन की अनुकूलता और जंग लगने की समस्या हो सकती है, क्योंकि इथेनॉल आसानी से नमी सोखता है।
- अधिक पानी की आवश्यकता वाली गन्ने की खेती दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ाती है।

सरकारी उपाय

- सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए डीलरों और थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक सीमा लगाई।
- घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन तक कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी।
- अस्थायी निर्यात प्रतिबंध जारी रखा, चीनी के भंडार का भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया और थोक खरीद की निगरानी की।
- त्योहारों के मौसम से पहले बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए गन्ने की पेराई जल्दी शुरू करने को भी प्रोत्साहित किया।

भारत में हवाई अड्डों का निजीकरण

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के 11 हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण, यात्री सेवाओं में सुधार और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए PPP मॉडल अपनाया है, जबकि संप्रभु कार्यों पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखा गया है।
- नवीनतम प्रस्ताव के अंतर्गत, व्यावसायिक रूप से मजबूत और कमजोर हवाई अड्डों के बीच क्रॉस-सब्सिडी को बढ़ावा देने के लिए 11 AAI हवाई अड्डों को पाँच समूहों में 50 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाएगा।

हवाई अड्डों का निजीकरण

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) एक दीर्घकालिक व्यवस्था है, जिसमें सरकार और एक निजी संस्था मिलकर सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे का विकास और प्रबंधन करते हैं।
- इस मॉडल के अंतर्गत, निजी रियायतधारक एक निर्धारित रियायत अवधि के लिए हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन, रखरखाव और विकास का कार्य करते हैं।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) और संचार, नेविगेशन एवं निगरानी (CNS) सेवाओं जैसे संप्रभु कार्यों को करना जारी रखता है।
- आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) प्रमुख PPP परियोजनाओं का मूल्यांकन करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वित्तीय रूप से व्यवहार्य, पारदर्शी, सुव्यवस्थित और सार्वजनिक हित के अनुरूप हों। इसने वर्तमान प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

नवीनतम प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ

- सरकार ने 11 AAI हवाई अड्डों को पाँच समूहों में 50 वर्ष की रियायत अवधि के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव किया है।
- समूह में शामिल हवाई अड्डे हैं-अमृतसर-कांगड़ा, वाराणसी-गया-कुशीनगर, भुवनेश्वर-हुबली, रायपुर-औरंगाबाद और तिरुचिरापल्ली-तिरुपति।
- समूह बनाने के मॉडल में लाभदायक और छोटे हवाई अड्डों को एक साथ रखा गया है, ताकि क्रॉस-सब्सिडी को आसान बनाया जा सके और क्षेत्रीय हवाई अड्डों की व्यवहार्यता में सुधार हो सके।
- इस प्रस्ताव से लगभग ₹8,622 करोड़ के निजी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। निजी रियायतधारक पूँजीगत व्यय, क्षमता विस्तार, हवाई अड्डे के विकास और यात्री सेवाओं का कार्य करेंगे।
- बोली का आधार घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क होगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए शुल्क घरेलू दर का दोगुना होगा।
- संचालन के हस्तांतरण के बाद एक वर्ष की संयुक्त प्रबंधन अवधि का प्रस्ताव किया गया है।

- निजी ऑपरेटरों को बदलाव की अवधि के दौरान मौजूदा AAI कार्यबल के कम-से-कम 60% कर्मचारियों को बनाए रखना होगा।
- संशोधित पात्रता मानदंड अलग-अलग बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले बोलीदाताओं को भी अनुमति देते हैं, जिससे निवेशकों का दायरा बढ़ता है।

हवाई अड्डों के निजीकरण का महत्त्व

- निजी भागीदारी बेहतर तकनीक और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से परिचालन दक्षता, सेवा की गुणवत्ता और यात्रियों के अनुभव में सुधार कर सकती है।
- यह निजी पूँजी जुटाकर हवाई अड्डों के विस्तार, टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और शहर की ओर के बुनियादी ढाँचे के विकास को तेज कर सकती है।
- PPP मॉडल सरकार पर तत्काल वित्तीय बोझ को कम करता है और अन्य विकास प्राथमिकताओं में अधिक सार्वजनिक निवेश की सुविधा देता है।
- हवाई अड्डों को समूह में रखने से व्यावसायिक रूप से कमजोर हवाई अड्डों के संचालन को सहायता मिलती है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होती है।
- अधिक निजी निवेश भारत में तेजी से बढ़ते हवाई यात्री यातायात और भविष्य की विमानन बुनियादी ढाँचा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है।

मुख्य चिंताएँ

- यदि कुछ कॉर्पोरेट समूह कई हवाई अड्डों का संचालन करते हैं, तो बाजार में अत्यधिक केंद्रीकरण से प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है।
- किसी एक परियोजना में वित्तीय दबाव उसी रियायतधारक द्वारा संचालित अन्य हवाई अड्डों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- लंबी रियायत अवधि के लिए मजबूत नियामक निगरानी, वित्तीय जाँच और निरंतर प्रदर्शन निगरानी आवश्यक है।
- व्यावसायिक हितों के कारण किफायती हवाई अड्डा सेवाओं, सार्वजनिक हित या क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से समझौता नहीं होना चाहिए।

आगे की राह

- हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा-आधारित PPP ढाँचा अपनाया जाए।
- वित्तीय जाँच-पड़ताल, स्वतंत्र विनियमन और समय-समय पर प्रदर्शन ऑडिट को मजबूत किया जाए।
- उचित प्रतिस्पर्धा सुरक्षा उपायों के माध्यम से अत्यधिक केंद्रीकरण को रोका जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि निजी निवेश से हवाई अड्डों की क्षमता बढ़े और साथ ही उपभोक्ता हितों तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की रक्षा हो।
- विमानन क्षेत्र के सतत् विकास के लिए सरकार, AAI और निजी रियायत धारकों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा दिया जाए।

पहली नियमित जाति जनगणना

लद्दाख जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना करने वाला पहला क्षेत्र होगा।
इसका कार्यक्रम पहले रखा गया है क्योंकि यहाँ सदियों की परिस्थितियाँ बहुत कठिन होती हैं।

लद्दाख से शुरुआत

- जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगी। इसके बाद 1 से 5 अक्टूबर 2026 तक पुनरीक्षण चरण होगा।
- इन क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 को 00:00 बजे है। शेष भारत के लिए यह 1 मार्च 2027 है।
- लद्दाख के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिसूचित बर्फ से ढके क्षेत्रों को बर्फ से ढके गैर-समकालिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारी बर्फबारी और सीमित कनेक्टिविटी के कारण सामान्य फरवरी अवधि में घर-घर जाकर गणना करना कठिन होता है।

जनगणना

- जनगणना जनसंख्या और उसकी जनसांख्यिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक विशेषताओं की समय-समय पर और व्यवस्थित रूप से की जाने वाली गणना है।
- यह सार्वजनिक सेवाओं की योजना, संसाधनों के आवंटन, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुँचाने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सहायता करती है।
- इसे जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के अंतर्गत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराया जाता है।
- भारत में 1871 से जनगणना की जा रही है (1872 में प्रकाशित)। पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। अंतिम पूरी हुई जनगणना 2011 में हुई थी।
- जनगणना 2027 के दो चरण हैं:**
 - मकान सूचीकरण और आवास जनगणना**, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2026 तक की जाएगी।
 - जनसंख्या गणना**, जो बर्फ से ढके क्षेत्रों में सितंबर 2026 में और अन्य क्षेत्रों में फरवरी 2027 में की जाएगी।
- यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है। गणनाकर्ता मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे, जबकि प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक के लिए डिजिटल लेआउट मैप और जियो-टैग की गई इमारतें बनाई जाएँगी।
- लद्दाख में LAC के पास स्थित संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों की गणना विशेष क्षेत्रों के रूप में कागजी प्रपत्रों के माध्यम से की जाएगी। इससे रणनीतिक स्थानों को जियो-टैगिंग और सार्वजनिक जानकारी के खुलासे से सुरक्षित रखा जाएगा।

जनगणना 2027 में जाति गणना

- जनसंख्या गणना के चरण के दौरान जाति दर्ज की जाएगी। अधिसूचित प्रश्नावली में जाति, जनसांख्यिकीय विशेषताओं, शिक्षा, प्रवास, कार्य और अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से संबंधित 40 प्रश्न हैं।

- जाति का कॉलम खुला होगा। उत्तरदाता अपनी जाति या उप-जाति का नाम अपने शब्दों में बता सकते हैं।
- इस प्रक्रिया का 1 से 20 जुलाई 2026 तक 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूर्व-परीक्षण किया गया।
- स्वतंत्रता के बाद भी SC और ST के आँकड़े दर्ज किए जाते रहे हैं। जनगणना 2027 में नियमित वैधानिक जनगणना के अंतर्गत अन्य जाति समूहों की भी गणना की जाएगी।
- 1931 की जनगणना गैर- SC/ST समूहों को शामिल करने वाली अंतिम प्रकाशित अखिल भारतीय जाति गणना है।
 - इसलिए इसके आँकड़े OBC आबादी के अनुमानों को लगातार प्रभावित करते रहे हैं।
- 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना में नियमित जनगणना से अलग जाति संबंधी जानकारी एकत्र की गई थी। वर्तनी में अंतर, अलग-अलग नामों और स्वयं की पहचान में असंगति के कारण इसके कच्चे आँकड़ों में 46 लाख से अधिक जाति नाम सामने आए।
- जाति से संबंधित आँकड़ों को सत्यापित और मानकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में जारी नहीं किया गया।

जनगणना का महत्व

- लक्षित कल्याण:** वर्तमान आँकड़े शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच में मौजूद कमियों को सामने ला सकते हैं।
- सकारात्मक कार्रवाई:** यह अनुच्छेद 16(4) और 340 के अंतर्गत प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन के साक्ष्य-आधारित आकलन में सहायता कर सकता है।
- नीति मूल्यांकन:** सरकारें यह आकलन कर सकती हैं कि कल्याणकारी और आरक्षण नीतियों का लाभ लक्षित समूहों तक पहुँच रहा है या नहीं।
- सामाजिक न्याय:** विश्वसनीय आँकड़े वंचित होने की स्थिति और समूहों के भीतर मौजूद असमानताओं को अधिक स्पष्ट कर सकते हैं।



राजनीति का अपराधीकरण

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि राज्यसभा के 31% मौजूदा सांसदों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 16% सांसद गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।

ADR रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- स्व-शपथ वाले चुनावी हलफनामों के आधार पर राज्यसभा के 233 वर्तमान सांसदों में से 226 का विश्लेषण किया गया।
- विश्लेषण में शामिल 226 सांसदों में से 31% ने अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
- 16% पर गंभीर आरोप हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराध शामिल हैं।
- एक सांसद ने अपने विरुद्ध 36 गंभीर मामले घोषित किए हैं।
- आँकड़े पुष्टि करते हैं कि यह मुद्दा सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में मौजूद है और किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है।
- आपराधिक मामलों वाले सांसदों का सबसे अधिक अनुपात वाले राज्य: तेलंगाना (71%), दिल्ली (67%) और महाराष्ट्र (53%)
- राज्यसभा के 14% सांसद अरबपति हैं। राज्यसभा के एक सांसद की औसत घोषित संपत्ति ₹120.69 करोड़ है।
- राष्ट्रीय स्तर पर 1,861 विधायक, यानी लगभग 45%, ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 28 मुख्यमंत्रियों में से 14 मुख्यमंत्रियों ने भी अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें गंभीर मामले भी शामिल हैं।
- 2009 से घोषित आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है और इसी अवधि में गंभीर आपराधिक मामलों में 124% की वृद्धि हुई है।
- पूरे भारत में सांसदों और विधायकों के विरुद्ध 4,000 से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं।

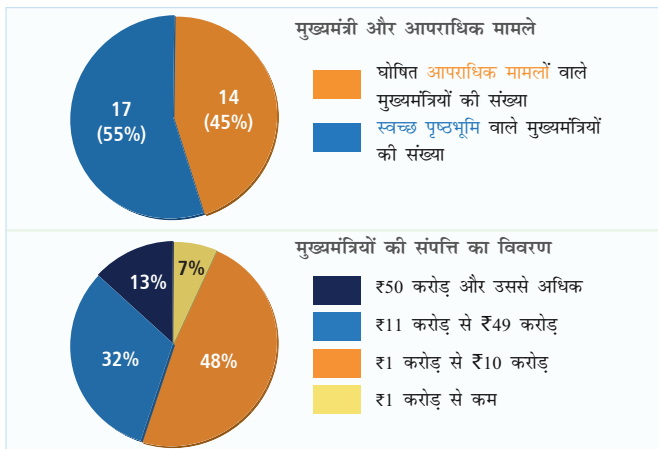
- यह कानून के शासन की जगह धन और बाहुबल के शासन को बढ़ावा देता है, जिससे लोकतांत्रिक ईमानदारी कमजोर होती है।

कारण

- धन और बाहुबल:** फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणाली और चुनाव की ऊँची लागत राजनीतिक दलों को काले धन और स्थानीय प्रभाव वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए प्रेरित करती है।
- न्यायिक देरी:** भारतीय न्यायालयों में 5.6 करोड़ से अधिक मामले लंबित होने के कारण मुकदमे दशकों तक चलते रहते हैं और इस दौरान राजनेता कई बार चुनाव लड़ सकते हैं।
- कानूनी खामियाँ:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अंतर्गत अयोग्यता तभी होती है, जब दोषसिद्धि के बाद दो वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई हो। लंबित मामले, चाहे कितने भी गंभीर हों, उम्मीदवारी पर रोक नहीं लगाते।
- पहचान की राजनीति:** मतदाता अक्सर उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के बजाय जाति, धर्म या भाषा को प्राथमिकता देते हैं। स्थानीय बाहुबलियों को 'रॉबिन हुड' जैसी छवि वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो कानून से बाहर जाकर समस्याओं का जल्दी समाधान करते हैं।
- आंतरिक पार्टी लोकतंत्र की कमी:** टिकट वितरण में पारदर्शिता की कमी के कारण पार्टी के शीर्ष नेता जमीनी कार्यकर्ताओं की तुलना में धनी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
- शासन की कमी:** कमजोर सरकारी संस्थाओं के कारण मतदाता ऐसे आपराधिक बाहुबलियों पर निर्भर हो जाते हैं, जो समानांतर शक्ति केंद्रों के रूप में काम करते हैं।
- 'जीतने की क्षमता' का कारक:** आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार लगभग 15% की दर से चुनाव जीतते हैं, जबकि साफ छवि वाले उम्मीदवारों के लिए यह दर 4% है। राजनीतिक दल नैतिक आचरण की तुलना में चुनावी सफलता को प्राथमिकता देते हैं।

प्रभाव

- गंभीर आरोपों का सामना कर रहे कानून निर्माता अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए कानून निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं या संस्थागत जवाबदेही को कमजोर कर सकते हैं।
- राज्यसभा को संवैधानिक रूप से राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने और कानूनों की विशेषज्ञ समीक्षा करने के लिए बनाया गया है। धन और बाहुबल का प्रभुत्व इस उद्देश्य को कमजोर करता है।
- 1993 में वोहरा समिति द्वारा पहचाना गया अपराधी-राजनेता-व्यवसायी गठजोड़ पिछले तीन दशकों में और गहरा हुआ है।
- राजनीति का अपराधीकरण जनता के विश्वास को कम करता है, नीति-निर्माण को प्रभावित करता है, वास्तविक प्रतिनिधित्व को हाशिये पर



राजनीति का अपराधीकरण क्या है?

- यह उस प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि, लंबित आपराधिक आरोप या दोषसिद्धि वाले व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और सार्वजनिक पदों पर रहते हैं।

डालता है और भारत की लोकतांत्रिक तथा विकास संबंधी आकांक्षाओं को कमजोर करता है।

- यह संवैधानिक नैतिकता से समझौता करता है और अंबेडकर की उस चेतावनी को उजागर करता है कि एक अच्छा संविधान भी विफल हो सकता है, यदि उसका संचालन “बुरे लोगों” द्वारा किया जाए।

न्यायिक निर्णय

- **भारत संघ बनाम ADR (2002):** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मतदाताओं को उम्मीदवारों की आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक पृष्ठभूमि जानने का मौलिक अधिकार है। हलफनामों के माध्यम से जानकारी देना अनिवार्य किया गया।
- **PUCL बनाम भारत संघ (2004):** सर्वोच्च न्यायालय ने RPA, 1951 की धारा 33B को रद्द कर दिया और उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने के मतदाताओं के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में फिर से पुष्टि की।
- **के. प्रभाकरन बनाम पी. जयरामन (2005):** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि RPA की धारा 8(3) का उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण को रोकना है और कहा कि “जो कानून तोड़ते हैं, उन्हें कानून नहीं बनाना चाहिए।”
- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):** सर्वोच्च न्यायालय ने दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले दोषी सांसदों और विधायकों को तत्काल अयोग्य ठहराना अनिवार्य किया।
- **मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को आदर्श रूप से मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- **पब्लिक इंटरैस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018):** सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। आरोप तय होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के लिए केवल संसद ही कानून बना सकती है।
- **रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा (2020):** सर्वोच्च न्यायालय ने ECI को आपराधिक रिकॉर्ड के खुलासे से संबंधित नियमों के पालन की सख्ती से निगरानी करने और उल्लंघनों की जानकारी न्यायालय को देने का निर्देश दिया।

समितियों की सिफारिशें

- **वोहरा समिति (1993):** इसने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफियाओं द्वारा चलाए जा रहे समानांतर शासन को स्वीकार किया। अपराधी-राजनेता-व्यवसायी संबंधों पर नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत एक विशेष नोडल एजेंसी बनाने की सिफारिश की।
- **दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998):** दोनों ने चुनावों के लिए आंशिक रूप से वस्तु के रूप में सरकारी वित्तपोषण की सिफारिश की, यानी आपराधिक धन पर निर्भरता कम करने के लिए मतदाता पंचियाँ, ईंधन और मीडिया समय उपलब्ध कराना।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007):** गंभीर अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्तियों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के लिए RPA की धारा 8 में संशोधन की सिफारिश की।

- मंत्रियों और विधायकों के लिए सख्त आचार संहिता पर भी बल दिया।
- **244वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2014):** पाँच वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में आरोप तय होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की, बशर्ते नामांकन की जाँच से कम-से-कम एक वर्ष पहले आरोप तय किए गए हों।
- **255वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2015):** राशि चाहे कितनी भी हो, सभी राजनीतिक चंदों का अनिवार्य खुलासा और राजनीतिक दलों के खातों के स्वतंत्र ऑडिट की सिफारिश की।
- **भारत निर्वाचन आयोग:** दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर वर्तमान छह वर्ष की अयोग्यता के बजाय चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है।

नोलन सिद्धांत

- नोलन सिद्धांत, जिन्हें सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत भी कहा जाता है, की सिफारिश 1994 में ब्रिटेन में लॉर्ड माइकल नोलन के नेतृत्व में स्थापित सार्वजनिक जीवन में मानकों की समिति द्वारा की गई थी।
- ये सार्वजनिक पद धारकों के लिए एक नैतिक ढाँचा प्रदान करते हैं और भारत में राजनीति के अपराधीकरण की समस्या से सीधे संबंधित हैं।
- **सात सिद्धांत हैं:** निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व।

राजनीति के अपराधीकरण से निपटने के लिए हालिया उपाय

संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025

- यह विधेयक अनुच्छेद 75 (संघ), 164 (राज्य) और 239AA (दिल्ली) में संशोधन करना चाहता है, ताकि पाँच वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को पद से हटाना अनिवार्य किया जा सके।
- यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। ऐसा न करने पर वे 31वें दिन स्वतः पद पर नहीं रहेंगे।
- प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पद से हटाने का निर्देश दिया जा सकता है, या यह प्रक्रिया स्वतः लागू हो सकती है।
- यह विधेयक 2025 में पेश किया गया था और विपक्ष के तीव्र विरोध-प्रदर्शनों के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया।

विरोध में तर्क

- **निर्दोष माने जाने के सिद्धांत का कमजोर होना:** अयोग्यता गिरफ्तारी यानी कार्यपालिका की कार्रवाई के आधार पर लागू होती है, न कि आरोप तय होने या दोषसिद्धि के आधार पर, जो न्यायिक कार्रवाईयें हैं।
- **दुरुपयोग का जोखिम:** PMLA और UAPA जैसे सख्त जमानत प्रावधानों वाले कानूनों का उपयोग सत्तारूढ़ सरकारों विपक्षी नेताओं को मनमाने ढंग से 30 दिनों तक हिरासत में रखने और उन्हें पद से हटाने के लिए कर सकती हैं।
- इससे निर्वाचित राज्य सरकारों के अस्थिर होने की संभावना है।

आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भूमिका और उपस्थिति

सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने जुलाई 2026 में लोकसभा में “आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में भारत की भूमिका और उपस्थिति” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आर्कटिक परिषद

- इसकी स्थापना 19 सितंबर, 1996 को ओटावा घोषणा के माध्यम से की गई थी। इसके आठ सदस्य देश हैं—कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सभी के क्षेत्र आर्कटिक वृत्त के ऊपर स्थित हैं।
- परिषद में आर्कटिक के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह स्थायी सहभागी संगठन भी शामिल हैं।
- आर्कटिक परिषद में भारत सहित 13 पर्यवेक्षक देश हैं।
- इन देशों के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, लेकिन वे परिषद की विशेष परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दे सकते हैं और आर्कटिक में स्वतंत्र राष्ट्रीय अनुसंधान सक्रिय रूप से कर सकते हैं।
- परिषद वैज्ञानिक अनुसंधान और नीतिगत सिफारिशों पर केंद्रित सर्वसम्मति-आधारित मंच के रूप में कार्य करती है।

आर्कटिक क्षेत्र

- आर्कटिक उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, जिसका केंद्र आर्कटिक महासागर है।
- आर्कटिक सामान्यतः आर्कटिक वृत्त (66°33' उत्तरी अक्षांश) के उत्तर में स्थित है।
- इसमें आर्कटिक महासागर, आसपास के समुद्र, द्वीप और कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका (अलास्का) के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ पर्माफ्रॉस्ट, समुद्री बर्फ, टुंड्रा और दिन के प्रकाश में अत्यधिक मौसमी बदलाव हैं।

छह कार्य समूह



आर्कटिक प्रदूषक कार्रवाई कार्यक्रम (ACAP)

प्रदूषक उत्सर्जन और खतरनाक रसायनों के रिसाव को कम करता है।



आर्कटिक निगरानी और आकलन कार्यक्रम (AMAP)

जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य की निगरानी करता है।



आर्कटिक वनस्पति और जीव-जंतु संरक्षण (CAFF)

आर्कटिक जैव विविधता और जीवित संसाधनों की रक्षा करता है।



आपातकालीन रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (EPPR)

पर्यावरणीय दुर्घटनाओं, रिसाव और खोज एवं बचाव समन्वय से संबंधित कार्य करता है।



आर्कटिक समुद्री पर्यावरण संरक्षण (PAME)

आर्कटिक महासागरों और समुद्रों के संरक्षण तथा सतत् उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।



सतत् विकास कार्य समूह (SDWG)

आर्कटिक समुदायों की जीवन स्थितियों और सामाजिक कल्याण में सुधार करता है।

आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी

- भारत 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक है।
- राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) के माध्यम से अनुसंधान किया जाता है, जिसमें जलवायु पैटर्न, समुद्री जैव विविधता और हिमनदों की गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है।
- 2008 में, भारत ने नॉर्वे के स्वालबार्ड में अपना अनुसंधान केंद्र हिमाद्री स्थापित किया।
- भारत की आर्कटिक नीति (2022), जिसका शीर्षक “भारत और आर्कटिक: सतत् विकास के लिए साझेदारी का निर्माण” है, ने केवल वैज्ञानिक भागीदारी से आगे बढ़ने की दिशा में बदलाव को दर्शाया।
- आर्कटिक से जुड़े मामलों को वर्तमान में विदेश मंत्रालय (MEA) के पोलर सेल द्वारा संभाला जाता है। इसके लिए कोई समर्पित राजदूत नहीं है।

भारत को आर्कटिक में ज्यादा भागीदारी की जरूरत क्यों है?

- आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में तीन से चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव भारत के मानसून पैटर्न और समुद्र स्तर पर पड़ता है।
- हिमालय, जिसे “तीसरा ध्रुव” माना जाता है, ध्रुवीय शासन में भारत की मजबूत भागीदारी का आधार है।
- आर्कटिक में महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े भंडार हैं, जिनमें सक्रिय औषधीय सामग्री (APIs) और एयर-कंडीशनिंग उपकरणों में उपयोग होने वाले खनिज भी शामिल हैं।
- उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) एशिया और यूरोप के बीच समुद्री परिवहन की दूरी को काफी कम कर सकता है।
- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे (नवंबर 2024 से संचालित) से भारत के रूस के साथ व्यापार को पहले ही लाभ मिला है।

आर्कटिक क्षेत्र का महत्त्व

- आर्कटिक रणनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण है।
- यह अपने बर्फ के आवरण और महासागरीय परिसंचरण के माध्यम से वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करता है, तेल, प्राकृतिक गैस और महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार रखता है, विशेष जैव विविधता को सहारा देता है और समुद्री बर्फ घटने के साथ उभरते उत्तरी समुद्री मार्ग से नौवहन के अवसर प्रदान करता है।
- यह वैज्ञानिक अनुसंधान और भू-राजनीतिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

संसदीय समिति की मुख्य सिफारिशें

- “ध्रुवीय कूटनीति” को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक ध्रुवीय राजदूत नियुक्त किया जाए।

- आर्कटिक परिषद के सभी सदस्य देशों और जापान, चीन, सिंगापुर तथा दक्षिण कोरिया सहित अधिकांश पर्यवेक्षक देशों के पास पहले से ही समर्पित ध्रुवीय राजदूत हैं।
- जब भी आर्कटिक परिषद की सदस्यता के मानदंडों की समीक्षा हो, भारत को इसकी पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

आर्कटिक परिषद के सामने चुनौतियाँ



○ सहयोग में दरार:

2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद सदस्यों ने भागीदारी रोक दी, जिससे आम सहमति पर आधारित कूटनीति कमजोर हुई।



○ सैन्यीकरण:

बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा आर्कटिक की शांति क्षेत्र के रूप में स्थिति को कमजोर करती है।



○ शासन संबंधी कमी:

परिषद के अधिकार क्षेत्र में सैन्य सुरक्षा को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ एक महत्वपूर्ण कमी उत्पन्न होती है।



○ तेजी से बढ़ता तापमान:

समुद्री बर्फ के तेजी से घटने से संवेदनशील समुद्री क्षेत्र नौवहन, संसाधनों के दोहन और तेल रिसाव के जोखिमों के लिए खुल रहे हैं।

- चूँकि ओटावा घोषणा वर्तमान में पूर्ण सदस्यता को केवल आर्कटिक वृत्त के ऊपर क्षेत्र रखने वाले देशों तक सीमित करती है, इसलिए भारत को भविष्य में इन मानदंडों में संशोधन के लिए कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए।

- ध्रुवीय मामलों में भारत की नेतृत्वकारी स्थिति को मजबूत करने के लिए 'आर्कटिक के बारे में भारतीय दृष्टिकोण' तैयार किया जाए।
- आर्कटिक परिषद में एशिया की सामूहिक आवाज को मजबूत करने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ एक चतुर्भुज व्यवस्था बनाई जाए।
- कूटनीतिक माध्यमों से आर्कटिक वैज्ञानिक अनुसंधान में रूस की निरंतर भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
- ध्रुवीय अनुसंधान वाहन खरीदे जाएँ, ध्रुवीय अनुसंधान छात्रवृत्तियों के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाए और ध्रुवीय क्षेत्रों में भारतीयों द्वारा मत्स्य पालन की संभावनाओं का पता लगाया जाए।
- आर्कटिक नीति को विज्ञान से आगे बढ़ाकर उसमें भू-राजनीतिक और रणनीतिक पहलुओं को शामिल किया जाए।
- आर्कटिक और अंटार्कटिक शासन में ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत किया जाए।

आगे की राह

- एक ध्रुवीय राजदूत नियुक्त किया जाए और विदेश मंत्रालय (MEA) में आर्कटिक और अंटार्कटिक मामलों के लिए एक समर्पित प्रभाग स्थापित किया जाए।
- प्रस्तावित चतुर्भुज व्यवस्था के माध्यम से एशियाई पर्यवेक्षक देशों के साथ सहयोग को और मजबूत किया जाए।
- आर्कटिक नीति को भारत के SAGAR विजन और एक्ट ईस्ट नीति के साथ जोड़ा जाए।
- NCPOR और हिमाद्री अनुसंधान केंद्र को अधिक वित्तीय सहायता और बेहतर बुनियादी ढाँचे के साथ मजबूत किया जाए।

आर्कटिक परिषद

8 स्थायी सदस्य

कनाडा
डेनमार्क
फिनलैंड
आइसलैंड
नॉर्वे
रूस
स्वीडन
संयुक्त राज्य अमेरिका



आर्कटिक परिषद सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर आर्कटिक देशों के बीच सहयोग, समन्वय और आपसी संपर्क को बढ़ावा देती है।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने 7 अगस्त, 2026 को मक्का में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि

- इन देशों ने जारी अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष, हूती विद्रोहियों के बार-बार हमलों और दोहा पर इजराइली हवाई हमले की पृष्ठभूमि में सामूहिक रक्षा और सामूहिक प्रतिरोध का संकल्प लिया।
- यह समझौता 17 सितंबर, 2025 को रियाद के अल-यमामा पैलेस में हस्ताक्षरित सऊदी-पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते (SMDA) पर आधारित है।
- बातचीत 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमला के हमले के बाद शुरू हुई और ईरान के विरुद्ध जारी अमेरिका-इजराइल युद्ध के बीच इसमें तेजी आई।
- 2025 के SMDA के बाद से पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब में 8,000 सैनिक और JF-17 लड़ाकू विमानों की एक स्क्वाड्रन तैनात कर चुका था।
- तुर्किये का इसमें शामिल होना पाकिस्तान के साथ अलग से चल रहे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर आधारित है। इसमें कई वर्षों से जारी युद्धपोतों का आदान-प्रदान और पायलट प्रशिक्षण शामिल है।
- मक्का समझौते का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। केवल इसके सामूहिक प्रतिरोध के उद्देश्य का वर्णन करने वाली एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ

- किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।
- यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में दिए गए सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के आधार पर तैयार किया गया है।
- यह समझौता चार स्तंभों पर आधारित है - सामूहिक प्रतिरोध, संयुक्त प्रशिक्षण और सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था तथा रक्षा-औद्योगिक एकीकरण।
- समझौते में किसी विशेष विरोधी देश का नाम नहीं लिया गया है और इसे पूरी तरह रक्षात्मक बताया गया है। साथ ही, इसमें शामिल होने के इच्छुक किसी भी “भाईचारे वाले देश” के लिए यह खुला है।
- तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह समझौता ईरान के विरुद्ध नहीं है।
- इसमें कोई संयुक्त कमान मुख्यालय, स्थायी संयुक्त सैन्य बल, साझा बजट या स्पष्ट परमाणु-साझाकरण प्रावधान नहीं है।
- एक अपवर्जन प्रावधान के अंतर्गत उस सदस्य को सुरक्षा नहीं मिलेगी, जो स्वयं आक्रमण शुरू करता है या किसी अन्य देश के विरुद्ध अपने क्षेत्र के उपयोग की अनुमति देता है।

तीन राष्ट्रों की पूरक शक्तियाँ

- सऊदी अरब:**
 - यह एक प्रमुख तेल निर्यातक देश है, जिसके पास मजबूत वित्तीय क्षमता है और इसकी भौगोलिक स्थिति होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास है।

- रक्षा बजट:** 63.9 अरब अमेरिकी डॉलर।
- 2021 से यानबू के पास तैनात ग्रीस की पैट्रियट बैटरी ने कई बार मिसाइलों और ड्रोन को रोका है। यह बाहरी रक्षा संसाधनों पर सऊदी अरब की मौजूदा निर्भरता को दर्शाता है।
- तुर्किये:** नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना वाला देश है और इसके पास उन्नत रक्षा उद्योग है, जिसमें बायकर के अकिंजी ड्रोन और KAAN लड़ाकू विमान कार्यक्रम शामिल हैं।
- रक्षा बजट:** 51.4 अरब अमेरिकी डॉलर।
- पाकिस्तान:** इसके पास बड़ी सैन्य जनशक्ति है और यह एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न मुस्लिम-बहुल देश है। रक्षा बजट: 9.1 अरब अमेरिकी डॉलर।
- संयुक्त रक्षा बजट:** लगभग 124.4 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष।

इस गठजोड़ में प्रत्येक देश की प्रमुख ताकतें		
पाकिस्तान <ul style="list-style-type: none"> पराक्रम-संचालित गठ युद्ध का विद्रोह अनुभव युद्ध के बीच क्षमता और रणनीतिक स्थिति अर्थव्यवस्था-रोधी विरोधवाद 	सऊदी अरब <ul style="list-style-type: none"> आर्थिक बल और संसाधन आधुनिक सैन्य बल केन्द्र खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति वित्त 2030 - सूक्ष्म और औद्योगिकी में विकास 	तुर्किये <ul style="list-style-type: none"> उन्नत रक्षा उद्योग ड्रोन, एरानेस और बैलिस्टिक क्षमताएँ क्षेत्रीय चर्च का केंद्र बनना मध्यस्थ और कूटनीतिक प्रभाव

समझौते पर हस्ताक्षर करने का कारण और समय

- 2026 की शुरुआत से जारी अमेरिका-इजराइल-ईरान टकराव ने केवल अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर निर्भर रहने की सीमाओं को उजागर किया।
- बताया गया है कि ईरानी और हूती हमलों से बचाव करते हुए सऊदी अरब ने अपने पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर भंडार का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया।
- 7 अक्टूबर के बाद क्षेत्रीय रणनीति में आए बदलाव ने रियाद को अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया।
- ट्रंप प्रशासन इस समझौते को सकारात्मक रूप से देख सकता है, क्योंकि यह क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा जिम्मेदारियों को साझा करने को बढ़ावा देता है और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को कम करता है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

- नाटो के अनुच्छेद 5 के साथ इसकी तुलना विश्लेषण की दृष्टि से कमजोर है।
- उत्तर अटलांटिक संधि का अनुच्छेद 5 यह प्रावधान करता है कि नाटो के किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा, जिससे सामूहिक रक्षा की कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिबद्धता बनती है। इसके विपरीत, मक्का समझौते में ऐसी संस्थागत और कानूनी निश्चितता नहीं है।
- मक्का समझौते में भौगोलिक दायरा और प्रतिक्रिया शुरू करने वाली परिस्थितियाँ स्पष्ट नहीं हैं।
- इसमें यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि इसका क्षेत्रीय दायरा क्या होगा, किन परिस्थितियों में सामूहिक कार्रवाई की जाएगी या प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी। प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के पास यह तय करने का पूरा अधिकार है कि उसे प्रतिक्रिया देनी है या नहीं और किस प्रकार देनी है।

- ऐतिहासिक रूप से, पारस्परिक रक्षा समझौते हमेशा सैन्य कार्रवाई में नहीं बदलते हैं।
- उदाहरण के लिए, सऊदी अरब का करीबी सुरक्षा साझेदार होने के बावजूद, पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हूती मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान सैन्य सहायता नहीं दी। इसके बजाय, उसने कूटनीतिक बातचीत और मध्यस्थता पर जोर दिया, जो दर्शाता है कि राजनीतिक और रणनीतिक विचार अक्सर संधि की प्रतिबद्धताओं से अधिक प्रभावी होते हैं।

समझौते का उद्देश्य

- इसे आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध के साधन के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके गहरे रणनीतिक उद्देश्य को लेकर मतभेद हैं।
- तुर्किये, विशेष रूप से असद के बाद के सीरिया में हितों के टकराव को देखते हुए, ईरान की तुलना में इजराइल को दीर्घकाल में अधिक बड़ा सुरक्षा खतरा मानता है।
- इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट सहित इजराइली नेताओं ने तुर्किये को 'नया ईरान' कहा है और उस पर परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान के साथ 'शत्रुतापूर्ण सुन्नी गठजोड़' बनाने का आरोप लगाया है।
- सऊदी अरब के लिए ईरान एक अप्रत्यक्ष चिंता होने के बावजूद, तुर्किये या पाकिस्तान खुलकर उससे टकराव नहीं चाहते हैं। दोनों के पास तेहरान के साथ कामकाजी संबंध बनाए रखने के अपने संरचनात्मक कारण हैं।

व्यापक भू-राजनीतिक महत्व

- यह समझौता बाहरी सुरक्षा प्रदाताओं पर निर्भरता से हटकर क्षेत्रीय साझेदारियों और रणनीतिक विविधीकरण की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- यह अधिक बहुध्रुवीय पश्चिम एशियाई सुरक्षा व्यवस्था के उभरने का संकेत देता है, जहाँ सऊदी अरब, तुर्किये, ईरान, इजराइल और यूएई आपस में जुड़ी हुई और प्रतिस्पर्धी साझेदारियाँ अपना रहे हैं।
- चीन ने सोच-समझकर चुप्पी बनाए रखी है, क्योंकि वह एक स्थिर पाकिस्तान-खाड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाभ देखता है, जो उसके बेल्ट एंड रोड निवेशों की रक्षा करती है।
- रूस व्यावहारिक तटस्थता के साथ स्थिति पर नजर रख रहा है और ईरान के साथ अपनी साझेदारी तथा खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की केंद्रीय भूमिका कम होने में अपनी रुचि के बीच संतुलन बना रहा है।

भारत के लिए निहितार्थ

- खाड़ी क्षेत्र में भारत के बड़े हित हैं, जैसे कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्ग, प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा जाने वाला धन और भारतीय प्रवासियों का कल्याण। इसलिए पश्चिम एशिया में अस्थिरता भारत के लिए प्रत्यक्ष रणनीतिक चिंता का विषय है।
- तुर्किये ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रति कूटनीतिक रूप से विरोधी रहा है और उसने पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग भी किया है, जिसमें अप्रैल-मई 2025 का भारत-पाकिस्तान संघर्ष भी शामिल है।
- पिछले एक दशक में सऊदी अरब ने भारत के साथ संबंधों में काफी निवेश किया है।
- हालाँकि, सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर सऊदी अरब की बढ़ती निर्भरता से सऊदी अरब-भारत संबंधों में इस्लामाबाद का प्रभाव बढ़ सकता है,

जिससे रियाद के साथ भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी पर दबाव पड़ सकता है।

- पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका इस्लामाबाद की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकती है और खाड़ी देशों की राजधानियों में कश्मीर पर उसके पक्ष को अधिक मजबूती दे सकती है।

भारत के लिए तीन रणनीतिक आवश्यकताएँ

- 01** सऊदी अरब के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को, जो ऊर्जा, प्रवासी भारतीयों के कल्याण और आतंकवाद-रोधी सहयोग पर आधारित हैं, बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखना।
- 02** UAE के कश्मीर से जुड़े नैरेटिव पर कूटनीतिक अलगाव को रोकने के लिए खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को तेज करना।
- 03** क्वाड सहयोग, हिंद महासागर में नौसैनिक उपस्थिति और इजराइल तथा उदार अरब देशों के साथ रक्षा कूटनीति के माध्यम से अपने विस्तारित पड़ोस के प्रति रणनीतिक रख को संतुलित करना।

चुनौतियाँ

- **अलग-अलग रणनीतिक हित:** पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये की विदेश नीति की प्राथमिकताएँ एक जैसी नहीं हैं।
- **ईरान कारक:**
 - ♦ आधिकारिक रूप से इनकार किए जाने के बावजूद, इस समझौते का आकलन सऊदी अरब-ईरान रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में होना तय है।
 - ♦ पाकिस्तान की ईरान के साथ लगभग 900 किमी लंबी सीमा है और वहाँ बड़ी शिया आबादी है, जिससे तेहरान के साथ टकराव की उसकी इच्छा सीमित होती है।
- **नाटो का पहलू:** तुर्किये की नाटो सदस्यता, मक्का समझौते के साथ उसकी बाहरी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को और जटिल बनाती है।
- **कार्रवाई की अस्पष्टता:** "एक पर हमला, सभी पर हमला" प्रावधान में सामूहिक प्रतिक्रिया के प्रकार और स्तर को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं।
- **गुटबंदी की राजनीति का जोखिम:** प्रतिस्पर्धी सैन्य समूहों की बढ़ती संख्या पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में विभाजन को और गहरा कर सकती है।

आगे की राह

- इस समझौते का महत्व गुटीय टकराव के बजाय रक्षा सहयोग में है।
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद-रोधी सहयोग, हवाई और समुद्री सुरक्षा तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया में समन्वय शामिल हैं।
- क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को तनाव बढ़ाने के बजाय उसे कम करने के लिए व्यापक कूटनीतिक प्रयासों का पूरक होना चाहिए।
- सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए तथा संघर्ष से बचने के लिए कूटनीतिक उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत की सांस्कृतिक कूटनीति

भारत वैश्विक सहभागिता योजना (GES) के अंतर्गत 98 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों (CEPs) के माध्यम से अपनी वैश्विक सांस्कृतिक पहुँच का विस्तार कर रहा है।

के माध्यम से अपनी वैश्विक सांस्कृतिक पहुँच का विस्तार कर रहा है।

सांस्कृतिक कूटनीति क्या है?

- सांस्कृतिक कूटनीति आपसी समझ, विश्वास और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच विचारों, मूल्यों, परंपराओं, भाषाओं, कलाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं का आदान-प्रदान है।
- यह सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो देशों को दबाव के बजाय आकर्षण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राय को प्रभावित करने में सक्षम बनाता है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस-जर्मनी छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रमों ने दिखाया है कि सांस्कृतिक जुड़ाव मेल-मिलाप और स्थायी शांति को बढ़ावा दे सकता है।

सांस्कृतिक कूटनीति का महत्व

- किसी देश की सॉफ्ट पावर और वैश्विक विश्वसनीयता को मजबूत करती है।
- औपचारिक कूटनीति से आगे बढ़कर लोगों के बीच स्थायी संबंध बनाती है।
- भू-राजनीतिक तनाव के समय भी संवाद को बढ़ावा देती है।
- पर्यटन, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक उद्योगों को बढ़ावा देती है।
- अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करती है। बिना दबाव के प्रभाव के माध्यम से आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक कूटनीति को पूरक बनाती है।

भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के प्रमुख आयाम

शांति

भारत की अहिंसा की परंपरा, 40 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में योगदान और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता एक जिम्मेदार वैश्विक साझेदार के रूप में उसकी छवि को मजबूत करती है।

सुरक्षा

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी, QUAD में भागीदारी तथा आतंकवाद-रोधी प्रयासों और मानवीय सहायता पर जोर भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका को मजबूत करता है।

समृद्धि

मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों तथा अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के साथ बढ़ता व्यापार भारत के वैश्विक आर्थिक आकर्षण को बढ़ाते हैं।

संस्कृति

योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, शास्त्रीय कलाएँ, खान-पान, साहित्य, त्योहार और भारतीय प्रवासी समुदाय मिलकर भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भारत की सभ्यतागत विरासत के वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतीक के रूप में उभरा है।

- 98 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEPs) संस्कृति, विरासत, संग्रहालयों और प्रदर्शन कलाओं में द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत रूप देते हैं।
- भारत महोत्सव, ICCR छात्रवृत्तियाँ, भारतीय अध्ययन पीठ और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र विश्व भर में निरंतर शैक्षणिक, कलात्मक और बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं।
- भारत BRICS, G20, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और BIMSTEC के माध्यम से भी अपनी सांस्कृतिक कूटनीति को आगे बढ़ाता है।

चुनौतियाँ

- सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) जैसे संगठनों के लिए सीमित वित्तीय, संस्थागत और मानव संसाधन।
- संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच कमजोर समन्वय।
- भारत की विरासत, संग्रहालयों, साहित्य, समुद्री विरासत और प्रवासी भारतीयों की क्षमता का पूरा उपयोग न होना एक चुनौती बनी हुई है।
- बहुभाषी डिजिटल सामग्री और वैश्विक पहुँच का सीमित होना।
- अत्यधिक व्यावसायीकरण पारंपरिक संस्कृतियों की प्रामाणिकता को कमजोर कर सकता है।
- समकालीन रचनात्मक उद्योगों की तुलना में शास्त्रीय विरासत पर अधिक जोर।

आगे की राह

- संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ICCR और विदेशों में भारतीय मिशनों की समन्वित कार्रवाई के साथ एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कूटनीति ढाँचा तैयार किया जाए।
- ICCR और भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की संस्थागत क्षमता, वित्तपोषण और वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया जाए।
- बहुभाषी प्लेटफॉर्म, वर्चुअल संग्रहालय, डिजिटल अभिलेखागार, OTT प्लेटफॉर्म और इमर्सिव तकनीकों के माध्यम से डिजिटल कूटनीति का विस्तार किया जाए।
- प्रवासी भारतीयों को सांस्कृतिक राजदूत के रूप में जोड़ने की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाए।
- सांस्कृतिक पहलों के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- भारत की शास्त्रीय परंपराओं के साथ-साथ सिनेमा, साहित्य, फैशन, गेमिंग और पाक-कूटनीति जैसे समकालीन रचनात्मक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए।

संस्थागत ढाँचा और प्रमुख पहल

- वैश्विक सहभागिता योजना (GES) भारत की अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक पहुँच के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कार्य करती है।
- इसके प्रमुख घटकों में अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (ICEP), प्रोजेक्ट मौसम, बृहत्तर भारत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की योजना शामिल हैं।

ई-प्रत्यारोपण पोर्टल

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए एक एकीकृत डिजिटल व्यवस्था बनाने हेतु ई-प्रत्यारोपण पोर्टल और NOTTO मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया है।

भारत में अंग प्रत्यारोपण

- अंग प्रत्यारोपण एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमें उपचार के उद्देश्य से किसी अंग, ऊतक या कोशिकाओं के समूह को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है।
- निर्धारित चिकित्सा और कानूनी शर्तों के अधीन जीवित दाता और मृत दाता, दोनों अंगदान कर सकते हैं।
- एक मृत दाता हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, अग्न्याशय और आँतों का दान करके अधिकतम आठ लोगों की जान बचा सकता है।
- अंग प्रत्यारोपण की संख्या के मामले में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- दिल्ली में कुल प्रत्यारोपण की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है, जबकि तमिलनाडु में मृत दाताओं से सबसे अधिक प्रत्यारोपण किए गए हैं।

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन

- NOTTO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के अंतर्गत कार्य करने वाला राष्ट्रीय शीर्ष संगठन है।
- यह पूरे देश में अंग प्रत्यारोपण के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करता है।
- यह राष्ट्रीय प्रत्यारोपण डेटाबेस का रखरखाव करता है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंगों के आवंटन का समन्वय करता है।
- यह प्रत्यारोपण गतिविधियों की निगरानी भी करता है और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

NOTTO

- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) की स्थापना 25 नवंबर, 2014 को हुई थी।
- मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत)
- स्थान:** नई दिल्ली, भारत
- अधिदेश:** यह मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994 के अंतर्गत कार्य करता है।

ई-प्रत्यारोपण पोर्टल

- ई-प्रत्यारोपण पोर्टल एक रियल-टाइम राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो अस्पतालों, राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों (SOTTOs), क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों (ROTTOs) और NOTTO को आपस में जोड़ता है।
- मरीज अपनी पसंद के अस्पताल के माध्यम से प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण कराना जारी रखेंगे।
- प्रत्यारोपण केंद्र सुरक्षित पहुँच के माध्यम से प्राप्तकर्ता का विवरण सीधे पोर्टल पर अपलोड करते हैं।

- यह प्रणाली अस्पताल, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वतः प्रतीक्षा सूची तैयार करती है।
- यह अंगों के आवंटन और उनके स्थानांतरण के प्रत्येक चरण को डिजिटल रूप से दर्ज करती है और फोन कॉल तथा संदेशों के माध्यम से होने वाले मैनुअल समन्वय की जगह लेती है।
- यह पोर्टल अस्पतालों और राज्य प्राधिकरणों को तत्काल प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए अति-जरूरी अनुरोध करने की सुविधा भी देता है।

मुख्य विशेषताएँ और महत्त्व

- यह पोर्टल अलग-अलग अस्पतालों के डेटाबेस की जगह एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रतीक्षा सूची तैयार करता है और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- यह अस्पतालों, राज्यों और क्षेत्रों के बीच रियल-टाइम अंग आवंटन को संभव बनाता है, जिससे प्रत्यारोपण में होने वाली देरी कम होती है।
- यह पूरे देश में जोड़ीदार किडनी विनिमय (स्वैप प्रत्यारोपण) की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अनुकूल दाताओं की संख्या काफी बढ़ती है।
- यह भारत की पहली राष्ट्रीय प्रत्यारोपण परिणाम रजिस्ट्री स्थापित करता है, जहाँ अस्पताल फॉलो-अप से संबंधित आँकड़े अपलोड करते हैं, जो नीति निर्माण, चिकित्सा अनुसंधान, गुणवत्ता आकलन और प्रदर्शन निगरानी में सहायता करते हैं।
- यह अस्पतालों, SOTTOs, ROTTOs और NOTTO के बीच समन्वय में सुधार करता है, जिससे सहकारी संघवाद मजबूत होता है।
- यह पोर्टल आधार से जुड़े अंगदान संकल्प की सुविधा देता है, जिससे दाता पंजीकरण अधिक कुशल और पारदर्शी होता है।
- यह प्रत्यारोपण केंद्रों और वैधानिक समितियों के ऑनलाइन पंजीकरण, नवीनीकरण और निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है।
- कुल मिलाकर, यह पहल डिजिटल स्वास्थ्य को मजबूत करती है, सुशासन को बढ़ावा देती है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य में योगदान देती है।

2025 में भारत में अंग प्रत्यारोपण



स्रोत: NOTTO वार्षिक रिपोर्ट

अंग आवंटन की प्रक्रिया कैसे काम करती है

- पोर्टल मौजूदा वैधानिक अंग आवंटन सिद्धांतों का पालन करता है।
- दाता अस्पताल को अपने पंजीकृत मरीजों को अंग आवंटित करने का पहला अवसर मिलता है।

- यदि कोई उपयुक्त प्राप्तकर्ता उपलब्ध नहीं है, तो अंग को क्रमशः राज्य पूल, क्षेत्रीय पूल और राष्ट्रीय पूल में भेजा जाता है।
- किडनी प्रत्यारोपण के मामले में, आमतौर पर एक किडनी दाता अस्पताल के पास रहती है।
- दूसरी किडनी पहले निकटतम पात्र सरकारी अस्पताल को आवंटित की जाती है। यदि वहाँ कोई अनुकूल प्राप्तकर्ता उपलब्ध नहीं है, तो इसे उच्च स्तर के आवंटन पूल में भेजा जाता है।

कानूनी और नीतिगत ढाँचा

- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 उपचार के उद्देश्य से मानव अंगों को निकालने, उनके भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है। यह मानव अंगों के व्यावसायिक लेन-देन पर भी रोक लगाता है और ब्रेनस्टेम डेथ (BSD) को मृत्यु के कानूनी रूप के रूप में मान्यता देता है।
- मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 स्वैप प्रत्यारोपण की अनुमति देता है और दादा-दादी/नाना-नानी तथा पोते-पोतियों/नाती-नातियों को शामिल करके दाताओं के दायरे का विस्तार करता है।
- मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम (THOT), 2014 दुरुपयोग को रोकते हुए और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए अंगदान की प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं।

हरित गलियारा

- ग्रीन कॉरिडोर एक विशेष रूप से समन्वित, यातायात-मुक्त मार्ग है, जिसे अस्पतालों के बीच दान किए गए अंगों को तय समय के भीतर पहुँचाने के लिए बनाया जाता है।
- इससे अंगों को प्रत्यारोपण योग्य बनाए रखने और प्रत्यारोपण के परिणामों को बेहतर करने में मदद मिलती है।
- महत्त्व:
 - ♦ कोल्ड इस्कीमिया समय को कम करता है, जिससे अंगों की गुणवत्ता बनी रहती है।
 - ♦ हृदय, फेफड़े, यकृत और किडनी जैसे अंगों का समय पर प्रत्यारोपण संभव बनाता है।
 - ♦ इसके लिए अस्पतालों, यातायात पुलिस, हवाई अड्डों, एयरलाइनों और आपातकालीन सेवाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
 - ♦ यह राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के समन्वय में भारत के मृतक अंगदान कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है।

चुनौतियाँ

- भारत में विशेष रूप से किडनी प्रत्यारोपण के मामले में माँग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है।
- सीमित जागरूकता, सामाजिक मान्यताओं और परिवारों की हिचकिचाहट के कारण मृतक अंगदान की दर अभी भी कम है।
- इसमें एक बड़ा लैंगिक अंतर मौजूद है, क्योंकि महिलाएँ जीवित अंगदान अधिक करती हैं, जबकि उन्हें अंग कम प्राप्त होते हैं।

- कई अस्पतालों में अभी भी पर्याप्त प्रत्यारोपण बुनियादी ढाँचा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन (HLA) प्रयोगशालाएँ और गहन देखभाल सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
- देश में प्रशिक्षित प्रत्यारोपण सर्जनों, नेफ्रोलॉजिस्ट और प्रत्यारोपण समन्वयकों की कमी है।
- इलाज की अधिक लागत और जीवनभर चलने वाली इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी मरीजों पर वित्तीय बोझ डालती है।
- असंगत रिपोर्टिंग और परिणामों की सीमित निगरानी साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को कमजोर करती है।
- अंग तस्करी के मामले और कानूनी प्रावधानों का असमान क्रियान्वयन लगातार नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।
- राज्य स्तर की अंग आवंटन नीतियों में अंतर के कारण पूरी तरह समान राष्ट्रीय अंग आवंटन ढाँचा स्थापित करना कठिन हो जाता है।

अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देना | सरकारी पहलें

5		भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है।
4		NOTTO जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जुलाई को अंगदान माह के रूप में मनाता है।
3		जुग जुग जियो अभियान स्वैच्छिक अंगदान को बढ़ावा देता है और अंगदाताओं तथा उनके परिवारों को सम्मानित करता है।
2		राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के पात्र मरीजों को अंग प्रत्यारोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
1		राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP) प्रत्यारोपण से जुड़े बुनियादी ढाँचे को मजबूत करता है, प्रत्यारोपण समन्वयकों को सहायता प्रदान करता है, अंगों के परिवहन को सुगम बनाता है और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- केंद्र और राज्यों के बीच सहमति के माध्यम से भारत को एक समान राष्ट्रीय अंग आवंटन नीति विकसित करनी चाहिए।
- लगातार जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्वैच्छिक मृतक अंगदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सामाजिक भ्रातियों को दूर किया जाना चाहिए।
- सरकार को प्रत्यारोपण संबंधी बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना चाहिए और विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन को मजबूत करना चाहिए।
- ई-प्रत्यारोपण पोर्टल को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए, ताकि रियल-टाइम अंग आवंटन, पारदर्शी निगरानी और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
- अवैध अंग व्यापार को समाप्त करने के लिए अधिकारियों को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम को सख्ती से लागू करना चाहिए।
- भारत की अंग प्रत्यारोपण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनुसंधान, परिणामों की निगरानी, मजबूत डेटा प्रबंधन और निरंतर क्षमता निर्माण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026

भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 को 3 अगस्त, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 को निरस्त करना और ISI की सोसायटी-आधारित संरचना को एक वैधानिक ढाँचे से बदलना है।

ISI की पृष्ठभूमि

- भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना 1931 में प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् पी. सी. महालनोबिस ने कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज की सांख्यिकी प्रयोगशाला में की थी।
- इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। वर्तमान में यह पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत है।
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 ने ISI को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। इसने ISI को डिग्री प्रदान करने, केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने और सार्वजनिक ऑडिट कराने का अधिकार दिया। हालाँकि, ISI एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में ही बना रहा।
- ISI का मुख्यालय कोलकाता में है। इसके केंद्र दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में हैं।
- यह सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान करता है।
- इसकी वर्तमान सर्वोच्च संस्था 33 सदस्यीय प्रतिनिधि परिषद है। इसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और स्वतंत्र वैज्ञानिक शामिल होते हैं। शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमुख निदेशक की नियुक्ति परिषद द्वारा की जाती है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- वैधानिक गठन:** विधेयक ISI को गैर-लाभकारी वैधानिक निकाय में बदलता है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इसकी स्थिति जारी रहेगी।
- अधिकारों की निरंतरता:** वर्तमान ISI की सभी परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ, कर्मचारी, छात्र और शैक्षणिक कार्यक्रम नए संस्थान को हस्तांतरित हो जाएँगे। नया संस्थान सेवा शर्तों और शैक्षणिक निरंतरता की रक्षा करेगा।
- संस्थागत अधिदेश:** ISI सांख्यिकी विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों, अंतःविषय अनुसंधान तथा शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र बनना है।
- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स:**
 - 11 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रमुख कार्यकारी और नीति-निर्माण निकाय के रूप में परिषद की जगह लेगा।
 - इसमें केंद्र सरकार की सिफारिश पर विजिटर द्वारा नामित एक अध्यक्ष शामिल होगा।
 - इसमें मंत्रालय का एक नामित सदस्य, मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार, चार प्रतिष्ठित बाहरी व्यक्ति और ISI के चार प्रतिनिधि शामिल होंगे।
 - यह बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देगा, विभागों और केंद्रों की स्थापना करेगा, विनियम बनाएगा, मंजूरी के साथ पदों का सृजन करेगा, डिग्रियाँ प्रदान करेगा और संस्थान के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा।

- शैक्षणिक और वित्तीय निकाय:** एक अकादमिक परिषद पाठ्यक्रम, परीक्षाओं, शैक्षणिक मानकों और अनुसंधान की देखरेख करेगी। विधेयक में ISI केंद्रों के लिए एक वित्त समिति और प्रबंधन परिषदों का भी प्रावधान है।
- विजिटर और निदेशक:** भारत के राष्ट्रपति विजिटर होंगे। विजिटर समीक्षा और जाँच का आदेश दे सकते हैं तथा बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकते हैं। निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और उसकी नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से विजिटर की मंजूरी से की जाएगी।
- पारदर्शिता:** विधेयक में CAG ऑडिट, वार्षिक वित्तीय और प्रदर्शन रिपोर्ट, समय-समय पर मूल्यांकन, नियमों और पहले विनियमों की संसदीय समीक्षा तथा RTI अधिनियम, 2005 को लागू करने का प्रावधान है।

चिंताएँ

- स्वायत्तता में कमी:** छोटे बोर्ड से शिक्षकों का प्रतिनिधित्व और सहभागी शासन कमजोर हो सकता है।
- कार्यपालिका का अधिक प्रभाव:** नियुक्तियों और निर्देशों में सरकार तथा विजिटर की शक्तियाँ संस्थागत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं।
- शैक्षणिक स्वतंत्रता:** बोर्ड की व्यापक शक्तियाँ शैक्षणिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती हैं।
- अनुसंधान की प्राथमिकताएँ:** उद्योग पर अधिक ध्यान देने से मौलिक अनुसंधान कमजोर हो सकता है।
- परामर्श:** हितधारकों के साथ परामर्श और कोलकाता को मुख्यालय के रूप में शामिल न करने को लेकर चिंताएँ हैं।

सरकार का रुख

- सरकार का तर्क है कि मौजूदा बड़ी सामान्य सभा (General Body) के कारण सुधार और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी हुई है।
- सरकार का कहना है कि चार समीक्षा समितियों ने छोटे शासी निकाय और योग्यता-आधारित नियुक्तियों की सिफारिश की थी।
- सरकार का यह भी कहना है कि 2025 के विचार-मंथन सत्र और सार्वजनिक टिप्पणियों सहित हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था।

आगे की राह

- स्वतंत्र विशेषज्ञों, शिक्षकों के प्रतिनिधित्व और सरकार की सीमित भागीदारी के साथ एक संतुलित बोर्ड सुनिश्चित किया जाए।
- विजिटर की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। अनुसंधान, पाठ्यक्रम और प्रकाशन को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। निदेशक की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र और योग्यता-आधारित खोज-सह-चयन समिति स्थापित की जाए।
- मौलिक अनुसंधान के लिए पर्याप्त सार्वजनिक वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाए। उद्योग के साथ सहयोग को ISI के सार्वजनिक उद्देश्य का पूरक होना चाहिए।

भगोड़ों को वापस लाना

गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत ने 2019 से जुलाई 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया।

आर्थिक भगोड़ा अपराधी

- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अंतर्गत, भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) वह व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध कम-से-कम ₹100 करोड़ के अनुसूचित आर्थिक अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी हो।
- उस व्यक्ति ने कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए भारत छोड़ दिया हो या कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया हो।
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कोई निदेशक या उप-निदेशक किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के लिए निर्धारित विशेष न्यायालय में आवेदन कर सकता है।
- यह अधिनियम अपराधी की भारत और विदेश में स्थित संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने की अनुमति देता है। इसमें बेनामी संपत्ति और अपराधी के अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाली संपत्ति भी शामिल है।
- FEO घोषित व्यक्ति को भारतीय न्यायालयों में दीवानी दावे करने या उनका बचाव करने से रोका जा सकता है।

प्रत्यर्पण और संबंधित तंत्र

- प्रत्यर्पण वह औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें एक देश किसी आरोपी या दोषी व्यक्ति को मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए दूसरे देश को सौंपता है।
- भारत में यह प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के अंतर्गत संचालित होता है। विदेश मंत्रालय बाहर भेजे जाने वाले और भारत में आने वाले प्रत्यर्पण अनुरोधों के लिए नोडल प्राधिकरण है।
- भारत की 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्थाएँ हैं। जहाँ कोई संधि नहीं है, वहाँ पारस्परिकता के आधार पर भी अनुरोध किए जा सकते हैं।
- CBI भारत के INTERPOL राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। यह नोटिस जारी करती है और भगोड़ों का पता लगाने के लिए विदेशी पुलिस एजेंसियों के साथ समन्वय करती है।
- पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) देशों को जाँच और अभियोजन के लिए साक्ष्य तथा अन्य औपचारिक सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
- लेटर रोगेटरी (Letters Rogatory) भारतीय न्यायालय द्वारा किसी विदेशी न्यायालय को सहायता के लिए भेजे गए न्यायिक अनुरोध होते हैं, जैसे साक्ष्य एकत्र करना या समन जारी करना। ये आमतौर पर कूटनीतिक माध्यमों से भेजे जाते हैं और इनमें समय लग सकता है।
- भारत भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का भी पक्षकार है।

हाल के संस्थागत उपाय

- सरकार की रणनीति वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और प्रभावी कूटनीति पर आधारित है।

- BHARATPOL, जिसे जनवरी 2025 में शुरू किया गया था, एक साझा प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1,400 से अधिक राज्य और केंद्रीय इकाइयों को INTERPOL से जोड़ता है। इससे कुछ सूचना-साझाकरण अनुरोधों का समय घटकर 3 से 10 दिन रह गया है।
- ऑपरेशन त्रिशूल विदेश में अपनी पहचान बदलने वाले भगोड़ों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट इनपुट, निगरानी और डिजिटल फुटप्रिंट के विश्लेषण का उपयोग करता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 355 और 356 निर्धारित मामलों में आरोपी की अनुपस्थिति में कार्यवाही की अनुमति देती हैं।
- धारा 356 विशेष रूप से आवश्यक सुरक्षा उपायों के अधीन घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जाँच, मुकदमा या निर्णय का प्रावधान करती है।
- इंटेलिजेंस ब्यूरो के मल्टी एजेंसी सेंटर के अंतर्गत जनवरी 2026 में गठित एक स्थायी फोकस समूह मामलों को प्राथमिकता देता है, डोजियर को मानकीकृत करता है और विदेशी साझेदारों के साथ आगे की कार्यवाही में सहायता करता है।
- सरकार के अनुसार, उसने 2019 से 2026 के बीच PMLA के अंतर्गत भगोड़ों से जुड़ी ₹17,874 करोड़ की संपत्तियाँ कुर्क कीं। सरकार ने ₹18,762 करोड़ की संपत्ति की वापसी की भी जानकारी दी है।
- रेड कॉर्नर नोटिस की संख्या 2022 में 40 से बढ़कर अगस्त 2026 तक 182 हो गई। इससे पहले के तीन वर्षों के दौरान कुल 401 नोटिस जारी किए गए।
- वापस लाए गए 274 लोगों में सबसे बड़ी श्रेणी हत्या, डकैती और हिंसक अपराधों की थी, जिनकी संख्या 62 थी। यौन अपराधों से जुड़े 53 मामले थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण का मामला लगातार कानूनी और कूटनीतिक प्रयासों के महत्त्व को दर्शाता है।

लगातार बनी रहने वाली चुनौतियाँ

- विदेशी न्यायालय दोहरी आपराधिकता, प्रथम दृष्टया साक्ष्य, जेल की स्थितियों, निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी और मानवाधिकार सुरक्षा उपायों का स्वतंत्र रूप से आकलन करते हैं।
- दोहरी आपराधिकता का अर्थ है कि जिस कथित कृत्य के लिए प्रत्यर्पण की माँग की गई है, वह अनुरोध करने वाले देश और जिस देश से अनुरोध किया गया है, दोनों में आपराधिक अपराध होना चाहिए।
- शरण के दावे और राजनीतिक उत्पीड़न के आरोप कार्यवाही को लंबा कर सकते हैं। कुछ देशों के साथ संधियों का अभाव कानूनी रूप से बाध्य करने की क्षमता को सीमित करता है।
- पुरानी सूची-आधारित संधियाँ साइबर अपराध, धन शोधन और जटिल वित्तीय धोखाधड़ी को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं कर सकती हैं।
- कमजोर दस्तावेजीकरण, मुकदमों में विलंब और जेलों की खराब स्थिति विदेशी न्यायालयों के सामने भारत की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है।

भारत-उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी

प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (2011) से बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2026) के स्तर तक पहुँचा दिया।

यात्रा के मुख्य परिणाम

- भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
- दोनों देशों ने 2030 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य तय किया और विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में एक समन्वय परिषद स्थापित की।
- गैर-टैरिफ बाधाओं पर एक संयुक्त कार्य समूह के साथ वरीयता व्यापार समझौते (PTA) के लिए बातचीत शुरू हुई।
- यूरेनियम, दुर्लभ मृदा तत्वों, महत्वपूर्ण खनिजों, AI, स्टार्टअप, डिजिटल नवाचार और IT में सहयोग का विस्तार किया गया।
- NPCI International (NIPL)-National Interbank Processing Centre (NIPC) UZQR साझेदारी के माध्यम से UPI भुगतान की सुविधा शुरू की जाएगी।
- दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई और अभ्यास DUSTLIK 2026 का स्वागत किया।
- फार्मा पार्क, स्वास्थ्य सेवा, अरल सागर पुनर्स्थापना (10 लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान), संस्कृति, बौद्ध विरासत, AYUSH और हिंदी अध्ययन में सहयोग का विस्तार किया गया।
- उज्बेकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता, 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता का समर्थन किया और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) तथा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) में शामिल होने का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी को ओलिय दराजाली दोस्तलिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया।

महत्त्व

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- प्राचीन रेशम मार्ग के माध्यम से सभ्यतागत संबंधों ने व्यापार, संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया।
- मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर वर्तमान उज्बेकिस्तान की फरगना घाटी से थे।
- सोवियत संघ के विघटन के बाद उज्बेकिस्तान की स्वतंत्रता के पश्चात 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए।

भू-राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग

- उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है और इसकी सीमाएँ अन्य सभी मध्य एशियाई गणराज्यों तथा अफगानिस्तान से लगती हैं।
- यह भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का प्रमुख स्तंभ है।
- दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, SCO, BRICS, भारत-मध्य एशिया संवाद और G20 के माध्यम से सहयोग करते हैं।

- पाकिस्तान द्वारा अवरुद्ध मार्गों के विकल्प के रूप में चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को संचालित करने में उज्बेकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- रक्षा सहयोग में DUSTLIK अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना शामिल है। भारत-उज्बेकिस्तान रक्षा संयुक्त कार्य समूह की स्थापना 2019 में हुई थी।

भू-आर्थिक सहयोग

- भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों में शामिल है, हालाँकि द्विपक्षीय व्यापार अभी भी अपनी क्षमता से काफी कम है।
- भारतीय निवेश मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, IT, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में केंद्रित है।
- भारत WTO में उज्बेकिस्तान की सदस्यता का समर्थन करता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक एकीकरण मजबूत होता है।

ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज

- उज्बेकिस्तान विश्व के महत्वपूर्ण यूरेनियम उत्पादक देशों में शामिल है और दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति के लिए एक ढाँचे पर सहमति बनी है।
- महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की भूवैज्ञानिक खोज, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में सहयोग।
- उज्बेकिस्तान ISA में शामिल होगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग और मजबूत होगा।

लोगों के बीच और सांस्कृतिक संबंध

- भारतीय सिनेमा, संगीत और योग उज्बेकिस्तान में काफी लोकप्रिय हैं। पहले भारत-उज्बेकिस्तान कांसुलर संवाद (2025) ने वीजा और आवागमन संबंधी सहयोग में सुधार किया।
- शिक्षा, हिंदी भाषा के प्रचार, AYUSH और बौद्ध विरासत के संरक्षण से दीर्घकालिक सहयोग और मजबूत होता है।

चुनौतियाँ

- कनेक्टिविटी की बाधाएँ:** पाकिस्तान के पारगमन प्रतिबंधों के कारण सीधी भूमि पहुँच नहीं है। उज्बेकिस्तान एक दोहरा स्थलरुद्ध देश है। चाबहार और INSTC पर निर्भरता भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ाती है।
- चीन का बढ़ता प्रभाव:** चीन की BRI और चीन-किर्गिस्तान-उज्बेकिस्तान (CKU) रेलवे रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती हैं।
- कम व्यापार:** परिवहन संबंधी बाधाएँ, बाजार तक सीमित पहुँच और बैंकिंग संबंधी समस्याएँ व्यापार को उसकी क्षमता से नीचे बनाए रखती हैं।
- क्रियान्वयन की कमी:** प्रतिबद्धताओं को समय पर लागू करना उन्नत साझेदारी की प्रमुख परीक्षा बना हुआ है।

एआई पारदर्शिता संहिता

अगस्त 2026 से, यूरोपीय संघ द्वारा एआई-जनित सामग्री के लिए लेबल अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

संहिता का परिचय

- यह संहिता मानव उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन हेरफेर की गई सामग्री की पहचान करने में सक्षम बनाती है।
- यह यूरोपीय संघ के कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम (AIA) के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आती है। यह अधिनियम संघ के भीतर एआई प्रणालियों के लिए जोखिम-आधारित ढाँचा निर्धारित करता है।
- ‘एआई-जनित सामग्री की पारदर्शिता पर आचार संहिता’ एआई डेवलपर्स और प्रदाताओं के लिए दायित्व निर्धारित करती है। यह सूचना पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बनाए रखती है।
- अनुपालन न करने पर €15 मिलियन तक का जुर्माना या वैश्विक वार्षिक कारोबार का 3%, जो भी अधिक हो, लगाया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह संहिता दो श्रेणियों को शामिल करती है: डीपफेक और हेरफेर किया गया पाठ।
- डीपफेक एआई द्वारा निर्मित या हेरफेर की गई ऐसी छवियाँ, ऑडियो या वीडियो हैं जो वास्तविक व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं के समान दिखाई देते हैं। वे मानव उपयोगकर्ता को वास्तविक प्रतीत होंगे।
- हेरफेर किया गया पाठ ऐसी सामग्री है जिसे जनता को सूचित करने के लिए बिना मानवीय समीक्षा के प्रकाशित किया जाता है।
- डेवलपर्स और प्रदाताओं को ऐसी सामग्री को कृत्रिम के रूप में चिह्नित करने वाले स्पष्ट और अलग दिखाई देने वाले संकेत प्रदर्शित करने होंगे।
- उन डीपफेक के लिए अपवाद लागू होते हैं जो स्पष्ट रूप से कलात्मक, व्यंग्यात्मक या काल्पनिक हैं। ये उन सामग्री पर भी लागू होते हैं जिन्हें अपराधों का पता लगाने या अभियोजन के लिए कानून द्वारा अधिकृत किया गया है।
- संपादकीय नियंत्रण के अंतर्गत आने वाला पाठ, जिसके लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी व्यक्ति जिम्मेदार है, भी इससे मुक्त है।

AI आइकन लगाने की प्रक्रिया



AI का उपयोग

केवल AI तकनीक का उपयोग करने वाले उत्पादों के लिए 'AI'



AI द्वारा निर्मित

पूरी तरह से AI द्वारा तैयार सामग्री के लिए 'AI generated'



AI द्वारा संशोधित

AI टूल का उपयोग करके बदली गई मानव-निर्मित सामग्री के लिए 'AI modified'

यह संहिता भारत से कैसे अलग है?

- वर्ष 2026 में, भारत के आईटी मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 में संशोधन को अधिसूचित किया। इसमें उपयोगकर्ताओं और प्लेटफॉर्मों के लिए कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचना (SGI) को स्पष्ट रूप से लेबल करना अनिवार्य किया गया।
- यूरोपीय संघ की संहिता लेबल लगाने का दायित्व एआई डेवलपर्स पर डालती है। भारत इसके बजाय सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ प्रकटीकरण की जिम्मेदारी उपयोगकर्ताओं पर होती है और प्लेटफॉर्म इसे लागू करते हैं।
- यूरोपीय संघ की संहिता स्वयं एआई प्रणालियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। भारत इसके बजाय अंतिम उत्पाद को विनियमित करता है और प्लेटफॉर्मों को गैर-अनुपालन वाली सामग्री हटाने का अधिकार देता है।
- यूरोपीय संघ रचनात्मक सामग्री के लिए विशिष्ट अपवाद देता है और मानवीय समीक्षा पर भरोसा करता है। भारत के नियम अधिक सामान्य हैं और ऐसी छूट के लिए कम गुंजाइश प्रदान करते हैं।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना

पीएम-विद्यालक्ष्मी नवंबर 2024 में अनुमोदित केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को बिना किसी जमानत और गारंटर के शिक्षा ऋण तथा ब्याज सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

पात्रता और कवरेज

- यह उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्हें मेधा के आधार पर नामित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में प्रवेश मिला है।
- वर्तमान में 1,425 QHEIs, जिनमें सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान शामिल हैं, इसके अंतर्गत आते हैं।
- प्रबंधन कोटा, एनआरआई कोटा या इसी प्रकार के माध्यमों से प्रवेश पाने वाले छात्र पात्र नहीं हैं।

ऋण संरचना

- ऋण बिना किसी जमानत और गारंटर के प्रदान किए जाते हैं।
- ऋण राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- ऋण में शिक्षण शुल्क, छात्रावास और भोजनालय शुल्क, वापसी योग्य और गैर-वापसी योग्य संस्थागत शुल्क, लैपटॉप तथा अन्य उचित शैक्षणिक और जीवन-यापन संबंधी खर्च शामिल हैं।
- ब्याज दर EBLR + 0.5% तक सीमित है, अर्थात् यह सामान्य शिक्षा ऋण दरों से कम है।

- **पुनर्भुगतान अवधि:** पाठ्यक्रम की अवधि को छोड़कर, एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 15 वर्ष तक।

सरकारी ऋण गारंटी

- सरकार ₹7.5 लाख तक के ऋण के लिए 75% ऋण गारंटी प्रदान करती है।
- इससे बैंकों का ऋण जोखिम कम होता है और शिक्षा वित्त तक पहुँच बेहतर होती है।

ब्याज सब्सिडी

- ₹4.5 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए पीएम-यूएसपी सीएसआईएस (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना) के अंतर्गत 100% ब्याज सब्सिडी।
- ₹8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए अधिस्थगन अवधि के दौरान ₹10 लाख तक के ऋण पर पीएम-विद्यालक्ष्मी के अंतर्गत 3% ब्याज सब्सिडी।

पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप (CBDC वॉलेट)

- ऋण वितरित होने के बाद, पात्र छात्र पारिवारिक आय के आधार पर ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सब्सिडी की राशि पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप (CBDC वॉलेट) में जमा की जाती है और फिर शिक्षा ऋण खाते में स्थानांतरित की जाती है।

पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया वॉलेट

- पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) आधारित समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसका उपयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- यह एप्लिकेशन एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के लिए प्ले स्टोर और आई-फोन के लिए ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
- लाभार्थी का वह मोबाइल नंबर, जिसे वित्तपोषण करने वाले बैंक द्वारा पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर लाभार्थी के दावे के संबंध में अपडेट किया गया है, एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- लाभार्थी अपने आधार-पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया द्वारा पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप को सक्रिय कर सकते हैं।
- पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की पीएम-विद्यालक्ष्मी और सीएसआईएस दोनों ब्याज सब्सिडी योजनाओं के लिए लागू है।

महत्त्व

- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच में सुधार करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 तथा सतत् विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के उद्देश्यों का समर्थन करता है।
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण आवेदन, ट्रैकिंग और प्रबंधन के लिए एकल ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराता है।

- वास्तविक समय का डैशबोर्ड पारदर्शिता बढ़ाता है और कुशलतापूर्वक प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम बनाता है।
- महिलाओं और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे उच्च शिक्षा और कार्यबल में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है।
- ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन (PwD) और अन्य हाशिए पर स्थित समूहों के छात्रों को लाभ पहुँचाता है-वित्तीय बाधाओं को कम करता है और उच्च शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है।
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लक्ष्यों के अनुरूप एक कुशल, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण में सहायता करता है।

दानवीर पहल

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और डिजीहाट के सहयोग से दानवीर पहल प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक नागरिक भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना है।

दानवीर का परिचय

- **पूर्ण टैगलाइन:** “अपने गाँव को वापस दें”
- **उद्देश्य:** ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे की कमी को दूर करना और कुशल, पारदर्शी तथा नागरिक-केंद्रित स्थानीय शासन को समर्थन देना।
- यह एक पारदर्शी, सत्यापन योग्य और शुरुआत से अंत तक डिजिटल मंच है, जो नागरिकों, संगठनों, परोपकारियों और भारतीय प्रवासियों को पात्र ग्राम पंचायतों को मानकीकृत, गुणवत्ता-सत्यापित कंप्यूटर बंडल दान करने में सक्षम बनाता है।
- यह मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से उपलब्ध है।
- यह डिजीहाट बाजार के साथ एकीकृत है, जिससे दानदाताओं को राज्य-विशिष्ट पूर्व-अनुमोदित कंप्यूटर बंडल चुनने की सुविधा मिलती है।
- यह भेजे जाने से लेकर स्थापना तक शुरुआत से अंत तक डिजिटल ट्रैकिंग प्रदान करता है।
- दानदाताओं को प्रशंसा का डिजिटल प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है।
- यह पंचायती राज मंत्रालय के वर्तमान डिजिटल मंचों, जैसे ई-ग्रामस्वराज, मेरी पंचायत, सभा सार, ऑडिटऑनलाइन और ग्राम मानचित्र, पर आधारित है।

कवरेज और महत्त्व

- भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जो जमीनी स्तर के लोकतंत्र और ग्रामीण सेवा वितरण की नींव बनाती हैं।
- यह पहल एक पारदर्शी और जवाबदेह डिजिटल मंच के माध्यम से स्वैच्छिक सार्वजनिक भागीदारी को संस्थागत रूप देती है।
- यह डिजिटल इंडिया, विकसित भारत और डिजिटल रूप से सशक्त पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करती है।
- यह जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुँच में सुधार करती है।

भारत में अश्लीलता और अपशब्दों से संबंधित कानून

नोएडा पुलिस ने जंतर-मंतर के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर एक महिला के विरुद्ध शून्य प्राथमिकी (Zero FIR) दर्ज की।

मामले में लगाई गई धाराएँ

- प्राथमिकी में बीएनएस की धाराएँ 352, 353(1) और 356(1) लगाई गई हैं, जो अपमान, सार्वजनिक उपद्रव और मानहानि से संबंधित हैं।
- धारा 352 के अंतर्गत यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि आरोपी का उद्देश्य वास्तविक रूप से शांति भंग करने के लिए उकसाना था या उसे इस बात की जानकारी थी कि उसके अपमान से ऐसी शांति भंग होने की संभावना है; केवल किसी को ठेस पहुँचाना पर्याप्त नहीं है।
- धारा 353(1) विद्रोह के लिए उकसाने, सामुदायिक वैमनस्य या राज्य के विरुद्ध अपराधों को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह किसी नेता की आलोचना की तुलना में कहीं अधिक कठोर मानदंड है।
- धारा 356(1), जो मानहानि से संबंधित है, किसी सार्वजनिक व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर उसके आचरण के संबंध में सद्भावना से की गई टिप्पणी को अपवाद के रूप में मानती है।

भारत में अश्लीलता संबंधी कानून

- अश्लीलता का नियमन बीएनएस, 2023 और आईटी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत किया जाता है।
- किसी सामग्री को अश्लील माना जाता है यदि वह कामुक हो, कामुक रुचि को आकर्षित करती हो या दर्शकों को नैतिक रूप से भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती हो।
- बीएनएस की धारा 296 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्यों या शब्दों पर रोक लगाती है, जिसके लिए तीन महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। नोएडा मामले में यह धारा नहीं लगाई गई।
- बीएनएस की धारा 294 अश्लील सामग्री, जिसमें ऑनलाइन सामग्री भी शामिल है, को बेचने, आयात करने, निर्यात करने या प्रदर्शित करने को अपराध मानती है। प्रथम अपराध के लिए दो वर्ष तक की जेल और ₹5,000 के जुर्माने का प्रावधान है।
- आईटी अधिनियम की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान करती है, जिसमें तीन वर्ष तक की जेल और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

अश्लीलता की कसौटी का विकास

- वर्ष 2014 तक, न्यायालय 1868 के हिकलिन परीक्षण (Hicklin Test) का उपयोग करते थे, जिसकी उत्पत्ति रणजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1965) मामले से जुड़ी थी। इसमें यह देखा जाता था कि क्या सामग्री सबसे अधिक संवेदनशील पाठक को भ्रष्ट कर सकती है।
- 2014 में अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में इसे "सामुदायिक मानकों" (Community Standards) की कसौटी से बदल दिया गया। इसमें सामग्री का मूल्यांकन संवेदनशील व्यक्तियों के बजाय समकालीन सामाजिक मानकों के आधार पर किया जाता है।

अश्लीलता परीक्षण का विकास



अपशब्द अश्लीलता नहीं हैं

- न्यायालयों ने बार-बार माना है कि अश्लील या अपमानजनक भाषा अपने आप में अश्लीलता नहीं बन जाती, क्योंकि ऐसे शब्द सामान्यतः यौन उद्देश्य के बजाय क्रोध व्यक्त करते हैं।
- 2025 में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि केवल कठोर सोशल मीडिया भाषा के आधार पर धारा 352 या 353 लागू नहीं की जा सकती, जब तक सार्वजनिक व्यवस्था के लिए वास्तविक खतरा न हो।
- कानूनी कसौटी के लिए कामुकता का प्रमाण आवश्यक है। इससे कम स्तर की सामग्री सामान्यतः अश्लीलता की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती।

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026

संसद ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026 पारित कर दिया है। यह राष्ट्रीय गान, जन गण मन को दिए गए कानूनी संरक्षण को राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम् तक विस्तारित करता है।

संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ

- विधेयक 1971 के अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करता है।
- वंदे मातरम् के गायन को जानबूझकर रोकना अपराध बनाता है। इसके गायन में शामिल सभा को बाधित करना भी अपराध है।
- सजा वही रहती है: तीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों।
- धारा 3A के अंतर्गत बढ़ी हुई सजा दोबारा अपराध करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होती है।

संशोधन की आवश्यकता

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वंदे मातरम् को जन गण मन के समान सम्मान मिलना चाहिए।
- इसके बावजूद, 1971 के अधिनियम में केवल राष्ट्रीय गान को संरक्षण दिया गया था। संशोधन अब इस अंतर को दूर करता है।

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971

- यह अधिनियम 23 दिसंबर 1971 को बनाया गया था और पूरे भारत में लागू होता है। यह राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान की रक्षा करता है।
- धारा 2 ध्वज या संविधान के अपमान को दंडनीय बनाती है, जैसे जलाना, विकृत करना या पैरों से रौंदना। इसके लिए तीन वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।
- संवैधानिक संशोधन की माँग के उद्देश्य से की गई वैध आलोचना संरक्षित है और अपराध नहीं है।
- धारा 3 राष्ट्रीय गान को इसी प्रकार संरक्षण प्रदान करती है।
- धारा 3A, जिसे 2003 में जोड़ा गया था, धारा 2 या 3 के अंतर्गत दोबारा अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम एक वर्ष की सजा निर्धारित करती है।

वन्दे मातरम्

- बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम् की रचना की, जिसका अर्थ है "हे माता, मैं तुम्हें नमन करता हूँ।" इसे पहली बार 7 नवंबर 1875 को बंगदर्शन में प्रकाशित किया गया और बाद में 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया।
- रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया।
- कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 में इसकी पहली दो पंक्तियों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया।
- यह राष्ट्रवाद का एकता का प्रतीक बन गया, जिसने 1905 के स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान एक उद्घोष के रूप में कार्य किया।
- मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में विदेश में फहराए गए पहले भारतीय तिरंगे पर इसके शब्द प्रदर्शित किए थे।
- मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों ने भी इसे देशभक्ति के नारे के रूप में अपनाया।

सरकारी स्कूलों का बंद होना

नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक के दौरान लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद या विलय किए गए। समग्र स्कूल नामांकन में भी 2.26 करोड़ की कमी दर्ज की गई।

अवलोकन

- सरकारी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) और कई अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा का प्राथमिक स्रोत हैं।
- शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 पड़ोस के स्कूलों की उपलब्धता की आवश्यकता निर्धारित करता है।
- सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों का हिस्सा 2005 में 71% से घटकर 2024-25 में 49.24% हो गया है।

स्थिति का विस्तार

- बेहतर संसाधन उपयोग के लिए कई राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप स्कूल युक्तिकरण, समेकन और क्लस्टर विकास के माध्यम से कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद या विलय किया है।
- UDISE+ और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्कूलों की संख्या 2014-15 में 11.07 लाख से घटकर 2024-25 में लगभग 10.13 लाख हो गई, जबकि इसी अवधि में निजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर स्कूलों का विलय देखा गया है। कई क्षेत्रों में पड़ोस के स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों को अब अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

कारण

- NEP 2020 स्कूल परिसरों को बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों और अन्य संसाधनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- कई मामलों में अभिभावक बेहतर बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की उपलब्धता, स्वच्छता और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के कारण निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं।
- कम नामांकन वाले और एकल-शिक्षक वाले स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों ने ऐसे स्कूलों के विलय को तेज किया है।
- प्रशासनिक और गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों ने भी कई सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन में योगदान दिया है।

प्रभाव

- पड़ोस के स्कूलों तक पहुँच कम होने से RTE अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- अधिक दूरी तय करने से विशेष रूप से लड़कियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों में स्कूल छोड़ने का जोखिम बढ़ जाता है।
- स्कूलों के समेकन से कुछ क्षेत्रों में जोखिम वाले और ऐसे छात्रों की संख्या भी बढ़ सकती है जिनका पता लगाना कठिन हो जाता है।

व्यावहारिक सुझाव

- यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों का समेकन RTE अधिनियम, 2009 के अनुरूप हो और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध हो।
- इन स्कूलों के बंद होने के प्रभाव का लड़कियों, SC/ST समुदायों और दिव्यांग बच्चों पर आकलन किया जाना चाहिए।
- शिक्षकों की रिक्तियाँ भरी जाएँ, बुनियादी ढाँचे और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूत किया जाए तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs), ग्राम पंचायतों और अभिभावकों को शामिल किया जाए।
- केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत किया जाए ताकि NEP 2020 के अंतर्गत स्कूल युक्तिकरण शिक्षा की समान पहुँच से समझौता किए बिना दक्षता में सुधार करे।

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

हाल ही में संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया गया, जिसने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 का स्थान लिया है।

विधेयक का परिचय

- यह विधेयक उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करता है।
- यह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करता है। इस प्रकार, मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृत कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाती है।
- चार अतिरिक्त न्यायिक पदों के सृजन के लिए सहायक कर्मचारियों, सरकारी आवास, वाहनों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता होगी। इसका व्यय भारत की संचित निधि से किया जाएगा।

धन विधेयक का प्रावधान

- इस कानून को धन विधेयक के रूप में पेश और पारित किया गया।
- सरकार ने इस वर्गीकरण को यह कहते हुए उचित ठहराया कि इसमें भारत की संचित निधि से व्यय और उससे संबंधित आनुषंगिक विषय शामिल हैं।
- अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक में कराधान, सरकारी उधारी, भारत की संचित निधि की अभिरक्षा या उसमें से धन का विनियोग तथा इन विषयों से संबंधित आनुषंगिक मामले शामिल होते हैं।
- लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के बाद राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। वह केवल सिफारिशें कर सकती है।

चिंताएँ

- आलोचकों का तर्क है कि आनुषंगिक विषयों से संबंधित अनुच्छेद 110(1) (g) पर निर्भरता राज्यसभा द्वारा प्रभावी जाँच-पड़ताल को सीमित कर सकती है।
- 2018 के आधार निर्णय में अपने असहमति वाले मत में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आधार अधिनियम के लिए धन विधेयक के मार्ग के उपयोग को “संविधान के साथ धोखाधड़ी” और “छलावा” बताया था।
- किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने की लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति की सीमा वर्तमान में सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के समक्ष लंबित है।

दिल्ली लक्ष्मी योजना

दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल प्रारंभ किया है। यह महिलाओं पर केंद्रित कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

परिचय

- यह दिल्ली सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रति माह ₹2,500 दिए जाते हैं।
- उद्देश्य:** महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना, वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना और महिलाओं में दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देना।
- इस योजना के लिए 2026-27 में ₹5,110 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है और इससे 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

वित्तीय सहायता

- प्रत्येक पात्र लाभार्थी को ₹2,500 प्रति माह मिलेंगे।
- लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकती हैं:**
 - विकल्प 1:** दैनिक खर्चों के लिए ₹1,000 केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) वॉलेट में जमा किए जाएंगे, जबकि ₹1,500 आवर्ती जमा (RD) या सावधि जमा (FD) खाते में जमा किए जाएंगे।
 - विकल्प 2:** दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी ₹2,500 की राशि RD या FD खाते में जमा की जाएगी।
- RD में जमा राशि तीन वर्षों के लिए लॉक रहेगी, जिसके बाद संचित राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज लाभार्थी को दिया जाएगा।

पात्रता

- 21-60 वर्ष की आयु वाली महिलाएँ, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख तक है, पात्र हैं।
- आवेदक या उसके माता-पिता अथवा पति का कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक का दिल्ली में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है।
- प्रत्येक परिवार में केवल एक पात्र महिला इस लाभ का प्राप्त कर सकती है।

अपवर्जन

- सरकारी कर्मचारी, सरकारी पेंशनभोगी और किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएँ पात्र नहीं हैं।
- आयकर का भुगतान करने वाले, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले, चार पहिया वाहन रखने वाले या सालाना 2,400 से अधिक बिजली इकाइयों की खपत करने वाले परिवार पात्र नहीं हैं।
- तीन से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएँ तथा ऐसे परिवार जिनके सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) या अन्य सरकारी संगठनों में कार्यरत हैं, भी पात्र नहीं हैं।

हिरासत में मृत्यु

हिरासत में मृत्यु की हालिया घटनाओं ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इन घटनाओं ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है।

परिचय

- हिरासत में मृत्यु से आशय उस व्यक्ति की मृत्यु से है जो पुलिस की हिरासत या न्यायिक हिरासत (जेल) में हो।
- यह प्राकृतिक कारणों, बीमारी, आत्महत्या, दुर्घटना या कथित यातना अथवा अत्यधिक बल प्रयोग के कारण हो सकती है। प्रत्येक हिरासत में हुई मृत्यु के लिए स्वतंत्र कानूनी जाँच आवश्यक है।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जो हिरासत में मौजूद व्यक्तियों सहित प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है।
- अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, जबकि केंद्र सरकार मानवाधिकारों से संबंधित परामर्श और दिशा-निर्देश जारी करती है।

प्रमुख सुरक्षा उपाय

- डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले में उच्चतम न्यायालय ने हिरासत में दुर्व्यवहार को रोकने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान अनिवार्य सुरक्षा उपाय निर्धारित किए।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अनुसार: प्रत्येक हिरासत में हुई मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर मजिस्ट्रेट/न्यायिक जाँच, पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी और निर्धारित रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

चिंताएँ

- मानवाधिकारों का उल्लंघन और जनता के विश्वास में कमी।
- जाँच और रिपोर्टिंग में विलंब के कारण कमजोर जवाबदेही।
- गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित प्रक्रियाओं का अपर्याप्त पालन।

आगे की राह

- डी.के. बसु दिशा-निर्देशों और NHRC प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- प्रत्येक हिरासत में हुई मृत्यु की त्वरित, स्वतंत्र और पारदर्शी जाँच की जाए।
- कानून के शासन और मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशिक्षण, वैज्ञानिक जाँच के तरीकों और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत किया जाए।

लिव-इन संबंधों में महिलाओं को घरेलू क्रूरता से संरक्षण

उच्चतम न्यायालय ने डॉ. लोकेश बी.एच. और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2026) मामले में यह माना कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A - जो अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 85 है - उन महिलाओं पर लागू होती है जो "विवाह जैसे" लिव-इन संबंधों में हैं, बशर्ते विवाह करने का इरादा साबित हो जाए।

पृष्ठभूमि

- IPC की धारा 498A किसी महिला के पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ की गई क्रूरता को अपराध मानती है।

- चूँकि इस प्रावधान में "पति" शब्द का उल्लेख है, इसलिए परंपरागत रूप से इसे केवल कानूनी रूप से वैध विवाहों तक सीमित माना जाता था।
- बाद में उच्चतम न्यायालय ने उन महिलाओं को भी संरक्षण प्रदान किया जिन्हें शून्य या शून्यकरणीय विवाह में धोखा दिया गया हो, जैसे ऐसी स्थिति जहाँ पुरुष ने अपने वर्तमान विवाह को छिपाया हो।

प्रमुख निर्णय

- न्यायालय ने IPC की धारा 498A की उद्देश्यपरक व्याख्या अपनाई और माना कि इसका उद्देश्य घरेलू क्रूरता को रोकना है, चाहे विवाह की औपचारिक वैधता कुछ भी हो।
- न्यायालय ने कहा कि पात्र सहजीवी संबंधों में रहने वाली महिलाओं को इस संरक्षण से बाहर रखना कानून के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं रखता और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है।
- न्यायालय ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत "विवाह की प्रकृति वाले संबंध" की अवधारणा पर भरोसा किया।
- ऐसे संबंधों की पहचान साझा गृहस्थी, आर्थिक परस्पर निर्भरता, स्थिर घरेलू जीवन और पति-पत्नी के रूप में सार्वजनिक पहचान जैसे कारकों के आधार पर की जाती है।
- विवाह करने के इरादे को सिद्ध करने का प्रारंभिक भार संरक्षण की माँग करने वाली महिला पर होता है। न्यायालय ने कठोर मानदंड निर्धारित नहीं किए, क्योंकि आपराधिक दायित्व के लिए प्रमाण का उच्चतर मानक आवश्यक होता है।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 नागरिक उपचार प्रदान करता है, जबकि IPC की धारा 498A/BNS की धारा 85 आपराधिक दायित्व निर्धारित करती है।

महत्व

- ध्यान विवाह की कानूनी स्थिति से हटाकर घरेलू क्रूरता के अस्तित्व पर केंद्रित करता है।
- विवाह-सदृश संबंधों में रहने वाली महिलाओं को समान कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 के अंतर्गत समानता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है।

महत्वपूर्ण निर्णय

- डी. वेलुसामी बनाम डी. पचौअम्माल: विवाह की प्रकृति वाले संबंध के लिए मानदंड निर्धारित किए।
- इन्द्र शर्मा बनाम वी. के. वी. शर्मा (2013): लिव इन संबंधों को सामान्य सहजीवी व्यवस्थाओं से अलग किया।
- ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य (2018): महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नागरिक उपचार को मान्यता दी।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): गरिमा, स्वायत्तता, निजता और व्यक्तिगत पसंद के संवैधानिक मूल्यों की पुष्टि की।

सुरक्षा उपाय

- न्यायालय ने अर्निश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुसार ही होनी चाहिए और न्यायालय द्वारा निर्देशित अनिवार्य प्रारंभिक जाँच के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।

आगे की राह

- संसद को विवाह की प्रकृति वाले संबंधों की स्पष्ट वैधानिक परिभाषा प्रदान करनी चाहिए।
- एकरूप न्यायिक मानदंड, अधिक कानूनी जागरूकता और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का उचित प्रशिक्षण प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं तथा कानून के दुरुपयोग को रोकने में सहायता कर सकते हैं।

अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)

संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से AMRUT 2.0 के अंतर्गत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया है। समिति ने उल्लेख किया कि 594 परियोजनाओं में से केवल 104 (17.5%) परियोजनाएँ पूर्ण हुई हैं, जबकि लगभग 67% परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन हैं।

AMRUT

AMRUT

पहला जल-केंद्रित मिशन, 25 जून, 2015 को शुरू किया गया।
500 मिशन शहरों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति तथा सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन में सुधार।

परियोजना के घटक

- जल आपूर्ति
- सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन
- वर्षा जल निकासी
- गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन
- हरित क्षेत्र और पार्क

आवंटन: ₹ 77,640 करोड़



- अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) को शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें वित्तीय सहायता केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साझा की जाती है।
- मिशन के प्रारंभिक चरण में 500 शहरों को शामिल किया गया था, जो भारत की लगभग 60% शहरी आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे।
- इसका ध्यान जल आपूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्रों और क्षमता निर्माण को मजबूत करने पर है।

- मिशन का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहरी अवसंरचना का निर्माण करना और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना है, विशेष रूप से शहरी गरीबों के लिए।

AMRUT 2.0

- AMRUT 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया था और इसमें सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को शामिल किया गया है।
- इसका उद्देश्य लगभग 4,900 वैधानिक नगरों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति तथा मूल 500 AMRUT शहरों में सार्वभौमिक सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
- मिशन सिटी वाटर बैलेंस प्लान, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, जल निकायों के पुनर्जीवन तथा जल संरक्षण के माध्यम से जल सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
- यह गैर-राजस्व जल को कम करने, शहरी नियोजन और शहरी वित्त को मजबूत करने तथा जीवन सुगमता में सुधार के लिए सुधारों को भी बढ़ावा देता है।
- अन्य घटकों में पे जल सर्वेक्षण, जल के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन तथा सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान शामिल हैं, ताकि कुशल जल प्रबंधन और जन-जागरूकता को प्रोत्साहित किया जा सके।

विनियोग विधेयक, 2026: अतिरिक्त अनुदान

संसद द्वारा विनियोग विधेयक, 2026 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए अतिरिक्त व्यय के लिए भारत की संचित निधि (CFI) से ₹54,067.44 करोड़ निकालने की अनुमति दी गई है।

विनियोग विधेयक

- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाने वाला धन विधेयक है।
- यह सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है।
- इसे अनुच्छेद 113 के अंतर्गत लोकसभा द्वारा अनुदानों की माँगों पर मतदान करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है।
- इसमें शामिल हैं:
 - लोकसभा द्वारा स्वीकृत मतदान योग्य व्यय।
 - भारत की संचित निधि पर भारित व्यय।
- किसी भी अनुदान या भारित व्यय की राशि अथवा उसके गंतव्य में परिवर्तन करने के लिए कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- धन विधेयक होने के कारण राज्यसभा केवल इस पर चर्चा कर सकती है और सिफारिशें कर सकती है। वह विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती।

अतिरिक्त अनुदान

- अतिरिक्त अनुदान तब उत्पन्न होता है जब किसी वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा मूल रूप से अधिकृत राशि से वास्तविक व्यय अधिक हो जाता है।

- अनुच्छेद 115 अतिरिक्त संसदीय स्वीकृति आवश्यक होने पर अनुपूरक, अतिरिक्त और अतिरिक्त अनुदानों का प्रावधान करता है।
- संचित निधि से अतिरिक्त राशि निकालने को अधिकृत करने के लिए एक अलग विनियोग विधेयक आवश्यक होता है।
- इस प्रकार का व्यय वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया जाता है।
- इसे संसद द्वारा नियमित किए जाने से पहले लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा इसकी जाँच की जाती है।

प्रमुख तथ्य

स्वीकृत ₹54,067.44 करोड़ में शामिल हैं:

- ₹53,871 करोड़ ऋण चुकाने के लिए।
- ₹196.44 करोड़ रेलवे से संबंधित न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए।

महत्त्व

- सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
- संवैधानिक और वित्तीय जवाबदेही को मजबूत करता है।
- अतिरिक्त व्यय पर लोक लेखा समिति की निगरानी को सुदृढ़ करता है।
- सार्वजनिक वित्त में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देता है।

गुड सेमेरिटन (राह-वीर) योजना

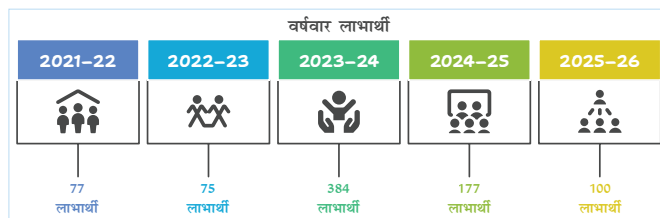
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मदद देने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से बनाई गई 'गुड सेमेरिटन (राह-वीर) योजना' के अंतर्गत 2021-22 से 2025-26 के बीच कुल 813 'गुड सेमेरिटन' (नेक लोगों) को सम्मानित किया गया।

योजना का परिचय

- इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा 2021 में प्रारंभ किया गया था।
- यह उन गुड सेमेरिटन (राह-वीर) को मान्यता देती है जो बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के स्वेच्छा से सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करते हैं।
- जो गुड सेमेरिटन किसी दुर्घटना पीड़ित को गोल्डन ऑवर के दौरान चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में मदद करता है, वह निम्न के लिए पात्र है:
 - ♦ ₹25,000 का नकद पुरस्कार।
 - ♦ प्रशंसा प्रमाण-पत्र।
- गोल्डन ऑवर किसी गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद के पहले 60 मिनट होते हैं, जिसके दौरान समय पर चिकित्सा देखभाल मिलने से पीड़ित के जीवित बचने की संभावना में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- अधिक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार राशि को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया।
- योजना को अगले पाँच वर्षों (2026-27 से 2030-31) के लिए बढ़ा दिया गया है।

प्रदर्शन

- वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच कुल 813 गुड सेमेरिटन को पुरस्कार दिया गया।



- राजस्थान में पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या सबसे अधिक रही, इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा।
- दो राज्यों ने पाँच वर्ष की अवधि के दौरान कोई लाभार्थी नहीं होने की सूचना दी।
- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश मिलकर भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली लगभग दो-तिहाई मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।

कानूनी संरक्षण

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 134A और गुड सेमेरिटन नियम, 2020 सद्भावना से कार्य करने वाले गुड सेमेरिटन को संरक्षण प्रदान करते हैं।
- उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अनावश्यक कानूनी उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ सकता और केवल किसी दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने के कारण उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता।

महत्त्व

- आपातकालीन प्रतिक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- गोल्डन ऑवर के दौरान समय पर चिकित्सा सहायता को बढ़ावा देता है।
- सड़क सुरक्षा को मजबूत करता है और दुर्घटना पीड़ितों के जीवित बचने की संभावना में सुधार करता है।
- स्वैच्छिक सार्वजनिक सेवा और मानवीय सहायता की संस्कृति को सुदृढ़ करता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा DPDP अधिनियम के अंतर्गत आरटीआई संशोधनों की जाँच

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है, ताकि वह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दे सके।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रमुख मुद्दा

- DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) ने RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया।
- पहले, व्यक्तिगत जानकारी को तभी रोका जा सकता था जब उसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो, या उसके प्रकटीकरण से निजता का अनुचित अतिक्रमण होता हो, जब तक कि व्यापक जनहित में उस जानकारी का प्रकटीकरण उचित न हो।

- संशोधित प्रावधान व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देता है, जिससे यह चिंता उत्पन्न हुई है कि सूचना तक पहुँच अधिक प्रतिबंधित हो सकती है।
- न्यायालय ने कहा कि दोनों कानून केंद्रीय विधान हैं और उनकी व्याख्या सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए।
- न्यायालय यह जाँच करेगा कि क्या यह संशोधन अप्रत्यक्ष रूप से RTI अधिनियम द्वारा स्थापित पारदर्शिता के ढाँचे को सीमित करता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023

- उद्देश्य:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करना।
- उत्पत्ति:** यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा गठित न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
- लागू क्षेत्र:** भारत में संसाधित किए जाने वाले डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को शामिल करता है। यह भारत के बाहर किए जाने वाले ऐसे डेटा प्रसंस्करण पर भी लागू होता है, जो भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित हो।
- सहमति:** सामान्यतः डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति आवश्यक होती है। कुछ वैध उपयोगों को इससे छूट प्राप्त है।
- डेटा न्यासी के दायित्व:** डेटा की सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को हटाना।
- व्यक्तियों के अधिकार:** सूचना, सुधार, विलोपन और शिकायत निवारण का अधिकार।
- छूट:** केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम जैसे आधारों पर निर्दिष्ट संस्थाओं को छूट दे सकती है।
- डेटा संरक्षण बोर्ड:** अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन न करने से संबंधित मामलों का निपटारा करता है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005

उद्देश्य	दायरा	समय-सीमा	छूट	दंड
नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुँच प्रदान करके पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।	सरकारी विभागों और सरकार द्वारा पर्योप रूप से विचलित संस्थाओं पर लागू होता है।	जानकारी सामान्यतः 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में जानकारी 48 घंटे के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।	इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले, निर्दिष्ट गोपनीय जानकारी और धारा 8 के अंतर्गत अन्य छूट शामिल हैं।	बिना उचित कारण जानकारी देने से इनकार करने, देरी करने या गलत जानकारी देने पर लोक सूचना अधिकारियों को दंडित किया जा सकता है।

महत्त्व

- पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और सरकारी जवाबदेही को मजबूत करता है।
- नागरिकों को लोकतांत्रिक शासन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।
- सामाजिक अंकेक्षण और सूचित सार्वजनिक निगरानी में सहायता करता है।
- वर्तमान मामला यह निर्धारित करेगा कि संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923

भारतीय वायु सेना (IAF) के एक विंग कमांडर को शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (OSA) के अंतर्गत कथित रूप से एक संदिग्ध पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ संवेदनशील रक्षा संबंधी जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

शासकीय गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923

- शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 औपनिवेशिक काल का कानून है, जो राज्य की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए शासकीय गोपनीयता से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है।
- यह सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों पर भी लागू होता है।
- अधिनियम निम्नलिखित कृत्यों को दंडनीय बनाता है:** जासूसी और राज्य की सुरक्षा या हितों के प्रतिकूल गतिविधियाँ। बिना वैध अधिकार के गुप्त सरकारी कोड, पासवर्ड, दस्तावेज या जानकारी प्राप्त करना, एकत्र करना, रिकॉर्ड करना, संप्रेषित करना या प्रकाशित करना।
- निषिद्ध स्थानों में प्रवेश करना या उनका निरीक्षण करना, सरकारी वर्दी का अनधिकृत उपयोग करना तथा निषिद्ध या प्रतिबंधित क्षेत्रों में रक्षा प्रतिष्ठानों या सशस्त्र बलों के कार्य में हस्तक्षेप करना।
- संरक्षित जानकारी में सरकारी दस्तावेज, मानचित्र, रेखाचित्र, तस्वीरें, योजनाएँ, प्रतिरूप, गुप्त कोड, पासवर्ड तथा ऐसी जानकारी शामिल है जिसका प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
- दंड:** अपराध की प्रकृति के आधार पर, रक्षा या गुप्त सरकारी कोड से जुड़े गंभीर जासूसी मामलों में 14 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, जबकि अन्य अपराधों में 3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।

पीएम-यशस्वी

सरकार ने प्रधानमंत्री-यशस्वी योजना (PM-YASASVI) के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs) से संबंधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसरों के विस्तार की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

परिचय

- इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया है।
- यह एक छत्र योजना है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा लागू किया जाता है।
- यह योजना 2021-22 से पात्र विद्यार्थियों के लिए पहले से संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को एकीकृत करके लागू की जा रही है।
- उद्देश्य:** वित्तीय बाधाओं को कम करके तथा शैक्षिक अवसरों में सुधार करके OBC, EBC और DNT विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूली और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना।



पात्रता

- ओबीसी, EBC और डीएनटी समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए लागू।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विद्यार्थियों का निर्धारित संस्थानों में पात्र पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश होना चाहिए, जो आवंटित सीटों की उपलब्धता के अधीन है।
- एक परिवार में अधिकतम दो भाई-बहनों तक ही लाभ सीमित है।

लाभ

- निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन पूर्ण शिक्षण शुल्क और अन्य गैर-वापसी योग्य शुल्क।
- जीवन-यापन के खर्च के लिए ₹3,000 प्रति माह।
- पुस्तकों और लेखन सामग्री के लिए ₹5,000 प्रति वर्ष।
- कंप्यूटर/लैपटॉप और सहायक उपकरणों के लिए ₹45,000 तक की एकमुश्त सहायता।
- शिक्षण शुल्क का भुगतान सीधे संस्थानों को किया जाता है।
- अन्य लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित किए जाते हैं।
- संतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन के अधीन, पाठ्यक्रम पूरा होने तक छात्रवृत्ति हर वर्ष नवीकरणीय है।

केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जिससे केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

परिचय

- यह विधेयक केरल विधानसभा द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव को प्रभावी बनाता है और राज्य के पारंपरिक मलयालम नाम को संविधान तथा आधिकारिक अभिलेखों में प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है।
- विधेयक राज्य के आधिकारिक नाम को केरल से केरलम में बदलता है।
- इसमें नए नाम को प्रतिबिंबित करने के लिए पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची तथा अन्य संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, जिनमें अनुच्छेद 31A और 290A शामिल हैं, में परिणामी संशोधन का प्रावधान है।
- यह प्रस्ताव 2024 में केरल विधानसभा द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव पर आधारित था, जिसमें केंद्र सरकार से आवश्यक कानून बनाने का अनुरोध किया गया था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- केरल का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख अशोक के शिलालेख II (257 ईसा पूर्व) में मिलता है, जिसमें केरलपुत्र का उल्लेख है। यह शब्द सामान्यतः चेर शासकों से संबंधित माना जाता है।
- 1920 के दशक के ऐक्य केरल आंदोलन ने मलयालम भाषी लोगों के लिए एकीकृत राज्य की माँग की, जिसमें मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर को एकीकृत करना शामिल था।

- स्वतंत्रता के बाद 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन का विलय किया गया।
- राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग) की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मलयालम भाषी क्षेत्रों को एकीकृत करके आधुनिक केरल राज्य का गठन किया गया।
- राज्य को मलयालम में पारंपरिक रूप से केरलम कहा जाता रहा है, जबकि संविधान ने अंग्रेजी नाम केरल को अपनाया।

राज्य का नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया

- **अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:**
 - ♦ नए राज्यों का गठन करना।
 - ♦ वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करना।
 - ♦ किसी राज्य का नाम बदलना।
- **अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधेयक:**
 - ♦ केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
 - ♦ राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके विचार व्यक्त करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर भेजा जाना आवश्यक है।
 - ♦ राज्य विधानमंडल के विचार संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होते।
- **अनुच्छेद 4** के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। इन्हें संसद में सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
- राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नाम परिवर्तन प्रभावी होता है।

राज्यों के नाम बदलने के अन्य उदाहरण

- मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु 1969 में किया गया।
- उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड 2007 में किया गया।
- उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा 2011 में किया गया।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और टिकाऊ रोजगार के बीच मौजूद अंतर को उजागर किया।

DDU-GKY का परिचय

- DDU-GKY एक नियुक्ति-संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा 2014 में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा टिकाऊ वेतन रोजगार और बेहतर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।
- **पात्रता:** 15-35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवा। महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) और अल्पसंख्यकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष है।

- **कार्यान्वयन:** इसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (SRLMs) और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) के माध्यम से उद्योग के साथ साझेदारी में लागू किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

माँग-आधारित और प्लेसमेंट से जुड़ा	उद्योग की भागीदारी	उभरते क्षेत्र
प्रशिक्षण को उद्योग की माँग के अनुसार तैयार किया जाता है और रोजगार के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	नियोक्ता और सेक्टर रिकल कार्डसिल (SSCs) पाठ्यक्रम तैयार करने, मूल्यांकन और प्लेसमेंट में भाग लेते हैं।	हाल के परिचालन दिशानिर्देश इलेक्ट्रिक वाहन रखरखाव, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और अन्य उभरते उद्योगों जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देते हैं।
प्लेसमेंट के बाद सहायता	समावेशी दृष्टिकोण	
यह योजना रोजगार में बने रहने और करियर में प्रगति को बेहतर बनाने के लिए प्लेसमेंट के बाद निगरानी और सहायता प्रदान करती है।	यह योजना महिलाओं, SCs, STs, दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) और अल्पसंख्यक समुदायों पर विशेष जोर देती है।	

महत्व

- उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल ग्रामीण कार्यबल तैयार करता है।
- टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देता है और ग्रामीण बेरोजगारी को कम करता है।
- स्किल इंडिया मिशन, सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 1 - गरीबी उन्मूलन तथा SDG 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास को समर्थन देता है।

चुनौतियाँ

- कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रोजगार के बीच असंगति।
- विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में असमानता।
- नियुक्ति के बाद रोजगार बनाए रखने की कम दर।
- दीर्घकालिक रोजगार परिणामों की मजबूत निगरानी की आवश्यकता।

राजस्थान वृक्ष (संरक्षण) विधेयक, 2026

राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान वृक्ष (संरक्षण) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य गैर-वन भूमि पर वृक्षों की कटाई को विनियमित करना और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण को मजबूत करना है।

प्रमुख प्रावधान

- **संरक्षित वृक्ष:** विधेयक में 29 निर्दिष्ट वृक्ष प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें खेजड़ी (राज्य वृक्ष), रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर और चिरौंजी शामिल हैं।
- **पूर्व अनुमति:** निजी स्वामित्व वाली या कब्जे वाली गैर-वन भूमि पर किसी भी संरक्षित वृक्ष को काटने से पहले अधिकृत प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- **दंड:** अवैध रूप से वृक्ष काटना संज्ञेय और जमानती अपराध होगा। इसके लिए एक वर्ष तक का कारावास, ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- **क्षतिपूर्क वृक्षारोपण:** संरक्षित वृक्ष को हटाने की अनुमति प्राप्त व्यक्ति को काटे गए प्रत्येक वृक्ष के लिए निर्धारित संख्या में वृक्ष उसी क्षेत्र में लगाने होंगे।

महत्व

- विधेयक का उद्देश्य गैर-वन भूमि पर अनधिकृत वृक्ष कटाई को रोकना है।

- यह जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है।
- यह मरुस्थलीकरण से निपटने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयासों को समर्थन देता है।
- यह राजस्थान में देशज और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के कानूनी संरक्षण को मजबूत करता है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की वैधानिक शक्तियों और वित्तपोषण संबंधी दायित्वों का विस्तार करना है।

संशोधन विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- **व्यापक सहकारी विकास दायित्व:** अब NCDC केवल सहकारी समितियों तक सीमित न रहकर पात्र मध्यस्थ संगठनों के माध्यम से या सीधे सहकारी विकास की योजना, प्रोत्साहन, वित्तपोषण और सहायता कर सकता है।
- **प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता:** NCDC निर्धारित शर्तों के अधीन सहकारी समितियों और सहकारी विकास में संलग्न अन्य पात्र संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण और अनुदान प्रदान कर सकता है। यह राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी समितियों को वित्तपोषण भी जारी रखेगा।
- **निवेश की शक्तियाँ:** केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से NCDC सहकारी समितियों और सहकारी विकास संगठनों की शेयर पूँजी में निवेश कर सकता है।
- **क्षेत्रीय दायरे का विस्तार:** खाद्य पदार्थों की परिभाषा का विस्तार करके इसमें प्रसंस्कृत खाद्य और अन्य अधिसूचित खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है। औद्योगिक, कुटीर और ग्राम सहकारी समितियों के लिए सहायता अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है।
- **ऋण संबंधी सूचना की शक्तियाँ:** NCDC अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के साथ ऋण एवं वित्तीय जानकारी एकत्र और साझा कर सकता है।
- **आनुषंगिक शक्तियाँ:** एक नया प्रावधान NCDC को अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक या उनसे संबंधित गतिविधियाँ करने का अधिकार देता है।
- **कानूनी अद्यतन:** बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1984 के संदर्भों को बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 से प्रतिस्थापित किया गया है।

चिंताएँ

- **संघीय चिंताएँ:** चूँकि सहकारी समितियाँ राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती हैं, इसलिए NCDC द्वारा प्रत्यक्ष वित्तपोषण से राज्य सरकारों की भूमिका कम हो सकती है और संघीय संतुलन को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** प्रत्यक्ष वित्तपोषण से अधिकार क्षेत्र में अतिव्यापन हो सकता है, राज्य-स्तरीय निगरानी कमजोर हो सकती है तथा निगरानी, लेखापरीक्षण और नियामकीय समन्वय जटिल हो सकता है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

- NCDC एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के अंतर्गत की गई थी। यह सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- **विकास:** NCDC के कार्यों और वित्तपोषण संबंधी शक्तियों का क्रमिक विस्तार करने के लिए अधिनियम में पहले 1973, 1974 और 2002 में संशोधन किए गए थे।
- **दायित्व:** यह सहकारी क्षेत्र के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाता है, उन्हें बढ़ावा देता है और उनका वित्तपोषण करता है। यह डेयरी, मत्स्य पालन, पशुधन, कुक्कुट पालन, हथकरघा और अन्य संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं तथा SC/ST समुदायों द्वारा संचालित सहकारी समितियाँ भी शामिल हैं।
- **प्रदर्शन:** NCDC का वार्षिक वितरण 2014-15 में ₹5,735 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹95,182 करोड़ हो गया, जो सहकारी वित्तपोषण में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- **राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025:** इस नीति का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप सहकारी समितियों के लिए सहायक कानूनी, संस्थागत और आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। यह पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित और पेशेवर रूप से प्रबंधित सहकारी संस्थानों को बढ़ावा देती है।

- **कानूनी सलाहकार का अधिकार:** BNSS की धारा 38 के अंतर्गत अभियुक्त को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि अधिवक्ता को पूरी पूछताछ के दौरान लगातार उपस्थित रहने का अधिकार है।
- **मजिस्ट्रेट की भूमिका:** पुलिस हिरासत के प्रत्येक अनुरोध के लिए न्यायिक स्वीकृति आवश्यक है। न्यायालयों को ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए जिनसे वैध हिरासत में पूछताछ अप्रभावी हो जाए। वर्तमान मामले में उच्चतम न्यायालय ने 7 अतिरिक्त दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुल पुलिस हिरासत 15 दिनों से अधिक न हो।

BNSS के अंतर्गत कानूनी ढाँचा

- **धारा 58:** बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि धारा 187 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति न दे।
- **धारा 187(2):** निर्धारित 40 दिनों या 60 दिनों की अवधि के भीतर पुलिस हिरासत को एक साथ या अलग-अलग चरणों में कुल 15 दिनों तक रखने की अनुमति देती है।
- **धारा 187(3):** प्रारंभिक 15 दिनों के बाद मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों में न्यायिक हिरासत को 90 दिनों तक तथा अन्य सभी अपराधों में 60 दिनों तक बढ़ाने की अनुमति देती है।
- **डिफॉल्ट जमानत:** यदि निर्धारित 60 दिनों या 90 दिनों की अवधि के भीतर जाँच पूरी नहीं होती है, तो अभियुक्त कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है।

महत्त्व

- यह निर्णय प्रभावी जाँच और न्यायिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- यह जाँचकर्ताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करता है, साथ ही पुलिस हिरासत की 15 दिनों की अधिकतम सीमा को बनाए रखता है और अभियुक्त के प्रक्रियात्मक अधिकारों की रक्षा करता है।

बीएनएसएस के अंतर्गत पुलिस हिरासत का दायरा

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 187(2) की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस हिरासत अब केवल रिमांड के पहले 15 दिनों तक सीमित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

- **विस्तारित हिरासत अवधि:** धारा 187(2) के अंतर्गत, 10 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय मामलों में हिरासत के पहले 40 दिनों के दौरान पुलिस हिरासत अलग-अलग चरणों में दी जा सकती है। वहीं, 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय मामलों में हिरासत के पहले 60 दिनों के दौरान पुलिस हिरासत दी जा सकती है।
- **15 दिनों की सीमा अपरिवर्तित:** पुलिस हिरासत की कुल अवधि 15 दिनों तक ही सीमित रहती है। केवल ऐसी हिरासत की माँग करने की समय-सीमा का विस्तार किया गया है।
- **संशोधन का उद्देश्य:** यह प्रावधान जाँच एजेंसियों को उस स्थिति में अतिरिक्त पुलिस हिरासत माँगने की अनुमति देता है, जब जाँच के दौरान नए तथ्य, साक्ष्य, बरामदगी या जाँच संबंधी सुराग सामने आते हैं।

गिरफ्तारी की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ

विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिकारियों को प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सार्थक रूप से सूचित करना अनिवार्य है।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ

- **गिरफ्तारी के आधार:** गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करने में विफलता अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 47 का उल्लंघन है।
- **सार्थक संप्रेषण:** रिश्तेदारों को सूचित करना या अस्पष्ट आधिकारिक अभिलेख तैयार करना पर्याप्त नहीं है। गिरफ्तारी के आधारों को गिरफ्तार व्यक्ति को सीधे ऐसी भाषा में बताया जाना चाहिए जिसे वह समझता हो।

- **अवैध गिरफ्तारी:** अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन करके की गई गिरफ्तारी अवैध है। ऐसी गिरफ्तारी के आधार पर की गई बाद की अभिरक्षा भी अमान्य है।
- **गिरफ्तारी का समय:** अनुच्छेद 22(2) और BNSS की धारा 58 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तारी का सटीक समय दर्ज होना चाहिए।
- **मानवीय गरिमा:** अभिरक्षा के दौरान अपमानजनक व्यवहार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

संवैधानिक ढाँचा

- **अनुच्छेद 22 निम्नलिखित अधिकारों की गारंटी देता है:**
 - ♦ गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार।
 - ♦ अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार।
 - ♦ यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार।
- **गिरफ्तारी** किसी कथित अपराध के लिए स्वतंत्रता पर लगाया गया औपचारिक प्रतिबंध है। अभिरक्षा विधि द्वारा अनुमत हिरासत का व्यापक रूप है।
- **संज्ञेय अपराधों** में बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति होती है। असंज्ञेय अपराधों में सामान्यतः वारंट आवश्यक होता है।

न्यायिक सुरक्षा उपाय

- **अर्निश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014):** ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी नियमित रूप से नहीं की जानी चाहिए जिनमें सात वर्ष तक के कारावास का दंड हो सकता है। पुलिस को BNSS की धारा 35 के अंतर्गत गिरफ्तारी की आवश्यकता को उचित ठहराना चाहिए।
- **मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (1978):** व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए।

महत्व

- यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि गिरफ्तारी एक संवैधानिक रूप से विनियमित शक्ति है, जिसमें प्रभावी जाँच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि-सम्मत प्रक्रिया तथा न्यायिक निगरानी के बीच संतुलन आवश्यक है।

सरोगेट विज्ञापन

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने विमल इलायची का प्रचार करने वाले अभिनेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरोप है कि विज्ञापन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से विमल पान मसाला का प्रचार किया जा रहा है, जिसे सरोगेट विज्ञापन माना जा सकता है।

सरोगेट विज्ञापन का परिचय

- सरोगेट विज्ञापन किसी प्रतिबंधित या विनियमित उत्पाद का प्रचार ऐसे अन्य कानूनी रूप से अनुमत उत्पाद के माध्यम से करना है, जिसमें समान ब्रांड नाम, लोगो, पैकेजिंग या प्रचार शैली का उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग सामान्यतः तंबाकू, शराब और पान मसाला जैसे उत्पादों के लिए किया जाता है, जिनके विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबंधित हैं।

- इसका उद्देश्य विज्ञापन संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद प्रतिबंधित ब्रांड को उपभोक्ताओं के मन में बनाए रखना है।

कानूनी ढाँचा

- **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006**
 - ♦ धारा 24: खाद्य उत्पादों से संबंधित भ्रामक और छलपूर्ण विज्ञापनों पर रोक लगाती है।
 - ♦ धारा 53: भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर ₹10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान करती है।
 - ♦ धारा 30(2)(a): राज्यों को असुरक्षित खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। इस प्रावधान का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र ने 2012 से तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019**
 - ♦ धारा 2(28): भ्रामक विज्ञापन को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित करती है जो किसी उत्पाद का गलत वर्णन करता है, झूठी गारंटी देता है, उपभोक्ताओं को गुमराह करता है, अनुचित व्यापार व्यवहार का रूप लेता है या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है।
 - ♦ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों और समर्थन के लिए दिशानिर्देश, 2022 जारी किए हैं। इनमें सरोगेट विज्ञापन को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी अनुमत उत्पाद के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार करके कानूनी प्रतिबंध से बचने का प्रयास करता है।
 - ♦ धारा 21: CCPA पहली बार उल्लंघन पर ₹10 लाख तक और बाद के उल्लंघनों पर ₹50 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है।
 - ♦ CCPA किसी समर्थक को एक वर्ष तक विज्ञापन में समर्थन करने से रोक सकता है, जिसे बार-बार उल्लंघन होने पर तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

महत्व

- यह मामला वास्तविक ब्रांड विस्तार और प्रतिबंधित उत्पाद के अप्रत्यक्ष प्रचार के बीच अंतर निर्धारित करने की चुनौती को उजागर करता है।
- यह भारत के नियामक ढाँचे के अंतर्गत सत्यपूर्ण विज्ञापन, मशहूर हस्तियों द्वारा उचित सावधानी और उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को मजबूत करता है।

चुनावों में काले धन पर उच्चतम न्यायालय

कर्नाटक राज्य बनाम प्रतीक परसरामपुरिया (17 अगस्त, 2026) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनावों में काले धन का इस्तेमाल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर करता है तथा लोकतंत्र के मूल स्वरूप पर प्रहार करता है।

चुनावों में काला धन

- काला धन उस बेहिसाब या अशोषित धन को कहा जाता है जिसका उपयोग मतदाताओं को रिश्वत देने, चुनाव प्रचार के वित्तपोषण, उपहार देने और अन्य अवैध चुनावी खर्चों में किया जाता है।

- यह चुनावी प्रतिस्पर्धा के समान अवसर को प्रभावित करता है तथा धन, अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ को मजबूत करता है।
- यह प्रतिबंधित या अवैध चुनावी वित्तपोषण के बावजूद मतदाताओं के मन में प्रभाव बनाए रखने का माध्यम बनता है।

यह लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों है?

- वित्तीय प्रलोभनों के माध्यम से मतदाता की पसंद को प्रभावित करता है।
- वास्तविक जनसमर्थन की तुलना में धनी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाता है।
- राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देता है।
- लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनविश्वास को कमजोर करता है।
- निहित स्वार्थों द्वारा नीतिगत नियंत्रण को बढ़ावा देता है।
- राजनीतिक समानता और चुनावी निष्पक्षता को कमजोर करता है।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

- **अनुच्छेद 324:** चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में निहित करता है।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** चुनावी अपराधों, भ्रष्ट आचरण और चुनावी व्यय को विनियमित करता है।
- **आयकर विभाग:** बेहिसाब नकदी और संपत्तियों की जाँच करता है।
- न्यायालय ने कैवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (1975), गोस्वामी समिति रिपोर्ट (1990), वोहरा समिति रिपोर्ट (1993) और 255वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2015) पर भरोसा किया।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश

- जब नकदी या संपत्ति को 24 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या न्यायालय को रिपोर्ट किया जाए तथा चुनावी संबंध के प्रथमदृष्टया आधार को दर्शाने वाले कारण बताए जाएँ।
- जाँच एक वर्ष के भीतर पूरी की जाए। विलंब की सूचना दी जाए और हर तीन महीने में प्रगति रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाए।
- स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा जब ₹10 लाख से अधिक की नकदी की सूचना आयकर विभाग को दी जाए।
- उच्च न्यायालयों को उम्मीदवारों तथा वर्तमान सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय निर्धारित करने चाहिए।
- चुनावी अवधि के दौरान अभियोजन वापस लेने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
- निर्वाचन आयोग और सरकारों को 18 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

वर्तमान स्थिति और आगे की राह

- वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 3,87,430 प्राथमिकी दर्ज की गई। इनमें से केवल 1,66,044 मामलों (42.9%) में दोषसिद्धि हुई। न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार बदलने के बाद अभियोजन वापस लिए जाने से दंड से मुक्ति की धारणा उत्पन्न हो सकती है।

- समयबद्ध जाँच को मजबूत करना, निर्वाचन आयोग, पुलिस, आयकर विभाग और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना, राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा प्रलोभनों के विरुद्ध मतदाता जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

धार्मिक भावनाएँ और संवैधानिक स्वतंत्रताएँ

पंजाब के राज्यपाल ने जागृत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम को मंजूरी दे दी है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

पंजाब कानून के प्रमुख प्रावधान

- अधिनियम में बेअदबी के कृत्यों के लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास और ₹5 लाख से ₹25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- बेअदबी में जानबूझकर और स्वेच्छा से किए गए ऐसे कृत्य शामिल हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ को भौतिक क्षति पहुँचाना, विकृत करना, जलाना, फाड़ना या चोरी करना।
- यह अपराध भाषण, लेखन, दृश्य प्रस्तुति या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए किए गए बेअदबी के कृत्यों तक भी विस्तारित है।

बेअदबी और ईशनिंदा

- बेअदबी का अर्थ किसी पवित्र वस्तु या स्थान के साथ उचित सम्मान के बिना व्यवहार करना है। यह मुख्य रूप से भौतिक अपवित्रीकरण से संबंधित है।
- ईशनिंदा ऐसे भाषण, लेखन, संकेत या चित्रों को संदर्भित करती है जो किसी धर्म, देवता, धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक मान्यताओं का अपमान या उनके प्रति अवमानना व्यक्त करते हैं।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 298 धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुँचाने या अपवित्र करने को दंडनीय बनाती है।
- BNS की धारा 299 शब्दों, संकेतों या दृश्य अभिव्यक्तियों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को दंडनीय बनाती है।

कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण

- भारतीय दंड संहिता की धारा 295I, जिसे 1927 में जोड़ा गया था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को अपराध मानती थी।
- रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1957) में उच्चतम न्यायालय ने इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अभिव्यक्ति को अपराध घोषित करने से वैध आलोचना, अकादमिक बहस, व्यंग्य और सामाजिक सुधार हतोत्साहित हो सकते हैं।
- अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण पर प्रतिबंध केवल निर्दिष्ट आधारों पर ही वैध हैं, जिनमें लोक व्यवस्था भी शामिल है। केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना हमेशा लोक व्यवस्था के लिए खतरा नहीं माना जा सकता।

- अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून स्पष्ट, गैर-मनमाना और समान रूप से लागू होने वाला होना चाहिए। अस्पष्ट शब्दों से कानून का असंगत प्रवर्तन हो सकता है।
- आनुपातिकता का सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि दंड अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए।

- हालाँकि, इसी अवधि में उपयोग की गई राशि ₹437.9 करोड़ से घटकर लगभग ₹87.5 लाख रह गई।

PM CARES फंड से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ



पारदर्शिता

वित्त वर्ष 2022-23 के बाद के ऑडिट किए गए विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।



RTI स्थिति

PM CARES, RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण है या नहीं, यह मामला अभी न्यायिक विचाराधीन है।



ऑडिट

फंड का ऑडिट CAG द्वारा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है।



संसदीय निगरानी

फंड से जुड़े सवालों पर सीमित संसदीय जाँच हुई है।



संस्थागत दोहराव

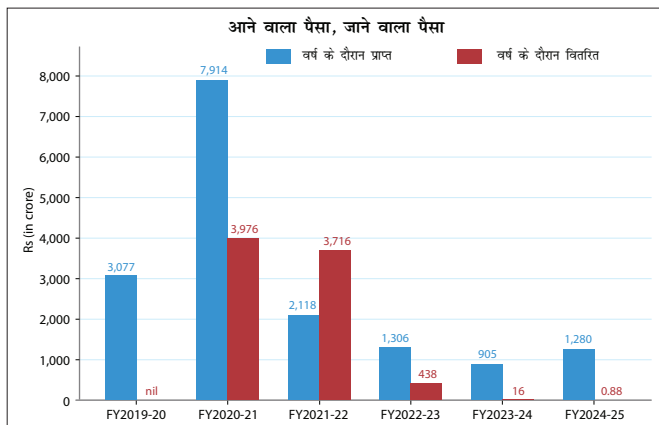
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के साथ PM CARES की आवश्यकता को लेकर बहस जारी है, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय (2020) ने माना कि इन फंडों के उद्देश्य अलग-अलग हैं।

पीएम केयर्स फंड

पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अंततः अगस्त 2026 में सार्वजनिक किए गए, जिसमें दो वर्ष की विलंब हुई। आलोचकों ने फंड के बहुत कम व्यय और सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से इसके लगातार बाहर रहने पर सवाल उठाए हैं।

पीएम केयर्स फंड

- यह मार्च 2020 में स्थापित एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकट की परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है।
- **पंजीकरण:** यह पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकृत है।
- **न्यासी:** प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री पदेन न्यासी हैं।
- **वित्तपोषण:** इसे पूरी तरह स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। इसे सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती।
- **कर और सीएसआर लाभ:** दानदाताओं को आयकर अधिनियम के अंतर्गत 100% आयकर कटौती का लाभ मिलता है और ये दान कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में पात्र हैं।
- **विदेशी दान:** इसे विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के अंतर्गत छूट प्राप्त है और यह विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकता है।



वित्तीय स्थिति

- कोष की राशि 2022-23 में लगभग ₹6,722 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹8,453 करोड़ हो गई।

भारत में बहुविवाह

उच्चतम न्यायालय मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत बहुविवाह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

परिचय

- बहुविवाह एक ही समय में एक से अधिक जीवनसाथी रखने की प्रथा है।
- **प्रकार:**
 - ♦ **बहुपत्नी प्रथा:** एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियाँ होना।
 - ♦ **बहुपति प्रथा:** एक महिला के एक से अधिक पति होना।
 - ♦ **द्विविवाह:** पहले वैध विवाह के अस्तित्व में रहते हुए दोबारा विवाह करना।

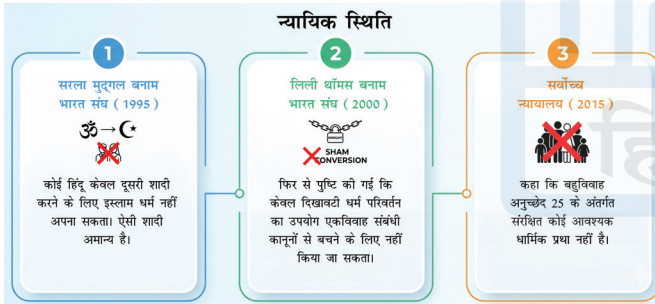
भारत में कानूनी स्थिति

- **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955:** हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिक्खों के लिए द्विविवाह पर रोक लगाता है।
- **विशेष विवाह अधिनियम, 1954:** केवल एकविवाही विवाहों को मान्यता देता है।
- **पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936:** द्विविवाह पर रोक लगाता है।

- **भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872:** यदि किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित है, तो वह विवाह की अनुमति नहीं देता।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS):** धारा 82 के अंतर्गत, जहाँ दूसरा विवाह कानूनी रूप से शून्य है, वहाँ द्विविवाह के लिए अधिकतम सात वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
- **मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937:** एक मुस्लिम पुरुष को अधिकतम चार पत्नियाँ रखने की अनुमति देता है। इसलिए, ऐसे मामलों में BNS के अंतर्गत द्विविवाह का अपराध लागू नहीं होता।

बहुविवाह के विरुद्ध तर्क

- **लैंगिक असमानता:** यह पुरुषों को एक से अधिक पत्नियाँ रखने की अनुमति देता है, लेकिन महिलाओं को एक से अधिक पति रखने की अनुमति नहीं देता।
- **मानसिक और सामाजिक प्रभाव:** इससे भावनात्मक तनाव, पारिवारिक संघर्ष और आर्थिक असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है।
- **वित्तीय बोझ:** एक से अधिक परिवार होने से बच्चों और परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधन कम हो सकते हैं।
- **संवैधानिक चिंताएँ:** आलोचकों का तर्क है कि यह प्रथा अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत सुनिश्चित समानता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ टकरा सकती है।



राज्य स्तर पर विकास

- **उत्तराखंड:** समान नागरिक संहिता, 2024 सभी निवासियों के लिए द्विविवाह पर रोक लगाती है।
- **असम:** असम बहुविवाह निषेध अधिनियम, 2025 बहुविवाह पर रोक लगाता है, जबकि कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक छूट का प्रावधान करता है।
- **गोवा:** गोवा नागरिक संहिता सामान्यतः एकविवाह का पालन करती है, हालाँकि इसमें हिंदुओं के लिए कुछ सीमित ऐतिहासिक अपवाद मौजूद हैं, जिन्हें लगभग अप्रचलित माना जाता है।

वर्तमान स्थिति

- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5), 2019-21** में कई धार्मिक समुदायों में बहुविवाह की स्थिति दर्ज की गई, जिसमें कुछ पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक प्रसार पाया गया। कुल मिलाकर, भारत में यह प्रथा असामान्य बनी हुई है।

भारत में फाँसी द्वारा मृत्युदंड

उच्चतम न्यायालय ने फाँसी द्वारा मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता।

भारत में फाँसी द्वारा मृत्युदंड

- **कानूनी आधार:** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 393(5) में प्रावधान है कि मृत्युदंड पाए व्यक्ति को गर्दन से तब तक फाँसी पर लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।
- **विधि:** भारत में लॉन्ग-ड्रॉप विधि अपनाई जाती है, जिसका उद्देश्य गर्दन की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर उत्पन्न करना और शीघ्र बेहोशी की स्थिति उत्पन्न करना है।
- **न्यायिक पूर्व निर्णय:** फाँसी की संवैधानिक वैधता को पहली बार दीना (Deena) बनाम भारत संघ (1983) मामले में बरकरार रखा गया था।

संवैधानिक और कानूनी स्थिति



अनुच्छेद 21:

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। जीवन से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और मनमानी से मुक्त होनी चाहिए।



ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996):

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मृत्युदंड को लागू करने के चरण में भी गरिमा एक आवश्यक संवैधानिक मूल्य बनी रहती है।



विधि आयोग:

187वीं रिपोर्ट (2003) में मृत्युदंड को लागू करने के वैकल्पिक तरीके के रूप में घातक इंजेक्शन (Lethal Injection) की सिफारिश की गई थी। हालाँकि, संसद ने BNSS, 2023 के अंतर्गत फाँसी की सजा को बरकरार रखा।

उच्चतम न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

- न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य दीना बनाम भारत संघ (1983) के निर्णय को पलटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- साक्ष्यों से निर्णायक रूप से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि घातक इंजेक्शन, विद्युत-दंड, घातक गैस और गोली मारना जैसे विकल्प अधिक मानवीय या संवैधानिक रूप से बेहतर हैं।
- निर्णय में स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में चिकित्सा या वैज्ञानिक साक्ष्य किसी बेहतर विधि को स्थापित करते हैं, तो यह मुद्दा खुला रहेगा।
- न्यायालय ने दोहराया कि मृत्युदंड का निष्पादन शालीनता, गरिमा के साथ और अनावश्यक क्रूरता के बिना किया जाना चाहिए।

प्रमुख चिंताएँ

- **वैज्ञानिक विश्वसनीयता:** फाँसी की ऊँचाई की गलत गणना से लंबे समय तक पीड़ा या गंभीर शारीरिक चोट हो सकती है।
- **मानवीय गरिमा:** फाँसी की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य का व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने का दायित्व बना रहता है।

- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** मृत्युदंड की प्रतीक्षा में लंबे समय तक जेल में रहना मानवाधिकारों से जुड़ी अलग-अलग चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- **औपनिवेशिक विरासत:** फाँसी औपनिवेशिक आपराधिक न्याय व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में अभी भी जारी है।
- **मृत्युदंड पर बहस:** मनमानेपन, गलत दोषसिद्धि, आनुपातिकता और दंड की अपरिवर्तनीयता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

वैश्विक स्थिति

- जापान और सिंगापुर जैसे देशों में फाँसी अभी भी कानूनी रूप से उपलब्ध है।
- कई देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, जो वैश्विक स्तर पर व्यापक रुझान को दर्शाता है।

आपराधिक न्याय व्यवस्था में 'आदर्श पीड़ित' की अवधारणा

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तरुण तेजपाल को 2021 में बरी किए जाने के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता से यह उम्मीद की थी कि वह विश्वसनीय माने जाने के लिए एक "आदर्श पीड़ित" की तरह व्यवहार करे, जो गलत था।

'आदर्श पीड़ित' की अवधारणा क्या है?

- यह अवधारणा नॉर्वे के अपराधशास्त्री निल्स क्रिस्टी (1986) द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
- उनके अनुसार, एक "आदर्श पीड़ित" में सामान्यतः निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं:
 - ◆ कमजोर या असुरक्षित, जैसे महिला, बच्चा, बुजुर्ग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति।
 - ◆ सम्मानजनक गतिविधियों में संलग्न।
 - ◆ अपराध के स्थान पर होने के लिए जिम्मेदार नहीं।
 - ◆ अपराधी के लिए अपरिचित।
 - ◆ किसी शक्तिशाली और स्पष्ट रूप से दोषी अपराधी द्वारा नुकसान पहुँचाया गया हो।

चिंताएँ

- यह अवधारणा पीड़ितों के बीच एक श्रेणीबद्धता उत्पन्न करती है, जिसमें केवल कुछ विशेष पीड़ितों को सहानुभूति का पात्र माना जाता है।
- मीडिया, फिल्मों और सामाजिक दृष्टिकोणों द्वारा अक्सर इन रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत किया जाता है।
- जो पीड़ित इस छवि के अनुरूप नहीं होते, उन्हें पूर्वाग्रह, पीड़ित-दोषारोपण और कम विश्वसनीयता का सामना करना पड़ सकता है।
- लिंग, जाति, वर्ग, सामाजिक स्थिति और यौन इतिहास जैसे कारक सार्वजनिक और संस्थागत प्रतिक्रियाओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

न्यायिक दृष्टिकोण

- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को साक्ष्यों पर भरोसा करना चाहिए, न कि पीड़िता के आचरण, पृष्ठभूमि या घटना के बाद के व्यवहार के बारे में धारणाओं पर।

- न्यायालय ने शिकायतकर्ता की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर ध्यान न देने के लिए निम्न न्यायालय की आलोचना की।
- मथुरा हिरासत में बलात्कार मामला (1979) और भंवरी देवी मामला (1992) ने रूढ़िवादी सोच के खतरों को उजागर किया तथा यौन अपराधों और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों में सुधारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।
- उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक संवेदनशील न्यायिक लेखन की भी सिफारिश की है। न्यायालय ने सावधान किया है कि रिपोर्ट करने में विलंब, शारीरिक चोटों का अभाव, गवाही में असंगतियाँ या पीड़ित के व्यवहार को स्वतः उसकी विश्वसनीयता कम करने वाला नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि आघात का प्रभाव अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग होता है।

'उद्योग' की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि औद्योगिक संबंध संहिता (IRC), 2020 के अंतर्गत "उद्योग" की परिभाषा की स्वतंत्र रूप से व्याख्या की जानी चाहिए और यह स्वतः बंगलौर वाटर सप्लाई बनाम ए. राजप्पा (1978) के निर्णय के अनुरूप नहीं होगी।

बंगलौर वाटर सप्लाई निर्णय (1978)

- सात न्यायाधीशों की पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) के अंतर्गत "उद्योग" की व्यापक व्याख्या की।
- इसमें त्रिस्तरीय परीक्षण (Triple Test) विकसित किया गया, जिसके अनुसार कोई गतिविधि उद्योग मानी जाएगी
- **यदि उसमें निम्नलिखित शामिल हों:**
 - ◆ व्यवस्थित और संगठित गतिविधि।
 - ◆ नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सहयोग।
 - ◆ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या वितरण।
- इस निर्णय के दायरे में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, धर्मार्थ संस्थाएँ और नगरपालिकाएँ भी शामिल थीं।
- मूल संप्रभु कार्य, जैसे रक्षा, न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन, इसके दायरे से बाहर रहे।

उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय

- न्यायालय ने कहा कि IRC, 2020 की धारा 2(p) की व्याख्या नई संहिता की भाषा, संरचना और उद्देश्य के आधार पर की जानी चाहिए।
- IRC के अंतर्गत व्याख्या "शून्य से शुरुआत" के आधार पर की जाएगी।
- 1978 का निर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत लिखित विवादों पर लागू रहेगा, लेकिन यह स्वतः IRC पर लागू नहीं होगा।
- बहुमत ने नई और स्वतंत्र व्याख्या का समर्थन किया, जबकि असहमत वाले न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि परिभाषा को सीमित करने से औद्योगिक शांति और श्रमिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

- यह संहिता औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 को एकीकृत करती है।
- धारा 2(p) उद्योग को नियोक्ता और श्रमिक के सहयोग से की जाने वाली किसी भी व्यवस्थित गतिविधि के रूप में परिभाषित करती है, चाहे उसका लाभ कमाने का उद्देश्य या पूँजी निवेश हो या नहीं।
- यह गैर-लाभकारी और कम पूँजी वाले संगठनों में कार्य करने वाले श्रमिकों तक श्रम-कानूनों का संरक्षण विस्तारित करती है।
- यह सामूहिक सौदेबाजी, सुलह, औद्योगिक न्यायाधिकरण, शिकायत निवारण तथा सेवा शर्तों में बदलाव की सूचना और छँटनी मुआवजे जैसे वैधानिक लाभों को मजबूत करती है।



चिंताएँ और आगे की राह

- ट्रेड यूनियनों को आशंका है कि कुछ संगठनों के लिए किए गए अपवर्जन से श्रम कानूनों के संरक्षण और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार कम हो सकते हैं।
- न्यायालयों को वैधानिक अपवर्जनों की सख्ती से व्याख्या करनी चाहिए और नियोक्ता-श्रमिक गतिविधि की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए।
- श्रम सुधारों में औद्योगिक विकास, व्यवसाय करने में सुगमता और श्रमिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए तथा कानूनी निश्चितता और औद्योगिक सौहार्द सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय परिषदें

31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित की गई।

परिचय

- क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग III के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।
- ये दो या अधिक राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न मामलों में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती हैं।
- ये सलाहकारी निकाय हैं और अंतर-राज्यीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर संवाद को सुगम बनाती हैं।

संरचना और संगठन

- केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं।
- सदस्य राज्यों में से किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री बारी-बारी से उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
- सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों से मिलकर एक स्थायी समिति बनाई जाती है, जो परिषद के समक्ष रखे जाने से पहले मुद्दों की जाँच करती है। जिन मामलों का समाधान नहीं हो पाता, उन्हें पूर्ण परिषद के समक्ष भेजा जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वर्ष 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का विचार प्रस्तावित किया था।



कार्य एवं महत्त्व

- सहकारी संघवाद और भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देना।
- अंतर-राज्यीय सीमा, भाषाई और जल-बंटवारे से संबंधित मुद्दों का संवाद के माध्यम से समाधान करना।
- क्षेत्रीय योजना, परिवहन, बुनियादी ढाँचे, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में समन्वय करना।
- आर्थिक और सामाजिक विकास पर सहमति को प्रोत्साहित करना तथा क्षेत्रीय विवादों को कम करना।

पूर्वोत्तर परिषद

- पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत एक अलग वैधानिक क्षेत्रीय निकाय के रूप में की गई थी और यह 1972 में कार्यरत हुई।
- इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से शामिल किया गया।

नमस्ते योजना

भारत सरकार राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाई (NAMASTE) का विस्तार शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने पर विचार कर रही है, ताकि यंत्रीकृत स्वच्छता के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा और पुनर्वास में सुधार किया जा सके।

परिचय

- नमस्ते योजना को वर्ष 2023 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ किया गया था।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य खतरनाक मैनुअल सफाई को समाप्त करना और सुरक्षित, यंत्रीकृत स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- योजना के प्रारंभिक चरण में सीवर और सेंटिक टैंक श्रमिकों (SSWs) को शामिल किया गया था और बाद में इसका विस्तार कचरा बीनने वालों तक किया गया।

उद्देश्य

- खतरनाक मैनुअल सफाई की प्रथाओं को समाप्त करना।
- स्वच्छता कर्मियों की व्यावसायिक सुरक्षा और गरिमा में सुधार करना।
- कौशल विकास, आजीविका सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- **यंत्रीकरण:** यंत्रीकृत स्वच्छता उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र स्वच्छता-संबंधी उद्यमों के लिए परियोजना लागत के 50% तक पूँजीगत सब्सिडी उपलब्ध है।
- **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):** व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट प्रदान की जाती है।
- **प्रशिक्षण:** श्रमिकों को यंत्रीकृत उपकरणों के सुरक्षित संचालन और व्यावसायिक सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **सामाजिक सुरक्षा:** लाभों में स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत का कवरेज और अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हैं।
- **पुनर्वास:** चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर्स को एकमुश्त नकद सहायता, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

नमस्ते के अंतर्गत प्रगति

- वर्ष 2013 और 2018 में किए गए सर्वेक्षणों में 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान की गई।
- **सरकार के अनुसार:**
 - ♦ सभी चिन्हित लाभार्थियों को एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की गई।
 - ♦ 27,926 लोगों ने कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा किया।
 - ♦ 2,803 लोगों को स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए पूँजीगत सब्सिडी प्राप्त हुई।

प्रस्तावित ग्रामीण विस्तार

- प्रस्तावित विस्तार में नालियों की सफाई करने वाले कर्मियों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) कर्मियों और मल-कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTP) कर्मियों को शामिल किया जाएगा।
- 2026-27 से 2030-31 तक के लिए प्रस्तावित व्यय ₹498.73 करोड़ है।

महत्व

- यह यंत्रीकृत स्वच्छता को शहरी क्षेत्रों से आगे ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।

- श्रमिकों की सुरक्षा, गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार करता है।
- सुरक्षात्मक उपकरण, प्रशिक्षण, बीमा और वैकल्पिक आजीविका तक पहुँच का विस्तार करता है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक स्वच्छता कार्यों पर निर्भरता कम करता है।
- योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और समय पर वित्तीय सहायता आवश्यक है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) वन धन विकास केंद्रों (VDVKs) के माध्यम से जनजातीय समुदायों को संगठित करके और उन्हें कच्चे वन उत्पादों की बिक्री से आगे बढ़ाकर मूल्य संवर्धन करने वाले उद्यमियों में परिवर्तित करने में सक्षम बनाकर भारत की जनजातीय वन अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है।

परिचय

- PMJVM जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 2021-22 में प्रारंभ किया गया।
- इसे लघु वनोपज (MFP) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना और जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास एवं विपणन के लिए संस्थागत सहायता योजना को मिलाकर बनाया गया है।
- इसे TRIFED द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है।
- **उद्देश्य:** जनजातीय उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, उद्यमिता और विपणन के माध्यम से जनजातीय आजीविका में सुधार करना।
- यह अधिसूचित लघु वनोपज (MFP) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी प्रदान करता है, ताकि जनजातीय संग्राहकों को मजबूरी में कम कीमत पर बिक्री से बचाया जा सके।

प्रमुख विशेषताएँ

- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED)
- **प्रमुख घटक:**
 - ♦ MSP आधारित लघु वनोपज की खरीद।
 - ♦ वन धन विकास केंद्र (VDVKs) और वन धन उत्पादक उद्यम (VDPEs)
 - ♦ कौशल विकास, मूल्य संवर्धन, ब्रांड निर्माण, ई-वाणिज्य और बाजार संपर्क।
- **वित्तीय सहायता:**
 - ♦ एक VDK की स्थापना के लिए ₹15 लाख तक।
 - ♦ प्रत्येक VDPE के लिए तीन वर्षों में ₹64 लाख तक।
- **विशेष ध्यान**
 - ♦ आकांक्षी जिले।
 - ♦ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)
 - ♦ वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत भूमि अधिकार-पत्र धारक।

लघु वनोपज (MFP)

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत MFP में गैर-इमारती वन उत्पाद शामिल हैं, जैसे बाँस, बेंत, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ते, महुआ के फूल, इमली, औषधीय पौधे, जड़ें, कंद, तसर कोकून और जंगली जड़ी-बूटियाँ।
- FRA, 2006 वन-निवासी समुदायों के MFP को एकत्र करने, उपयोग करने और बेचने के अधिकार को मान्यता देता है।
- पेसा अधिनियम, 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को MFP का स्वामित्व प्रदान करता है। सरकार ने PMJVM के अंतर्गत 87 MFP वस्तुओं के लिए MSP अधिसूचित किया है।
- 2013-14 से, सरकार ने लगभग 2.68 लाख मीट्रिक टन MFP की खरीद की है, जिसका मूल्य ₹693.98 करोड़ है।
- लगभग 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग वनों पर निर्भर हैं, जिनमें से कई परिवारों की वार्षिक आय का 20-40% हिस्सा MFP से आता है।

वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से सहायता

- जनजातीय संग्राहकों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया जाता है और उन्हें VDVKS में समूहबद्ध किया जाता है। प्रत्येक VDVK में लगभग 300 सदस्य होते हैं और इनमें कम से कम 60% अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है।
- 14 अप्रैल 2018 को प्रारंभ की गई वन धन योजना VDVK मॉडल का परिचालन आधार है।
- VDVKs प्रशिक्षण, वैज्ञानिक संग्रहण विधियाँ, प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, कार्यशील पूँजी और बाजार सहायता प्रदान करते हैं।
- TRIFED ब्रांड निर्माण, प्रदर्शनियों, ई-वाणिज्य और बाजार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में भी सहायता करता है।
- 31 जुलाई 2026 तक, 4,172 VDVKS को मंजूरी दी जा चुकी थी, जिनमें से 2,911 कार्यरत थे। इससे 12.48 लाख जनजातीय सदस्य लाभान्वित हुए और लगभग ₹168 करोड़ की बिक्री हुई।

जिला कलेक्टरों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार

गृह मंत्रालय (MHA) ने आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला कलेक्टरों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करने और नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है। इसके लिए पहले की समितियों के पास लंबित सभी आवेदनों को स्थानांतरित किया गया है।

CAA का परिचय

- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया।
- यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए ऐसे दस्तावेज-विहीन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का विशेष मार्ग प्रदान करता है, जो हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित हैं और 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

- इसने नागरिकता के देशीकरण के लिए पात्र आवेदकों की न्यूनतम निवास अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया।
- पाकिस्तानी हिंदू पहले से ही नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6(1) के अंतर्गत नागरिकता के लिए पात्र थे। CAA ने मुख्य रूप से उनकी नागरिकता प्रक्रिया को तेज किया।

गृह मंत्रालय का हालिया निर्णय

- नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 के अंतर्गत जिला कलेक्टरों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:
 - नागरिकता आवेदनों को प्राप्त करना और उनकी जाँच करना।
 - दस्तावेजों का सत्यापन और जाँच-पड़ताल करना।
 - निष्ठा की शपथ दिलाना।
 - नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करना।
 - पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रदान करना।
- यदि कोई आवेदक उचित अवसर दिए जाने के बावजूद अनिवार्य प्रक्रियाओं के लिए बार-बार उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- यह आदेश गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख पर लागू होता है।
- असम और त्रिपुरा में यह आदेश छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

- अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 11 संसद को कानून के माध्यम से नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- CAA नियम, 2024 ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन दाखिल करने और उनकी प्रक्रिया के लिए व्यवस्था निर्धारित की थी।
- 2026 के नियमों के अंतर्गत अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अधिकृत समितियों से जिला कलेक्टरों को स्थानांतरित किया गया है।

प्रमुख महत्व

- नागरिकता प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करता है, जिससे लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा संभव हो सकता है।
- जिला स्तर पर कार्यान्वयन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करता है।
- इसका पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से मनुआ समुदाय, के लिए विशेष महत्व है।
- CAA को लेकर संवैधानिक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के संबंध में।

विशेष छूट

CAA निम्नलिखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता:

- इनर लाइन परमिट (ILP) वाले क्षेत्र - अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर।
- संविधान के अंतर्गत छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र - असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा।

रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर 100% शुल्क लगाने के लिए अमेरिकी विधेयक

अमेरिकी सीनेट ने द्विदलीय लिंडसे ओ. ग्राहम रूस प्रतिबंध अधिनियम, 2026 को शीघ्रता से आगे बढ़ाया है, जिसमें रूसी तेल और प्राकृतिक गैस के प्रमुख खरीदारों पर भारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

प्रमुख प्रावधान

- यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी तेल और प्राकृतिक गैस के पाँच सबसे बड़े खरीदारों से होने वाले आयात पर 100% तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है, जिसमें भारत और चीन शामिल हैं।
- अन्य चिन्हित खरीदारों में स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं। इस सूची की समीक्षा हर 180 दिन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।
- इसमें उन देशों के लिए अपवाद का प्रावधान है जो अपनी प्राकृतिक गैस का 15% से कम रूस से आयात करते हैं और इस निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं।
- यह विधेयक ईरान प्रतिबंध अधिनियम को पाँच वर्षों के लिए 2031 तक बढ़ाता है और ईरान के ऊर्जा तथा हथियार क्षेत्रों को लक्षित करने वाले प्रतिबंधों को जारी रखता है।

महत्व

- इसका उद्देश्य रूस के ऊर्जा राजस्व को कम करना और यूक्रेन संघर्ष के वित्तपोषण की उसकी क्षमता को कमजोर करना है।
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि रियायती रूसी कच्चा तेल उसके तेल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह प्रस्ताव वैश्विक तेल आपूर्ति को सीमित, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता को बढ़ा और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार को बाधित कर सकता है।

विधायी स्थिति

- यह विधेयक अभी कानून नहीं बना है। प्रभावी होने से पहले इसे अभी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित होना और शेष विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

पैक्स सिलिका पहल

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत तथा भारत में अमेरिकी राजदूत ने ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की और बांग्लादेश को अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

परिचय

- पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य विश्वसनीय साझेदार देशों के बीच सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य चीन पर दबावपूर्ण निर्भरता को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि सहयोगी देश परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर विकसित तथा लागू कर सकें।
- पहला पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया था।
- संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता:** ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात।
- भारत फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन के दौरान इसमें शामिल हुआ।
- देश सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और मंचों सहित रणनीतिक प्रौद्योगिकी आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए साझेदारी करते हैं।

फरक्का संधि (गंगा जल संधि), 1996

वर्ष 1996 की फरक्का संधि, जिसकी अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है, के प्रावधानों की समीक्षा की माँग के बीच इसकी दोबारा समीक्षा की जा रही है, विशेष रूप से बिहार की भविष्य की जल आवश्यकताओं और भारत की बदलती घरेलू जल आवश्यकताओं के संदर्भ में।

प्रमुख तथ्य

- इसे औपचारिक रूप से गंगा जल बंटवारा संधि के रूप में जाना जाता है। इस पर 12 दिसंबर 1996 को भारत के प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे।
- यह कम प्रवाह वाले मौसम (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान फरक्का बैराज पर गंगा के जल के बंटवारे को नियंत्रित करती है।
- महत्वपूर्ण अवधि (11 मार्च से 11 मई) के दौरान, जल की उपलब्धता के अधीन, प्रत्येक देश को 10-10 दिन की बारी-बारी अवधि में 35,000 क्यूसेक पानी आवंटित किया जाता है।
- फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाया गया है और यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है।
- इसे 1975 में चालू किया गया था, ताकि कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता में सुधार करने के लिए गंगा के पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ा जा सके।
- एक संयुक्त समिति फरक्का (भारत) और हार्डिंग ब्रिज (बांग्लादेश) पर जल प्रवाह की निगरानी करती है।

- अनुच्छेद XII में प्रावधान है कि 30 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद दोनों देशों की आपसी सहमति से संधि का नवीनीकरण किया जा सकता है।
- 1996 की संधि से पहले 1977 का गंगा जल समझौता तथा 1982 और 1985 के अस्थायी समझौता ज्ञापन हुए थे।
- फरवरी 2026 तक, दोनों देशों के बीच औपचारिक नवीनीकरण वार्ता अभी प्रारंभ नहीं हुई थी।

16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक

भारत ने अपनी 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत राजस्थान के जयपुर में 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का सफलतापूर्वक समापन किया। इस वर्ष की विषय-वस्तु थी - “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण”।

प्रमुख परिणाम

- बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की।
- इससे पहले ब्रिक्स आर्थिक एवं व्यापार मुद्दों पर संपर्क समूह (CGETI) की तीसरी बैठक 3-4 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
- सदस्यों ने एक संयुक्त घोषणा और चार प्रमुख परिशिष्टों को अपनाया।
- ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030 को अंतिम रूप दिया गया।
- इसमें व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, उद्योग, नवाचार, वित्तीय सहयोग और सतत विकास शामिल हैं।
- इसे सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय व्यापार

- सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) को केंद्र में रखते हुए नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति समर्थन दोहराया।
- उन्होंने पूरी तरह कार्यशील, दो-स्तरीय और बाध्यकारी WTO विवाद निपटान प्रणाली की बहाली का आह्वान किया।
- उन्होंने विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार (S&DT) तथा खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा के लिए नीतिगत गुंजाइश की पुष्टि की।
- भारत ने विशेष रूप से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के भीतर किसानों के हितों की सुरक्षा तथा विकासशील देशों की खाद्य और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और व्यापार वित्त

- जयपुर सहमति जारी की गई, जिसमें छोटे व्यवसायों के लिए कार्यशील पूँजी तक पहुँच में सुधार के उद्देश्य से ब्रिक्स चालान छूट तंत्र की व्यवहार्यता का अध्ययन करने की बात कही गई।
- निर्यात-उन्मुख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण मूल्यांकन ढाँचे के मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए गए। अब वित्तीय संस्थान उद्यमों का मूल्यांकन संपत्ति और जमानत के बजाय नकदी प्रवाह के आधार पर करेंगे।
- ब्रिक्स देशों में छोटे उद्यमों की वैश्विक बाजार तक पहुँच में सुधार के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अंतरराष्ट्रीयकरण पर कार्य योजना अपनाई गई।

- ये पहल वैश्विक व्यापार वित्त में अनुमानित 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर को संबोधित करती हैं, जिसका असमान रूप से अधिक प्रभाव छोटे उद्यमों पर पड़ता है।

वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ

- वैश्विक मूल्य शृंखलाओं पर ब्रिक्स की साझा समझ को अपनाया गया, जिसमें GVC कार्य योजना 2026-2030 भी शामिल है।
- इस योजना में ब्रिक्स तकनीकी परिषद, ब्रिक्स कनेक्ट पहल, संयुक्त GVC अध्ययन तथा फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक आपूर्ति शृंखला मंचों का प्रस्ताव किया गया है।

डिजिटल व्यापार

- सीमाओं के पार डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सुगम बनाने के लिए ब्रिक्स सिद्धांत अपनाए गए, ताकि सुरक्षित और संरक्षित सीमा-पार डिजिटल व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।

ब्रिक्स

- ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स शब्द अर्थशास्त्री जिम ओशनील ने 2001 में गढ़ा था।
- **मूल पाँच सदस्य:** ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- **नए पूर्ण सदस्य:** मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात, जिससे कुल सदस्यता 10 देशों की हो गई।
- इसकी औपचारिक शुरुआत वर्ष 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के अवसर पर नेताओं की बैठक में BRIC के रूप में हुई।
- वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर आयोजित पहली BRIC विदेश मंत्रियों की बैठक में इसे औपचारिक रूप दिया गया।
- दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, जिसके बाद समूह BRICS बन गया।
- वर्ष 2009 से हर वर्ष औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), जिसे पहले ब्रिक्स विकास बैंक कहा जाता था, समूह का बहुपक्षीय विकास बैंक है। यह ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2028-29 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए भारत का अभियान

भारत ने वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में चुनाव के लिए औपचारिक रूप से अपना अभियान प्रारंभ कर दिया है। चुनाव जून 2027 में होगा, जिसमें ताजिकिस्तान एशिया-प्रशांत समूह से भारत का प्रतिस्पर्धी है।

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। इसमें 15 सदस्य

होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य (P5) वीटो शक्ति के साथ और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं, जिन्हें दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

- अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है और इसके लिए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- एशिया-प्रशांत समूह के लिए दो अस्थायी सीटें निर्धारित हैं।

भारत का अभियान

- यदि भारत निर्वाचित होता है, तो वह नौवीं बार UNSC में कार्य करेगा। उसका पिछला कार्यकाल 2021-22 में था।
- भारत का अभियान शांति (SHANTI: Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity) पर आधारित है।
- इसमें शांति और सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुधार, वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व, समुद्री सुरक्षा, जिम्मेदार प्रौद्योगिकी शासन और प्रभावी शांति स्थापना पर जोर दिया गया है।

सीट का महत्व

- यह वैश्विक शासन और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।
- यह आतंकवाद-रोधी प्रयासों, शांति स्थापना और बहुपक्षीय सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- यह UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे दावे को मजबूत करता है।
- इससे भारत को वैश्विक दक्षिण के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

चुनौतियाँ

- भारत को ताजिकिस्तान से चुनावी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- सफलता निरंतर गठबंधन निर्माण, क्षेत्रीय कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच व्यापक समर्थन हासिल करने पर निर्भर करेगी।
- देशों के बीच भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अलग-अलग प्राथमिकताएँ मतदान को प्रभावित कर सकती हैं।

आगे की राह

- भारत को समावेशी कूटनीतिक संपर्क बनाए रखना चाहिए और विकासशील देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।
- उसे ऐसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, पारदर्शी और प्रभावी UNSC की वकालत जारी रखनी चाहिए, जो समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करे।

यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था

नई दिल्ली में आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स देशों ने संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था (CBAM) का विरोध किया और इसे एकतरफा, दंडात्मक, भेदभावपूर्ण और संरक्षणवादी बताया।

CBAM क्या है?

- CBAM यूरोपीय संघ (EU) की एक कार्बन-मूल्य निर्धारण व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत निर्धारित आयातित वस्तुओं में निहित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आधार पर उन पर कार्बन लागत लगाई जाती है।
- यूरोपीय संघ के आयातकों को आयातित उत्पादों में निहित उत्सर्जन के अनुरूप CBAM प्रमाणपत्र खरीदना आवश्यक है।
- इसका उद्देश्य कार्बन रिसाव को रोकना है, जिसमें उद्योग कम कठोर जलवायु नीतियों वाले देशों में उत्पादन स्थानांतरित कर देते हैं।
- यह यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) का पूरक है और यह सुनिश्चित करता है कि आयातित वस्तुओं पर यूरोपीय संघ के उत्पादकों द्वारा भुगतान की जाने वाली कार्बन लागत के समान कार्बन लागत लागू हो।
- यह यूरोपीय संघ के थ्रज वित्त 55 पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% कम करना है।
- CBAM का अंतिम चरण 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ हुआ।
- वर्तमान में इसमें लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली शामिल हैं।

ब्रिक्स और विकासशील देशों की चिंताएँ

- **व्यापार बाधा:** ब्रिक्स का तर्क है कि CBAM केवल पर्यावरणीय उपाय न होकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर छिपे हुए प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है।
- **भारत पर प्रभाव:** CBAM के अंतर्गत आने वाले भारत के निर्यात का लगभग 90% लोहा और इस्पात है, जिससे यह क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील है।
- **जलवायु समानता:** विकासशील देश UNFCCC के अंतर्गत सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत पर जोर देते हैं।
- **आर्थिक बोझ:** यह व्यवस्था विकासशील देशों के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकती है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उद्योगों को लाभ पहुँचा सकती है।
- **व्यापार और जलवायु का संबंध:** कई विकासशील देशों का कहना है कि पर्यावरणीय दायित्वों को वैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए।

CBAM के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के EU आयातक राष्ट्रीय प्राधिकरणों के पास पंजीकरण करते हैं, जहाँ वे CBAM प्रमाणपत्र भी खरीद सकते हैं। प्रमाणपत्रों की कीमत साप्ताहिक ETS भत्तों के आधार पर तय की जाती है।	EU आयातक अपने आयात में निहित उत्सर्जन की घोषणा करते हैं और प्रत्येक वर्ष उसके अनुरूप प्रमाणपत्रों की संख्या जमा करते हैं।	यदि आयातक यह साबित कर सकते हैं कि आयातित वस्तुओं के उत्पादन के दौरान कार्बन मूल्य का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो संबंधित राशि को घटाया जा सकता है।
---	---	---

अनुकूलन वित्त

- ब्रिक्स ने विकसित देशों से नया, अतिरिक्त, पूर्वानुमेय, पर्याप्त और सुलभ जलवायु वित्त उपलब्ध कराने का आह्वान किया।
- इसमें ऋण उत्पन्न करने वाले ऋणों के बजाय अनुदान और रियायती वित्त पर जोर दिया गया।
- इसने विकसित देशों से विकासशील देशों के लिए 2035 तक अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने की प्रतिबद्धता पूरी करने का आग्रह किया।

- अनुकूलन वित्त जल सुरक्षा, जलवायु-सुदृढ़ कृषि, लचीले बुनियादी ढाँचे, आपदा तैयारी और सतत् आजीविका को सहायता प्रदान करता है, जबकि शमन वित्त का ध्यान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर होता है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)

ईरान ने NDB में शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा की है, ताकि ब्रिक्स देशों के साथ वित्तीय, मौद्रिक और बैंकिंग सहयोग को गहरा किया जा सके।

NDB का परिचय

- NDB ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है।
- इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है, जिसमें ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों देश शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** उभरते बाजारों और विकासशील देशों (EMDCs) में बुनियादी ढाँचे तथा सतत् विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना।
- इसका उद्देश्य वर्तमान बहुपक्षीय विकास संस्थानों को प्रतिस्थापित करने के बजाय उनका पूरक बनना है।

सदस्यता

- **संस्थापक सदस्य:** ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- बैंक ने ब्रिक्स से आगे अपनी सदस्यता का विस्तार किया है। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान निर्धारित परिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से इसमें शामिल हुए हैं।
- उज्बेकिस्तान 10वां सदस्य और NDB में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बना।
- ईरान वर्तमान में संभावित सदस्य है और आधिकारिक सदस्य बनने से पहले उसे औपचारिक परिग्रहण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

वित्तपोषण के प्रमुख क्षेत्र



ईरान की प्रस्तावित सदस्यता का महत्त्व

- इससे ईरान और ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग मजबूत होगा। इससे ईरान को बुनियादी ढाँचे और सतत् विकास के लिए विकास वित्त का एक अतिरिक्त स्रोत मिल सकता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन-देन में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के ब्रिक्स के प्रयासों का समर्थन करता है।
- इससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का विस्तार करके वैश्विक विकास वित्त व्यवस्था में NDB की भूमिका और मजबूत हो सकती है।

प्रमुख तथ्य

- स्थापना के बाद से NDB ने सदस्य देशों में 120 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका कुल मूल्य लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर है।

- बैंक उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी, सतत् और लचीले विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत-जापान समुद्री सुरक्षा सहयोग

भारत और जापान ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय रक्षा वार्ता के दौरान समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक व्यवस्था ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

MoA की प्रमुख विशेषताएँ

- इस समझौते का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है।
- MoA भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (JMSDF) के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- इसमें समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA), खोज एवं बचाव (SAR) तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) शामिल हैं।
- दोनों देश संयुक्त अभ्यास, एक-दूसरे के नौसैनिक जहाजों की यात्राओं, रसद सहायता, कार्मिक आदान-प्रदान, बंदरगाह तक पहुँच और जहाजों के रखरखाव के माध्यम से समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा को मजबूत करेंगे।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **सैन्य अभ्यास:** दोनों पक्ष धर्म गार्जियन, JAIMEX और वीर गार्जियन जैसे अभ्यासों का विस्तार करेंगे।
 - ♦ भविष्य के अभ्यासों में मानवरहित प्रणालियाँ, बहु-क्षेत्रीय अभियान और अधिक जटिल परिचालन परिदृश्य शामिल होंगे।
- **नौसैनिक जहाज निर्माण:** दोनों देश नौसैनिक डिजाइन, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत में सहयोग की संभावनाएँ तलाशेंगे। इसमें जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की विनिर्माण क्षमताओं को 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत जोड़ा जाएगा।
- **रक्षा प्रौद्योगिकी:** DRDO और जापान की अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी एवं रसद एजेंसी (ATLA) के बीच सहयोग को गहरा किया जाएगा। एक रक्षा उद्योग मंच औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा।
- **रक्षा उपकरण:** UNICORN एकीकृत संचार एंटीना प्रणाली को पहले भारत-जापान रक्षा उपकरण हस्तांतरण परियोजना के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
- **संस्थागत सहयोग:**
 - ♦ दोनों पक्ष विशेष अभियान बलों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाएंगे।
 - ♦ महानिदेशक/संयुक्त सचिव स्तर के कार्य समूह की स्थापना की जाएगी।
 - ♦ चौथे भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद की तैयारी की जाएगी।

रणनीतिक महत्त्व

- यह साझेदारी स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत को मजबूत करती है।
- इससे अंतर-संचालन क्षमता, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ती है।

- यह भारत के रक्षा स्वदेशीकरण, सैन्य विनिर्माण और जहाज निर्माण के लक्ष्यों का समर्थन करती है।
- यह जापान के सुरक्षित समुद्री व्यापार मार्गों और स्थिर हिंद-प्रशांत से जुड़े हितों को भी आगे बढ़ाती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बड़े आकार के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार का निम्न स्तर।
- नियामक बाधाएँ, जिनमें जापानी कंपनियों के लिए BIS अनुपालन और भारतीय निर्यात के लिए पादप-स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएँ शामिल हैं।
- मूल्य निर्धारण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और खरीद संबंधी मुद्दों के कारण रक्षा सह-उत्पादन में धीमी प्रगति।
- रणनीतिक दृष्टिकोण में अंतर, विशेष रूप से रूस से संबंधित प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर। भारत रणनीतिक स्वायत्तता का अनुसरण करता है, जबकि जापान G7 के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

भारत-यू.के. रक्षा और समुद्री साझेदारी

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने नई दिल्ली में आयोजित 25वीं भारत-यू.के. रक्षा परामर्श समूह (DCG) बैठक के दौरान अपनी द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की समीक्षा की।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **रक्षा औद्योगिक सहयोग:** दोनों पक्षों ने भारत-यू.के. विजन 2035 और 10-वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोडमैप के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास (R&D) में हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग पर जोर दिया गया।
- **समुद्री सुरक्षा:** दोनों देश भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के अंतर्गत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (RMSCE) स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत में क्षमता निर्माण, सूचना साझाकरण और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।
- **सैन्य सहयोग:** दोनों पक्षों ने अपने सशस्त्र बलों के बीच अंतर-संचालन क्षमता में सुधार के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहलों का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

संस्थागत ढाँचा

- रक्षा परामर्श समूह (DCG) भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर संवाद के लिए प्रमुख द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र है।
- भारत-यू.के. विजन 2035 रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के लिए दीर्घकालिक रोडमैप के रूप में कार्य करता है।
- 10-वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोडमैप का उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान, रक्षा विनिर्माण, प्रौद्योगिकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है।
- IPOI, जिसे भारत ने 2019 में प्रारंभ किया था, विषयगत स्तंभों और साझेदार-नेतृत्व वाले सहयोग के माध्यम से एक सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर हिंद-प्रशांत को बढ़ावा देने वाली सहयोगात्मक पहल है।

रणनीतिक महत्व

- यह रक्षा औद्योगिक सहयोग, अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी साझेदारी को मजबूत करता है।
- यह हिंद-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा, अंतर-संचालन क्षमता और क्षमता निर्माण को बढ़ाता है।
- यह क्षेत्रीय स्थिरता, साझा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति भारत-यू.के. की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- साझेदारी की दीर्घकालिक सफलता सहमत संस्थागत और औद्योगिक पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

25वीं भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता

भारत और चीन ने बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों (SR) की 25वीं दौर की वार्ता आयोजित की, जिसका उद्देश्य सीमा समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के तंत्र को मजबूत करना था।

प्रमुख परिणाम

- दोनों पक्षों ने सीमा निर्धारण में “शीघ्र और पर्याप्त प्रगति” हासिल करने की दिशा में प्रयास जारी रखने पर सहमति व्यक्त की, साथ ही एक न्यायसंगत, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा समाधान के लिए प्रयास जारी रखने की बात कही।
- दोनों पक्षों ने सीमा प्रश्न के समाधान के लिए 2005 के राजनीतिक मानदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) के अंतर्गत दो तंत्रों को मजबूत किया जाएगा:
 - ♦ सीमा निर्धारण पर विशेषज्ञ समूह
 - ♦ सीमा प्रबंधन पर कार्य समूह
- **दोनों देशों ने निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की:**
 - ♦ दो अतिरिक्त सैन्य बैठक बिंदु स्थापित करना।
 - ♦ पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में दो नई सैन्य हॉटलाइन स्थापित करना।
- सीमा घटनाओं का राजनयिक और सैन्य माध्यमों से शीघ्र समाधान करना।
- दोनों पक्षों ने तीन निर्धारित सीमा व्यापार बिंदुओं को दोबारा खोलने का स्वागत किया।
- सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा और जन-से-जन संपर्क का विस्तार करने पर सहमति बनी।
- दोनों देशों ने सीमा-पार नदियों पर अगली विशेषज्ञ-स्तरीय व्यवस्था आयोजित करने का निर्णय लिया, ताकि विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो) से संबंधित जलवैज्ञानिक सहयोग को मजबूत किया जा सके।
- 26वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता की मेजबानी भारत वर्ष 2027 में करेगा।

भारत-चीन सीमा विवाद

- विवाद लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी अविनिर्धारित सीमा से संबंधित है, जहाँ वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग धारणाएँ हैं।

- **पश्चिमी क्षेत्र:** अकसाई चिन, जो चीन के नियंत्रण में है लेकिन भारत इस पर दावा करता है।
- **पूर्वी क्षेत्र:** अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चीन जांगनान (दक्षिणी तिब्बत) के रूप में दावा करता है।
- **मध्य क्षेत्र:** हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित कुछ विवादित क्षेत्र।

महत्त्व

- यह विश्वास-निर्माण उपायों (CBMs) और संस्थागत संवाद को मजबूत करता है। इससे आकस्मिक सैन्य तनाव बढ़ने के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
- यह सीमा प्रबंधन, सीमा-पार नदियों, व्यापार और तीर्थयात्रा पर सहयोग का समर्थन करता है।
- यह द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक सामान्यीकरण के लिए परिस्थितियाँ तैयार करता है, जबकि दीर्घकालिक सीमा समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाए रखता है।

दक्षिण चीन सागर में चीन का सैन्य बुनियादी ढांचा विस्तार

हाल ही में उपग्रह चित्रों से संकेत मिला है कि चीन ने विवादित पैरासेल द्वीप समूह में सैन्य-उन्मुख बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई है। इसमें एंटीलोप रीफ पर एक बड़ा कृत्रिम द्वीप और यांगोंग आइलेट पर नई स्थापनाएँ शामिल हैं।

नवीनतम घटनाक्रम

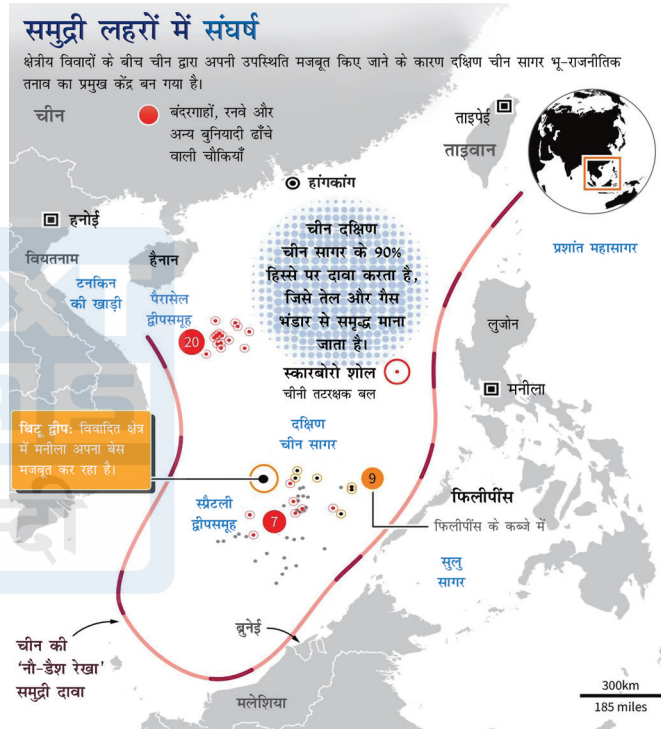
- चीन ने एंटीलोप रीफ पर भूमि पुनर्ग्रहण के पहले चरण को पूरा कर लिया है, जिससे लगभग 6 किलोमीटर लंबा कृत्रिम द्वीप तैयार हुआ है।
- इस द्वीप में गहरे पानी का बंदरगाह, घाट, हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्षेत्र और एक तैयार पट्टी शामिल है, जिसके बारे में विश्लेषकों का मानना है कि यह 3 किलोमीटर लंबे रनवे में विकसित हो सकती है।
- एंटीलोप रीफ से लगभग 14 किलोमीटर दूर यांगोंग आइलेट पर भी नई संरचनाएँ दिखाई दी हैं। इनके प्रारंभिक चेतावनी रडार और निगरानी प्रणालियों को सहायता देने की संभावना है।
- यह परियोजना 2017 के बाद दक्षिण चीन सागर में चीन के पहले बड़े कृत्रिम द्वीप निर्माण को दर्शाती है। इससे पहले 2013 के बाद बड़े पैमाने पर द्वीप निर्माण में तेजी आई थी।

पैरासेल द्वीप समूह

- पैरासेल द्वीप समूह में उत्तरी दक्षिण चीन सागर में लगभग 130 प्रवाल द्वीप और रीफ शामिल हैं।
- ये मध्य वियतनाम से लगभग 400 किलोमीटर पूर्व और चीन के हैनान द्वीप से 350 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं।
- चीन ने 1974 से इन द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखा है, लेकिन वियतनाम भी इन पर संप्रभुता का दावा करता है।
- व्यापक दक्षिण चीन सागर विवाद में चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान और इंडोनेशिया (नातुना विशेष आर्थिक क्षेत्र) शामिल हैं।

रणनीतिक महत्त्व

- यह चीन की खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) क्षमताओं को बढ़ाता है।
- रडार, हवाई पट्टियों, बंदरगाहों और मिसाइल-सहायक बुनियादी ढांचे को एकीकृत करके प्रवेश-निषेध/क्षेत्र-निषेध (A2/AD) क्षमताओं को मजबूत करता है।
- यह हैनान, जो चीन का एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा है, के साथ संपर्क को बेहतर करता है और उत्तरी दक्षिण चीन सागर में चीन की संचालन क्षमता का विस्तार करता है, जिसमें ताइवान से संबंधित संभावित आकस्मिक स्थिति भी शामिल है।
- इससे प्रतिद्वंद्वी दावेदार देशों पर दबाव बढ़ता है और अमेरिका-चीन की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और तीव्र होती है।



दक्षिण चीन सागर का महत्त्व

- दक्षिण चीन सागर (SCS) एक अर्ध-संलग्न समुद्र है, जो प्रशांत और हिंद महासागरों को जोड़ता है और वैश्विक समुद्री व्यापार के एक बड़े हिस्से का मार्ग है। यह तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों से समृद्ध है और इसका अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व है।
- 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के अंतर्गत तटीय देशों को 12 समुद्री मील का प्रादेशिक समुद्र और 200 समुद्री मील का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) प्राप्त होता है। चीन के व्यापक समुद्री दावों पर कई तटीय देशों द्वारा विवाद जताया जाता है।
- भारत दावेदार देश नहीं है, लेकिन नौवहन की स्वतंत्रता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और UNCLOS सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन का समर्थन करता है।
- बड़े पैमाने पर भूमि पुनर्ग्रहण से प्रवाल भित्तियों, समुद्री जैव विविधता और मत्स्य संसाधनों को भी खतरा होता है।

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन

भारत ने हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS) के शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के जनादेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

UNMISS परिचय

- UNMISS एक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन है, जिसे दक्षिण सूडान की 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1996 (2011) के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत कार्य करता है, जो इसे नागरिकों की सुरक्षा और अपने जनादेश को लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करने, जिसमें जहाँ अधिकृत हो वहाँ बल का प्रयोग भी शामिल है, का अधिकार देता है।
- मुख्यालय:** जुबा, दक्षिण सूडान।
- दिसंबर 2013 में गृह संघर्ष प्रारंभ होने के बाद, UNSC के प्रस्ताव 2155 (2014) ने मिशन की प्राथमिकताओं को नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता की ओर पुनर्निर्देशित किया।

जनादेश

- नागरिकों को हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना।
- मानवीय सहायता की सुरक्षित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- मानवाधिकारों तथा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघनों को बढ़ावा देना, निगरानी करना और उन पर ध्यान देना।
- शांति निर्माण, राजनीतिक संवाद, चुनाव, संक्रमणकालीन न्याय तथा सुरक्षा क्षेत्र एवं कानूनी सुधारों का समर्थन करना।
- मध्यस्थता और सद्भावना प्रयासों के माध्यम से संघर्ष को बढ़ने से रोकना।

भारत का योगदान

- अप्रैल 2026 तक, भारत UNMISS में सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला देश है, जिसके लगभग 1,775 सैन्य कर्मी तैनात हैं।
- लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम (भारत) UNMISS के बल कमांडर के रूप में कार्यरत हैं।
- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक बना हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन स्थापित करती है।
- पहला संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन 1948 में अरब-इजरायल युद्धविराम की निगरानी के लिए प्रारंभ किया गया था।
- ब्लू हेलमेट संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए सैन्य कर्मी होते हैं, जो तटस्थता के प्रतीक के रूप में हल्के नीले रंग के हेलमेट या बरेट पहनते हैं।

- मुख्य सिद्धांत हैं - पक्षों की सहमति, निष्पक्षता और आत्मरक्षा तथा जनादेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग न करना।
- UNMOGIP भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की स्थिति की निगरानी करता है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को 1988 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।

भारत-कुवैत संयुक्त रक्षा समिति

भारत और कुवैत ने नई दिल्ली में भारत-कुवैत संयुक्त रक्षा समिति (JDC) की उद्घाटन बैठक आयोजित की। इस बैठक ने 2024 के रक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU) को क्रियान्वित करने की शुरुआत की और दोनों देशों की द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

प्रमुख परिणाम

- दोनों पक्षों ने सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, सैन्य चिकित्सा, स्टाफ वार्ता, रक्षा उद्योग तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सहयोग मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
- JDC दीर्घकालिक रक्षा सहयोग और रणनीतिक सहभागिता को गहरा करने के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगा।

भारत-कुवैत संबंध

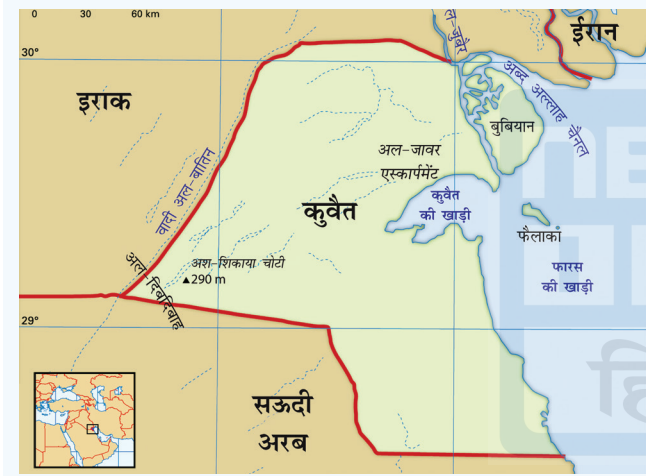
- वर्ष 1962 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे (PIB)
- वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया।
- वर्ष 2026-27 राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ है।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुवैत ने भारत की ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 3.5% पूरा किया। यह भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता और चौथा सबसे बड़ा LPG स्रोत था।
- द्विपक्षीय व्यापार 9.57 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारतीय निर्यात 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर था।
- कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं, जिससे वे वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय हैं। श्रम संबंधी मुद्दों को श्रम, रोजगार और जनशक्ति विकास पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) के माध्यम से संबोधित किया जाता है।

भारत के लिए महत्त्व

- ऊर्जा सुरक्षा:** कुवैत कच्चे तेल और LPG का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है।
- प्रवासी समुदाय:** बड़ा भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जन-से-जन संबंधों को मजबूत करता है और प्रेषण के माध्यम से योगदान देता है।
- रणनीतिक और रक्षा सहयोग:** फारस की खाड़ी में कुवैत की स्थिति समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग को बढ़ाती है तथा पश्चिम एशिया में भारत की भागीदारी को समर्थन देती है।

कुवैत

- **स्थान:** पश्चिमी एशिया में पूर्वी अरब के उत्तरी छोर पर स्थित देश, जो फारस की खाड़ी के तट पर है।
- **सीमाएँ:** उत्तर और पश्चिम में इराक, दक्षिण में सऊदी अरब और पूर्व में फारस की खाड़ी।
- **राजधानी:** कुवैत सिटी
- **जलवायु और भू-भाग:** मुख्य रूप से अरब मरुस्थल का हिस्सा है और यहाँ अत्यधिक शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ कोई स्थायी नदी या झील नहीं है; केवल मौसमी वाडियाँ हैं, जो आंतरिक बेसिनों में समाप्त होती हैं।
- **प्राकृतिक संसाधन:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से समृद्ध।
- **सदस्यता:** खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), अरब लीग, इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) और OPECA



- ICERD को 1965 में अपनाया गया और यह 1969 में लागू हुआ।
- समिति को प्रशासनिक सहायता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्य

- सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक और आवधिक रिपोर्टों की उनके प्रतिनिधि मंडलों के साथ रचनात्मक संवाद के माध्यम से समीक्षा करना।
- निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ जारी करना, जिनमें उपलब्धियों, चिंताओं और सिफारिशों को रेखांकित किया जाता है।
- नस्लीय और जातीय संघर्षों को रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी और तत्काल कार्रवाई प्रक्रियाओं का संचालन करना।
- अंतर-राज्यीय शिकायतों और व्यक्तिगत संचारों की जाँच करना, जहाँ किसी सदस्य देश ने ICERD के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समिति की क्षमता को मान्यता दी हो।

UNCERD और भारत

- भारत ने रंगभेद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष के दौरान इस अभिसमय का सक्रिय रूप से समर्थन किया।
- भारत ने 1967 में ICERD पर हस्ताक्षर किए और 1968 में इसका अनुमोदन किया।
- भारत का संवैधानिक ढाँचा अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 के साथ-साथ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के माध्यम से ICERD के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है।
- भारत ICERD के अनुच्छेद 11-13 के अंतर्गत अनिवार्य अंतर-राज्यीय शिकायत तंत्र के अधीन है, लेकिन उसने अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वैकल्पिक घोषणा नहीं की है।
 - ♦ इसका अर्थ है कि वह व्यक्तिगत या समूह संचार प्राप्त करने के लिए समिति की क्षमता को मान्यता नहीं देता।
- भारत का मत है कि जाति-आधारित भेदभाव सामाजिक स्तरीकरण का विषय है, जिसे उसके संवैधानिक और कानूनी ढाँचे के अंतर्गत संबोधित किया जाता है, न कि ICERD के अंतर्गत नस्लीय भेदभाव के रूप में।
- सदस्य देश अभिसमय के उनके लिए लागू होने के एक वर्ष के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसके बाद हर दो वर्ष में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति

भारत ने जिनेवा में अपनी 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (UNCERD) द्वारा की गई टिप्पणियों को “राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण” बताते हुए खारिज कर दिया।

UNCERD का परिचय

- UNCERD (CERD) एक स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि निकाय है, जिसमें 18 स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं, जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करते हैं। यह ICERD के सदस्य देशों द्वारा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) ने 1 अगस्त 2026 को अपने कार्यान्वयन का एक वर्ष पूरा किया।

परिचय

- PM-VBRY एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा EPFO के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
- योजना की कार्यान्वयन अवधि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक है।
- उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार प्राप्त करने को बढ़ावा देना, अतिरिक्त औपचारिक रोजगार सृजित करना, EPFO-आधारित सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना तथा सभी क्षेत्रों में रोजगार को मजबूत करना है, जिसमें श्रम-प्रधान विनिर्माण पर विशेष जोर दिया गया है।
- योजना का लक्ष्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है, जिसमें 1.92 करोड़ पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी शामिल हैं।

प्रोत्साहन संरचना

पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए

- 1 लाख रुपये प्रति माह तक आय वाले कर्मचारियों को एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जो एक महीने के EPF वेतन के बराबर होगा। इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है।
- पहली किस्त छह महीने की निरंतर सेवा के बाद दी जाती है।
- दूसरी किस्त बारह महीने की निरंतर सेवा पूरी करने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाती है।
- दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की एक राशि निर्दिष्ट बचत साधन में जमा की जाती है।

नियोक्ताओं के लिए

- नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये प्रति माह तक कमाने वाले और कम से कम छह महीने तक बनाए रखे गए प्रत्येक पात्र अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलता है।
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान भी जारी रहता है।

कार्यान्वयन

- यह योजना आधार प्रमाणीकरण, सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN), इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) दाखिल करने तथा UMANG ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करने वाले पूरी तरह डिजिटल EPFO मंच के माध्यम से संचालित होती है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभ सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं।

- PM-VBRY पोर्टल लाभार्थियों और क्षेत्रवार प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाता है।
- EPFO, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और मुख्य श्रम आयुक्त (CLC) देशव्यापी जागरूकता और पहुँच कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वयन में सहयोग करते हैं।

प्रगति

- अपने पहले वर्ष के दौरान, योजना ने EPFO पंजीकरण के माध्यम से अधिक श्रमिकों को संगठित कार्यबल में शामिल करके रोजगार के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित किया।
- 72 लाख से अधिक पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी औपचारिक कार्यबल में शामिल हुए।
- 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन प्राप्त हुए।
- लगभग 30% लाभार्थी महिलाएँ हैं, जो औपचारिक रोजगार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

भाग A

पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन
EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को ₹15,000 तक का प्रोत्साहन।

₹1 लाख तक के सकल वेतन वाले कर्मचारी पात्र हैं।

कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम।

भाग B

नियोक्ताओं को सहायता
अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन।

सभी क्षेत्रों के नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक प्रोत्साहन; विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 वर्षों तक।

नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए प्रति माह ₹3,000 तक मिलेंगे।

PM-VBRY का एक वर्ष



अगस्त 2025 से 72 लाख+
पहली बार रोजगार पाने वाले
कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल
में शामिल किया गया।

लगभग 30%
लाभार्थी महिलाएँ हैं।



जून 2026 में
₹2,400 करोड़+
वितरित किए गए।

15 लाख+
लाभार्थियों को प्रोत्साहन
राशि मिली।



मार्च 2026 में
वितरण: ₹462 करोड़
जारी किए गए।

लगभग 6.46 लाख
अतिरिक्त कर्मचारियों
को सहायता मिली।



कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 2026

संसद ने कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 2026 पारित किया है, जिसने कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का स्थान लिया है।

परिचय

- यह अधिनियम आयकर अधिनियम, 2025, वित्त अधिनियम, 2026 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करता है।

प्रमुख प्रावधान

- सरकारी प्रतिभूतियाँ:** विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) को सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज आय और पूँजीगत लाभ पर आयकर से छूट दी गई है।
- हीरा क्षेत्र:** पात्र विदेशी हीरा खनन कंपनियों, साइटहोल्डर्स, दलालों, एग्रीगेटर्स और नीलामी संस्थाओं को अधिसूचित विशेष क्षेत्रों में कच्चे हीरों की बिक्री से अर्जित आय पर कर से छूट दी गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण:** सीमा शुल्क बंधित गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के भंडारण तथा मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर और उनके उप-संयोजनों/घटकों के भारतीय अनुबंध निर्माताओं को पूँजीगत वस्तुओं की आपूर्ति से होने वाली निर्दिष्ट आय को कर से छूट दी गई है।
- विदेशी निवेश कोष:** भारत से प्रबंधित विदेशी निवेश कोषों के लिए कई पात्रता शर्तों में छूट दी गई है, जबकि अनुकूल कर व्यवस्था को बरकरार रखा गया है।
- व्यावसायिक न्यास:** रियल एस्टेट निवेश न्यास (REITs) और अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs) के विशेष प्रयोजन माध्यमों (SPVs) पर अधिभार को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। साथ ही, पात्र लाभांश आय को, जो इकाई धारकों को प्राप्त होती है, कर से छूट दी गई है।
- डेटा केंद्र:** पट्टे पर लिए गए और संचालित भारतीय डेटा केंद्रों से प्राप्त सेवाओं पर कर छूट का विस्तार किया गया है तथा पात्र विदेशी कंपनियों के लिए कुछ अनुमोदन आवश्यकताओं को हटा दिया गया है।
- डिजिटल भुगतान:** वैधानिक शून्य-मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) प्रावधान को हटा दिया गया है, जिससे केंद्र सरकार को UPI सहित अधिसूचित डिजिटल भुगतान माध्यमों पर शुल्क की अनुमति देने का अधिकार मिल गया है। MDR वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए व्यापारियों से लिया जाता है।

महत्व

- यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डेटा केंद्र, निवेश कोष प्रबंधन और कारोबार करने में सुगमता को मजबूत करता है।

चिंताएँ

- कर प्रोत्साहन से अल्पावधि में सरकारी राजस्व में कमी आ सकती है और कर बचाव तथा राउंड-ट्रिपिंग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी।

पॉलिमर बैंकनोट

सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के पॉलिमर बैंकनोट प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

परिचय

- इन्हें प्लास्टिक बैंकनोट के नाम से भी जाना जाता है।
- पारंपरिक कपास-आधारित बैंकनोटों के विपरीत, ये गंदगी, नमी और फटने के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, जिससे इनका जीवनकाल लंबा होता है।
- इनमें उन्नत सुरक्षा विशेषताएँ शामिल होती हैं, जिससे जालसाजी करना अधिक कठिन हो जाता है।
- ऑस्ट्रेलिया 1988 में पॉलिमर मुद्रा प्रारंभ करने वाला पहला देश था।
- 60 से अधिक देश, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम शामिल हैं, पूर्ण या आंशिक रूप से पॉलिमर नोटों का उपयोग करते हैं।

भारत का पिछला परीक्षण

- वर्ष 2012 में RBI ने विभिन्न जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कोच्चि, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला में ₹10 के पॉलिमर बैंकनोटों का प्रायोगिक परीक्षण किया था।
- परिचालन और एटीएम से संबंधित चुनौतियों के कारण इस पहल को बंद कर दिया गया।

‘समुद्र मंथन’ - राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2030-31 तक कार्यान्वयन के लिए ₹84,084 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय के साथ ‘समुद्र मंथन’ - राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी है।

परिचय

- प्रकृति:** केंद्रीय क्षेत्र योजना।
- मंत्रालय:** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
- उद्देश्य:** भारत की अपतटीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और विकसित भारत के लक्ष्य में सहायता करना।
- लक्ष्य:** 600 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक तेल समतुल्य (MMTOE) के अपतटीय भंडार का उपयोग करके तथा घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना।

घटक

- आधुनिक अपतटीय भूकंपीय आँकड़ों का अधिग्रहण और प्रसंस्करण।
- 60 गहरे पानी वाले अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग। सरकार पात्र ड्रिलिंग लागत का अधिकतम 50% या प्रति कुआँ ₹675 करोड़, जो भी कम हो, तक सहायता प्रदान करेगी।
- खोजों के व्यावसायीकरण को सुगम बनाने के लिए साझा अपतटीय बुनियादी ढाँचा केंद्रों का विकास।
- तेल और गैस विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों की स्थापना।

अपतटीय अन्वेषण

- समुद्र तल के नीचे प्राकृतिक संसाधनों, मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और समुद्र तल के खनिजों की खोज।
- इसमें वाणिज्यिक ड्रिलिंग या निष्कर्षण से पहले संभावित भंडार का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने के लिए भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग किया जाता है।

भारत समुद्री बीमा पूल (BMIP)

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने भारत समुद्री बीमा पूल (BMIP) के अंतर्गत भारत का पहला संप्रभु-समर्थित प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) बीमा उत्पाद प्रारंभ किया है।

उद्देश्य

- समुद्री युद्ध जोखिम बीमा कवरेज की निरंतरता सुनिश्चित करना।
- घरेलू बीमा जोखिम-निर्धारण क्षमता विकसित करना।
- भारत के नौवहन और व्यापार से जुड़े हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ाना।

प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) कवर

- इसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है।
- यह तीसरे पक्ष की देनदारियों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
 - ♦ चालक दल और माल संबंधी देयता
 - ♦ प्रदूषण संबंधी देयता
 - ♦ मलबा हटाना
- 24x7 बंदरगाह संवाददाता नेटवर्क प्रदान करता है।
- **क्षतिपूर्ति सीमा:** पूल की संयुक्त क्षमता के माध्यम से 1.5 बिलियन डॉलर तक।

भारत समुद्री बीमा पूल (BMIP)

- **अनुमोदन:** केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अप्रैल 2026 में।
- **समर्थन:** ₹12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी द्वारा।
- **उद्देश्य:** भारतीय ध्वज वाले/भारतीय नियंत्रण वाले जहाजों तथा भारत से आने-जाने वाले माल को ले जाने वाले जहाजों को, उच्च जोखिम वाले भू-राजनीतिक क्षेत्रों सहित, निर्बाध और किफायती समुद्री बीमा कवरेज प्रदान करना।
 - ♦ यह तीसरे पक्ष की देयता बीमा के लिए भारत की विदेशी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (IGP&I) क्लबों पर निर्भरता को कम करता है।
- **कवरेज:** जहाज का ढाँचा एवं मशीनरी, माल, प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) तथा युद्ध जोखिम। सदस्य बीमाकर्ता कुल ₹950 करोड़ की बीमा जोखिम-निर्धारण क्षमता के साथ पॉलिसियों का बीमा-जोखिम वहन करेंगे।

ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स

ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड (BISL) ने एक बार फिर भारतीय सरकारी बॉन्ड को ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने को स्थगित कर दिया है।

परिचय

- यह ब्लूमबर्ग का प्रमुख वैश्विक निवेश-ग्रेड बॉन्ड सूचकांक है।
- यह विकसित और उभरते बाजारों में सरकारी, कॉर्पोरेट और प्रतिभूतिकृत बॉन्ड को ट्रैक करता है।
- यह वैश्विक निश्चित-आय निवेशकों और निष्क्रिय निवेश कोषों के लिए एक मानक के रूप में कार्य करता है।
- सूचकांक में शामिल देशों के बॉन्ड बाजार आमतौर पर अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करते हैं।

एग्रीवोल्टाइक्स: AI बुनियादी ढाँचे को सतत् रूप से ऊर्जा प्रदान करना

विशाखापत्तनम में प्रस्तावित गूगल AI डेटा सेंटर ने AI बुनियादी ढाँचे की बढ़ती ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए एक सतत् समाधान के रूप में एग्रीवोल्टाइक्स की अवधारणा को चर्चा में ला दिया है।

परिचय

- इसे एग्री-फोटोवोल्टाइक्स (APV) के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक भूमि-उपयोग प्रणाली है, जिसमें एक ही भूमि पर कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन एक साथ किया जाता है।
- सौर पैनल लगभग 10-12 फीट की ऊँचाई पर लगाए जाते हैं, जिससे उनके नीचे कृषि गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं।
- इससे एक ही भूमि पर खाद्य और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों का उत्पादन संभव होता है, जिससे भूमि-उपयोग दक्षता और किसानों की आय में सुधार होता है।
- **सरकारी सहायता:** PM-KUSUM (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन और कृषि के सौरकरण को बढ़ावा देता है।

भौगोलिक संकेतक (GI)

GI टैग भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर उत्पन्न करने के एक साधन के रूप में उभरे हैं।

परिचय

- यह उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक उद्गम होता है और जिनमें उस उद्गम के कारण विशेष गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- इस संकेत से किसी उत्पाद की पहचान किसी विशेष स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पाद के रूप में होनी चाहिए।

- आमतौर पर इसका उपयोग कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, वाइन और मादक पेय पदार्थों, हस्तशिल्प तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है।
- पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय भारत का GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद था।
- **महत्त्व:** यह प्रामाणिकता की मुहर के रूप में कार्य करता है तथा उत्पादों को नकल, दुरुपयोग और अनधिकृत व्यावसायीकरण से सुरक्षित करता है।

GI पंजीकरण के आधार पर शीर्ष 10 राज्य

उत्तर प्रदेश	81
तमिलनाडु	76
महाराष्ट्र	55
कर्नाटक	49
असम	42
केरल	41
पश्चिम बंगाल	36
गुजरात	30
मध्य प्रदेश	30
उत्तराखंड	29

जीआई का विनियमन:

- ♦ इसे औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमय तथा विश्व व्यापार संगठन के व्यापार-संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) संबंधी समझौते के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
- ♦ भारत में पंजीकरण और संरक्षण वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 तथा 2002 में अधिसूचित नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- ♦ GI पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है।
- ♦ वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 में 2025 में संशोधन किया गया।

GI में अपवर्जन: क्या पंजीकृत नहीं किया जा सकता

- ऐसे सामान्य उत्पाद नाम, जो अपने मूल देश में अब संरक्षित नहीं हैं।
- ऐसे संकेत जो उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं या किसी भिन्न भौगोलिक उद्गम का झूठा संकेत देते हैं।
- ऐसे संकेत जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं या जिनमें निंदनीय, आपत्तिजनक अथवा अश्लील सामग्री होती है।
- ऐसे संकेत जो कानूनी संरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं या लागू किसी कानून का उल्लंघन करते हैं।

GeM का परिचय

- **परिचय:** GeM केंद्र और राज्य सरकारों, मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, पंचायतों और सहकारी समितियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल है।
- **शुरुआत एवं प्रशासन:** इसे 2016 में प्रारंभ किया गया था और इसका संचालन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन 100% सरकारी स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV) GeM द्वारा किया जाता है।
- **अनिवार्य खरीद:** 2017 में वित्त मंत्रालय ने सरकारी खरीदारों के लिए GeM के माध्यम से खरीद को अनिवार्य कर दिया।
- **मुख्य सिद्धांत:** पारदर्शिता, दक्षता, समावेशिता, प्रतिस्पर्धा और धन का उचित मूल्य।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - ♦ कागजरहित, नकदीरहित और संपर्करहित खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
 - ♦ विक्रेता पंजीकरण से लेकर भुगतान तक पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है।
 - ♦ प्रत्यक्ष खरीद, तुलना, ई-बोली और रिवर्स नीलामी की सुविधा देता है।
 - ♦ कार्टेल गठन, मिलीभगत और ऑर्डर विभाजन का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग करता है।
 - ♦ सूचित खरीद के लिए GeM उपलब्धता रिपोर्ट, पिछला लेनदेन सारांश, अंतिम खरीद मूल्य और मूल्य प्रवृत्ति विश्लेषण जैसे उपकरण प्रदान करता है।
 - ♦ एकीकृत सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए CPPP, IREPS और DPPP के साथ एकीकृत है।

GeM के मुख्य सिद्धांत

पारदर्शिता	विक्रेताओं, वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जरूरी जानकारी उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से खोजने योग्य और उपलब्ध होगी।
निष्पक्षता	GeM बड़े और छोटे सभी विक्रेताओं को सरकारी खरीदारों तक सीधे पहुँचने का अवसर देता है।
समावेशिता	सरकार के साथ व्यापार करने में रुचि रखने वाले सभी विक्रेताओं का प्लेटफॉर्म पर स्वागत किया जाएगा।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- 3.78 करोड़ से अधिक ऑर्डरों के माध्यम से कुल 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) सुगम बनाया।
- पहले 10 लाख करोड़ रुपये का GMV आठ वर्षों से अधिक समय में प्राप्त किया गया, जबकि अगले 10 लाख करोड़ रुपये दो वर्षों से भी कम समय में जोड़े गए।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM)

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने 9 अगस्त 2026 को अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे किए, जो डिजिटल तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में बदलाव के एक दशक का प्रतीक है।

- 1.37 लाख खरीदार संगठनों और 25.45 लाख से अधिक पंजीकृत विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं तक विस्तार हुआ।
- 10,660 से अधिक उत्पाद श्रेणियाँ और 350 से अधिक सेवा श्रेणियाँ उपलब्ध हैं।
- अगस्त 2026 तक रक्षा मामलों के विभाग ने GeM के माध्यम से 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का GMV पार कर लिया।

प्रमुख पहल और समावेशी खरीद

- GeMSahay पात्र विक्रेताओं को तत्काल बिना किसी संपार्श्विक के कार्यशील पूँजी ऋण उपलब्ध कराता है।
- SWAYATT स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- Womaniya, SARAS Collection और Startup Runway 2.0 जैसे समर्पित मंच बाजार तक पहुँच में सुधार करते हैं।
- CSC-SPV के साथ स्थापित GeM सुविधा केंद्र पंजीकरण, प्रशिक्षण और शिकायत निवारण में सहायता करते हैं।
- AJNIFM, NCGG, IIPA और CareEdge Ratings के साथ साझेदारी तथा EPFO एकीकरण क्षमता निर्माण, नीतिगत सहायता और अनुपालन को मजबूत करते हैं।
- GeM डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और कारोबार करने में सुगमता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है।
- वर्ष 2025-26 में, GeM ने 11 लाख से अधिक MSEs से ₹2.36 लाख करोड़ से अधिक, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों से ₹28,000 करोड़ से अधिक, SC/ST उद्यमों से ₹6,000 करोड़ से अधिक तथा स्टार्टअप्स से ₹19,000 करोड़ से अधिक की खरीद को सक्षम बनाया।

कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना

केंद्र सरकार ने भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (CMAS) प्रस्तावित की है।

CMAS का परिचय

- **परिचय:** CMAS बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।
- **परिव्यय:** योजना के अंतर्गत पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ के प्रस्तावित आवंटन का प्रावधान है।
- **उद्देश्य:** मूल्य शृंखला में वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी अपनाने और निवेश के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी घरेलू कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- **क्षमता विस्तार:** यह नई ग्रीनफील्ड विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और वर्तमान ब्राउनफील्ड इकाइयों के विस्तार को समर्थन देती है।
- **उत्पादन लक्ष्य:** इसका लक्ष्य भारत की वार्षिक कंटेनर विनिर्माण क्षमता को 7.5 लाख ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (TEUs) तक बढ़ाना है, जो वर्तमान क्षमता से लगभग 10 गुना है।

वित्तीय सहायता:

- ♦ ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए पूँजीगत सहायता।
- ♦ ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए सहायता।
- ♦ घरेलू निर्माताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए परिचालन सहायता।
- **पारिस्थितिकी तंत्र का विकास:** यह कंटेनर विनिर्माण मूल्य शृंखला को मजबूत करने के लिए परीक्षण एवं प्रमाणन बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देती है।
- **आर्थिक महत्त्व:** इससे लगभग ₹80,000 करोड़ के बाजार अवसर के सृजन की उम्मीद है और भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिपिंग कंटेनरों के विश्वसनीय उत्पादक के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- **रणनीतिक महत्त्व:** CMAS का उद्देश्य आयातित कंटेनरों पर निर्भरता कम करना, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लचीलेपन में सुधार करना, समुद्री आत्मनिर्भरता को मजबूत करना तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
- **नीतिगत समन्वय:** यह योजना मेक इन इंडिया, मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 और बहुविध लॉजिस्टिक्स विकास के पूरक के रूप में कार्य करती है, जिससे भारत की दीर्घकालिक समुद्री और लॉजिस्टिक्स क्षमताओं में वृद्धि होगी।

MSME सतत् (ZED) प्रमाणन योजना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय MSME सतत् (शून्य दोष, शून्य प्रभाव - ZED) प्रमाणन योजना के माध्यम से गुणवत्ता-आधारित और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है।

परिचय

- यह MSMEs को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करने तथा अपने पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- यह उद्यमों को गुणवत्ता, उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी, प्रणालियों और विनिर्माण प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार करने में सहायता करती है।
- **पात्रता:** MSME मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत सभी MSMEs इस योजना में भाग लेने और संबंधित लाभ एवं प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं।
- यह कांस्य, रजत और स्वर्ण प्रमाणन प्रदान करती है, जिससे MSMEs अपने गुणवत्ता और स्थिरता मानकों में क्रमिक रूप से सुधार कर सकते हैं।
- **पात्र उद्यम निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं:**
 - ♦ परीक्षण, प्रणाली या उत्पाद प्रमाणन की लागत का 75% तक, अधिकतम ₹50,000 की सीमा के अधीन।
 - ♦ परामर्श और मार्गदर्शन सहायता के लिए ₹2 लाख तक।
 - ♦ स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, प्रदूषण नियंत्रण उपायों और शून्य प्रभाव समाधानों को अपनाने के लिए ₹3 लाख तक।
- **महिला-स्वामित्व वाले MSMEs:** नवंबर 2023 से सरकार ZED प्रमाणन की लागत पर 100% सब्सिडी प्रदान करती है।

मिथिला मखाना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने बिहार से ऑस्ट्रेलिया के लिए जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप भेजने में सहायता की है।

परिचय

- मखाना, जिसे फॉक्स नट या गोरगन नट भी कहा जाता है, काँटेदार जल लिली (*Euryale ferox*) का बीज है, जो तालाबों और आर्द्रभूमियों जैसे स्थिर मोटे पानी के स्रोतों में उगता है।
- इसे इसके गहरे बाहरी आवरण के कारण लोकप्रिय रूप से “ब्लैक डायमंड” कहा जाता है, जो प्रसंस्करण के बाद सफेद हो जाता है।
- मिथिला मखाना को 2022 में GI टैग प्राप्त हुआ, जिससे यह उत्पाद बिहार के मिथिला क्षेत्र, विशेष रूप से दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया से जुड़ गया।

मखाना बोर्ड

- केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को मजबूत करने के लिए मखाना बोर्ड तथा एक राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई।
- भारत के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 85% है। मखाना सरकार की एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के अंतर्गत भी शामिल है।
- बोर्ड चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड और हल्दी बोर्ड जैसे संस्थानों के समान क्षेत्र-विशिष्ट मॉडल का अनुसरण करता है।

भारत की क्रिएटर्स अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के पास रचनात्मक प्रतिभा का एक असाधारण भंडार है, जिसका उपयोग सामग्री निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।

परिचय

- यह एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को संदर्भित करती है, जिसमें व्यक्ति पारंपरिक मध्यस्थों के बिना, अक्सर सीधे दर्शकों तक पहुँचते हुए, डिजिटल मंचों का उपयोग करके सामग्री, कौशल या प्रभाव का निर्माण, वितरण और मुद्राकरण करते हैं।
- प्रमुख घटक:**
 - क्रिएटर्स:** यूट्यूबर, पॉडकास्टर, ब्लॉगर, प्रभावशाली व्यक्ति, शिक्षक, गेमर और कलाकार।
 - मंच:** यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स आदि।
 - मुद्राकरण के साधन:** विज्ञापन, ब्रांड प्रायोजन, सदस्यता, टिप्स, NFTs और व्यापारिक वस्तुएँ।
 - दर्शक/समुदाय:** फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर और विशिष्ट समुदाय।
 - सहायक साधन:** भुगतान गेटवे, विश्लेषण उपकरण, AI उपकरण और क्रिएटर प्रबंधन एजेंसियाँ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत 1.25 करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक मकान पूरे करके लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

PMAY-U का परिचय

- इसे भारत में शहरी आवास व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से 2015 में प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य शहरी प्रवासियों और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।
- यह निम्नलिखित वर्गों के सामने आने वाली आवास की कमी को संबोधित करती है:
 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
 - निम्न आय वर्ग (LIG)
 - मध्यम आय वर्ग (MIG)
 - झुग्गी-बस्ती में रहने वाले लोग।
- उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र शहरी परिवारों को स्थायी और टिकाऊ आवास की सुविधा उपलब्ध हो।



बेहतर अरहर की किस्में

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने अरहर (*Cajanus cajan* L. Millsp.) की 'आशा' किस्म का भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड टेलोमियर-टू-टेलोमियर (T2T) संदर्भ जीनोम विकसित किया है।

अरहर (Pigeonpea)

- वैज्ञानिक नाम:** *Cajanus cajan*

- यह एक प्रमुख दलहनी फसल है, जिसकी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, मुख्यतः वर्षा-आधारित परिस्थितियों, में व्यापक रूप से खेती की जाती है।
- यह अनियमित वर्षा, खराब पौध स्थापना तथा अंकुरण के दौरान नमी के तनाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- **वैश्विक उत्पादक:** म्यांमार, मलावी, केन्या, युगांडा, हैती, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और नेपाल।
- **भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और झारखंड।
- इसे लोकप्रिय रूप से 'अरहर' या 'तूर' के नाम से जाना जाता है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी

- **टेलोमियर:** गुणसूत्रों के सिरों पर पाए जाने वाले दोहराए जाने वाले DNA अनुक्रम, जो उनकी स्थिरता और अखंडता बनाए रखते हैं।
- प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ ये छोटे होते जाते हैं और जब ये एक महत्वपूर्ण लंबाई तक पहुँच जाते हैं, तो कोशिकाएँ विभाजित होना बंद कर देती हैं।
- अत्यधिक दोहराव वाले DNA के कारण पारंपरिक विधियों का उपयोग करके इनका अनुक्रमण करना कठिन होता है।
- **टेलोमियर-टू-टेलोमियर (T2T) जीनोम:**
 - ♦ एक टेलोमियर से दूसरे टेलोमियर तक बिना किसी अंतराल के पूर्ण और अत्यधिक सटीक जीनोम अनुक्रम।
 - ♦ T2T-CHM13 मानव जीनोम ने पहले से अनुपस्थित क्षेत्रों, जैसे दोहराव वाले DNA और सेंट्रोमरिक क्षेत्रों, का समाधान किया।

दलहन में 'आत्मनिर्भरता' के लिए मिशन

- **अवधि:** 2025-26 से 2030-31
- **उद्देश्य:** दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना।
- यह उन्नत बीजों, क्षेत्र विस्तार, प्रौद्योगिकी अपनाने, सुनिश्चित खरीद और फसल कटाई के बाद के मजबूत बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है।
- अनुसंधान, बीज प्रणालियों और विस्तार सेवाओं के माध्यम से 2030-31 तक दलहन उत्पादन को लगभग 35 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

आरबीआई के नए ऋण वसूली नियम

आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों और बाहरी वसूली एजेंटों द्वारा अपनाई जाने वाली ऋण वसूली प्रथाओं के संबंध में व्यापक नियम जारी किए हैं।

नए नियम

- उधारकर्ताओं को उत्पीड़न से बचाते हुए ऋण वसूली की प्रथाओं को विनियमित करता है।
- 1 जनवरी 2027 से प्रभावी।

- बैंक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित उपकरणों पर प्रौद्योगिकी-आधारित प्रतिबंधों के संबंध में यह पहला विस्तृत नियामक ढाँचा है।

प्रमुख प्रावधान

- **उपकरण लॉक करना नहीं:** उपकरणों को दूरस्थ रूप से लॉक करना या उन पर प्रतिबंध लगाना प्रतिबंधित है, जब तक कि ऋण विशेष रूप से उस उपकरण के लिए वित्तपोषित न किया गया हो।
- **उत्पीड़न नहीं:** वसूली एजेंटों द्वारा दुर्व्यवहार, धमकी, डराना-धमकाना या सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना प्रतिबंधित है।
- **गोपनीयता की सुरक्षा:** वसूली के लिए संपर्कों, फोटो, संदेशों, कॉल रिकॉर्ड या स्थान संबंधी आँकड़ों तक पहुँच नहीं हो सकती।
- **सीमित आँकड़ा साझा करना:** केवल उतनी ही जानकारी साझा की जा सकती है, जितनी ऋण वसूली के लिए आवश्यक हो।
- **उधारकर्ता की देयता:** EMI, बकाया ऋण और ब्याज का भुगतान करना जारी रहेगा।
- **चूक:** ऋण भुगतान में चूक के कारण कानूनी और क्रेडिट स्कोर संबंधी प्रभाव जारी रहेंगे।

आरबीआई नियम	उधारकर्ताओं के लिए व्याख्या
व्यक्तिगत उपकरण	असंबंधित ऋण की वसूली के लिए व्यक्तिगत उपकरणों को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता।
वित्तपोषित उपकरण	आरबीआई के सुरक्षा उपायों के अधीन प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
नोटिस अवधि	प्रतिबंध लगाने से पहले उधारकर्ता को उचित सूचना दी जानी चाहिए।
30 दिन की बकाया अवधि	इस चरण से पहले उपकरण पर प्रतिबंध प्रारंभ नहीं किया जा सकता।
60 दिन की बकाया अवधि	ऋण समझौते के अनुसार पूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
आवश्यक कार्य	आने वाली कॉल, SMS और आपातकालीन SOS सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए।
व्यक्तिगत आँकड़े	वसूली के लिए संपर्क, फोटो, SMS, कॉल लॉग और स्थान इतिहास तक पहुँच नहीं की जा सकती।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

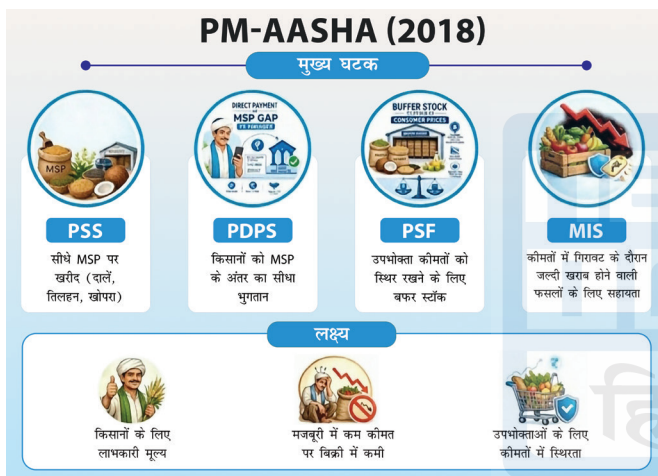
पीएम-आशा सुनिश्चित खरीद, मूल्य स्थिरीकरण और प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को सहायता देने के लिए एक मजबूत और सुव्यवस्थित तंत्र के रूप में उभरा है।

पीएम-आशा (PM-AASHA) का परिचय

- सुनिश्चित खरीद, मूल्य स्थिरीकरण और बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को सहायता देने का तंत्र।
- सितंबर 2018 में प्रारंभ।
- किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से सुरक्षा।
- किसान आय और उपभोक्ता मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करना।

घटक

- **मूल्य समर्थन योजना (PSS):** दलहन, तिलहन और खोपरा की MSP पर खरीद।
- **वर्ष 2024-25 से:** अरहर, उड़द और मसूर की राज्य उत्पादन की 100% तक खरीद।
- **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF):** मूल्य स्थिरता के लिए दलहन, प्याज और आलू का बफर स्टॉक।
- **मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS):** किसानों को MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान मुख्य रूप से तिलहन के लिए। इसमें भौतिक खरीद नहीं की जाती।
- **बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS):** कीमतों में भारी गिरावट या अत्यधिक आपूर्ति के दौरान टमाटर, प्याज और आलू जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए सहायता।

**कोर क्षेत्र की वृद्धि में मंदी**

भारत के कोर औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि जून में 6% से घटकर जुलाई 2026 में 5.4% हो गई।

परिचय

- **नौ कोर उद्योग हैं** – कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, लौह अयस्क और बिजली।
- मंदी मुख्य रूप से उर्वरक, लौह अयस्क और इस्पात के कारण रही।
- प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन में लगातार संकुचन देखा गया।

कोर उद्योग सूचकांक (ICI)

- यह उत्पादन मात्रा का सूचकांक है, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जारी होने से पहले कोर उद्योगों के उत्पादन प्रदर्शन का अग्रिम संकेत प्रदान करता है।
- **संकलन:** भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA) द्वारा।

GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)

GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपेक्षा से कम मामले दायर किए गए।

GSTAT का परिचय

- CGST अधिनियम, 2017 के अंतर्गत एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक निकाय।
- GST विवादों के लिए दूसरा अपीलीय प्राधिकरण।
- करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच विवादों के लिए एकीकृत मंच।
- **पहला अपीलीय प्राधिकरण:** आयुक्त (अपील) स्तर का अधिकारी।
- **GSTAT ई-फाइलिंग पोर्टल:** 2025 से संचालित।
- **समय-सीमा से बाहर हो चुकी अपीलों की अंतिम तिथि:** 31 जुलाई 2026

टोकन प्रणाली

- राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद प्रारंभ की गई।
- 31 जुलाई की समय-सीमा के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय ई-फाइलिंग पोर्टल पर टोकन बना सकते थे।
- **टोकन निर्माण:** अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामला दायर करने के लिए 60 दिनों की अनुमति।

ई-श्रम पोर्टल के 5 वर्ष

ई-श्रम पोर्टल ने पाँच वर्ष पूरे किए हैं, जो भारत के असंगठित कार्यबल की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

परिचय

- वर्ष 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित।
- भारत का पहला आधार-आधारित असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस।
- पंजीकृत श्रमिकों के लिए विशिष्ट 12 अंकों की सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN)
- कल्याण, रोजगार, कौशल विकास, प्रशिक्षण और पेंशन सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल मंच।

पात्रता

- 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।
- आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- EPFO या ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए।

कवरेज

- निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग और मंच श्रमिक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, घरेलू श्रमिक, कृषि श्रमिक और अन्य असंगठित श्रमिक।

उद्देश्य

- **कल्याणकारी योजनाओं का अभिसरण:** विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण।

- **आँकड़ा साझा करना:** API के माध्यम से सुरक्षित श्रमिक आँकड़ा साझा करना।
- **पोर्टेबिलिटी:** सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता।
- **राष्ट्रीय डेटाबेस:** आपातकाल और आपदाओं के दौरान त्वरित तैयारी और प्रतिक्रिया।

सेबी का आईटी लचीलापन सूचकांक (ITRI)

सेबी ने बाजार अवसरचना संस्थानों (MIs) के लिए आईटी लचीलापन सूचकांक (ITRI) ढाँचा पेश किया है, जिसका ध्यान प्रौद्योगिकी प्रणालियों को मजबूत करने पर है।

ITRI का परिचय

- IT लचीलापन, साइबर सुरक्षा, विश्वसनीयता और आपदा पुनर्प्राप्ति को मापने वाला मात्रात्मक मूल्यांकन ढाँचा।
- महत्वपूर्ण बाजार प्रणालियों को साइबर हमलों, तकनीकी विफलताओं और लेनदेन में अचानक वृद्धि का सामना करने में सक्षम बनाना।
- परिचालन को शीघ्र बहाल करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- समय-समय पर अनुपालन जाँच से हटकर मापनीय और वास्तविक समय लचीलापन मूल्यांकन की ओर बदलाव।
- जोखिम-आधारित 9 मानदंड।
- **उपलब्धता और साइबर सुरक्षा:** प्रत्येक को 20% का सर्वाधिक भार।
- **व्यवसाय निरंतरता, विश्वसनीयता और विस्तारशीलता:** पुनर्प्राप्ति और बाजार तनाव से निपटने पर ध्यान।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS):** बड़े व्यवधान से पहले प्रदर्शन संबंधी समस्याओं का पता लगाना।
- **लचीलापन-प्रथम दृष्टिकोण:** विफलता की रोकथाम के साथ-साथ झटकों को सहने और तेजी से पुनर्प्राप्ति पर जोर।
- यह SEBI के प्रौद्योगिकी एजेंडे का समर्थन करता है, जिसमें AI/ML, SupTech/RegTech और क्वांटम-सुरक्षित साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

आपातकालीन ऋण-संबद्ध गारंटी योजना (ECLGS) 5.0

आपातकालीन ऋण-संबद्ध गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 केवल तब तक संचालित होगी, जब तक इसकी ₹2.5 लाख करोड़ की गारंटी सीमा समाप्त नहीं हो जाती। गारंटी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- **ECLGS:** आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मई 2020 में घोषित।
- पात्र MSMEs और अन्य व्यावसायिक उद्यमों को सहायता।
- कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधान के बीच परिचालन देनदारियों और व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने पर ध्यान।

- लगभग सभी क्षेत्रों में कवरेज।
- पात्र ऋण सुविधाओं के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को 100% गारंटी।

ECLGS 5.0 का परिचय

- वर्ष 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित।
- ऋणदाता संस्थानों के लिए जोखिम को कम करना ताकि वे ऋण वितरण बढ़ा सकें।
- नकदी प्रवाह संबंधी झटकों से निपटने और परिचालन जारी रखने में सहायता।
- पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य से प्रभावित कंपनियों को त्वरित और बड़े पैमाने पर तरलता सहायता।

प्रमुख विशेषताएँ

- **पात्र उधारकर्ता:** MSMEs, कार्यशील पूँजी प्रतिबंधों वाले गैर-MSMEs और अनुसूचित यात्री विमानन कंपनियाँ।
 - ♦ 31 मार्च 2026 तक की बकाया ऋण सुविधाएँ।
 - ♦ खाते मानक स्थिति में होने चाहिए।
- **गारंटी कवरेज:** 100 MSMEs: 100%
- **गैर-MSMEs और विमानन कंपनियाँ:** 90%
- **गारंटी शुल्क:** शून्य
- **सहायता की मात्रा:** वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में उपयोग की गई अधिकतम कार्यशील पूँजी का 20% तक अतिरिक्त ऋण।
 - ♦ अधिकतम ₹100 करोड़।
 - ♦ **विमानन कंपनियाँ:** शर्तों के अधीन प्रति उधारकर्ता अधिकतम ₹1,500 करोड़ तक।
- **विमानन कंपनियाँ:** 7 वर्ष।
 - ♦ **स्थगन अवधि:** 2 वर्ष।
- **गारंटी कवरेज:** अधिकतम अवधि ऋण की अवधि के साथ-साथ चलेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पिछले 10 वर्षों में भारत की कृषि जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में विकसित हुई है।

PMFBY का परिचय

- बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक का कवरेज
- **बुवाई-पूर्व:** बुवाई न हो पाना/बुवाई विफल होना
- **खड़ी फसलें:** मध्य-मौसम प्रतिकूलता और उपज में नुकसान
- **स्थानीय आपदाएँ:** ओलावृष्टि, बाढ़, भूस्खलन आदि
- **कटाई के बाद:** चक्रवात, बेमौसम वर्षा और निर्दिष्ट जोखिम

प्रीमियम

- खरीफ खाद्यान्न एवं तिलहन: अधिकतम 2%

- रबी खाद्यान्न एवं तिलहन: अधिकतम 1.5%
- वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें: अधिकतम 5%
- शेष प्रीमियम सब्सिडी:
 - ♦ केंद्र: राज्य = 50:50
 - ♦ पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश = 90:10

कार्यान्वयन और पात्रता

- **भाग लेने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:** राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों और वित्तीय स्थिति के आधार पर यह तय करते हैं कि इस योजना को लागू करना है या नहीं।
- **पात्र किसान:** तय इलाकों में तय फसलों की खेती करने वाले किसान - जिनमें जमीन के मालिक, किराए पर खेती करने वाले और बटाईदार शामिल हैं - पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की शर्तों के अधीन।
- **स्वैच्छिक भागीदारी:** खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए बीमा में शामिल होना स्वैच्छिक है, जिसमें कृषि ऋण लेने वाले किसान भी शामिल हैं।
- **बीमा कंपनियाँ:** राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा तय बोली प्रक्रिया के जरिए चुनी जाती हैं।
- **फसल-छति का आकलन:** फसल-उपज डेटा, फसल कटाई प्रयोग (CCEs), खेत के आकलन और तकनीकी-आधारित तरीकों से किया जाता है।
- **प्रीमियम सब्सिडी:** लागू फंडिंग पैटर्न के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर दी जाती है।

कवर किए गए जोखिम

- **उपज में नुकसान:** सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलभराव, चक्रवात, ओलावृष्टि, बिजली गिरना, कीट एवं रोग
- **बुवाई न हो पाना:** बीमित राशि के 25% तक दावे
- **कटाई के बाद नुकसान:** सुखाने के लिए काटकर फैलाए गए फसल कटाई के 14 दिनों तक कवरेज
- **स्थानीय आपदाएँ:** निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग।



अपवर्जन

- युद्ध, परमाणु जोखिम, दंगे, चोरी
- निर्दिष्ट कटाई-पश्चात परिस्थितियाँ
- रोके जा सकने वाले, लापरवाहीपूर्ण या मानव-निर्मित कारण
- रिपोर्ट किए गए स्थानों या कवर की गई फसल की अवधि के बाहर हुए नुकसान

राष्ट्रीय परिपत्र जैव-ऊर्जा योजना (गोबरधन योजना)

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय परिपत्र जैव-ऊर्जा योजना (GOBARdhan - Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) को कुल ₹23,731 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी।

परिचय

- इसका उद्देश्य प्रबंधित मूल्य निर्धारण, पूँजीगत सब्सिडी, पाइपलाइन अवसंरचना सहायता और वित्त तक आसान पहुँच के माध्यम से संपीड़ित बायोगैस (CBG) उत्पादन के लिए सक्षम परिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- इसका उद्देश्य घरेलू CBG उत्पादन को 10 गुना से अधिक बढ़ाना और एक स्थिर तथा पूर्वानुमेय निवेश वातावरण तैयार करना है।
- यह विभिन्न जैविक अपशिष्टों से CBG उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जिसमें कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट, प्रेसमड जैसे चीनी उद्योग के अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव-अपघटनीय बायोमास शामिल हैं।
- उत्पादित CBG को परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के साथ मिश्रित किया जा सकता है और पाइंड प्राकृतिक गैस (PNG) नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **सुनिश्चित बाजार और प्रशासित मूल्य निर्धारण:** CBG का मूल्य ₹2,110 प्रति मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MMBTU) के प्रशासित मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा।
- **पूँजीगत सहायता:**
 - ♦ क्षमता विस्तार के लिए पात्र नई और वर्तमान CBG परियोजनाओं को स्थापित CBG क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन (TPD) ₹2 करोड़ तक की पूँजीगत सहायता प्राप्त होगी।
 - ♦ इसमें मुख्य संयंत्र मशीनरी, फीडस्टॉक एक्त्रीकरण अवसंरचना और खाद प्रसंस्करण शामिल हैं।
- **पाइपलाइन अवसंरचना का विकास:**
 - ♦ क्लस्टर-आधारित पाइपलाइन नेटवर्क और CBG संयंत्रों को मुख्य पाइपलाइनों से जोड़ने वाली स्वतंत्र पाइपलाइनों को समर्थन।
 - ♦ शहर गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के साथ एकीकरण को सुगम बनाना।

कैबिनेट ने ₹23,731 करोड़ की GOBARdhan योजना को मंजूरी दी

संपीड़ित बायोगैस उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए

भारत की जैविक संपदा को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास में बदलने के लिए ऐतिहासिक राष्ट्रीय योजना



₹23,731 करोड़ का परिव्यय
(वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक)



सुनिश्चित खरीद, स्थिर मूल्य निर्धारण, पैंजी सहायता, पाइपलाइन कनेक्टिविटी और ऋण सहायता



घरेलू CBG उत्पादन में लगभग दस गुना वृद्धि का लक्ष्य



कृषि अवशेष, गोबर और नगरपालिका कचरे को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में बदलना



किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और निजी निवेश को बढ़ावा



वेस्ट-टू-वेल्थ, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का समर्थन

GOBARdhan के अंतर्गत छह विकास इंजन



1. CBG की सुनिश्चित खरीद



2. CBG के लिए स्थिर मूल्य निर्धारण ढाँचा



3. पैंजी सहायता



4. पाइपलाइन बुनियादी ढाँचे का विकास



5. ऋण गारंटी सहायता



6. CBG इकोसिस्टम चौखेंच फंड

Ministry of Petroleum
and Natural Gas
Government of India



भारत का कचरा भारत के विकास को ऊर्जा देगा। भारत के गाँव स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के केंद्र बनेंगे। भारत के किसान देश की ऊर्जा सुरक्षा में भागीदार बनेंगे।

पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) को निरस्त कर दिया, जिसने उन परियोजनाओं के लिए पूर्वव्यापी (भूतलक्षी) पर्यावरणीय मंजूरी (ECs) की अनुमति दी थी, जिन्होंने पूर्व अनुमति के बिना ही कार्य प्रारंभ कर दिया था।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय ने कहा कि ऐसी व्यवस्था किसी प्रशासनिक कार्यालय ज्ञापन (OM) के माध्यम से नहीं बनाई जा सकती। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों और जनहित में केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी वैधानिक अधिसूचना के माध्यम से ऐसी व्यवस्था प्रदान कर सकती है।
- वर्ष 2021 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत पहले से दी गई मंजूरीयाँ सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि यह निर्णय भविष्यलक्षी रूप से लागू होगा।
- वर्ष 2021 का कार्यालय ज्ञापन एक प्रशासनिक निर्देश था। इसे कानून का बल प्राप्त नहीं था।
- यह पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत अनिवार्य पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता में बदलाव नहीं कर सकता था।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत जारी वैधानिक अधिसूचना ही असाधारण परिस्थितियों में सीमित पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी की व्यवस्था बना सकती है।

कार्यालय ज्ञापन बनाम वैधानिक अधिसूचना

- कार्यालय ज्ञापन (OM):** किसी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया प्रशासनिक निर्देश। इसका कोई वैधानिक बल नहीं होता।
- वैधानिक अधिसूचना:** किसी कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी की जाती है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद इसकी कानूनी प्रवर्तनीयता होती है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

- EIA एक ऐसी प्रक्रिया है, जो किसी प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करती है।
- यह शमन उपायों के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम करने में मदद करता है।
- यह सतत् विकास, सूचित निर्णय-निर्माण, जन भागीदारी और संसाधनों के कुशल उपयोग का समर्थन करता है।

भारत में EIA की रूपरेखा

- 1986:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया।

- 1994:** पहली EIA अधिसूचना जारी की गई, जिसके अंतर्गत निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) को अनिवार्य किया गया।
- 2006:** संशोधित EIA अधिसूचना वर्तमान नियामक ढाँचा बनी। यह परियोजनाओं को निम्नलिखित में वर्गीकृत करती है:
- श्रेणी A:** विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) द्वारा मूल्यांकन। पर्यावरणीय स्वीकृति MoEFCC द्वारा प्रदान की जाती है।
- श्रेणी B:** राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा मूल्यांकन। पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रदान की जाती है।

चिंताएँ

- EIA अधिसूचना, 2006 में बार-बार किए गए संशोधनों ने पारदर्शिता, जन परामर्श और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लेकर चिंताएँ बढ़ाई हैं।

आगे की राह

- वैज्ञानिक और पारदर्शी EIA को मजबूत करना।
- स्थानीय भाषा में पहुँच सहित जन परामर्श में सुधार करना।
- स्वीकृति के बाद निगरानी और अनुपालन लेखा-परीक्षण को बढ़ाना।
- यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में कोई भी पश्चात प्रभावी पर्यावरणीय स्वीकृति (ex post facto EC) तंत्र वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सख्ती से समर्थित हो और केवल असाधारण जनहित के मामलों में ही उपयोग किया जाए

हुबारा बस्टर्ड (एशियाई हुबारा/मैक्वीन का बस्टर्ड)

उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त रूप से उज्बेकिस्तान के कराकलपाकस्तान के अरल सागर क्षेत्र में बंदी प्रजनन से उत्पन्न किए गए 672 एशियाई हुबारा बस्टर्ड छोड़े।

परिचय

- एशियाई हुबारा (*Chlamydotis macqueenii*), जिसे मैक्वीन का बस्टर्ड भी कहा जाता है, मध्यम आकार का, भूमि पर रहने वाला प्रवासी पक्षी है, जो बस्टर्ड परिवार (Otidae) से संबंधित है।
- यह भारत के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समान परिवार से संबंधित है, हालाँकि दोनों प्रजातियाँ अपने वितरण और संरक्षण स्थिति में काफी भिन्न हैं।
- यह शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में निवास करता है, जिनमें रेतीले और पथरीले रेगिस्तान, बजरी वाले मैदान, शुष्क स्टेपी और खुले झाड़ीदार क्षेत्र शामिल हैं।
- इसका विस्तार मध्य एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों तक है, जिसमें भारत का थार मरुस्थल और कच्छ का रण भी शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- **उत्कृष्ट छद्मावरण:** रेतीले-भूरे धब्बेदार ऊपरी भाग और हल्का निचला भाग इसे रेगिस्तानी परिवेश में घुलने-मिलने में मदद करता है।
- **भूमि पर रहने का व्यवहार:** इसके मजबूत पैर इसे ऊबड़-खाबड़ भूभाग पर तेजी से चलने और दौड़ने में सक्षम बनाते हैं। यह सामान्यतः केवल खतरा महसूस होने पर उड़ता है।
- **प्रणय प्रदर्शन:** नर अपने विशिष्ट काले-सफेद गर्दन के पंखों को उठाते हैं और मादाओं को आकर्षित करने के लिए विस्तृत प्रदर्शनात्मक दौड़ करते हैं।
- **आहार:** यह अवसरवादी सर्वाहारी है, जो बीज, नई कोपलें, कीड़े, छोटे सरीसृप और अन्य अकशेरुकी जीवों को खाता है।
- **प्रवास:** उत्तरी प्रजनन करने वाली आबादियाँ मध्य एशिया से भारत, पाकिस्तान और अरब प्रायद्वीप के शीतकालीन क्षेत्रों की ओर मौसमी प्रवास करती हैं, जबकि दक्षिणी आबादियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर रहती हैं।

संरक्षण स्थिति

- IUCN लाल सूची: सुभेद्य
- CITES: परिशिष्ट I
- प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट I

महत्त्व

- यह नाजुक मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए एक प्रमुख प्रजाति है। यह मरुस्थलीय आवासों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में भी कार्य करती है।
- इसका संरक्षण प्रवासी वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बंदी प्रजनन और आवास पुनर्स्थापन के महत्त्व को दर्शाता है।

क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना (CAP)

CAP को अंतरराष्ट्रीय क्लौडेड लेपर्ड दिवस (4 अगस्त) के अवसर पर एशिया की सबसे कम दिखाई देने वाले जंगली बिग कैट में से एक के दीर्घकालिक संरक्षण को मजबूत करने के लिए आरंभ किया गया। यह योजना भारत में इस प्रजाति और इसके आवासों को सुरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक, परिरक्षक-आधारित और समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है।

क्लाउडेड लेपर्ड

- क्लौडेड लेपर्ड (*Neofelis nebulosa*) मध्यम आकार की, अत्यधिक वृक्षवासी और मुख्यतः रात्रिचर जंगली बिल्ली है। सुंदा क्लौडेड लेपर्ड (*Neofelis diardi*) एक अलग प्रजाति है, जो केवल बोर्नियो और सुमात्रा में पाई जाती है।
- इसकी पहचान बादल के आकार के चिह्नों, असाधारण रूप से लंबी पूँछ और वर्तमान में जीवित बिल्लियों में खोपड़ी के आकार की तुलना में सबसे बड़े कैनाइन दाँतों से होती है।
- यह वृक्षों पर रहने वाले और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों का शिकार करता है, जिनमें हिरण, प्राइमेट, साही, पैंगोलिन और गिलहरियाँ शामिल हैं।

यह गुरा नहीं सकता, लेकिन घुरघुराने की आवाज (purr) निकाल सकता है, क्योंकि इसकी हायाँइड हड्डी की संरचना इसके लिए अनुकूल नहीं है।

- बाघों और सामान्य तेंदुओं के साथ साझा क्षेत्रों में यह प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए अधिक रात्रिचर और वृक्षवासी हो जाता है।

वितरण और आवास

- यह नेपाल की हिमालयी तलहटी से लेकर पूर्वोत्तर भारत, मुख्यभूमि दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिणी चीन तक पाया जाता है।
- भारत में यह मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में पाया जाता है।
- यह प्राथमिक और द्वितीयक वनों, शुष्क वनों, मैंग्रोव तथा 3,500 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले हिमालयी वनों में निवास करता है।
- यह ताइवान में विलुप्त हो चुका है, जबकि बांग्लादेश, वियतनाम और चीन के कुछ हिस्सों में इसकी आबादियाँ स्थानीय स्तर पर विलुप्ति के करीब हैं।

खतरे

- वनों की कटाई और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण आवास का नुकसान और विखंडन।
- अवैध शिकार, फंदे लगाना और वन्यजीव व्यापार इसकी आबादी में गिरावट के प्रमुख कारण बने हुए हैं।

क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना (CAP)

- इसे भारत सरकार-वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की पहल के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- इसे एकीकृत वन्यजीव आवास विकास (IDWH) योजना के प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- यह आवास संरक्षण, परिरक्षक संपर्कता, वैज्ञानिक निगरानी और समुदाय की भागीदारी पर केंद्रित है।
- यह आवास पुनर्स्थापन और वन्यजीव गलियारा संरक्षण के लिए पूर्वोत्तर भारत में 14 प्राथमिकता वाले संरक्षण परिरक्षकों की पहचान करता है।
- मानकीकृत आबादी निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप, उपस्थिति-अनुपस्थिति सर्वेक्षण, आनुवंशिक अध्ययन और पर्यावरणीय डीएनए (eDNA) को बढ़ावा देता है।
- M-STrIPES अनुप्रयोग के माध्यम से अवैध शिकार-रोधी प्रयासों को मजबूत करता है।
- जलवायु-अनुकूल संरक्षण, सतत् आजीविका और पड़ोसी क्षेत्र वाले देशों के साथ सीमा-पार सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

संरक्षण स्थिति

- IUCN लाल सूची: सुभेद्य
- CITES: परिशिष्ट I
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- राज्य पशु: मेघालय

अतिरिक्त जानकारी

- अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस 4 अगस्त को मनाया जाता है। इसे प्रजाति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए द एस्पिनॉल फाउंडेशन द्वारा 2018 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित दिवस नहीं है।
- त्रिपुरा के सेपाहिजाला वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान इस प्रजाति के लिए भारत का पहला समर्पित वन्यजीव उद्यान है।
- भारत में इसके अन्य महत्वपूर्ण आवासों में मानस टाइगर रिजर्व (असम), डम्पा टाइगर रिजर्व (मिजोरम) और पक्के टाइगर रिजर्व (अरुणाचल प्रदेश) शामिल हैं।

- अन्य खतरों में सुरक्षित रूप से उपलब्ध मृत पशुओं के शवों में कमी, अन्य विषैले पशु चिकित्सा छैपके, कीटनाशक विषाक्तता, आवास और घोंसले बनाने वाले पेड़ों का नुकसान, बिजली का झटका, विद्युत बुनियादी ढाँचे से टकराव और उत्पीड़न शामिल हैं।

संरक्षण स्थिति

- IUCN लाल सूची: अति संकटग्रस्त
- CITES: परिशिष्ट II
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

क्वाइट-रम्ड गिद्ध (Gyps bengalensis)

- यह पूरे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में मैदानों, खुले वनों, गाँवों और शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है।
- यह मृत जीवों के मांस पर निर्भर करता है, अत्यधिक सामाजिक होता है और ऊँचे पेड़ों पर सामूहिक रूप से प्रजनन करता है।
- इसकी पहचान इसके प्रमुख सफेद पृष्ठभाग (रम्प) से आसानी से की जा सकती है, जो उड़ान के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
- इसकी आबादी में 99% से अधिक की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण डाइक्लोफेनाक और अन्य विषैले पशु चिकित्सा NSAIDs हैं।
- आईयूसीएन लाल सूची: अति संकटग्रस्त
- साइटस: परिशिष्ट II
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

स्लेंडर-बिल्ड और क्वाइट-रम्ड गिद्ध

विश्व में पहली बार संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, पाँच बंदी-प्रजनित स्लेंडर-बिल्ड गिद्धों और पाँच क्वाइट-रम्ड गिद्धों को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व में स्थित जटायु सॉफ्ट रिलीज केंद्र से सॉफ्ट रिलीज पद्धति के माध्यम से जंगल में छोड़ा गया।

स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध (Gyps tenuirostris)

- यह Accipitridae परिवार से संबंधित पुरानी विश्व का मृतभक्षी शिकारी पक्षी है। पहले इसे इंडियन वल्चर की एक उप-प्रजाति माना जाता था, लेकिन अब इसे एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह खुले वनों, शुष्क पर्णपाती वनों, नदी-तटीय आवासों और उनसे जुड़े खुले परिदृश्यों में रहता है, सामान्यतः घनी मानव बस्तियों से दूर।
- यह लगभग पूरी तरह मृत जीवों के मांस पर निर्भर करता है और अक्सर बड़े भोजन समूहों तथा सामुदायिक बसेरों में एकत्रित होता है।
- यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और कंबोडिया में पाया जाता है। भारत में यह मुख्यतः गंगा के मैदानों, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। माना जाता है कि यह थाईलैंड और मलेशिया में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुका है।
- यह पशुओं के शवों का प्राकृतिक रूप से निपटान करके, रोगों के प्रसार को कम करके और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखकर महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह मध्यम से बड़े आकार का, गहरे रंग का गिद्ध है, जिसके चौड़े पंख, लंबी नंगी गर्दन, हल्के रंग के निचले हिस्से और पतली चोंच होती है। इसकी चोंच मृत जीवों के शवों से गहराई में स्थित मांस निकालने के लिए अनुकूलित होती है।

खतरे

- पशु चिकित्सा में प्रयुक्त डाइक्लोफेनाक का विषाक्त प्रभाव इसकी आबादी में गिरावट का प्रमुख कारण है, जिससे घातक गुर्दे की विफलता हो सकती है।

ग्लो इलील भारत का 101वाँ रामसर स्थल घोषित

अरुणाचल प्रदेश की ग्लो इलील को आर्द्रभूमियों पर रामसर अभिसमय के अंतर्गत भारत का 101वाँ रामसर स्थल घोषित किया गया है।

परिचय

- यह लोहित जिले में, कार्यलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर, पूर्वी हिमालयी जैव-विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है।
- यह एक निर्मल मीठे पानी की झील है।
- कार्यलांग नदी झील के उत्तर में बहती है।
- इसे महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव-विविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- आर्द्रभूमि और इसका जलग्रहण क्षेत्र 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियों और 49 ऑर्किड प्रजातियों को सहारा देता है, जो समृद्ध वनस्पति विविधता को दर्शाता है।
- यह मिशमी समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल है।
- यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है।

पारिस्थितिक महत्व

- यह बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड और हिम तेंदुआ के लिए आवास प्रदान करती है।

- यह अति संकटग्रस्त व्हाइट-बेलीड हेरॉन के लिए एक महत्वपूर्ण आवास और शीतकालीन क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।
- अन्य उल्लेखनीय जीवों में ग्रेट हॉर्नबिल, हूलाक गिबबन, एशियाई गोल्डन कैट, एशियाई काला भालू और भौंकने वाला हिरण शामिल हैं।

रामसर अभिसमय

- यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके समझदारीपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर-सरकारी संधि है।
- समझदारीपूर्ण उपयोग का अर्थ सतत् प्रबंधन के माध्यम से आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक स्वरूप को बनाए रखना है।
- इसे 1971 में रामसर, ईरान में अपनाया गया और 1975 में लागू हुआ।
- भारत 1982 में इस अभिसमय में शामिल हुआ।
- अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने वाली आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल (अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ) के रूप में नामित किया जाता है।
- वर्तमान में इस अभिसमय के 172 अनुबंधकारी पक्ष हैं।
- ग्लो इल को शामिल किए जाने के साथ, भारत में अब 101 रामसर स्थल हैं, जो एशिया में सबसे अधिक और वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद तीसरे सबसे अधिक हैं।

- MSS+ स्मार्ट मिक्स प्रो स्वचालित संयंत्र, जो भारत में MSS+ के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया पहला स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित मोबाइल मिश्रण संयंत्र है, इस प्रौद्योगिकी को समर्थन देता है।
- यह संयंत्र सामग्रियों का स्वचालित अनुपात निर्धारण और मिश्रण करता है, जिससे एकसमान गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, मानवीय हस्तक्षेप और सामग्री की बर्बादी कम होती है तथा निर्माण दक्षता बढ़ती है।

क्षेत्रीय प्रदर्शन

- राजस्थान सरकार के समक्ष जयपुर शहर की एक सड़क पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया।
- MSS+ ने उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर से अधिक सड़कों पर पहले ही उत्कृष्ट क्षेत्रीय प्रदर्शन किया है।
- राजस्थान अपने सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यक्रमों में व्यापक स्तर पर इसे अपनाने की संभावना का मूल्यांकन कर रहा है।

महत्त्व

- यह सड़क इंजीनियरिंग में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देती है।
- यह कम उत्सर्जन, कम ऊर्जा खपत, कम निर्माण लागत, पारंपरिक हॉट-मिक्स प्रौद्योगिकी पर कम निर्भरता और बेहतर सड़क टिकाऊपन के माध्यम से सतत् सड़क बुनियादी ढाँचे को समर्थन देती है।

भारतीय मोर (PAVO CRISTATUS)

भारत ने पाँच भारतीय मोर, जिनमें चार नीले और एक सफेद मोर शामिल हैं, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOG) को दान किए हैं। इसके साथ एरियाना पार्क में मोर रखने की 45 वर्ष पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया गया है।

परिचय

- यह फैसियानिडी (तीतर) परिवार से संबंधित एक बड़ा स्थलीय पक्षी है, जिसमें जंगलफाउल, तीतर, बटेर और क्वेल भी शामिल हैं।
- इसके लिए सामूहिक नाम मोर है। नर को मोर (Peacock) और मादा को मोरनी (Peahen) कहा जाता है।
- भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।

वितरण और आवास

- यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और प्राकृतिक रूप से भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
- यह शुष्क और नम पर्णपाती वनों, वन क्षेत्रों के किनारों, झाड़ीदार क्षेत्रों और कृषि परिदृश्यों में निवास करता है। यह कृषि क्षेत्रों के अनुकूल स्वयं को अच्छी तरह ढाल लेता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस प्रजाति में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसका अर्थ है कि एक ही प्रजाति के नर और मादा के रूप, जैसे रंग, आकार, आकृति और संरचना में स्पष्ट अंतर होता है।

संशोधित मिक्स सील सरफेसिंग प्लस (MSS+) प्रौद्योगिकी

सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) ने राजस्थान सरकार के समक्ष अपनी स्वदेशी रूप से विकसित संशोधित मिक्स सील सरफेसिंग प्लस (MSS+) प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया।

परिचय

- MSS+ एक स्वदेशी सड़क सतहीकरण प्रौद्योगिकी है, जिसे CSIR-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है।
- यह पारंपरिक हॉट-मिक्स डामर का लागत प्रभावी, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान करती है।
- यह प्रौद्योगिकी एक अनुकूलित बिटुमेन इमल्शन का उपयोग करती है, जिससे समुच्चयों या बाइंडरों को गर्म किए बिना सामान्य तापमान पर सड़क सतहीकरण किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह समुच्चयों और बाइंडरों को पहले से गर्म करने की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे ऊर्जा की खपत, निर्माण लागत और कार्बन उत्सर्जन कम होता है।
- यह कम-उत्सर्जन और जलवायु-अनुकूल सड़क बुनियादी ढाँचे को समर्थन देती है।
- यह पारंपरिक मिक्स सील सरफेसिंग की तुलना में बेहतर टिकाऊपन प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के साथ अनुकूल है।
- यह तेज सड़क निर्माण और रखरखाव को सक्षम बनाती है, जिससे परिचालन दक्षता में सुधार होता है।

- **नर (मोर):** चमकीले नीले पंख और लंबी, इंद्रधनुषी पूँछ होती है, जिसे प्रणय प्रदर्शन के दौरान फैलाया जाता है।
- **मादा (मोरनी):** आकार में छोटी होती है, इसके भूरे रंग के पंख, छोटी पूँछ और हरे रंग की गर्दन के पंख होते हैं, जो घोंसला बनाने के दौरान प्रभावी छद्मावरण प्रदान करते हैं।
- यह एक अवसरवादी सर्वाहारी है, जो बीज, अनाज, फूल, कीड़े, छोटे सरीसृप और छोटे स्तनधारियों को खाता है।
- यह अपनी तेज “मे-यों” पुकार के लिए जाना जाता है, जो मानसून के प्रजनन काल के दौरान अधिक बार सुनाई देती है।

पारिस्थितिक महत्त्व और चिंताएँ

- यह कीड़ों और छोटे कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है और बीज प्रसार में भी योगदान देता है।
- कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से केरल, में इसकी बढ़ती आबादी के कारण फसलों को नुकसान हुआ है, विशेषकर धान के खेतों में, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष उत्पन्न हुआ है।
- यह प्रजाति शुष्क परिस्थितियों में फलती-फूलती है और इसके बढ़ते वितरण को बदलती जलवायु परिस्थितियों से जोड़ा गया है।

संरक्षण स्थिति

- IUCN लाल सूची: कम चिंताजनक
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

ओडिशा तट के साथ तटीय अपरदन

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने बताया कि ओडिशा की 564 किमी लंबी तटरेखा का लगभग 28.3% हिस्सा तटीय अपरदन से प्रभावित है।

प्रमुख निष्कर्ष

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अंतर्गत NCCR भारत की तटरेखा के साथ दीर्घकालिक तटरेखा परिवर्तनों की नियमित निगरानी करता है।
- ओडिशा की तटरेखा के आकलन में 28.3% क्षेत्र अपरदन, 17.6% स्थिर और 54.1% निक्षेपण (तटीय विस्तार) के अंतर्गत पाया गया।
- पूरे भारतीय तट के लिए NCCR के पहले के आकलन (1990-2018) में 33.6% अपरदन, 26.9% निक्षेपण और 39.6% स्थिर पाया गया था।

तटीय अपरदन क्या है?

- तटीय अपरदन लहरों, ज्वार, धाराओं, तटीय बाढ़ और समुद्र-स्तर में वृद्धि के प्रभाव से तटरेखा के धीरे-धीरे स्थल की ओर पीछे हटने की प्रक्रिया है।
- इसके कारण रेत, मिट्टी और चट्टानों का हटना होता है, जिससे तटीय भूमि का नुकसान होता है।

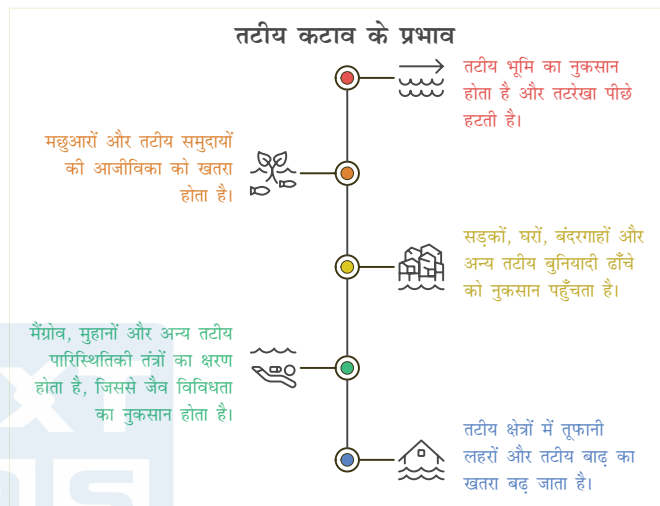
प्रमुख कारण

- **प्राकृतिक कारक:**
 - ♦ जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र-स्तर में वृद्धि से तटीय बाढ़ और तूफानी ज्वार बढ़ते हैं।

- ♦ तेज लहरें, ज्वार और तूफान लगातार तटरेखा का क्षरण करते हैं।

मानव-जनित कारक:

- ♦ अनियंत्रित रेत खनन समुद्र तटों को पुनः भरने के लिए उपलब्ध प्राकृतिक तलछट को कम करता है।
- ♦ बंदरगाह, समुद्री दीवारों और ब्रेकवाटर तलछट के परिवहन को बाधित करते हैं और आसपास के क्षेत्रों में अपरदन को तेज करते हैं।
- ♦ मैंग्रोव का क्षरण एक प्राकृतिक अवरोध को हटा देता है, जो तट को लहरों के प्रभाव से बचाता है।



सरकारी उपाय

खतरा रेखा मानचित्रण:

- ♦ MoEFCC ने समुद्र-स्तर में वृद्धि के प्रभाव सहित तटरेखा में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने के लिए पूरी तटरेखा के लिए खतरा रेखा का सीमांकन किया है।
- ♦ यह आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन के लिए एक नियोजन उपकरण के रूप में कार्य करती है।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019:** तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण और मछुआरों तथा अन्य तटीय समुदायों की आजीविका की रक्षा के लिए तट के साथ गतिविधियों को विनियमित करती है।
- **राष्ट्रीय तटीय संरक्षण रणनीति:** तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तटरेखा संरक्षण और सतत तटीय प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
- **बाढ़ प्रबंधन योजना:** जल शक्ति मंत्रालय समुद्र के अपरदन-रोधी कार्यों को समर्थन देता है, जिनकी योजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।
- **तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (CMIS):** तटीय संरक्षण उपायों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में सहायता के लिए तट के निकट के तटीय आँकड़े एकत्र करती है।
- **तकनीकी सहायता:** केंद्र सरकार तटीय राज्यों को तटरेखा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने और उपयुक्त तटीय संरक्षण उपायों की डिजाइनिंग में सहायता करती है।

विश्व हाथी दिवस 2026

विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2026 को हाथियों के संरक्षण के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया।

परिचय

- हाथी विश्व के सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारी हैं और स्तनधारियों में इनकी गर्भधारण अवधि सबसे लंबी होती है।
- वर्तमान में हाथियों की तीन जीवित प्रजातियाँ मान्यता प्राप्त हैं:
 - एशियाई हाथी (*Elephas maximus*)
 - अफ्रीकी सवाना हाथी (*Loxodonta africana*)
 - अफ्रीकी वन हाथी (*Loxodonta cyclotis*)
- अफ्रीकी सवाना हाथी वर्तमान में जीवित हाथियों की सबसे बड़ी प्रजाति है।
- पारिस्थितिक महत्त्व: ये कीस्टोन प्रजातियाँ हैं, जो वन और घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बीजों का प्रसार करते हैं और ऐसे मार्ग बनाते हैं, जिनसे कई अन्य प्रजातियों को लाभ मिलता है।
- प्रमुख खतरे:
 - एशियाई हाथी: आवास का नुकसान, आवास का विखंडन और मानव-हाथी संघर्ष।
 - अफ्रीकी हाथी: हाथीदाँत के लिए अवैध शिकार, आवास का नुकसान और मनुष्यों के साथ संघर्ष।
- संरक्षण स्थिति (IUCN):
 - एशियाई हाथी: संकटग्रस्त
 - अफ्रीकी सवाना हाथी: संकटग्रस्त
 - अफ्रीकी वन हाथी: अति संकटग्रस्त

भारत में हाथी संरक्षण

- भारत विश्व के 60% से अधिक जंगली एशियाई हाथियों को आश्रय देता है।
- सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलीफेंट्स (SAIEE) 2021-25 के अनुसार देश में 22,446 जंगली हाथियों का अनुमान लगाया गया।
- भारतीय हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है।

प्रमुख संरक्षण पहल

- प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992):** हाथी संरक्षण, आवास संरक्षण, गलियारा प्रबंधन और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- कानूनी संरक्षण:** भारतीय हाथी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है।
- हाथी गलियारे:** लगभग 150 चिह्नित गलियारे आवासों के बीच हाथियों की सुरक्षित मौसमी आवाजाही को सुगम बनाते हैं।
- रेलवे शमन उपाय:** संयुक्त सर्वेक्षणों में 127 संवेदनशील रेलवे खंडों (3,452.4 किमी) की पहचान की गई। अंडरपास, ओवरपास, रैंप और पुलों में संशोधन जैसे उपायों से रेलगाड़ियों की टक्कर के कारण होने वाली हाथियों की मृत्यु में कमी आई है।

- MIKE कार्यक्रम:** यह एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, जो एशिया और अफ्रीका में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करती है।
- ऑपरेशन थंडरबर्ड:** वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) द्वारा समन्वित, वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए चलाया जाता है।
- बंदी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024:** हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए बंदी हाथियों के स्थानांतरण और परिवहन को विनियमित करते हैं।



ब्लैक-नेकड क्रेन

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने ब्लैक-नेकड क्रेन के अंडों और चूजों पर शिकार को कम करने के लिए लद्दाख में 2,950 से अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने वाले कुत्तों (FRDs) की नसबंदी की है।

परिचय

- ब्लैक-नेकड क्रेन (*Grus nigricollis*) विश्व की एकमात्र ऐसी क्रेन प्रजाति है, जो उच्च ऊँचाई वाले अल्पाइन आर्द्रभूमियों में प्रजनन के लिए अनुकूलित है।
- आवास एवं वितरण:** यह तिब्बती पठार और चीन, भारत, भूटान तथा नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में उच्च ऊँचाई वाली आर्द्रभूमियों, दलदलों, झीलों और अल्पाइन दलदली क्षेत्रों में रहती है।
- भारत में यह लद्दाख में प्रजनन करती है और एक छोटी आबादी अरुणाचल प्रदेश की सांगती और जिमिथांग घाटियों में शीतकाल बिताती है।
- आबादी:** लगभग 15,000 की वैश्विक आबादी में से भारत में 100 से कम पक्षी पाए जाने का अनुमान है।
- शारीरिक विशेषताएँ:** इसका शरीर सफेद-भूरे रंग का, सिर और ऊपरी गर्दन काले रंग की, आँखों के चारों ओर लाल धब्बा तथा लंबे पैर होते हैं, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित हैं।
- आहार:** यह सेज के कंद, पौधों की जड़ें, कीड़े, केंचुए, मेंढक और अन्य छोटे अकशेरुकी जीवों को खाती है।
- प्रजनन:** यह 2,600-4,900 मीटर की ऊँचाई पर प्रजनन करती है। प्रमुख प्रजनन स्थलों में चांगथांग शीत मरुस्थलीय वन्यजीव अभयारण्य, विशेष रूप से हानले, त्सो कार, न्योमा और आसपास की आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं।
- सांस्कृतिक महत्त्व:** यह लद्दाख का राजकीय पक्षी है और लद्दाख की बौद्ध संस्कृति में शांति, पवित्रता और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में पूजनीय है।

प्रमुख खतरे

- स्वतंत्र रूप से घूमने वाले कुत्तों द्वारा अंडों और चूजों का शिकार।

- आवास का क्षरण और आर्द्रभूमियों में व्यवधान।
- सड़कों और अन्य रैखिक बुनियादी ढाँचे का विस्तार।
- बढ़ता पर्यटन और अनियंत्रित विकास।
- जलवायु परिवर्तन, जो उच्च ऊँचाई वाले आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है।



संरक्षण स्थिति

- IUCN लाल सूची: निकट संकटग्रस्त
- CITES: परिशिष्ट I
- प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट I
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS)

- BNHS भारत के सबसे पुराने और प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है, जो जैव-विविधता अनुसंधान और प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित है।
- इसकी स्थापना 1883 में मुंबई में हुई थी।
- यह वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, जन-जागरूकता और क्षेत्र-आधारित संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देती है।

हारा मैंग्रोव वन

ईरान के दक्षिणी तट के पास एक बड़े तेल रिसाव ने पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हारा मैंग्रोव वनों को खतरे में डाल दिया है।

परिचय

- हारा मैंग्रोव वन, जिन्हें केशम-हारा मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, दक्षिणी ईरान में केशम द्वीप और खुरान जलडमरूमध्य के आसपास, होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट स्थित हैं।
- इन वनों में मुख्य रूप से ग्रे मैंग्रोव (*Avicennia marina*) पाया जाता है, जो लवण-सहिष्णु प्रजाति है और विशेष नमक-नियमन अनुकूलनों के माध्यम से अत्यधिक लवणीय तटीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है।
- ये वन यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम के हारा जैवमंडल रिजर्व का हिस्सा हैं।

पारिस्थितिक महत्व

- ये मछलियों, झींगों, केकड़ों और अन्य समुद्री जीवों के लिए प्रजनन, नर्सरी और भोजन के क्षेत्र प्रदान करते हैं।
- ये प्रवासी पक्षियों, डॉल्फिन जैसे समुद्री स्तनधारियों और अति संकटग्रस्त हॉक्सबिल समुद्री कछुए को सहारा देते हैं।
- ये स्थानीय मछुआरा समुदायों की आजीविका को बनाए रखते हैं।
- ये पारिस्थितिकी पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं, जिसमें केशम द्वीप के आसपास नौका-आधारित प्रकृति पर्यटन शामिल है।

मैंग्रोव क्या है?

- मैंग्रोव लवण-सहिष्णु पेड़ और झाड़ियाँ हैं, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय ज्वारीय क्षेत्रों में उगते हैं।
- ये लवणीय जल, ज्वारीय जलमग्नता और ऑक्सीजन की कमी वाली मिट्टी के अनुकूल होते हैं।
- इनकी विशेष प्रॉप जड़ें और श्वसन मूल (pneumatophores) सहारा प्रदान करती हैं और जलभराव वाली परिस्थितियों में श्वसन में सहायता करती हैं।
- ये सामान्यतः मुहानों, ज्वारीय नालों, कीचड़ वाले तटीय मैदानों और डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

भारत में मैंग्रोव

- भारत में लगभग 4,900 वर्ग किमी मैंग्रोव क्षेत्र है।
- प्रमुख मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों में सुंदरबन, भितरकनिका और कृष्णा-गोदावरी डेल्टा शामिल हैं।

बन्नी घासभूमि में ब्लैकबक का पुनःप्रवेश

गुजरात वन विभाग ने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (वंतारा) के सहयोग से पुनःवन्नीकरण और वन्यजीव स्थानांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत कच्छ की बन्नी घासभूमि में 20 ब्लैकबक छोड़े।

ब्लैकबक (*Antelope cervicapra*)

- **परिचय:** यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मध्यम आकार की मृग प्रजाति है और भारत के प्रमुख घासभूमि स्तनधारियों में से एक है।
- **पहचान:**
 - ♦ **नर:** गहरे भूरे से काले रंग का शरीर तथा लंबे सर्पिलाकार (कोर्कस्कू के आकार के) सींग।
 - ♦ **मादा:** हल्के भूरे रंग की और सामान्यतः बिना सींग वाली।
- **आवास:** खुले घास के मैदान, अर्ध-शुष्क मैदान, कांटेदार झाड़ियाँ, झाड़ीदार क्षेत्र, हल्के वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्रों के किनारे।
- **वितरण:** यह भारतीय उपमहाद्वीप की मूल प्रजाति है। यह उत्तर-पश्चिमी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है तथा नेपाल में इसकी छोटी आबादियाँ मौजूद हैं।
- **सांस्कृतिक महत्व:**
 - ♦ बिश्नोई समुदाय द्वारा इसे पूजनीय और संरक्षित माना जाता है।

- ♦ राजकीय पशु
- ♦ आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब।
- **संरक्षण स्थिति:**
 - ♦ IUCN लाल सूची: कम चिंताजनक
 - ♦ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I।

बन्नी घासभूमि

- यह गुजरात के कच्छ जिले में, ग्रेट रण ऑफ कच्छ के निकट स्थित है।
- यह एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है और लवणीय तथा शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल है।
- यह 250 से अधिक पौधों की प्रजातियों, 350 से अधिक पक्षी प्रजातियों, लगभग 50 स्तनधारी प्रजातियों, 30 सरीसृप प्रजातियों और 10 उभयचर प्रजातियों को सहारा देती है।
- उल्लेखनीय वन्यजीवों में ब्लैकबक, चिंकारा, कैराकल, रेगिस्तानी लोमड़ी, भारतीय जंगली गधा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सारस क्रेन और फ्लेमिंगो शामिल हैं।
- यहाँ मालधारी, रबारी, जाट, मुतवा और मेघवाल जैसे पशुपालक समुदाय निवास करते हैं।

संरक्षण का महत्व

- पुनःवन्यीकरण पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्जीवित करने के लिए मूल प्रजातियों को उनके आवास में वापस स्थापित करता है।
- वन्यजीव स्थानांतरण प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति, आवास पुनर्स्थापन और शिकार-आधार में वृद्धि में सहायता करता है।
- छोड़े जाने से पहले जानवरों की स्वास्थ्य जाँच, संगरोध, रोग निगरानी और छोड़ने के बाद निगरानी की जाती है।
- इस कार्यक्रम को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और गुजरात के मुख्य वन्यजीव वार्डन से मंजूरी प्राप्त हुई।
- यह गुजरात में उपयुक्त आवासों में 500 ब्लैकबक और 100 चिंकारों के स्थानांतरण की व्यापक पहल का हिस्सा है।

सतकोसिया टाइगर रिजर्व

ओडिशा सरकार ने सतकोसिया टाइगर रिजर्व (STR) से गाँवों के स्थानांतरण की जाँच के लिए एक उच्च-स्तरीय जाँच समिति का गठन किया है। यह कदम जबरन विस्थापन के आरोपों के बाद उठाया गया है।

परिचय

- **स्थान:** ओडिशा में स्थित है और अंगुल, कटक, बौध और नयागढ़ जिलों में फैला हुआ है। यह दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के मिलन बिंदु पर स्थित है।
- **स्थापना:** 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसका गठन सतकोसिया गॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य (1976) और बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य (1981) को मिलाकर किया गया।
- **क्षेत्रफल:** 1,136.70 वर्ग किमी और यह महानदी हाथी रिजर्व का हिस्सा है।

- **भौगोलिक महत्व:** महानदी नदी 22.5 किमी लंबे सतकोसिया गॉर्ज से होकर बहती है, जिससे विविध नदीय, आर्द्रभूमि और वन आवासों का निर्माण होता है।
- **वनस्पति:** यहाँ उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क पर्णपाती वनों का प्रभुत्व है, जिसमें साल (Shorea robusta) प्रमुख प्रजाति है।

जैव-विविधता

- यह तेंदुआ, हाथी, गौर, ढोल (जंगली कुत्ता), घड़ियाल, मगरमच्छ, सरीसृप, उभयचर, समृद्ध मछली विविधता और 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों को सहारा देता है।
- यह रिजर्व घड़ियाल के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है तथा हाथियों की आवाजाही और आवासीय संपर्कता के लिए एक प्रमुख परिदृश्य के रूप में कार्य करता है।

संरक्षण का महत्व

- 2018 में भारत का पहला अंतर-राज्यीय बाघ स्थानांतरण कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश से बाघ लाए गए थे, लेकिन यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ।
- बाघों की संख्या 2007 में 12 से घटकर 2018-19 में केवल 1 रह गई और 2022 की अखिल भारतीय बाघ आकलन में रिजर्व में कोई बाघ दर्ज नहीं किया गया।
- प्रमुख चुनौतियों में गाँवों का स्थानांतरण, मानव हस्तक्षेप से मुक्त आवास का निर्माण, बाघों की संख्या बढ़ाना तथा वन्यजीव संरक्षण को वन अधिकारों और स्थानीय आजीविकाओं के साथ संतुलित करना शामिल हैं।

बंजर-भूमि भ्रांति

हाल ही में पारिस्थितिकीविदों ने बताया कि बंजर-भूमि भ्रांति प्राकृतिक रूप से वृक्ष-विहीन परिदृश्यों को निम्नीकृत भूमि मानकर अनुचित वनीकरण को बढ़ावा देती है।

बंजर-भूमि भ्रांति क्या है?

- यह गलत धारणा है कि प्राकृतिक रूप से गैर-वनाच्छादित भूमि पारिस्थितिक रूप से कमजोर होती है और इसे वनों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- यह गलत रूप से अधिक वृक्ष आवरण को बेहतर पारिस्थितिक स्वास्थ्य के समान मानता है, जबकि इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि कई पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक रूप से बहुत कम या बिना किसी वृक्ष आवरण के अस्तित्व में रहते हैं।

प्रमुख चिंताएँ

- **खुले पारिस्थितिकी तंत्रों को नुकसान:** घासभूमि, सवाना, झाड़ीदार क्षेत्र, आर्द्रभूमि, दलदल और रेगिस्तान जैसे प्राकृतिक रूप से खुले पारिस्थितिकी तंत्रों में गलत तरीके से वनीकरण किया जा सकता है, जबकि ये पूर्ण और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं।
- **जैव-विविधता का नुकसान:** कई विशिष्ट देशज पौधे, पक्षी, कीट और जानवर खुले आवासों पर निर्भर होते हैं। इन परिदृश्यों को वनों में बदलने से उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है।

- **जल संसाधनों पर दबाव:** जल की कमी वाले क्षेत्रों में यूकेलिप्टस जैसी अधिक जल-खपत वाली या पारिस्थितिक रूप से अनुपयुक्त प्रजातियों को लगाने से जल संकट बढ़ सकता है और स्थानीय जल विज्ञान प्रभावित हो सकता है।
- **प्राकृतिक प्रक्रियाओं में व्यवधान:** अनुचित वनीकरण मिट्टी की स्थितियों, जल चक्र, पोषक तत्वों के चक्रण और प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन को बदल सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की प्रत्यास्थता कम हो सकती है।

सही दृष्टिकोण



सबसे पहले स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान करें

पुनर्स्थापन की शुरुआत यह पहचानने से होनी चाहिए कि वह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से वन, घासभूमि, आर्द्रभूमि, झाड़ीदार भूमि या रेगिस्तान है।



स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करें

संरक्षण प्रयासों में उस पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और मजबूत किया जाना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से उस क्षेत्र से संबंधित है।



प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बहाल करें

पारिस्थितिक पुनर्स्थापन में कृत्रिम बदलाव करने के बजाय उस क्षेत्र के प्राकृतिक पारिस्थितिक कार्यों और प्रक्रियाओं को फिर से बहाल किया जाना चाहिए।



पारिस्थितिकी तंत्र-विशिष्ट पुनर्स्थापन

पुनर्स्थापन का उद्देश्य केवल वृक्ष आवरण बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है।

सही दृष्टिकोण

- **पहले देशज पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान करें:** पुनर्स्थापन की शुरुआत यह पहचानने से होनी चाहिए कि क्षेत्र स्वाभाविक रूप से वन, घासभूमि, आर्द्रभूमि, झाड़ीभूमि या रेगिस्तान है।
- **देशज पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करें:** संरक्षण प्रयासों को उस पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और मजबूत करना चाहिए, जो उस परिदृश्य का प्राकृतिक हिस्सा है।
- **प्राकृतिक प्रक्रियाओं को पुनर्स्थापित करें:** पारिस्थितिक पुनर्स्थापन का उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पारिस्थितिक कार्यों और प्रक्रियाओं को पुनः स्थापित करना होना चाहिए, न कि कृत्रिम परिवर्तन थोपना।
- **पारिस्थितिकी तंत्र-विशिष्ट पुनर्स्थापन:** पुनर्स्थापन का उद्देश्य केवल वृक्ष आवरण बढ़ाना नहीं, बल्कि देशज पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करना होना चाहिए।

रायचूर मियावाकी वन

कर्नाटक के रायचूर जिले ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2-0) के अंतर्गत वैज्ञानिक अपशिष्ट उपचार और मियावाकी वनीकरण पद्धति के माध्यम से यकलासपुरा के पुराने कचरा निपटान स्थल को एक हरित पारिस्थितिक संपदा में बदल दिया है।

मियावाकी पद्धति

- यह 1970 के दशक में जापानी वनस्पति विज्ञानी डॉ. अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक वनीकरण तकनीक है।

- यह संभावित प्राकृतिक वनस्पति (PNV) की अवधारणा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत उस वन का पुनर्निर्माण किया जाता है जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से विकसित होता।
- इसमें विभिन्न देशज वृक्ष, झाड़ी और अधस्तलीय वनस्पति प्रजातियों को उच्च घनत्व पर (लगभग 3-5 पौधे प्रति वर्ग मीटर) लगाया जाता है, ताकि कम समय में घना, बहु-स्तरीय वन तैयार किया जा सके।
- यह छोटे शहरी क्षेत्रों और निम्नीकृत भूमि के लिए उपयुक्त है।

रायचूर पहल

- **स्थान:** यकलासपुरा, रायचूर जिला, कर्नाटक
- **भूमि पुनर्स्थापन:** 35 एकड़ के कचरा निपटान स्थल से 62,252 मीट्रिक टन पुराने कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के बाद लगभग 22 एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया।
- **‘कचरे से वन’ मॉडल:** यह निम्नीकृत कचरा-निपटान भूमि को एक उत्पादक पारिस्थितिक परिदृश्य में बदलने को प्रदर्शित करता है।
- पुनरुद्धार की गई भूमि पर देशज प्रजातियों के साथ विकास किया जा रहा है, ताकि पारिस्थितिक कार्यों को पुनर्स्थापित किया जा सके।

महत्व

- **वनीकरण:** निम्नीकृत भूमि पर वन स्थापित करके पारिस्थितिक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करता है।
- भूमि पुनर्स्थापन और शहरी वानिकी को बढ़ावा देता है।
- पक्षियों, कीटों और अन्य छोटे जीवों के लिए आवास उपलब्ध कराकर जैव-विविधता को बढ़ाता है।
- मृदा की गुणवत्ता में सुधार करता है और भूजल के अंतःस्रवण में सहायता करता है।
- कार्बन अवशोषण बढ़ाता है, धूल कम करता है, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करता है और सूक्ष्म जलवायु में सुधार करता है।
- यह जलवायु अनुकूलन क्षमता को मजबूत करते हुए शहरी और शहर के आसपास के परिदृश्यों के पुनर्स्थापन के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

जंगली जल भैंसा

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने संरक्षण और आबादी की पुनर्बहाली में सहायता के लिए असम से जंगली जल भैंसों को स्थानांतरित करने और उन्हें पामेड वन्यजीव अभयारण्य में बाड़ों के भीतर रखने की योजना बनाई है।

परिचय

- जंगली जल भैंसा (Bubalus arnee) घरेलू जल भैंसे का जंगली पूर्वज है।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया का मूल निवासी है।
- यह आर्द्रभूमियों, बाढ़ मैदानों और नदी तटीय घासभूमियों का एक प्रमुख शाकाहारी जीव है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है।

वितरण

- **वैश्विक:** भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया।
- **भारत:** वैश्विक आबादी के 90% से अधिक का निवास भारत में है। प्रमुख आबादी असम में पाई जाती है, जबकि छोटी आबादी छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और महाराष्ट्र (कोलामार्का वनों) में पाई जाती है।
- **महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र:** काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, दिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व।

आवास और विशेषताएँ

- यह बाढ़ मैदानों की घासभूमियों, दलदलों, स्वैम्प, आर्द्रभूमियों, नदी तटीय वनों और जलोढ़ मैदानों में निवास करता है। यह बारहमासी जल निकायों पर निर्भर रहता है और अक्सर कीचड़ में लोटता है।
- इसका शरीर विशाल होता है, शरीर का रंग गहरे धूसर से काले तक होता है, खुर चौड़े होते हैं तथा सींग लंबे और अर्धचंद्राकार होते हैं, जो बोविड परिवार के जीवों में सबसे बड़े होते हैं।
- दोनों लिंगों में सींग पाए जाते हैं। यह एक उत्कृष्ट तैराक भी है।

पारिस्थितिक महत्व

- चराई के माध्यम से घासभूमि की संरचना को बनाए रखता है।
- बीजों का प्रसार करता है और पोषक तत्वों के चक्रण को बढ़ाता है।
- कीचड़ में लोटने के लिए बने गड्ढे तैयार करता है, जो उभयचरों और अन्य जलीय जीवों को सहारा देते हैं।

- इसके संरक्षण से आर्द्रभूमि जैव-विविधता की भी रक्षा होती है, जिसमें भारतीय गैंडा, दलदली हिरण, बंगाल फ्लोरिकन और एशियाई हाथी शामिल हैं।

खतरे

- कृषि, बस्तियों और बुनियादी ढाँचे के कारण आवास का नुकसान।
- घरेलू भैंसों के साथ संकरण से आनुवंशिक शुद्धता में कमी आती है।
- पशुधन से फैलने वाले रोग।
- अवैध शिकार, मानव-वन्यजीव संघर्ष और मिकानिया माइक्रैन्था (Mikania micrantha) जैसे आक्रामक पौधे।

संरक्षण स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट:** संकटग्रस्त (Endangered)
- **CITES:** परिशिष्ट III (नेपाल की आबादी)
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची I (भारत में उच्चतम कानूनी संरक्षण)

संरक्षण उपाय

- आवास पुनर्स्थापन, आर्द्रभूमि और घासभूमि प्रबंधन तथा आक्रामक प्रजातियों का नियंत्रण।
- संरक्षित क्षेत्रों के निकट घरेलू भैंसों की चराई पर प्रतिबंध।
- आबादी की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए आनुवंशिक निगरानी।
- रोगों के प्रसार को कम करने के लिए पशुधन का टीकाकरण।
- संरक्षण और संघर्ष-न्यूनीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय की भागीदारी।

हिन्दी

जंगली जल भैंसा

मजबूत, शांत और भरोसेमंद - किसानों और आर्द्रभूमियों का सच्चा मित्र।

आवास

एशिया में पाए जाते हैं, विशेष रूप से भारत, चीन, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में। ये आर्द्रभूमियों, नदियों, झीलों और कीचड़ वाले क्षेत्रों में रहते हैं।



रूप-रंग

बड़े और शक्तिशाली होते हैं, जिनका शरीर गहरे रंग का और चमकदार, सींग चौड़े और घुमावदार तथा पैर मजबूत होते हैं, जो ताकत और सहनशक्ति के लिए बने होते हैं।

उपयोगिता

खेतों की जुताई, गाड़ियों खींचने और भारी सामान ढोने में मदद करते हैं। इनका दूध गाढ़ा और पोषक होता है।

व्यवहार

शांत, सौम्य और बुद्धिमान होते हैं। ठंडा रहने और अपनी त्वचा की रक्षा करने के लिए पानी या कीचड़ में रहना पसंद करते हैं।



मजबूत और सहनशील जानवर।



पानी और गर्मी पसंद करते हैं।



मुख्य रूप से शाकाहारी - ये घास और जलीय पौधे खाते हैं।



ग्रामीण जीवन में लंबे समय तक रहने वाले और वफादार साथी।

शिपकी ला दर्रा

कोविड-19 महामारी के कारण छह साल तक निलंबित रहने के पश्चात्, 1 अगस्त 2026 को शिपकी ला दर्रे के जरिए भारत-चीन सीमा-पार व्यापार फिर से प्रारंभ हुआ।

परिचय

- शिपकी ला लगभग 4,000 मीटर की ऊँचाई पर स्थित एक उच्च-ऊँचाई वाला मोटर-वाहन योग्य पर्वतीय दर्रा है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत-चीन सीमा पर, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ स्थित है।
- इसे पहले पेमा ला (साझा द्वार) के नाम से जाना जाता था। 1962 के बाद भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) द्वारा इसका नाम बदलकर शिपकी ला कर दिया गया।
- नमगिया दर्रे से पहले भारत का अंतिम गाँव है।
- सतलुज नदी, जिसे तिब्बत में लांगकेन जांगबो के नाम से जाना जाता है, शिपकी ला क्षेत्र के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है।
- यह सदियों से प्राचीन भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग (रेशम मार्ग नेटवर्क) का हिस्सा रहा है। स्वतंत्रता से पहले तिब्बती व्यापारी हिंदुस्तान-तिब्बत सड़क के माध्यम से विशेष रूप से रामपुर बुशहर तक यात्रा करते थे, खासकर लावी मेले के दौरान।

महत्त्व

- यह दर्रा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय चौकियाँ चीनी पक्ष की चौकियों की तुलना में अधिक ऊँचाई पर स्थित हैं।
- 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और बाद में द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत 1990 के दशक की शुरुआत में फिर से खोला गया। बाद में डोकलाम गतिरोध और कोविड-19 महामारी के दौरान इसे निलंबित कर दिया गया।
- मौसमी व्यापार में तिब्बत से ऊन, याक से बने उत्पाद, पशुधन, बोरेक्स और धार्मिक वस्तुएँ आती हैं, जबकि भारत से अनाज, मसाले, सूखे मेवे, लकड़ी और धातु से बनी वस्तुएँ निर्यात की जाती हैं।
- नाथू ला और लिपुलेख दर्रे के विपरीत, शिपकी ला में पारंपरिक रूप से वस्तु-विनिमय प्रणाली का पालन किया जाता रहा है, जिसने भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्ध संबंधों को बनाए रखा है।

ब्रॉड पीक (फालचन कांगरी)

काराकोरम पर्वत शृंखला में ब्रॉड पीक की ढलानों पर एक विशाल हिमस्खलन ने 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान को प्रभावित किया।

परिचय

- ब्रॉड पीक, जिसे स्थानीय रूप से फालचन कांगरी के नाम से जाना जाता है, विश्व का 12वाँ सबसे ऊँचा पर्वत है, जिसकी ऊँचाई 8,051 मीटर है।
- यह गिलगित-बाल्टिस्तान (पाकिस्तान) और शिनजियांग (चीन) की सीमा पर काराकोरम पर्वत शृंखला में स्थित है।
- यह गाशेरब्रूम पर्वत समूह में स्थित है और K2 से लगभग 8 किमी दक्षिण-पूर्व में है। इसका नाम सर मार्टिन कॉनवे (1892) ने इसकी 1.5 किमी चौड़ी शिखर पर्वत-धार के कारण रखा था, जो स्विस् आल्प्स के ब्राइटहॉर्न जैसी दिखाई देती है।
- इस पर पहली बार 1957 में चार सदस्यीय ऑस्ट्रियाई दल ने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन या उच्च-ऊँचाई वाले पोर्टों की सहायता के सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह विश्व के 14 आठ-हजारी पर्वतों में से एक है।
- इसके पाँच प्रमुख शिखर हैं, जिनमें से तीन 8,000 मीटर से अधिक ऊँचे हैं।
- इसका निर्माण भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियाई विवर्तनिक प्लेटों के टकराव से हुआ है और इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट तथा कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं।
- इससे गॉडविन-ऑस्टिन हिमनद और बाल्टोरो हिमनद को जल प्राप्त होता है।
- इसकी चौड़ी शिखर पर्वत-धार और ऊपरी ढलानें स्लैब हिमस्खलन तथा तेज हवाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं।
- यह सेंट्रल काराकोरम राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, जो काराकोरम विसंगति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ वैश्विक तापन के बावजूद कुछ हिमनद अपेक्षाकृत स्थिर बने हुए हैं।



कावेरी नदी

हाल ही में, तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह कर्नाटक की मेकेदातु परियोजना को तब तक मंजूरी न दे, जब तक कि वह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (2007) के फैसले और सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्णय का पालन न करे।

परिचय

- कावेरी एक प्रमुख पूर्व की ओर बहने वाली अंतर्राज्यीय प्रायद्वीपीय नदी है, जिसे लोकप्रिय रूप से “दक्षिण की गंगा” कहा जाता है।
- इसका उद्गम कर्नाटक के कोडगु जिले की ब्रह्मगिरि पहाड़ियों में तलकावेरी से होता है और यह तमिलनाडु के पूम्पुहार के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ यह उपजाऊ कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है।
- यह नदी लगभग 800 किमी लंबी है और लगभग 81,155 वर्ग किमी के बेसिन का जल निकास करती है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में फैला है।
- यह एक बारहमासी नदी है, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून (ऊपरी बेसिन) और उत्तर-पूर्व मानसून (निचले बेसिन) दोनों से जल प्राप्त होता है।
- प्रमुख सहायक नदियाँ:**
 - बायाँ तट:** हरंगी, हेमावती, शिम्शा, अर्कावती
 - दायाँ तट:** लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, नोय्यल, अमरावती
- प्रमुख बाँध:** कृष्णराज सागर और मेट्टूर बाँध।
- बेसिन में स्थित संरक्षित क्षेत्रों में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व शामिल हैं।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA)

- स्थापना:** केंद्र सरकार द्वारा कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018 के अंतर्गत 2018 में गठित किया गया।
- प्रकृति:** यह अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक वैधानिक, अर्ध-न्यायिक निकाय है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा 2018 में बरकरार रखे गए संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करता है।
- कार्यप्रणाली:** यह कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के सहयोग से कार्य करता है।



प्रमुख कार्य:

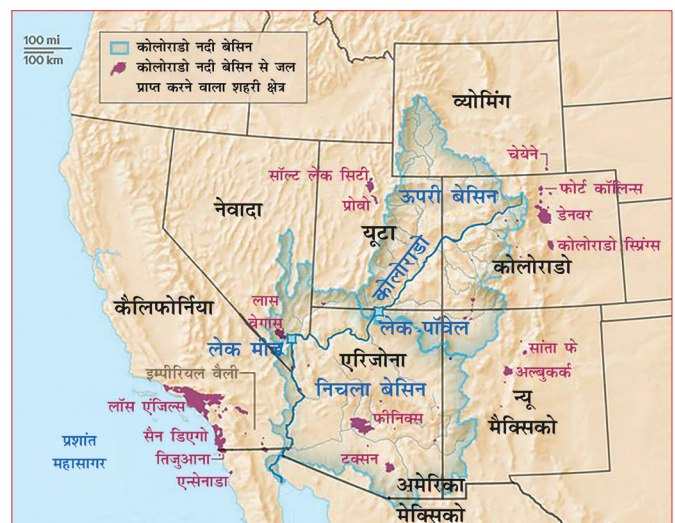
- अंतर्राज्यीय जल प्रवाह को विनियमित करना।
- जलाशयों में जल भंडारण, जल-आवक और जल-निकासी की निगरानी करना।
- कम वर्षा वाले वर्षों में जल की कमी के दौरान जल-बंटवारे का निर्धारण करना।
- जल के कुशल उपयोग और बेहतर सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- वर्तमान मुद्दा:** विवाद का केंद्र जल की कमी वाले वर्षों में जल-बंटवारे और कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना पर

लेक मीड

अमेरिका के सबसे बड़े जलाशय, लेक मीड में पानी का स्तर लगभग 90 साल पहले इसके भरे जाने के बाद से अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है।

परिचय

- लेक मीड कोलोराडो नदी पर हूवर बाँध द्वारा निर्मित एक कृत्रिम जलाशय है, जो एरिजोना-नेवादा सीमा पर स्थित है।
- जब यह पूरी तरह भरा होता है, तो जल क्षमता के आधार पर यह अमेरिका का सबसे बड़ा जलाशय है और इसमें मुख्य रूप से रॉकी पर्वतों से पिघलने वाली बर्फ से जल आता है।
- यह एरिजोना, कैलिफोर्निया, नेवादा और मेक्सिको के कुछ हिस्सों को जल की आपूर्ति करता है, लगभग 2.5 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और बड़े पैमाने पर सिंचाई में सहायता करता है।
- 1999 से लंबे समय तक पड़े सूखे, बढ़ती जल माँग और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल स्तर में तीव्र गिरावट आई है।
- इसके आसपास का क्षेत्र रेगिस्तानी बिगहॉर्न भेड़, माउंटैन लायन, बीवर, कोयोट और चमगादड़ जैसे वन्यजीवों को आश्रय देता है।



कोलोराडो नदी

- यह उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है, जिसे अक्सर “दक्षिण-पश्चिम की जीवनरेखा” कहा जाता है।
- इसका उद्गम रॉकी पर्वतों (कोलोराडो, अमेरिका) में होता है और यह लगभग 2,330 किमी बहने के बाद मेक्सिको की कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है।
- यह अमेरिका के सात राज्यों और मेक्सिको के दो राज्यों से होकर बहती है तथा एक विशाल शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र का जल निकास करती है।
- यह लेक मीड और लेक पोवेल सहित कई प्रमुख जलाशयों का निर्माण करती है।
- इसकी प्रमुख सहायक नदियों में ग्रीन, गनिसन, सैन जुआन, गिला, लिटिल कोलोराडो, डोलोरेस और वर्जिन नदियाँ शामिल हैं।
- इस नदी ने ग्रैंड कैन्यन का निर्माण किया, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह कैन्यनलैंड्स राष्ट्रीय उद्यान से होकर भी बहती है।

तामिराभरणी (पोरुनई) नदी

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तामिराभरणी (पोरुनई) नदी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया, ताकि कचरा फेंकने और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों से होने वाले प्रदूषण से इसकी सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

परिचय

- तामिराभरणी (जिसे ताम्रपर्णी या पोरुनई भी कहा जाता है) एक बारहमासी नदी है, जो पूरी तरह तमिलनाडु के भीतर बहती है।
- इसका उद्गम पश्चिमी घाट की पोथिगई पहाड़ियों में अगस्त्यकूडम चोटी से होता है। यह तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन जिलों से होकर बहती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है।
- इसे दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दोनों मानसून से जल प्राप्त होता है।
- इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मणिमुथार, सेव्वलार, गडानानाथी और चित्तार शामिल हैं।
- प्रमुख बाँधों में करैयार, मणिमुथार, गडानानाथी और रामानाथी शामिल हैं।
- प्राचीन साहित्य में इसे ताम्रपर्णी के नाम से जाना जाता था, जिससे श्रीलंका के प्रारंभिक नामों में से एक टैप्रोबेन/तंबपन्नी की उत्पत्ति हुई।

नदियों का कानूनी व्यक्तित्व

- वर्ष 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को कानूनी व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यावहारिक और प्रशासनिक चिंताओं के कारण इस आदेश पर रोक लगा दी।
- न्यूजीलैंड की वांगानुई नदी 2017 में संसद के अधिनियम के माध्यम से कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त करने वाली विश्व की पहली नदी बनी।

डेन्यूब नदी

एक रूसी हमले ने रोमानिया की सीमा के पास स्थित यूक्रेन के सबसे बड़े डेन्यूब नदी बंदरगाह इजमाइल को निशाना बनाया।

परिचय

- डेन्यूब वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय नदियों में से एक है।
- इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों में ब्रिग और ब्रेग नदियों के संगम से होता है और यह डेन्यूब डेल्टा के माध्यम से काला सागर में गिरती है।
- यह लगभग 2,850 किमी बहती है और 10 देशों से होकर गुजरती है: जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन।
- इसे ऊपरी, मध्य और निम्न धाराओं में विभाजित किया जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में इन, द्रावा, सावा, तिसा और पुत नदियाँ शामिल हैं।
- यह चार यूरोपीय राजधानियों—वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होकर बहती है या उनकी सीमा बनाती है।
- डेन्यूब डेल्टा (रोमानिया-यूक्रेन) एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और यूरोप के सबसे बड़े आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से एक है। यह समृद्ध जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है।
- यह एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग है, जो मध्य और पूर्वी यूरोप को काला सागर से जोड़ता है। राइन-मेन-डेन्यूब नहर के माध्यम से यह उत्तरी सागर और काला सागर के बीच निरंतर नौवहन मार्ग भी प्रदान करता है।
- प्रमुख इंजीनियरिंग परियोजनाओं में सर्बिया और रोमानिया के बीच आयरन गेट I और II जलविद्युत परियोजनाएँ शामिल हैं।

लाइबेरिया

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के अंतर्गत 12 सदस्यीय लाइबेरियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और लैंगिक उत्तरदायी शासन का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया।

परिचय

- **स्थिति:** लाइबेरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। इसकी सीमाएँ सिएरा लियोन (पश्चिम), गिनी (उत्तर), कोट द'इवोआर (पूर्व) तथा अटलांटिक महासागर (दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम) से लगती हैं।
- **ऐतिहासिक महत्व:** यह अफ्रीका का सबसे पुराना गणराज्य है और इथियोपिया के साथ उन देशों में शामिल है जिन्हें किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा औपचारिक रूप से उपनिवेश नहीं बनाया गया।
- **जलवायु:** यहाँ उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु है तथा मौसमी रूप से भारी वर्षा होती है।
- **स्थलाकृति:** माउंट वुटेवे यहाँ की सबसे ऊँची चोटी है। अन्य प्रमुख ऊँचे क्षेत्रों में केप माउंट, केप मेसुराडो और केप पाल्मास शामिल हैं।
- **प्रमुख नदियाँ:** मानो और मोरो नदियाँ उत्तर-पश्चिमी सीमा के एक हिस्से का निर्माण करती हैं, जबकि कैवाला नदी कोट द'इवोआर के साथ सीमा के एक बड़े हिस्से का निर्माण करती है।
- **जैव विविधता:** शेष बचे अपर गिनी वर्षावन का लगभग 35-40% हिस्सा लाइबेरिया में है। सापो राष्ट्रीय उद्यान और गोला वन राष्ट्रीय उद्यान पिग्मी हिप्पोपोटामस और डायना बंदर जैसी प्रजातियों की रक्षा करते हैं।

- **प्राकृतिक संसाधन:** देश में लौह अयस्क, हीरा, सोना, मैंगनीज, ग्रेफाइट और कायनाइट के महत्वपूर्ण भंडार हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय भूमिका:** लाइबेरिया संयुक्त राष्ट्र (1945) और अफ्रीकी एकता संगठन (1963) का संस्थापक सदस्य था, जिसे अब अफ्रीकी संघ (AU) के नाम से जाना जाता है।
- **भारत-लाइबेरिया संबंध:** भारत ने 2007-2016 के दौरान लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र की पहली पूर्णतः महिला पुलिस इकाई तैनात की थी। इससे शांति स्थापना के प्रयासों को मजबूती मिली और सुरक्षा सेवाओं में लाइबेरियाई महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिला।
- **राजधानी:** मोनरोविया



भारत की आपदा वित्तीय संरचना

गृह मंत्रालय (MHA) ने लू और आकाशीय बिजली को भारत में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है, जिससे राज्य तत्काल राहत और दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन, दोनों के लिए समर्पित आपदा निधियों तक पहुँच प्राप्त कर सकेंगे।

संरचना

- **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग (FC) आपदा प्रबंधन निधियों की व्यवस्था के संबंध में सिफारिश करता है।
- **कानूनी ढाँचा:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदा प्रतिक्रिया और शमन के लिए दो-स्तरीय आपदा वित्तपोषण ढाँचा स्थापित करता है।
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF):**
 - ♦ इसे केंद्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है।
 - ♦ यह तत्काल राहत प्रदान करती है, जिसमें आश्रय, भोजन, चिकित्सा सहायता और मुआवजा शामिल हैं।
 - ♦ राज्य लू को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं और अपनी वार्षिक SDRF आवंटन राशि के 10% तक का उपयोग कर सकते हैं।

- **राज्य आपदा शमन निधि (SDMF):**
 - ♦ यह आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण उपायों का समर्थन करती है।
 - ♦ इसके माध्यम से हीट एक्शन प्लान (HAPs), शीतलन आश्रय, पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, नीला-हरित बुनियादी ढाँचा और ठंडी छतों को वित्तपोषित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF):**
 - ♦ इसका पूर्ण वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
 - ♦ जब कोई आपदा गंभीर प्रकृति की होती है और राज्य की वित्तीय क्षमता से अधिक हो जाती है, तब यह राज्यों की सहायता करती है।
- **16वाँ वित्त आयोग (2026-31):**
 - ♦ इसने राज्य आपदा निधियों के लिए ₹2.04 लाख करोड़ की सिफारिश की है, जो पिछले आयोग की तुलना में लगभग 28% अधिक है।
 - ♦ इसमें ₹1.6 लाख करोड़ SDRF के लिए और शेष राशि SDMF के लिए निर्धारित है।
 - ♦ इसने राष्ट्रीय आपदा निधियों के लिए भी ₹79,406 करोड़ की सिफारिश की है।
- **निधि का आवंटन:** राज्यों के बीच निधि का वितरण आपदा जोखिम सूचकांक के आधार पर किया जाता है, जिसमें आपदाओं की आवृत्ति, तीव्रता, जोखिम के संपर्क में आने वाली आबादी/क्षेत्र, संवेदनशीलता और पिछले व्यय को ध्यान में रखा जाता है।
- **कार्यान्वयन:** राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMAs) और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOCs) आपदा निधियों के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।
- **अधिसूचित प्राकृतिक आपदाएँ:** इनमें लू, आकाशीय बिजली, चक्रवात, सूखा, भूकंप, बाढ़, सुनामी, आग, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट आक्रमण तथा पाला एवं शीत लहर शामिल हैं।
- **महत्त्व:** संशोधित ढाँचा हीट एक्शन प्लान में वित्तपोषण की कमी को दूर करता है तथा तत्काल आपदा प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन, दोनों को समर्थन देता है। इससे बढ़ती जलवायु-संबंधी आपदाओं के प्रति भारत की लचीलापन क्षमता मजबूत होती है।

लेक ओंटारियो

अमेरिकी राष्ट्रपति ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर “लेक अमेरिका” करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। कनाडा ने इस कदम का विरोध किया और कहा कि “ओंटारियो” नाम की उत्पत्ति मूलनिवासी वेंडेट समुदाय से हुई है तथा यह 400 से अधिक वर्षों से प्रचलन में है।

लेक ओंटारियो से सम्बंधित प्रमुख तथ्य

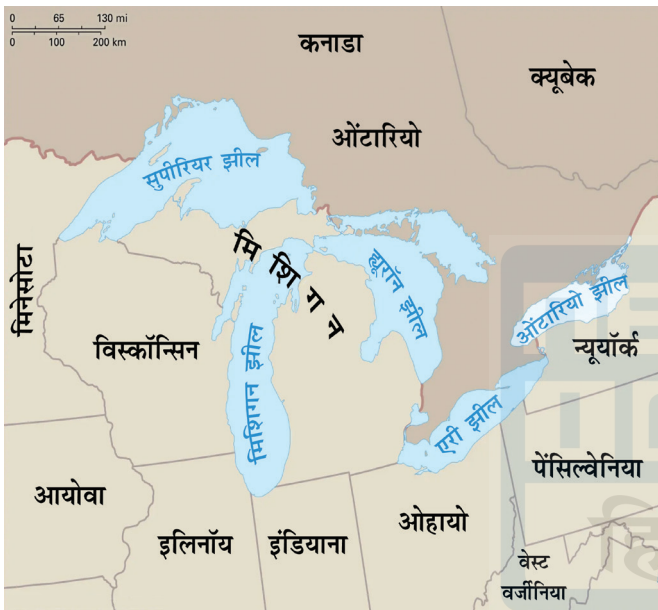
- **स्थिति:** लेक ओंटारियो उत्तरी अमेरिका की पाँच ग्रेट लेक्स में से एक है। यह ओंटारियो (कनाडा) और न्यूयॉर्क (अमेरिका) के बीच स्थित है तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा का हिस्सा बनाती है।

आकार:

- सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटी ग्रेट लेक है।
- यह ग्रेट लेक्स प्रणाली की सबसे पूर्वी झील है और एकमात्र ऐसी ग्रेट लेक है जिसकी सीमा मिशिगन से नहीं लगती।

जलविज्ञान:

- नियाग्रा नदी इसका प्रमुख जल-प्रवाह स्रोत है, जो इसके लगभग 85% जल की आपूर्ति करती है। यह झील सेंट लॉरेंस नदी में जल प्रवाहित करती है, जो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है।
- यह वेलैंड नहर के माध्यम से लेक एरी से भी जुड़ी है और ग्रेट लेक्स-सेंट लॉरेंस नौवहन प्रणाली का हिस्सा है।



- पारिस्थितिक महत्त्व:** यह झील समृद्ध मीठे पानी की जैव विविधता को समर्थन देती है, जिसमें लेक स्टर्जन भी शामिल है, जो संरक्षण संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाली प्रजाति है।

ग्रेट लेक्स प्रणाली:

- ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो शामिल हैं। इनके साथ जुड़ी नहरें और सेंट लॉरेंस सीवे भी इस प्रणाली का हिस्सा हैं।
- ये सभी मिलकर विश्व के लगभग 20% सतही मीठे पानी और अमेरिका के लगभग 90% सतही मीठे पानी को धारण करती हैं तथा अमेरिका और कनाडा में लगभग 4 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराती हैं।

- निर्माण:** इन झीलों का निर्माण अंतिम हिमयुग के बाद लॉरेंटाइड हिमचादर के पीछे हटने से हुआ और लगभग 3,000 वर्ष पहले इन्होंने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया।

परिचय

- अवरोध झील, जिसे भूस्खलन-बंधित झील भी कहा जाता है, एक अस्थायी झील होती है।
- यह तब बनती है जब भूस्खलन, चट्टान गिरने या हिमस्खलन के कारण किसी नदी या जलधारा का प्रवाह पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है।
- ऐसी झीलें सामान्यतः खड़ी पर्वतीय घाटियों में बनती हैं, जहाँ अक्सर भूकंप, भारी वर्षा, हिमनद का ढहना या बड़े पैमाने पर मृदा-चट्टान का खिसकना जैसी घटनाएँ होती हैं।
- चूँकि प्राकृतिक मलबे से बना बाँध स्थिर निकास मार्ग नहीं रखता, इसलिए उसके पीछे पानी लगातार जमा होता रहता है।

निर्माण और खतरे

- लगातार पानी जमा होने के कारण अंततः पानी मलबे के बाँध के ऊपर से बह सकता है या उसे तोड़ सकता है।
- संचित पानी के अचानक बाहर निकलने से भूस्खलन-बंधित झील आकस्मिक बाढ़ (LLOF) आती है।
- LLOF थोड़े समय में लाखों घन मीटर पानी छोड़ सकती है। इससे आकस्मिक बाढ़ आती है, बड़ी मात्रा में तलछट और मलबा बहता है तथा नीचे की ओर द्वितीयक भूस्खलन हो सकते हैं।
- झील बनने के कुछ दिनों के भीतर या कई दशकों बाद भी बाँध टूट सकता है।

LLOF एवं GLOF

- LLOF:** तब होती है जब भूस्खलन द्वारा बनाई गई झील का बाँध अचानक टूट जाता है।
- GLOF:** तब होती है जब हिमनद या हिमोढ़ द्वारा बनाए गए बाँध के पीछे जमा पानी अचानक बाहर निकल जाता है।
- दोनों घटनाओं के प्रभाव समान हो सकते हैं, लेकिन इनमें शामिल प्राकृतिक बाँध का प्रकार अलग होता है।

जांस्कर हिमनदों का धीमा होना

हाल के एक अध्ययन में बताया गया कि लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र के 12 हिमनदों की गति 1992 से 2023 के बीच प्रति दशक औसतन 2.4 मीटर/वर्ष कम हुई, और इसके साथ हिमनदों के पतले होने की गति भी तेज हुई।

हिमनदों का परिचय

- हिमनद भूमि पर बने बर्फ के बड़े और स्थायी पिंड होते हैं, जो सदियों तक बर्फ के जमा होने और संकुचित होने से बनते हैं।
- वे पृथ्वी के लगभग 70% मीठे पानी को संचित रखते हैं और वैश्विक भूमि सतह के लगभग 10% हिस्से को ढकते हैं।
- वे प्राकृतिक मीठे पानी के जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं। गर्म महीनों में पिघला हुआ पानी छोड़कर वे नदियों, पारिस्थितिक तंत्रों और मानव बस्तियों को बनाए रखने में सहायता करते हैं।

अवरोध झीलें (BARRIER LAKES)

भोते कोशी-त्रिशूली नदी तंत्र में एक विशाल बर्फ-चट्टान हिमस्खलन के बाद नेपाल-तिब्बत (चीन) सीमा के पास नई अवरोध झीलें बन गई हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **सतही गति में कमी:** अध्ययन किए गए हिमनदों की औसत सतही गति पिछले तीन दशकों में प्रति दशक 2.4 मीटर/वर्ष कम हुई।
- **तेजी से पतले होना:** हिमनदों के पतले होने की दर लगभग 0.22 मीटर/वर्ष (2000-05) से बढ़कर 0.57 मीटर/वर्ष (2015-20) हो गई।
- **कारण:** बढ़ता तापमान बर्फ के नुकसान को बढ़ाता है। जैसे-जैसे हिमनद पतले होते हैं, उन्हें नीचे की ओर गति देने वाला प्रेरक तनाव कम होता जाता है, जिससे बर्फ को ढलान पर नीचे ले जाने वाला बल कम हो जाता है।
- **बर्फ के परिवहन में कमी:** धीमी गति वाले हिमनद उच्च-ऊँचाई वाले संचयन क्षेत्रों से कम बर्फ को निचले ऊँचाई वाले पिघलने वाले क्षेत्रों तक पहुँचाते हैं, जिससे दीर्घकालिक हिमनद स्थिरता कमजोर होती है।
- **क्षेत्रीय भिन्नता:** हिमनदों की प्रतिक्रिया उनके आकार एवं संरचना, मलबे के आवरण और हिमनद के अग्रभाग की परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होती है।

जास्कर हिमनदों का महत्त्व

- जास्कर क्षेत्र में कुछ बड़े हिमालयी हिमनद स्थित हैं, जिनमें मचोई हिमनद और पार्काचिक हिमनद शामिल हैं।
- ये हिमनद लद्दाख के शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में नदियों, पारिस्थितिक तंत्रों, कृषि और स्थानीय समुदायों के लिए मौसमी मीठे पानी की विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करते हैं।

सिंधु बेसिन पर प्रभाव

- सिंधु नदी के शुष्क गर्मियों के महीनों में, जब वर्षा सीमित होती है, हिमनदों का पिघला हुआ पानी नदी के प्रवाह को बनाए रखता है।

- प्रारंभिक चरण में तेजी से पिघलने के कारण नदी के जल प्रवाह में अस्थायी वृद्धि हो सकती है।
- इस घटना को पीक वाटर कहा जाता है। इसके बाद, जैसे-जैसे हिमनदों में बर्फ का भंडार कम होता जाता है, नदी का प्रवाह धीरे-धीरे घटने लगता है।
- **लगातार हिमनदों के नुकसान से:**
 - ◆ दीर्घकालिक पिघले हुए पानी की उपलब्धता कम हो सकती है।
 - ◆ जल संसाधनों में अनिश्चितता बढ़ सकती है।
 - ◆ कृषि, जलविद्युत, पारिस्थितिक तंत्र और निचले क्षेत्रों की जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

प्रमुख संरक्षण पहल

- **पेरिस समझौता (2015):** वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखने तथा इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करने का लक्ष्य रखता है।
- **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE):** हिमालयी पारिस्थितिक तंत्रों, हिमनदों और जल संसाधनों के लिए अनुसंधान, निगरानी और जलवायु अनुकूलन को समर्थन देता है।
- **उच्च पर्वतीय शिखर सम्मेलन (WMO):** हिमनद निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **अंतरराष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल (ICCI):** हिमनदों और क्रायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए नीतियों को समर्थन देती है।
- **वैश्विक क्रायोस्फीयर निगरानी (GCW) और क्रायोसैट मिशन:** समन्वित अवलोकनों और उपग्रह-आधारित दूरसंवेदी तकनीक के माध्यम से हिमनदों और हिमचट्टानों की निगरानी करते हैं।



भारतीय सशस्त्र बलों का थिएटर-आधारित पुनर्गठन

भारत थिएटराइजेशन की प्रक्रिया पूरी करने के करीब है, जिसके अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायु सेना को संयुक्त थिएटर कमांड के अंतर्गत लाया जा रहा है।

परिचय

- यह थल सेना, वायु सेना और नौसेना की कमान संरचनाओं को एकीकृत करता है तथा संसाधनों को एकल कमांडर के अधीन लाता है, ताकि निर्णय लेने और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम बनाया जा सके।
- वर्तमान में भारत में थल सेना की सात, वायु सेना की सात और नौसेना की तीन कमानें हैं। इसके अतिरिक्त दो त्रि-सेवा कमानें हैं: अंडमान और निकोबार कमान तथा सामरिक बल कमान।
- एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (HQIDS) उच्च स्तरीय रक्षा समन्वय में सहायता करता है।

भारत के लिए थिएटराइजेशन की आवश्यकता

- पारंपरिक कमान संरचना चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों के अनुरूप विकसित नहीं हो पाई है; 2020 की गलवान झड़प और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर ने बड़े पैमाने पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता की आवश्यकता को उजागर किया।
- अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के उदाहरण बताते हैं कि एकीकृत कमानें संचालनात्मक दक्षता और कमान की एकता को बढ़ाती हैं।
- इसका उद्देश्य संयुक्त बहु-क्षेत्रीय युद्ध क्षमता विकसित करना तथा योजना, रसद और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान में सुधार करना है।

प्रस्तावित थिएटर कमानें

- **पश्चिमी थिएटर (पाकिस्तान-केंद्रित):** इसका नेतृत्व वायु सेना का एक अधिकारी करेगा और इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। ऑपरेशन सिंदूर में देखी गई वायु शक्ति की बढ़ती भूमिका को देखते हुए ऐसा किया गया है।
- **उत्तरी थिएटर (चीन-केंद्रित):** इसका नेतृत्व थल सेना का एक अधिकारी करेगा और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। यह हिमालयी क्षेत्र में थल सेनाओं की प्रमुख भूमिका को दर्शाता है।
- **समुद्री थिएटर:** इसका नेतृत्व नौसेना का एक अधिकारी करेगा और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में होगा, जिससे हिंद महासागर की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
- **चार सितारा उप-चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (VCDS)** दैनिक संयुक्त अभियानों को संभालेगा; वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि सीडीएस हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हैं और सैन्य कार्य विभाग के सचिव बने रहेंगे। प्रत्येक कमान में किसी अन्य सेवा से एक उप-कमांडर होगा।

वर्तमान स्थिति

- प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय की समीक्षा और शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी से पहले अंतिम आंतरिक सैन्य परामर्श के दौर से गुजर रहा है; 2021 से इसमें कई संशोधन किए जा चुके हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

- इनमें कमांडरों की अपरिचित क्षेत्रों की सीमित जानकारी, विभिन्न सेनाओं की अलग-अलग कार्य संस्कृतियाँ, अतिरिक्त VCDS स्तर के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में धीमापन, संक्रमण चरण के दौरान रसद संबंधी कमियाँ तथा चीन-पाकिस्तान से एक साथ उत्पन्न खतरों के बीच तैयारियों में कमी जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं।

नागरिक उपयोग के लिए 'गरुड़' दूरबीन

रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत मिनी रत्न श्रेणी-1 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) ने 13 अगस्त 2026 को नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी गरुड़ दूरबीन लॉन्च की।

प्रमुख विशेषताएँ

- 8 गुना आवर्धन और 7.6° दृश्य क्षेत्र दूर की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाते हैं तथा व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं।
- ± 5 डायोप्टर समायोजन उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत दृष्टि के अनुसार फोकस समायोजित करने की सुविधा देता है।
- सॉफ्ट-टच आईकप और एर्गोनॉमिक पकड़ लंबे समय तक आरामदायक उपयोग में सहायता करते हैं।
- इसका मौसम-प्रतिरोधी निर्माण इसे बाहरी उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।
- इसका वजन लगभग 610 ग्राम है, जो सुगमता से ले जाने और स्थिरता के बीच संतुलन प्रदान करता है।
- इसके उपयोगों में पक्षी-दर्शन, वन्यजीव अवलोकन, वानिकी, यात्रा, खेल और समुद्री गतिविधियाँ शामिल हैं।

महत्व

- आयुध निर्माणी, देहरादून द्वारा विकसित GARUD भारत की रक्षा-ऑप्टिकल विशेषज्ञता को नागरिक उपयोगों तक विस्तारित करती है।
- GARUD स्वदेशी रक्षा-ऑप्टिकल क्षमताओं के व्यावसायीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाती है।
- यह IOL के नागरिक ऑप्टिक्स बाजार में प्रवेश को भी चिह्नित करती है, जिससे दशकों के रक्षा उपयोग के दौरान विकसित प्रौद्योगिकियों तक व्यापक पहुँच संभव होगी।

MQ-9B सीगार्डियन HALE RPAS

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने भारतीय नौसेना के लिए दो MQ-9B सीगार्डियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस (HALE) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) को पट्टे पर लेने के लिए जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक. (GA-ASI), अमेरिका के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

MQ-9B सीगार्डियन

- MQ-9B सीगार्डियन, MQ-9B परिवार का समुद्री संस्करण है और इसे खुफिया, निगरानी एवं टोही (ISR) तथा सटीक प्रहार अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह 30 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है, 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर संचालन कर सकता है तथा विशाल समुद्री और स्थलीय क्षेत्रों पर लगातार निगरानी प्रदान कर सकता है।
- यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में गतिविधियों की निरंतर निगरानी को सक्षम बनाकर समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) को बढ़ाता है।
- इस पट्टे से भारतीय नौसेना के पट्टे पर लिए गए HALE RPAS बेड़े की संख्या दो से बढ़कर चार हो जाएगी, जिससे पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर एक साथ निगरानी की जा सकेगी तथा कर्मियों को भविष्य के बेड़े के विन्यास से परिचित होने में मदद मिलेगी।

महत्त्व

- व्यापक MQ-9B कार्यक्रम में भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) सुविधा की स्थापना शामिल है।
- इसमें अनुबंधित MQ-9B बेड़े के एक हिस्से का भारत में असेंबली और निर्दिष्ट घटकों की स्वदेशी खरीद का भी प्रावधान है, जो आत्मनिर्भर भारत, प्रौद्योगिकी अवशोषण और भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहायता करता है।

टेरियर साइबर क्वेस्ट (TCQ) 3-0

प्रादेशिक सेना ने साइबरपीस के सहयोग से टेरियर साइबर क्वेस्ट (TCQ) 3.0 के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है।

परिचय

- TCQ एक राष्ट्रीय स्तर की हैकाथॉन है, जो शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की प्रतिभाओं को एक साथ लाती है।
- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, खतरे को कम करने और डिजिटल जागरूकता के क्षेत्र में नवाचार तथा स्वदेशी तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देती है, जिससे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलती है।
- TCQ 3.0 का आयोजन तीन प्रतियोगिता श्रेणियों के माध्यम से किया जाएगा:
 - बग हंटिंग:** प्रतिभागी एक ऑनलाइन कैप्चर-द-फ्लैग (CTF) क्वालिफायर और उसके बाद लाइव सैंडबॉक्स फिनाले के माध्यम

से अनुकरणित महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा वातावरण में कमजोरियों की पहचान और उनका दस्तावेजीकरण करेंगे।

- AI कवच:** पूर्वानुमानात्मक खतरा खुफिया, स्वचालित साइबर रक्षा और असामान्यता का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) समाधानों पर केंद्रित है।
- क्रिएटर्स चौलेंज:** डीपफेक, फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत सूचना के विरुद्ध जागरूकता अभियान विकसित करने के लिए एक डिजिटल मीडिया और कहानी-वाचन प्रतियोगिता।

महत्त्व

- यह पहल प्रतिभागियों को वास्तविक विश्व के साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा साइबर रक्षा, सूचना सुरक्षा और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास में भारत की क्षमताओं को मजबूत करती है।
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा करने और प्रादेशिक सेना के साथ भविष्य की साइबर सुरक्षा पहलों में योगदान देने के अवसर मिल सकते हैं।

प्रादेशिक सेना (TA)

- प्रादेशिक सेना भारतीय सेना की एक स्वैच्छिक आरक्षित सेना है, जिसमें प्रशिक्षित नागरिक स्वयंसेवक शामिल होते हैं, जो देश की सेवा करते हुए अपने नियमित पेशे को जारी रखते हैं।
- इसे भारत की द्वितीय पंक्ति की रक्षा के रूप में जाना जाता है। यह आंतरिक सुरक्षा, आपदा राहत, आवश्यक सेवाओं के रखरखाव और अन्य संचालनात्मक आवश्यकताओं में नियमित सेना का समर्थन करती है।
- आदर्श वाक्य:** सावधानी व शूरता।

अग्नि-4

भारत ने 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सामरिक बल कमान के अंतर्गत मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया।

परिचय

- यह दो चरणों वाली, परमाणु-सक्षम सतह-से-सतह बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर्स से संचालित होती है।
- इसकी मारक क्षमता 4,000 किमी तक है और यह भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- मिसाइल की लंबाई 20 मीटर, व्यास 1.3 मीटर और वजन लगभग 17 टन है तथा यह लगभग 1,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है।
- इसे सड़क-गतिशील, स्व-निहित प्रक्षेपक से लॉन्च किया जाता है, जिससे इसकी जीवित रहने की क्षमता और संचालनात्मक लचीलापन बढ़ता है।
- अग्नि-4 भारत की अग्नि मिसाइल शृंखला का हिस्सा है, जिसमें अग्नि-1 से अग्नि-V तथा नई अग्नि-प्राइम शामिल हैं।

आईएनएस मैंगरोल

हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), कोच्चि ने भारतीय नौसेना को तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW SWC) INS मैंगरोल सौंपा है।

परिचय

- INS मैंगरोल उन आठ ASW SWC में से तीसरा है, जिन्हें कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कर रहा है।
- इस जहाज का नाम गुजरात के तटीय शहर और छोटे बंदरगाह मैंगरोल के नाम पर रखा गया है, जो अपने समुद्री मत्स्य उद्योग के लिए जाना जाता है।
- यह पूर्व INS मैंगरोल की विरासत को भी आगे बढ़ाता है, जो एक नौसैनिक माइनस्वीपर था और 2004 तक भारतीय नौसेना में सेवा करता रहा।

प्रमुख विशेषताएँ

- इसे मुख्य रूप से उथले तटीय जल में एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ पनडुब्बियों का पता लगाना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।
- यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान (LIMO), खोज एवं बचाव (SAR) अभियानों तथा माइन युद्ध, जिसमें माइन बिछाना भी शामिल है, को भी अंजाम दे सकता है।
- जहाज की लंबाई 78 मीटर और विस्थापन लगभग 900 टन है।
- यह अधिकतम 25 नॉट की गति प्राप्त कर सकता है।
- यह डीजल इंजन-वॉटरजेट प्रणोदन प्रणाली से संचालित होता है, जो उथले जल में उच्च गतिशीलता प्रदान करती है।
- यह प्रभावी पानी के भीतर संचालन के लिए हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी एंटी-सबमरीन रॉकेट, उन्नत रडार और उथले पानी के सोनार से सुसज्जित है।
- पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है, जो रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
- इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त समुद्री वर्गीकरण संस्था डेट नॉक्स वेरिटास (DNV) के वर्गीकरण मानकों के अनुरूप डिजाइन और निर्मित किया गया है।

महत्त्व

- INS मैंगरोल तटीय जल में पनडुब्बी खतरों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाता है।
- यह समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करता है।
- यह परियोजना स्वदेशी रक्षा उत्पादन, तकनीकी आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।

आईएनएस निपुण

भारतीय नौसेना मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) आईएनएस निपुण को नौसेना में शामिल करेगी।

परिचय

- आईएनएस निपुण एक विशेषीकृत डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) है, जिसे गहरे समुद्र में डाइविंग, गोताखोरों को सहायता, पानी के भीतर हस्तक्षेप, बचाव अभियान और अन्य जटिल समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापत्तनम द्वारा लगभग 75% स्वदेशी सामग्री के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करता है।
- इस पोत का निर्माण इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) के वर्गीकरण मानकों के अनुरूप किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- आईएनएस निपुण लंबे समय तक पानी के भीतर संचालन के लिए गहरे समुद्र में सैचुरेशन डाइविंग प्रणालियों से सुसज्जित है। इसका साइड-डाइविंग स्टेज 75 मीटर तक की गहराई में डाइविंग अभियानों को सहायता प्रदान करता है।
- रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (ROVs) 1,000 मीटर तक की गहराई में गोताखोरों की निगरानी और बचाव अभियानों को अंजाम दे सकते हैं।
- यह डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स (DSRVs) के लिए मदर शिप के रूप में कार्य करेगा, जिससे पानी के भीतर आपात स्थिति के दौरान पनडुब्बी कर्मियों को बचाया जा सकेगा।
- यह पोत उन्नत नेविगेशन प्रणालियों, प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों, सटीक स्थिति बनाए रखने की क्षमता और लंबे समय तक पानी के भीतर अभियानों के लिए जहाज पर चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है।

महत्त्व

- आईएनएस निपुण को शामिल किए जाने से गहरे समुद्र में संचालन, पानी के भीतर बचाव, बचाव अभियानों और पनडुब्बी सहायता में भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ेगी।
- 'निपुण' नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ 'कुशल, सक्षम और निपुण' है। इसके प्रतीक-चिह्न में व्हेल और डाइविंग हेलमेट को दर्शाया गया है, जो सहनशक्ति, गोताखोरों की सुरक्षा और गहरे समुद्र में संचालन में उत्कृष्टता का प्रतीक है।
- यह स्वदेशी रक्षा पोत निर्माण और विशेषीकृत समुद्री प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है।

रक्षा उद्योग को मिसाइल प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

रक्षा मंत्री ने सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों के लिए DRDO द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को घरेलू उत्पादन हेतु पात्र भारतीय रक्षा कंपनियों को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है।

परिचय

- यह हस्तांतरण पात्र भारतीय उद्योगों को निर्धारित तकनीकी, प्रमाणन और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद DRDO द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों का निर्माण करने में सक्षम बनाएगा।



प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रकार

- इसका उद्देश्य अनुसंधान और बड़े पैमाने पर उत्पादन के बीच की खाई को पाटना तथा स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को तेजी से सेना में शामिल करना सक्षम बनाना है।
- भारत के पास एक मजबूत स्वदेशी मिसाइल भंडार है, जिसमें अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल शृंखला और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल हैं।
- भारत ने 2024-25 में अब तक का सर्वाधिक ₹1.54 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन दर्ज किया, जबकि रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ तक पहुँच गया।
- सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में ₹1.75 लाख करोड़ और 2029 तक ₹3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन करना है।

मिसाइल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- इसका तात्पर्य अनुसंधान संगठनों से औद्योगिक साझेदारों को या सरकार द्वारा अनुमोदित सहयोग के माध्यम से डिजाइन, उत्पादन, एकीकरण और संचालन संबंधी जानकारी का हस्तांतरण है।
- आधुनिक युद्ध में सटीक निर्देशित और स्टैंड-ऑफ हथियारों की बढ़ती भूमिका के कारण इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है।

महत्व

- उन्नत मिसाइल प्रणालियों के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन को सक्षम बनाकर स्वदेशी विनिर्माण को मजबूत करता है।
- भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र, जिसमें MSME भी शामिल हैं, की भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- स्वदेशी मूल्यवर्धन को बढ़ाता है और एक मजबूत घरेलू रक्षा आपूर्ति शृंखला का निर्माण करता है।
- आयात पर निर्भरता कम करता है और वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के विरुद्ध तैयारियों में सुधार करता है।
- अंतरराष्ट्रीय दायित्वों, जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), के अधीन रहते हुए विनिर्माण आधार का विस्तार करके रक्षा निर्यात को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ

- निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ कुछ उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को सीमित करती हैं।
- कुछ उद्योगों में विशेषीकृत बुनियादी ढाँचे, परीक्षण सुविधाओं और कुशल जनशक्ति की कमी हो सकती है।
- व्यापक औद्योगिक भागीदारी से साइबर खतरों, बौद्धिक संपदा की चोरी और प्रौद्योगिकी के रिसाव का जोखिम बढ़ता है।
- मिसाइल उत्पादन के लिए बड़े पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है और इसकी निर्माण अवधि लंबी होती है।

जबलपुर में टी-सीरीज टैंक ओवरहॉल सुविधा

रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में टी-सीरीज टैंक ओवरहॉल सुविधा की आधारशिला रखी। यह परियोजना भारतीय सेना की टी-72 और टी-90 टैंकों के रखरखाव की क्षमता को बढ़ाएगी और उच्च संचालनात्मक तत्परता सुनिश्चित करेगी।

परिचय

- इस परियोजना का उद्देश्य टी-72 और टी-90 मुख्य युद्धक टैंकों के ओवरहॉल के लिए एक समर्पित सुविधा स्थापित करना है।
- इसे व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर में विकसित किया जा रहा है, जो आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) की एक इकाई है। AVNL एक मिनी रत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU) है।
- परियोजना की अनुमानित लागत ₹472 करोड़ है।

जबलपुर में नई टैंक ओवरहॉल सुविधा

जबलपुर सुविधा की क्षमता  नई सुविधा में प्रतिवर्ष 80 टैंकों की ओवरहॉलिंग करने की क्षमता होगी।	भारतीय सेना की आवश्यकता  भारतीय सेना को हर वर्ष लगभग 230 टैंकों की ओवरहॉलिंग की आवश्यकता होती है।	हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, अवधी (चेन्नई)  हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, अवधी (चेन्नई) की सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा क्षमता 150 टैंक है।	जबलपुर सुविधा क्षमता की कमी को पूरा करेगी  +  जबलपुर सुविधा व्हीकल क्षमता की कमी को पूरा करेगी और भारत के लिए एच टैंकों की गति पर उपलब्ध सुविधा होगी। नकलपुर 80 + अवधी 150 = कुल 230
--	---	--	--

महत्व

- यह परियोजना सेना के बख्तरबंद बेड़े की संचालनात्मक तत्परता और सेवा अवधि में सुधार करेगी।
- यह स्वदेशी रक्षा परिसंपत्तियों के लिए भारत की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) क्षमता को मजबूत करेगी।
- यह पहल जबलपुर की रक्षा विनिर्माण और रखरखाव के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थिति को और मजबूत करेगी।
- यह घरेलू रक्षा बुनियादी ढाँचे को मजबूत करके और बाहरी रखरखाव सहायता पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर भारत पहल का भी समर्थन करती है।
- आधुनिक युद्ध में टैंकों, पैदल सेना, तोपखाने, ड्रोन, वायु शक्ति, निगरानी प्रणालियों और सटीक हथियारों के एकीकरण पर बढ़ती निर्भरता है। इसलिए बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों का कुशल रखरखाव आवश्यक हो जाता है।

रक्षा उत्पादन

- भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग ₹1.80 लाख करोड़ हो गया, जबकि 2014 में यह ₹46,000 करोड़ था।
- वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात बढ़कर लगभग ₹39,000 करोड़ हो गया, जबकि 2014 में यह ₹1,000 करोड़ से कम था। यह भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि को दर्शाता है।

भारत-अमेरिका जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) समझौता

भारत और अमेरिका ने विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) मार्ग के अंतर्गत भारतीय सेना के लिए लगभग 60 जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (ATGM) की सरकार-से-सरकार खरीद के लिए ₹292 करोड़ के लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस (LOA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

जैवलिन मिसाइल प्रणाली

- FGM-148 जैवलिन एक मानव-पोर्टेबल, कंधे से दागी जाने वाली, मध्यम दूरी की, तीसरी पीढ़ी की फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है।

- इसे जैवलिन संयुक्त उपक्रम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और निर्मित किया जाता है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन और RTX (पूर्व मॅरेथियॉन टेक्नोलॉजीज) शामिल हैं।
- इसे मुख्य युद्धक टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, बंकरों और मजबूत किलाबंद ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें पैसिव इमेजिंग इन्फ्रारेड (IIR) सीकर का उपयोग किया जाता है, जो प्रक्षेपण से पहले लक्ष्य पर लॉक हो जाता है और पूरी उड़ान के दौरान उसे स्वचालित रूप से ट्रैक करता है।
- इसमें टॉप-अटैक क्षमता है, जिसके अंतर्गत टैंकों के अपेक्षाकृत कमजोर ऊपरी कवच पर प्रहार किया जाता है। यह बंकरों और इमारतों के विरुद्ध डायरेक्ट-अटैक मोड में भी कार्य कर सकती है।
- इसमें सॉफ्ट-लॉन्च क्षमता है, जिससे न्यूनतम बैकब्लास्ट के साथ बंकरों और इमारतों जैसी सीमित जगहों से सुरक्षित रूप से फायर किया जा सकता है।
- इसकी प्रभावी संचालनात्मक सीमा लगभग 2.5-4 किमी है और इसका वजन लगभग 22 किलोग्राम है, जिससे पैदल सेना के लिए उच्च गतिशीलता सुनिश्चित होती है।
- यह युद्ध में प्रमाणित प्रणाली है और इराक, अफगानिस्तान तथा यूक्रेन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा चुकी है।

खरीद के प्रमुख पहलू

- खरीद आपातकालीन खरीद (EP-6) की छठी किश्त के अंतर्गत की जा रही है, जो प्रत्येक उपकरण श्रेणी के लिए ₹300 करोड़ तक की त्वरित खरीद की अनुमति देती है।
- आपूर्ति वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान प्रारंभ होने की उम्मीद है।
- इन मिसाइलों का उद्देश्य महत्वपूर्ण एंटी-आर्मर और बंकर-भेदी क्षमता की कमियों को दूर करना है, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद।
- भारत ने तत्काल संचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2019 में आपातकालीन खरीद के अंतर्गत सीमित संख्या में Spike-LR ATGM की खरीद पहले भी की थी।

स्वदेशी मानव-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM)

- डीआरडीओ द्वारा विकसित MPATGM का उद्देश्य पुराने Milan-2T और Konkurs मिसाइल प्रणालियों को प्रतिस्थापित करना है।
- यह तीसरी पीढ़ी की, फायर-एंड-फॉरगेट ATGM है, जिसमें टॉप-अटैक क्षमता है।
- जनवरी 2026 में इसने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित KK रेंज में उड़ान परीक्षण के दौरान एक गतिशील लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा।
- इसमें IIR सीकर, टैंडम वारहेड, प्रणोदन प्रणाली, फायर-कंट्रोल प्रणाली और पूर्णतः विद्युत नियंत्रण एक्ज्युशन प्रणाली जैसी स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
- इसे ट्राइपॉड और वाहन पर लगाए गए प्रक्षेपकों से लॉन्च किया जा सकता है तथा यह दिन और रात दोनों समय संचालन में सक्षम है।
- भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) इसके विकास-सह-उत्पादन साझेदार (CoPPs) हैं।

महत्त्व

- यह खरीद भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूत करती है और भारतीय सेना की एंटी-आर्मर क्षमता को बढ़ाती है।
- यह तत्काल संचालनात्मक समाधान उपलब्ध कराती है, जबकि स्वदेशी MPATGM के चरणबद्ध समावेशन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को भी समर्थन देती है।

शांति नियम, 2026 का मसौदा

परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने भारत में परिवर्तन के लिए सतत् परमाणु ऊर्जा दोहन और उन्नति (SHANTI) अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए मसौदा शांति नियम, 2026 जारी किए हैं।

शांति अधिनियम, 2025

- भारत के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के अगले चरण के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- परमाणु ऊर्जा के लिए एक आधुनिक और एकीकृत नियामक ढाँचा स्थापित करता है।
- रणनीतिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखते हुए विनियमित निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाता है।
- लाइसेंसिंग, नागरिक परमाणु दायित्व और मुआवजे के ढाँचे को मजबूत करता है।
- बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, उद्योग, अनुसंधान और नवाचार में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है।
- परमाणु सुरक्षा, संरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आपातकालीन तैयारियों को सुनिश्चित करता है।
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को समर्थन देता है।

मसौदा शांति नियम, 2026 के प्रमुख प्रावधान

- एकल समग्र लाइसेंस: निर्माण, स्वामित्व, संचालन और निष्क्रियकरण को

कवर करने वाला एकीकृत लाइसेंस प्रस्तुत करता है, जिससे कई लाइसेंसिंग चरणों में कमी आएगी।

- सैद्धांतिक मंजूरी:** रिएक्टर प्रौद्योगिकी या परियोजना स्थल को अंतिम रूप देने से पहले प्रारंभिक मंजूरी की अनुमति देता है, जिससे शुरुआती निवेश, भूमि अधिग्रहण और विक्रेताओं के साथ बातचीत को सुगम बनाया जा सके।
- नागरिक दायित्व:** परमाणु संचालकों पर सख्त, बिना-दोष दायित्व लागू करता है, जिसमें परमाणु सामग्री के परिवहन के दौरान होने वाली दुर्घटनाएँ भी शामिल हैं।
- वित्तीय सुरक्षा:** परियोजना के पूरे जीवन चक्र के दौरान बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा अनिवार्य करता है, जिसमें प्रयुक्त ईंधन प्रबंधन, रेडियोधर्मी कचरे का निपटान, निष्क्रियकरण और स्थल का पुनर्स्थापन शामिल है।
- दायित्व की समीक्षा:** प्रत्येक पाँच वर्ष में संचालक के दायित्व की सीमाओं की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति की आवश्यकता होगी।
- सरकार का दायित्व:** निर्दिष्ट केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली प्रतिष्ठानों बीमा से मुक्त रह सकती हैं, जिनका दायित्व केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- विस्तारित उपयोग:** परमाणु ऊर्जा के उपयोग को कैप्टिव बिजली, हाइड्रोजन उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रिया ताप, चिकित्सा आइसोटोप उत्पादन, शिक्षा, अनुसंधान, सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा केंद्रों तक विस्तारित करता है।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)

- SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं, जिनकी क्षमता पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की लगभग एक-तिहाई होती है।
- इनका निर्माण कारखानों में किया जाता है, ये मॉड्यूलर होते हैं और इन्हें अपेक्षाकृत तेजी से स्थापित किया जा सकता है।
- ये दूरदराज के क्षेत्रों, औद्योगिक समूहों और विकेंद्रीकृत निम्न-कार्बन बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं।

महत्त्वपूर्ण सैन्य अभ्यास

नाम (वर्ष)	स्थान	प्रकृति	प्रतिभागी	प्रमुख बिंदु
मैत्री-XV	विभावदी रंगसित कैंप, सूरत थानी, थाईलैंड	सैन्य	भारत और थाईलैंड	संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत जंगल और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संयुक्त आतंकवाद-रोधी/विद्रोह-रोधी अभियानों का संचालन।
पिच ब्लैक	ऑस्ट्रेलिया	वायु सेना	बहुराष्ट्रीय	‘पिच ब्लैक’ नाम बड़े निर्जन क्षेत्रों में रात्रिकालीन उड़ान पर जोर देने से लिया गया है। बड़े निर्जन क्षेत्रों में रात्रिकालीन उड़ान पर विशेष जोर।
उदारा शक्ति	मलेशिया	वायु सेना	भारत-मलेशिया	एक साथ प्रशिक्षण और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना।

भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ

भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ (IACS) ने 2026 में 150 वर्ष पूरे किए, जो भारतीयों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित भारत के पहले राष्ट्रीय संस्थान की स्मृति का प्रतीक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 18वीं और 19वीं शताब्दी के बंगाल पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कसंगत सोच, आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा दिया।
- इस बौद्धिक जागरण ने भारत में स्वदेशी वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव रखी।

IACS के बारे में



स्थापना

डॉ. महेंद्रलाल सरकार ने 1869 में कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन के माध्यम से इसका प्रस्ताव रखा और 1876 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में इसकी स्थापना की गई।

यह भारतीयों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान है, जिसकी स्थापना स्वदेशी वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जन सहयोग से की गई थी।

महत्त्व



यह एक स्वायत्त सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान है, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।



प्रकृति

इसका संचालन गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाता है, जो इसकी सर्वोच्च नीति-निर्माण संस्था है।

प्रशासन



वैज्ञानिक विरासत

- वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता:** औपनिवेशिक शासन के दौरान सीमित अवसरों के बावजूद भारतीयों को मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम बनाया, जिससे IACS वैज्ञानिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बना।
- सी.वी. रमन:** IACS में रमन प्रभाव की खोज की, जिसकी घोषणा 28 फरवरी 1928 को की गई। इससे पता चला कि पारदर्शी पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करने के बाद प्रकीर्णित प्रकाश का एक छोटा अंश तरंगदैर्घ्य (या आवृत्ति) में परिवर्तन करता है।
 - उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने।
- संबद्ध वैज्ञानिक:** जगदीश चंद्र बोस (रेडियो विज्ञान और पादप शरीर क्रिया विज्ञान), मेघनाद साहा (साहा आयनीकरण समीकरण), और सत्येंद्र नाथ बोस (बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी और बोसॉन)।

प्रयोगशाला में विकसित हीरे

प्रयोगशाला में विकसित हीरे प्राकृतिक हीरों के एक टिकाऊ, नैतिक और संसाधन-कुशल विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।

बदलाव के कारण

- आर्गाइल (ऑस्ट्रेलिया) और डियाविक (कनाडा) सहित प्रमुख हीरा खदानें अपने उत्पादक जीवन के अंत तक पहुँच चुकी हैं।
- लगभग 40 खदानें वैश्विक हीरा उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं और इनमें से कई के अगले 50 वर्षों के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है।
- परिणामस्वरूप, वैश्विक प्राकृतिक हीरा उत्पादन कई दशकों के निम्नतम स्तर तक गिर गया है।

हीरा खनन से संबंधित चिंताएँ

- पर्यावरणीय प्रभाव:** खनन से वनों की कटाई, आवास का नुकसान, मृदा अपरदन, जल प्रदूषण और बड़े पैमाने पर भूमि में परिवर्तन होता है।
 - इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है।
- स्वास्थ्य जोखिम:** खदानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के एस्बेस्टस के संपर्क में आने की संभावना होती है, जिससे एस्बेस्टोसिस, प्लूरल प्लाक और मेसोथेलियोमा का जोखिम बढ़ जाता है।
- रक्त हीरे:** ये ऐसे हीरे हैं जिनका अवैध व्यापार सशस्त्र संघर्षों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
 - यद्यपि किम्बर्ली प्रक्रिया संघर्ष-मुक्त हीरों को प्रमाणित करने का प्रयास करती है, फिर भी नियामक अंतराल अवैध व्यापार को जारी रखने में सक्षम बनाते हैं।
- उच्च कार्बन पदचिह्न:** हीरे के खनन और प्रसंस्करण से पर्याप्त मात्रा में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हो सकता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरों का उत्सर्जन भी उत्पादन के दौरान उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा स्रोत के आधार पर अलग-अलग होता है।

प्रयोगशाला में विकसित हीरे

- पहले सफल कृत्रिम हीरे का उत्पादन 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक (GE) द्वारा प्रोजेक्ट सुपरप्रेसर के अंतर्गत किया गया था।
- ये रासायनिक, भौतिक और प्रकाशीय रूप से प्राकृतिक हीरों के समान होते हैं।
- संघटन:** शुद्ध कार्बन
- क्रिस्टल संरचना:** घनाकार क्रिस्टल जालक, जो प्राकृतिक हीरों के समान होता है।
- इनका उत्पादन निम्नलिखित विधियों से किया जाता है:**
 - उच्च दाब उच्च तापमान (HPHT):** पृथ्वी के मेंटल में पाए जाने वाले उच्च दाब और तापमान की परिस्थितियों की प्रतिकृति तैयार करता है।
 - रासायनिक वाष्प निक्षेपण (CVD):** कार्बन-समृद्ध गैस से कार्बन परमाणुओं को हीरे के बीज क्रिस्टल परत पर परत के रूप में जमा करता है।

प्राकृतिक और प्रयोगशाला में विकसित हीरों की तुलना

यह तालिका प्राकृतिक हीरों और प्रयोगशाला में विकसित हीरों की तुलना प्रस्तुत करती है, जो प्राकृतिक हीरा परिषद की 2025 की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है।

मानदंड	प्राकृतिक हीरे	प्रयोगशाला में विकसित हीरे
भारत में प्रति कैरेट लागत	₹1.5-7 लाख	₹80,000
जल खपत	0.077 m ³ /ct	0-0.002 m ³ /ct
ऊर्जा खपत	150 kWh/ct (DeBeers)	36 kWh/ct (HPHT) 214.7 kWh/ct (MP-CVD)
CO ₂ उत्सर्जन	160 kg/ct	17-260 kg/ct

हीरे की कीमतें 4Cs – कैरेट, कट, रंग और स्पष्टता – के आधार पर अलग-अलग होती हैं। दिए गए मूल्य प्रतिनिधि बाजार श्रेणियाँ हैं।

- कई प्रयोगशाला में विकसित हीरों में प्राकृतिक हीरों के विपरीत बहुत कम या बिल्कुल भी नाइट्रोजन अशुद्धियाँ नहीं होती हैं।

लाभ

- कम पर्यावरणीय प्रभाव:** पारंपरिक खनन की तुलना में सामान्यतः कम भूमि, पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- संदर्भ-मुक्त और पता लगाने योग्य:** ये रक्त हीरों से जुड़ी नैतिक चिंताओं से बचते हैं।
- कम कार्बन पदचिह्न:** नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके निर्मित किए जाने पर इनके उत्सर्जन में काफी कमी आती है।

बाजार की प्रवृत्तियाँ

- वर्ष 2024 तक, भारत विश्व के लगभग 90% हीरों का प्रसंस्करण करता है और मूल्य के आधार पर वैश्विक हीरा कारोबार में लगभग 75% हिस्सेदारी रखता है।
- प्रयोगशाला में विकसित हीरों का बाजार 2024 में वैश्विक हीरा बाजार के 12% से बढ़कर 2029 तक 16% होने का अनुमान है।

महत्व

- प्रयोगशाला में विकसित हीरे टिकाऊ विनिर्माण, संसाधन दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन करते हैं।
- वे सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करके और उत्पाद के पूरे जीवन-चक्र में पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करके चक्र्रीय अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित पैलेटाइजिंग

फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स (FMI) के अनुसार, वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पैलेटाइजिंग और डी-पैलेटाइजिंग बाजार के 2026 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2036 तक 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित पैलेटाइजिंग और डी-पैलेटाइजिंग

- अर्थ:** यह एक औद्योगिक स्वचालन तकनीक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर विज्ञान, मशीन लर्निंग और रोबोटिक भुजाओं को संयोजित करके सामान को पैलेट पर स्वचालित रूप से व्यवस्थित करना (पैलेटाइजिंग) और पैलेट से सामान उतारना (डी-पैलेटाइजिंग) संभव बनाती है।
- उद्देश्य:** यह गोदामों और विनिर्माण सुविधाओं में गति, सटीकता, सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करती है।

आवश्यकता

- पारंपरिक रोबोटिक पैलेटाइजर निश्चित प्रोग्रामिंग के आधार पर कार्य करते हैं और एक समान पैकेजों के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
- इन्हें मिश्रित स्टॉक कीपिंग यूनिट्स (SKUs), अनियमित पैकेजिंग और क्षतिग्रस्त कार्टों को संभालने में कठिनाई होती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित प्रणालियाँ पैकेज के बदलते आकार, आकृति और विन्यास के अनुसार स्वचालित रूप से अनुकूलित हो जाती हैं, जिसके लिए मैनुअल पुनः-प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं होती।

कार्यप्रणाली

- कंप्यूटर विज्ञान:** उच्च-रिजॉल्यूशन कैमरे प्रत्येक पैकेज को स्कैन करके वास्तविक समय में उसके आकार, आकृति, अभिविन्यास और स्थिति की पहचान करते हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग:** प्रणाली सबसे उपयुक्त पकड़ने के बिंदु की पहचान करती है और सबसे सुरक्षित तथा स्थिर स्टैकिंग पैटर्न की गणना करती है।
- रोबोटिक क्रियान्वयन:** बहु-अक्षीय रोबोटिक भुजाएँ पैकेजों को उठाती हैं, व्यवस्थित करती हैं और उतारती हैं तथा वास्तविक समय में सेंसर से प्राप्त प्रतिक्रिया का उपयोग करके अपनी गति को लगातार समायोजित करती हैं।
- निरंतर सीखना:** मशीन लर्निंग मॉडल वास्तविक समय के परिचालन आँकड़ों का उपयोग करके स्टैकिंग दक्षता, पकड़ने की सटीकता और परिचालन त्रुटियों से उबरने की क्षमता में लगातार सुधार करते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- एक ही पैलेट पर अलग-अलग आकार, आकृति और वजन वाले मिश्रित SKUs को संभालना।
- मैनुअल पुनः-प्रोग्रामिंग के बिना अनियमित और क्षतिग्रस्त पैकेजों के अनुसार अनुकूलित होना।
- कंप्यूटर विज्ञान का उपयोग करके वास्तविक समय में गुणवत्ता निरीक्षण करना।
- पैलेट की स्थिरता, भंडारण घनत्व और सामग्री प्रबंधन दक्षता को अनुकूलित करना।
- मैनुअल हस्तक्षेप, परिचालन त्रुटियों और कार्यस्थल पर होने वाली चोटों को कम करना।

वेयरहाउसिंग और वितरण में उपयोग



ई-कॉमर्स और थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) वेयरहाउस



फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) वितरण



खाद्य और पेय पदार्थों की पैकेजिंग



फार्मास्यूटिकल और रासायनिक उद्योग

चुनौतियाँ

- रोबोटिक प्रणालियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर और विजन सेंसर में उच्च प्रारंभिक निवेश।
- पुरानी कन्वेयर प्रणालियों और वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (WMS) के साथ जटिल एकीकरण।
- विश्वसनीय सेंसर डेटा और निर्बाध सॉफ्टवेयर एकीकरण पर निर्भरता।
- यदि रोबोटिक त्रुटि से उबरने की क्षमता अपर्याप्त हो, तो परिचालन में विलंब हो सकती है।

महत्व

- गोदाम की उत्पादकता और परिचालन दक्षता में सुधार करता है।
- श्रम-प्रधान दोहराव वाले कार्यों को कम करता है।
- भारी वजन उठाने के कार्य को स्वचालित करके श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाता है।
- उद्योग 4.0, स्मार्ट विनिर्माण और बुद्धिमान लॉजिस्टिक्स को समर्थन देता है।
- तेज और अधिक विश्वसनीय सामग्री प्रबंधन के माध्यम से आपूर्ति शृंखला की दक्षता को मजबूत करता है।

लेप्टोस्पायरोसिस

केरल में 2026 में लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों और मौतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है।

परिचय

- लेप्टोस्पायरोसिस एक जूनोटिक जीवाणु रोग है, जो *Leptospira* जीवाणु के कारण होता है।
- यह संक्रमित पशुओं के मूत्र या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से या संक्रमित मूत्र से दूषित पानी, मिट्टी या भोजन के माध्यम से फैलता है।
- जीवाणु त्वचा पर कट या खरोंच के माध्यम से अथवा आँखों, नाक या मुँह के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं।
- एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण दुर्लभ है।

जोखिम कारक

- यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है, जहाँ अधिक वर्षा, आर्द्रता और बाढ़ जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।
- अधिक जोखिम वाले लोगों में किसान, पशु-पालक, स्वच्छता कर्मचारी, बाहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिक, माली और तैराकी या दूषित पानी में चलने जैसी जल-आधारित गतिविधियों में शामिल लोग आते हैं।

लक्षण और जटिलताएँ

- **सामान्य लक्षण:** तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, आँखों का लाल होना, पीलिया, पेट में दर्द, दस्त, त्वचा पर चकते और फ्लू जैसी बीमारी।

- गंभीर संक्रमण से गुर्दे की विफलता, यकृत की विफलता, मैनंजाइटिस, श्वसन संबंधी जटिलताएँ, बहु-अंग विफलता और उपचार न मिलने पर मृत्यु हो सकती है।

उपचार

- **हल्के मामले:** डॉक्सीसाइक्लिन या पेनिसिलिन जैसी मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार किया जाता है।
- **गंभीर मामले:** अस्पताल में भर्ती करने और अंतःशिरा (IV) एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता होती है।

प्रमुख तथ्य

- केरल में 1989 से लेप्टोस्पायरोसिस के मामले सामने आते रहे हैं।
- यह तीन दशकों से अधिक समय से स्थानिक बना हुआ है और वर्तमान में राज्य में संचारी रोगों के बीच इसकी मृत्यु दर सबसे अधिक है।

भारतीय नक्षत्रमंडल के साथ नौवहन

सरकार ने संसद को सूचित किया कि नाविक (NavIC) ने अस्थायी रूप से अपनी स्वतंत्र स्थिति निर्धारण क्षमता खो दी है, क्योंकि वर्तमान में केवल तीन नौवहन उपग्रह स्थिति निर्धारण, नौवहन और समय निर्धारण (PNT) सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जबकि स्वतंत्र स्थिति निर्धारण के लिए कम से कम चार उपग्रह आवश्यक हैं।

नाविक (NavIC) का परिचय

- NavIC (भारतीय नक्षत्रमंडल के साथ नौवहन) भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- व्यापक सार्वजनिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2016 में इसका नाम बदलकर NavIC कर दिया गया।
- यह पूरे भारत और इसकी सीमाओं से 1,500 किमी तक के क्षेत्र में स्थिति निर्धारण, नौवहन और समय निर्धारण (PNT) सेवाएँ प्रदान करता है।
- मूल नक्षत्रमंडल को 7 उपग्रहों के साथ डिजाइन किया गया था, जिसमें 3 भूस्थिर और 4 झुके हुए भू-समकालिक उपग्रह शामिल थे।
- ISRO ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिस्थापन उपग्रहों सहित 11 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं।
- **संकेत:** NavIC L5 और S बैंड में नौवहन संकेत प्रसारित करता है, जिसमें S-बैंड उपग्रह नौवहन प्रणालियों के बीच इसकी एक विशिष्ट विशेषता है।

स्वतंत्र नौवहन पर प्रभाव के कारण

- वर्ष 2016 में प्रक्षेपित IRNSS-1F ने अपना निर्धारित मिशन जीवन पूरा कर लिया और मार्च 2026 में इसकी परमाणु घड़ी ने कार्य करना बंद कर दिया, जिससे परिचालन नौवहन उपग्रहों की संख्या कम हो गई।
- वर्तमान में केवल IRNSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01 PNT सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

- एक नौवहन रिसीवर त्रिपक्षीय मापन का उपयोग करता है। इसे त्रि-आयामी स्थिति (अक्षांश, देशांतर और ऊँचाई) निर्धारित करने के साथ-साथ रिसीवर की घड़ी की त्रुटि को ठीक करने के लिए कम से कम चार उपग्रहों की आवश्यकता होती है।
- परिणामस्वरूप, स्वतंत्र स्थिति निर्धारण उपलब्ध नहीं है, हालाँकि समय निर्धारण सेवाएँ और एकतरफा आपातकालीन संदेश प्रसारण कार्य करना जारी रखते हैं।

महत्व

- **उपयोगकर्ताओं पर सीमित प्रभाव:** अधिकांश स्मार्टफोन, विमान, जहाज और वाहन बहु-नक्षत्र GNSS रिसीवर का उपयोग करते हैं, जो GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou और NavIC से संकेतों को संयोजित करते हैं। इसलिए नौवहन सेवाएँ न्यूनतम व्यवधान के साथ जारी रहती हैं।
- **रणनीतिक महत्व:**
 - ♦ NavIC विदेशी नौवहन प्रणालियों पर निर्भरता कम करके भारत की तकनीकी और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करता है।
 - ♦ यह रक्षा, आपदा प्रबंधन, विमानन, समुद्री नौवहन, रेलवे, सड़क परिवहन, सटीक कृषि तथा सर्वेक्षण और मानचित्रण में सहायता करता है।
 - ♦ यह आपात स्थितियों या भू-राजनीतिक व्यवधानों के दौरान नौवहन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है।

भविष्य की रूपरेखा

- NVS-03 प्रक्षेपण के लिए तैयार है, जबकि NVS-04 और NVS-05 विकास के अधीन हैं।
- इन उपग्रहों से पूर्ण परिचालन नक्षत्रमंडल और NavIC की स्वतंत्र स्थिति निर्धारण क्षमता बहाल होने की उम्मीद है।

भारत समक्ष वैज्ञानिक प्रतिभा को बनाए रखने की चुनौती

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से लगभग 120 वैज्ञानिकों के इस्तीफा देने की हालिया रिपोर्टों ने वैज्ञानिक प्रतिभा को बनाए रखने की भारत की क्षमता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

प्रतिभा पलायन

- प्रतिभा पलायन बेहतर करियर अवसरों की तलाश में अत्यधिक कुशल और शिक्षित पेशेवरों का दूसरे देशों में प्रवासन है।
- भारत में इसमें मुख्य रूप से वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी पेशेवर और शिक्षाविद शामिल हैं, जो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जा रहे हैं।
- 2015 और 2022 के बीच लगभग 1.3 मिलियन भारतीय विदेश गए, जिनमें से कई अत्यधिक कुशल पेशेवर थे।

इसरो में कर्मचारियों का पलायन

- **कठोर संस्थागत पदानुक्रम:** कई अनुसंधान संस्थान अभी भी पदानुक्रमित प्रशासनिक संरचनाओं के माध्यम से कार्य करते हैं, जो वैज्ञानिक स्वतंत्रता को सीमित करती हैं।

- **नौकरशाही संस्कृति:** प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और पद-स्थिति अक्सर शैक्षणिक योग्यता, रचनात्मकता और साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान पर हावी हो जाती हैं।
- **बेहतर व्यावसायिक अवसर:** वैज्ञानिक तेजी से निजी अनुसंधान संगठनों, डीप-टेक कंपनियों, विदेशी विश्वविद्यालयों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगों से जुड़ रहे हैं, जहाँ उन्हें अधिक अनुसंधान स्वायत्तता मिलती है।
- **अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश:** भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद (GERD) का अनुपात केवल लगभग 0.6-0.7% बना हुआ है, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान केवल लगभग 36% है, जो प्रमुख नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
- **सीमित अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र:** उन्नत प्रयोगशालाओं, आधुनिक बुनियादी ढाँचे, वैश्विक सहयोगों और दीर्घकालिक करियर अवसरों तक अपर्याप्त पहुँच प्रवासन को प्रोत्साहित करती है।
- **आर्थिक और जीवन-शैली संबंधी कारक:** अधिक वेतन, बेहतर अनुसंधान वित्तपोषण, बेहतर बुनियादी ढाँचा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, बेहतर जीवन स्तर और अंतरराष्ट्रीय पहचान भी वैज्ञानिकों को विदेश आकर्षित करते हैं।

सरकारी पहल

- **अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना:** निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास और डीप-टेक नवाचार को मजबूत करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का कोष।
- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF):** रणनीतिक वित्तपोषण के माध्यम से अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी का विस्तार करती है।
- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, IndiaAI मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, BioE3 नीति, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 और अटल नवाचार मिशन (AIM) का उद्देश्य भारत के वैज्ञानिक और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।**

आगे की राह

- अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाना।
- वैज्ञानिक संस्थानों में शैक्षणिक स्वायत्तता, पारदर्शी शासन और प्रभावी शिकायत निवारण को बढ़ावा देना।
- योग्यता-आधारित नेतृत्व, मार्गदर्शन और अंतर्विषयक सहयोग को मजबूत करना।
- विश्वस्तरीय अनुसंधान बुनियादी ढाँचा विकसित करना और प्रतिस्पर्धी करियर अवसर प्रदान करना।
- ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना जहाँ वैज्ञानिक स्वतंत्रता, नवाचार और मौलिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे भारत अपनी सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रतिभा को बनाए रखने और विकसित करने में सक्षम हो।

भारत का पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के विरुद्ध भारत का पहला स्वदेशी MA-104 कोशिका रेखा-आधारित जीवित क्षीणीकृत टीका विकसित किया है।

टीके का परिचय

- इसे ICAR-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD), भोपाल द्वारा विकसित किया गया है।
- यह एक जीवित क्षीणीकृत टीका है, जिसे विशिष्ट जीन विलोपन वाले क्षीणीकृत जीनोटाइप II ASFV का उपयोग करके विकसित किया गया है।
- इसमें MA-104 कोशिका रेखा का उपयोग किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर और लागत-प्रभावी उत्पादन संभव हो जाता है।
- यह आठ सप्ताह से अधिक आयु के स्वस्थ सूअरों के लिए अनुशंसित है।
- इसे 1 मिलीलीटर की अंतःपेशीय इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, जिसके 14 दिन बाद बूस्टर खुराक दी जाती है।

अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF)

- ASF एक अत्यधिक संक्रामक सीमा-पार पशु रोग (TAD) है, जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस के कारण होता है। यह घरेलू सूअरों और जंगली सूअरों को प्रभावित करता है।
- इससे मानव स्वास्थ्य को कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं है।
- यह संक्रमित सूअरों या शवों, दूषित चारे, खाद्य अपशिष्ट (स्विल), पोर्क उत्पादों, उपकरणों, वाहनों, कपड़ों और कुछ क्षेत्रों में सॉफ्ट टिक के माध्यम से फैलता है। इस रोग की विशेषता तेज बुखार, आंतरिक रक्तस्राव और 100% तक मृत्यु दर है।
- ASF की पहली रिपोर्ट 1921 में केन्या में हुई थी। वर्तमान में यह अफ्रीका, यूरोप, एशिया तथा ओशिनिया और कैरेबियन के कुछ हिस्सों में मौजूद है।
- भारत में ASF का पहली बार पता 2020 में चला। यह कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैल चुका है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। इसके कारण बड़े पैमाने पर सूअरों की मृत्यु, आवागमन पर प्रतिबंध, सूअर उत्पादन और व्यापार में व्यवधान तथा आजीविका को गंभीर नुकसान हुआ है।
- ASF विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा सूचीबद्ध रोग है और सदस्य देशों को स्थलीय पशु स्वास्थ्य संहिता के अंतर्गत इसके प्रकोप की सूचना देना आवश्यक है।

महत्व

- यह टीका सूअरों की मृत्यु दर को कम कर सकता है, आर्थिक नुकसान को न्यूनतम कर सकता है और सूअर पालकों की आजीविका में सुधार कर सकता है।
- यह पशुधन जैव-सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा तथा भारत को किफायती पशु चिकित्सा टीकों के आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने में सहायता करेगा।

वाहन-से-वाहन (V2V) संचार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिसमें सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 1 अक्टूबर 2028 से नए वाहनों में वाहन-से-वाहन (V2V) संचार प्रणालियों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

परिचय

- वाहन-से-वाहन (V2V) संचार एक वायरलेस तकनीक है, जो आसपास के वाहनों को स्थान, गति, दिशा, त्वरण और ब्रेक लगाने की स्थिति जैसी वास्तविक समय की जानकारी का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
- यह संभावित खतरों के बारे में पहले से चेतावनी देती है, जिससे दुर्घटना होने से पहले चालक या वाहन प्रणाली प्रतिक्रिया दे सकती है।
- पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियों के विपरीत, जो मुख्य रूप से वाहन में लगे सेंसर और चालक के अवलोकन पर निर्भर करती हैं, V2V चालक की दृष्टि-सीमा से बाहर के जोखिमों का भी पता लगा सकता है, जैसे अंधे मोड़ के आसपास या बड़े वाहनों के पीछे मौजूद खतरों।

कार्यप्रणाली

- वाहनों में ऑन-बोर्ड यूनित्स (OBUs) लगी होती हैं, जो आसपास के वाहनों के साथ लगातार जानकारी का आदान-प्रदान करती हैं।
- प्रणाली प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण करके मिलीसेकंड के भीतर संभावित टक्कर के जोखिमों की पहचान करती है।
- इसके बाद यह समय पर कार्रवाई के लिए चालक को दृश्य, श्रव्य या स्पर्श-संबंधी चेतावनी देती है।
- यह प्रणाली सेल्युलर वाहन-से-हर-चीज (C-V2X) तकनीक का उपयोग करते हुए 5.875-5.925 GHz लाइसेंस-मुक्त स्पेक्ट्रम में कार्य करती है।

भारत में कार्यान्वयन

- AIS-230 (ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड) V2V संचार के लिए तकनीकी ढाँचा निर्धारित करता है।
- 1 अक्टूबर 2027 से: V2V प्रणालियों से लैस वाहनों के लिए स्वैच्छिक अनुपालन।
- 1 अक्टूबर 2028 से: सभी नवनिर्मित L (दो/तीन-पहिया), M (यात्री वाहन) और N (मालवाहक वाहन) श्रेणी के वाहनों के लिए अनिवार्य।

V2V संचार के उपयोग



महत्व

- स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करके उन्नत चालक सहायता प्रणालियों (ADAS) का पूरक बनता है।

- सक्रिय खतरा चेतावनियों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करता है।
- कनेक्टेड गतिशीलता और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों (ITS) के विकास को समर्थन देता है।
- भविष्य के कनेक्टेड और स्वायत्त वाहनों के लिए तकनीकी आधार प्रदान करता है।

पहला निजी रूप से विकसित FFSC रॉकेट इंजन (एवरेस्ट)

एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने एवरेस्ट (EVEREST) का अनावरण किया है, जो भारत का पहला निजी रूप से विकसित 800 kN फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन (FFSC) रॉकेट इंजन है।

एवरेस्ट रॉकेट इंजन

- **विकासकर्ता:** एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज, बंगलुरु।
- **प्रकार:** 800 kN LOX-मीथेन फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन (FFSC) तरल रॉकेट इंजन।
- एस्ट्रोबेस उच्च-थ्रस्ट FFSC इंजन विकसित करने वाली विश्व की केवल चौथी वाणिज्यिक कंपनी बन गई है।
- **डिजाइन:** पुनः प्रयोज्य मध्यम-भार प्रक्षेपण यानों के लिए।
- **प्रदर्शन:**
 - ♦ थ्रस्ट: 800 kN
 - ♦ विशिष्ट आवेग: 340 सेकंड
- **शॉटल सीमा:** 50% से 110%
- कंपनी का लक्ष्य 2028 तक पहली कक्षीय उड़ान हासिल करना है।
- पहली कक्षीय उड़ान से पहले लगभग 20 इंजनों के निर्माण और परीक्षण की योजना है।
- इस परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष (TAF) के अंतर्गत समर्थन प्राप्त है।

FFSC इंजन का परिचय

- FFSC सबसे उन्नत तरल-प्रणोदक रॉकेट इंजन चक्रों में से एक है।
- इसमें ऑक्सीकारक के रूप में तरल ऑक्सीजन (LOX) और ईंधन के रूप में तरल मीथेन का उपयोग किया जाता है।
- इस चक्र में मुख्य दहन कक्ष में प्रवेश करने से पहले पूरा ईंधन ईंधन-समृद्ध प्रीबर्नर से और पूरा ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक-समृद्ध प्रीबर्नर से होकर गुजरता है।
- चूँकि पूरा प्रणोदक प्रवाह टर्बाइनों से होकर गुजरता है, इसलिए इस चक्र को फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन कहा जाता है।
- यह प्रणोदक के उपयोग को अधिकतम करता है और इंजन की समग्र दक्षता में सुधार करता है।

लाभ

- समान मात्रा के प्रणोदक से अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करता है।
- अधिक ईंधन दक्षता प्रदान करता है।

- कम तापमान पर संचालित होता है, जिससे इंजन के घटकों का घिसाव कम होता है।
- कई बार पुनः उपयोग संभव बनाता है, जिससे प्रक्षेपण लागत कम होती है।
- उच्च प्रक्षेपण आवृत्ति और आवश्यकता के अनुसार प्रक्षेपण की क्षमता को समर्थन देता है।

महत्त्व

- उन्नत रॉकेट प्रणोदन में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है।
- पुनः प्रयोज्य कक्षीय श्रेणी के प्रक्षेपण यानों के विकास को तेज करता है।
- भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमताओं को बढ़ाता है।
- विदेशी प्रणोदन प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करता है।
- वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर करता है, जहाँ वर्तमान में देश की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 2% से कम है।

मेंडेलियन आनुवंशिकी से परे एपिजेनेटिक वंशानुक्रम

चूहे के जीनोम पर किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि कुछ वंशागत लक्षण एपिजेनेटिक तंत्रों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें वंशानुक्रम के शास्त्रीय मेंडेलियन नियमों द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- अध्ययन में पाया गया कि वंशागत विविधता DNA अनुक्रम में बदलावों के अतिरिक्त एपिजेनेटिक परिवर्तनों से भी उत्पन्न हो सकती है।
- इससे संकेत मिलता है कि जीनोम-वाइड एसोसिएशन स्टडीज (GWAS), जो मुख्य रूप से रोगों से जुड़े DNA अनुक्रम के प्रकारों की पहचान करती हैं, वंशागत विविधता के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नहीं पहचान सकती हैं।
- शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि एलील-स्पेसिफिक एपिजेनोम-वाइड एसोसिएशन स्टडीज (ASEWAS), जो DNA मेथिलेशन के पैटर्न का विश्लेषण करती हैं, ऐसे रोग-संबंधी जीनोमिक क्षेत्रों की पहचान कर सकती हैं, जिन्हें पारंपरिक आनुवंशिक अध्ययन पहचानने में असफल रहते हैं।
- ये निष्कर्ष जटिल वंशागत विकारों और उन रोगों की समझ में सुधार कर सकते हैं, जो लंबे समय से पारंपरिक आनुवंशिक विश्लेषण से पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।

डीएनए मेथिलेशन

- DNA मेथिलेशन एक एपिजेनेटिक तंत्र है, जिसमें साइटोसिन के C5 स्थान पर एक मिथाइल समूह जुड़कर 5-मिथाइलसाइटोसिन बनाता है।
- यह जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, जीन की गतिविधि को दबाकर या DNA से प्रतिलेखन कारकों के जुड़ने को रोककर। यह एक प्रतिवर्ती एपिजेनेटिक संशोधन है, जो DNA अनुक्रम में परिवर्तन नहीं करता।

मेंडल के वंशानुक्रम के नियम

- ग्रेगर मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकी का जनक माना जाता है, ने मटर के पौधों पर प्रयोगों के माध्यम से वंशानुक्रम के मूलभूत सिद्धांत स्थापित किए।

- **पृथक्करण का नियम:** प्रत्येक व्यक्ति में किसी लक्षण के लिए दो एलील होते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान एलील अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को एक एलील प्राप्त होता है।
- **स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम:** अलग-अलग लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन युग्मक निर्माण के दौरान स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत होते हैं, बशर्ते वे अलग-अलग गुणसूत्रों पर स्थित हों।
- **प्रभाविता का नियम:** जब दो अलग-अलग एलील मौजूद होते हैं, तो विषमयुग्मजीवी व्यक्ति में प्रभावी एलील अप्रभावी एलील की अभिव्यक्ति को ढक देता है।

महत्त्व

- वंशानुक्रम में एपिजेनेटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।
- रोग-संबंधी जीनोमिक क्षेत्रों की पहचान में सुधार कर सकता है।
- सटीक चिकित्सा और रोग-जोखिम के पूर्वानुमान में प्रगति का समर्थन करता है।
- जटिल वंशागत विकारों की समझ को बढ़ाता है।
- यह मेंडेलियन आनुवंशिकी का स्थान लेने के बजाय उसका पूरक है, जिससे पता चलता है कि कुछ परिस्थितियों में वंशानुक्रम एपिजेनेटिक संशोधनों से भी प्रभावित हो सकती है।

मून बेस प्रोग्राम

नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जो भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष सहयोग में एक ऐतिहासिक मोड़ है।

आर्टेमिस प्रोग्राम एवं मून बेस

- आर्टेमिस कार्यक्रम नासा का प्रमुख मानव चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अपोलो अभियानों के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस भेजना और भविष्य में मंगल ग्रह पर मानवयुक्त अभियानों की तैयारी करना है। अपोलो अभियान के अंतर्गत अंतिम मानवयुक्त चंद्रमा अवतरण 1972 में हुआ था।
- चंद्रमा आधार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट एक स्थायी मानव चौकी स्थापित करने के लिए तीन चरणों वाला कार्यक्रम है, जहाँ अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, कार्य करेंगे और दीर्घकालिक वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे।

चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्यों?

- इसमें स्थायी रूप से छाया वाले क्रेटरों में जल-बर्फ मौजूद है।
- यह बर्फ पीने का पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन उपलब्ध करा सकती है, जिससे लंबे समय तक मानव मिशन अधिक व्यवहार्य हो जाते हैं।

कार्यान्वयन के चरण

- **चरण I (2029 तक):** दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करने, प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने और स्थल की तैयारी के लिए रोबोटिक मिशन।
- **चरण II (2029-2032):** लंबे समय तक मानव उपस्थिति के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विकास।
- **चरण III:** वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए स्थायी चंद्र आधार की स्थापना।

भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग

- यह आमंत्रण बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में आयोजित भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह (CSJWG) की 9वीं बैठक के दौरान दिया गया।
- बैठक में अमेरिका-भारत ट्रस्ट (TRUST- Transforming the Relationship Utilising Strategic Technology) पहल के अंतर्गत नागरिक, वाणिज्यिक और मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग को आगे बढ़ाया गया।
- दोनों देशों ने सफल नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) पृथ्वी अवलोकन मिशन की समीक्षा की और अंतरिक्ष विज्ञान तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकियों में भविष्य के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।
- दोनों देशों ने बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (UN COPUOS) के दिशानिर्देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

आर्टेमिस समझौता

- यह एक गैर-बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढाँचा है, जिसे नासा, अमेरिकी विदेश विभाग और सात संस्थापक हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण, पारदर्शी और टिकाऊ नागरिक अन्वेषण तथा उपयोग को बढ़ावा देना है।
- भारत जून 2023 में इसका 27वाँ हस्ताक्षरकर्ता बना।

भारत के लिए महत्त्व

- भारत-अमेरिका रणनीतिक अंतरिक्ष साझेदारी को मजबूत करता है और उपग्रह मिशनों से आगे सहयोग का विस्तार करता है।
- यह इसरो के स्पेस विजन 2047 का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य 2040 तक भारतीय चंद्रमा अवतरण और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। इसके पहले मॉड्यूल का लक्ष्य 2028 और पूर्ण स्टेशन का लक्ष्य 2035 है।
- मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्थल पर संसाधन उपयोग (ISRU), पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में अवसर प्रदान करता है।
- भविष्य के बहुराष्ट्रीय चंद्र और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

कजाकिस्तान में सूखे से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग

कजाकिस्तान ने बार-बार पड़ने वाले सूखे और पानी की कमी से निपटने के लिए विशेष रूप से तुर्किस्तान क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग को अपनाया है।

परिचय

- क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव की एक तकनीक है, जिसका उपयोग वर्तमान बादलों की वर्षण क्षमता को बढ़ाकर वर्षा या हिमपात को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- इसका पहली बार प्रदर्शन 1946 में अमेरिकी रसायनज्ञ और मौसम विज्ञानी विन्सेंट जे. शेफर द्वारा किया गया था।

कार्य सिद्धान्त:

- मौसम विज्ञानी सबसे पहले ऐसे नमी वाले बादलों की पहचान करते हैं, जिनसे स्वाभाविक रूप से पर्याप्त वर्षा होने की संभावना कम होती है।
- सीडिंग एजेंट्स संघनन या बर्फ के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टलों को बढ़ने में मदद मिलती है।
- जैसे-जैसे बूंदें या क्रिस्टल बड़े और भारी होते जाते हैं, वे बारिश या बर्फ के रूप में नीचे गिरते हैं।
- क्लाउड सीडिंग नए बादल नहीं बना सकता। यह केवल उपयुक्त वर्तमान बादलों से होने वाले वर्षण को बढ़ाता है।
- पहुँचाने की विधियाँ:** बीजारोपण पदार्थों को विमान, रॉकेट या जमीन पर आधारित जनरेटर के माध्यम से फैलाया जाता है।

सीडिंग एजेंट्स

- सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड) का मुख्य रूप से हिमांक से नीचे के अतिशीतित बादलों में उपयोग किया जाता है।
- सोडियम क्लोराइड, पोटैशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का मुख्य रूप से गर्म बादलों के लिए आर्द्रताग्राही बीजारोपण में उपयोग किया जाता है, जहाँ वे नमी को आकर्षित करके बड़ी वर्षा-बूंदों के निर्माण में सहायता करते हैं।

कजाकिस्तान की पहल

- यह कार्यक्रम तुर्किस्तान क्षेत्र में लगभग 9,110 वर्ग किमी कृषि भूमि को कवर करता है, जो कपास उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- इसे संयुक्त अरब अमीरात के मौसम विज्ञान केंद्र के सहयोग से विमान-आधारित बादल बीजारोपण प्रणालियों का उपयोग करके लागू किया जा रहा है।
- परियोजना का उद्देश्य वर्षा में लगभग 15-20% की वृद्धि, कृषि उत्पादकता में सुधार और लगभग 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक आर्थिक लाभ उत्पन्न करना है।

बादल बीजारोपण के अनुप्रयोग और चुनौतियाँ

- अनुप्रयोग**
 - सूखा प्रभावित क्षेत्र:** सूखे का सामना कर रहे क्षेत्रों में वर्षा कराना।
 - हिमपात में वृद्धि:** जल संसाधनों के लिए जलग्रहण क्षेत्रों में हिमपात बढ़ाना।
 - मौसम में बदलाव:** धुंध कम करना, कोहरा हटाना और ओलावृष्टि को रोकना।
- चुनौतियाँ**
 - नमी वाले बादल:** बादल बीजारोपण के लिए नमी से भरे बादलों की मौजूदगी आवश्यक है।
 - बाढ़ का जोखिम:** अत्यधिक बादल बीजारोपण किए जाने पर बाढ़ का जोखिम हो सकता है।
 - पर्यावरणीय चिंताएँ:** संभावित रासायनिक प्रदूषण और स्थानीय जलवायु पैटर्न में व्यवधान पर्यावरणीय चिंताएँ हैं।

ग्लूबॉल

बीजिंग स्पेक्ट्रोमीटर III (BESIII) प्रयोग ने इस बात के मजबूत प्रमाण दिए हैं कि $X(2370)$ एक ग्लूबॉल हो सकता है। ग्लूबॉल लंबे समय से पूर्वानुमानित एक ऐसा कण है, जो मुख्य रूप से प्रबल नाभिकीय बल के वाहक ग्लूऑन से बना होता है।

परिचय

- ग्लूबॉल एक परिकल्पित हैड्रॉन है, जो मुख्य रूप से या संभवतः पूरी तरह ग्लूऑन से बना होता है और इसमें बहुत कम या कोई संयोजक क्वार्क नहीं होता।
- ग्लूऑन प्रबल नाभिकीय बल के बल-वहन करने वाले कण हैं, जो क्वार्कों को एक साथ बाँधकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य हैड्रॉन बनाते हैं।
- फोटॉन के विपरीत, ग्लूऑन में रंग आवेश होता है और वे एक-दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं, जिससे वे ग्लूबॉल नामक बंधी हुई अवस्थाएँ बना सकते हैं।
- ग्लूबॉल की भविष्यवाणी क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स (QCD) द्वारा की जाती है, जो वह सिद्धांत है जो प्रबल नाभिकीय बल के माध्यम से क्वार्क और ग्लूऑन की अंतःक्रिया को समझता है।

प्रकृति के मूलभूत बल



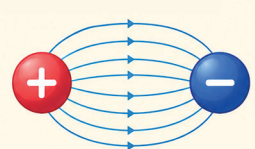
गुरुत्वाकर्षण बल

- द्रव्यमान वाली वस्तुओं को आकर्षित करता है।



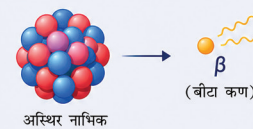
विद्युतचुंबकीय बल

- विद्युत आवेशित कणों के बीच कार्य करता है।



दुर्बल नाभिकीय बल

- रेडियोधर्मी क्षय और कुछ नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है।



अस्थिर नाभिक

β
(बीटा कण)



प्रबल नाभिकीय बल

- क्वार्कों को हैड्रॉन में बाँधता है और अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु नाभिक को एक साथ बाँधे रखता है।



क्वार्क $\rightarrow$ हैड्रॉन



परमाणु नाभिक को एक साथ बाँधे रखता है

कणों के प्रकार

- मूलभूत कण:** ऐसे मूल कण जो छोटे घटकों से नहीं बने होते, जैसे क्वार्क, लेप्टॉन और गेज बोसॉन।
- संयुक्त कण:** मूलभूत कणों से बने कण, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन और ग्लूबॉल।

BESIII प्रयोग से प्रमाण

- $X(2370)$ कण को पहली बार 2011 में बीजिंग में BESIII प्रयोग के दौरान देखा गया था।

- इसके द्रव्यमान और क्षय पैटर्न से संकेत मिला कि यह ग्लूबॉल का संभावित उम्मीदवार हो सकता है।
- नए प्रयोगात्मक आँकड़ों से अतिरिक्त गुण सामने आए हैं, जो इस प्रमाण को मजबूत करते हैं कि X(2370) मुख्य रूप से एक ग्लूबॉल है।
- इसकी पहचान अभी भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ग्लूबॉल समान क्वांटम संख्याओं वाले सामान्य मेसॉन के साथ मिश्रित हो सकते हैं।
- इसकी पहचान को निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए आगे प्रयोगात्मक अध्ययन जारी हैं।

महत्व

- QCD द्वारा पूर्वानुमानित ग्लूबॉल के अस्तित्व के लिए अब तक के सबसे मजबूत प्रयोगात्मक प्रमाणों में से एक प्रदान करता है।
- प्रबल नाभिकीय बल और ग्लूऑन के व्यवहार की हमारी समझ को मजबूत करता है।
- हैड्रॉन की संरचना और पदार्थ के मूलभूत घटकों के ज्ञान में सुधार करता है।
- यह बल-वहन करने वाले कणों (ग्लूऑन) से मुख्य रूप से बने पदार्थ के पहले पुष्ट रूप का प्रतिनिधित्व कर सकता है, न कि क्वाकों से बने पदार्थ का।

स्रवाणी

IISc की SPIRE लैब के शोधकर्ताओं ने ART PARK के सहयोग और Google के समर्थन से स्रवाणी (SraVaani) जारी किया है। यह भारत का पहला बहुभाषी वाक् पहचान मॉडल है, जिसे 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों पर प्रशिक्षित किया गया है।

परिचय

- स्रवाणी एक बहुभाषी स्वचालित वाक् पहचान (ASR) मॉडल है, जो बोली गई भाषा को पाठ में परिवर्तित करता है।
- यह 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों पर प्रशिक्षित पहला भारतीय वाक् पहचान मॉडल है, जिसमें 40 से अधिक ऐसी भाषाएँ शामिल हैं जिन्हें अधिकांश वर्तमान वाक् पहचान प्रणालियों द्वारा आधिकारिक रूप से समर्थित नहीं किया जाता है।
- इस मॉडल को MIT लाइसेंस के अंतर्गत Hugging Face पर मुक्त-स्रोत के रूप में जारी किया गया है, जिससे व्यापक शोध और विकास संभव हो सकेगा।

प्रमुख विशेषताएँ

- 20 अनुसूचित भाषाओं और 45 क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों का समर्थन करता है।
- अंग्रेजी और संस्कृत सहित पूरे भारत में भाषाई कवरेज प्रदान करता है।
- गारो, अंगिका, चकमा, कोकबोरोक, तुलु, बुंदेली और बज्जिका जैसी कई कम प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं को पहचानता है।
- लगभग 25 करोड़ लोगों (2011 की जनगणना) तक वाक् AI की पहुँच बढ़ाता है, जिनकी भाषाओं को वर्तमान प्रणालियाँ पर्याप्त रूप से समर्थन नहीं देती हैं।

- उच्च पहचान सटीकता प्रदान करता है। गारो के लिए 9.5% शब्द त्रुटि दर (WER) प्राप्त करता है, जबकि अगले सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकित मॉडल में यह 69.4% थी।

फ्रेडराइक्स अटैक्सिया (FRDA)

एक हालिया अध्ययन ने फिर से पुष्टि की है कि फ्रेडराइक्स अटैक्सिया (FRDA) FXN जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे तंत्रिका तंत्र और हृदय को धीरे-धीरे नुकसान पहुँचता है।

परिचय

- फ्रेडराइक्स अटैक्सिया (FRDA) एक दुर्लभ ऑटोसोमल अप्रभावी वंशानुगत आनुवंशिक विकार है, जो धीरे-धीरे तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है।
- यह FXN (Frataxin) जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है।
- FXN जीन फ्रैटैक्सिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कोशिकाओं की ऊर्जा उत्पन्न करने वाली संरचनाओं माइटोकॉन्ड्रिया के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है।
- फ्रैटैक्सिन की कमी से ATP (कोशिकीय ऊर्जा) का उत्पादन कम हो जाता है और विषैले उप-उत्पाद जमा होने लगते हैं, जिससे मस्तिष्क, मेरुरज्जु, परिधीय तंत्रिकाओं और हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुँचता है।

कारण एवं वंशानुक्रम

- FRDA तब विकसित होता है जब किसी व्यक्ति को FXN जीन की दो दोषपूर्ण प्रतियाँ विरासत में मिलती हैं—एक माता से और एक पिता से।
- एक दोषपूर्ण प्रति वाला व्यक्ति वाहक होता है और सामान्यतः उसमें यह रोग विकसित नहीं होता।
- निकट-संबंधियों के बीच विवाह FRDA का कारण नहीं बनता, लेकिन इससे दोनों माता-पिता में समान अप्रभावी उत्परिवर्तन के वाहक होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे प्रभावित बच्चों का जोखिम बढ़ जाता है।

लक्षण

- लक्षण सामान्यतः 5 से 15 वर्ष की आयु के बीच प्रारंभ होते हैं।
- बढ़ता हुआ अटैक्सिया, जिसके कारण चलने और संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है।
- मांसपेशियों में कमजोरी और अंगों में संवेदना की कमी।
- अस्पष्ट बोलना और निगलने में कठिनाई।
- सुनने और देखने की क्षमता में कमी।
- अनैच्छिक नेत्र गतिविधियाँ और स्कोलियोसिस विकसित हो सकते हैं।
- कार्डियोमायोपैथी और हृदय की धड़कन तेज होना सामान्य जटिलताएँ हैं। अधिकांश रोगियों को लक्षण प्रारंभ होने के 15-20 वर्षों के भीतर व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है।
- गंभीर मामलों में समय से पहले मृत्यु हो सकती है, जिसका सबसे सामान्य कारण हृदय संबंधी जटिलताएँ होती हैं।

उपचार

- वर्तमान में FRDA का कोई निश्चित उपचार नहीं है।
- उपचार सहायक और लक्षणात्मक होता है, जिसका उद्देश्य कार्यक्षमता में गिरावट को धीमा करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा, हृदय संबंधी देखभाल और अन्य सहायक उपाय यथासंभव लंबे समय तक गतिशीलता और दैनिक कार्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं।

घूर्णन विस्फोट इंजन (RDE)

भारतीय रक्षा स्टार्ट-अप डी-प्रोपल्स (D-Propulse) ने हैदराबाद स्थित DRDO की एक सुविधा में भारत के पहले स्वदेशी 5 kN वायु-श्वसी घूर्णन विस्फोट इंजन (RDE) का सफल प्रदर्शन किया है।

परिचय

- RDE एक उन्नत प्रणोदन चक्र है, जिसका उपयोग वायु-श्वसी इंजनों और तरल रॉकेट इंजनों में किया जा सकता है।
- पारंपरिक इंजनों के विपरीत, यह पारंपरिक दहन के बजाय निरंतर अतिध्वनिक विस्फोट तरंगों का उपयोग करके प्रणोद उत्पन्न करता है।
- यह उच्च ऊष्मागतिक दक्षता, दाब-वृद्धि दहन, बेहतर ईंधन उपयोग और एक कॉम्पैक्ट दहन कक्ष प्रदान करता है।

कार्य सिद्धान्त

- पारंपरिक इंजनों में ईंधन अपस्फोटन (deflagration) के माध्यम से जलता है, जिसमें ज्वाला लगभग स्थिर दाब वाले दहन के अंतर्गत अधोध्वनिक गति से आगे बढ़ती है।
- RDE में ईंधन-वायु या ईंधन-ऑक्सीकारक मिश्रण विस्फोट (detonation) से गुजरता है, जिसमें एक अतिध्वनिक आघात तरंग मिश्रण को तेजी से संपीड़ित और प्रज्वलित करती है।
- एक या अधिक विस्फोट तरंगें वलयाकार दहन कक्ष के चारों ओर लगातार घूमती रहती हैं।
- ईंधन और ऑक्सीकारक को चलती हुई विस्फोट तरंग के आगे लगातार प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे निरंतर दहन बना रहता है।
- परिणामी उच्च-दाब वाली गैसों नोजल के माध्यम से फैलती हैं और प्रणोद उत्पन्न करती हैं।

RDE बनाम पारंपरिक इंजन

- **पारंपरिक इंजन:** अधोध्वनिक अपस्फोटन का उपयोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत कम दक्षता और अधिक ऊष्मा हानि होती है।
- **RDE:** लगभग स्थिर-आयतन दहन के अंतर्गत अतिध्वनिक विस्फोट का उपयोग करते हैं, जिससे अधिक रासायनिक ऊर्जा सीधे दाब और प्रणोद में परिवर्तित होती है।

लाभ

- पारंपरिक रॉकेट इंजनों की तुलना में 10-25% अधिक ऊष्मागतिक दक्षता प्रदान करता है।

- दाब-वृद्धि दहन प्राप्त करता है, जिससे प्रणोदन दक्षता में सुधार होता है।
- 20% दक्षता वृद्धि से ईंधन की आवश्यकता लगभग 17% तक कम हो सकती है।
- समान मात्रा के प्रणोदक के लिए अधिक प्रणोद उत्पन्न करता है।
- कम ईंधन खपत के कारण अधिक पेलोड क्षमता या कम प्रक्षेपण लागत संभव बनाता है।
- कॉम्पैक्ट और हल्के इंजन का उपयोग करता है, जिससे यह पुनः प्रयोज्य प्रणोदन प्रणालियों के लिए उपयुक्त बनता है।

अनुप्रयोग

- अतिध्वनिक क्रूज मिसाइल और उन्नत मिसाइल प्रणालियाँ।
- उच्च गति वाले विमान और मानव रहित हवाई वाहन (UAVs)
- रैमजेट-आधारित और अन्य उन्नत वायु-श्वसी प्रणोदन प्रणालियाँ।
- बेहतर पेलोड-से-ईंधन अनुपात वाले अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान।
- भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए गहरे अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में प्रणोदन।

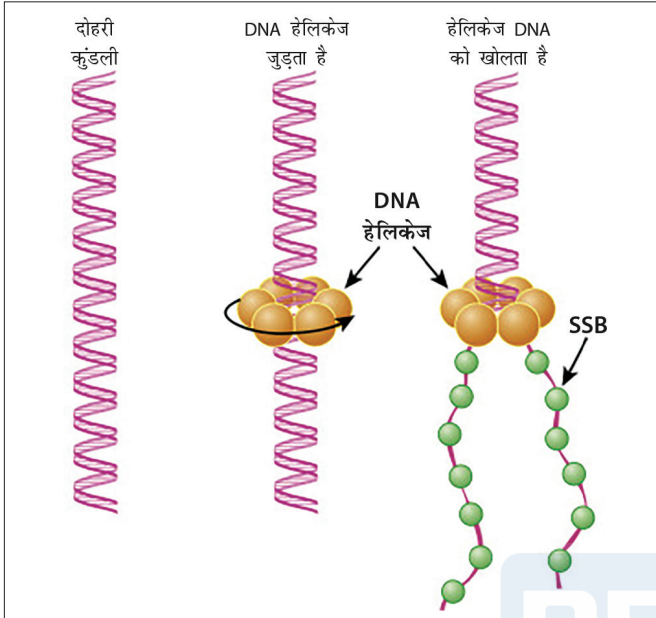
हेलिकेज (HELICASE)

हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि कोशिकाएँ यह कैसे सुनिश्चित करती हैं कि DNA रेप्लिकेशन सेल साइकिल के सही चरण में ही प्रारंभ हो; इसमें रेप्लिकेटिव हेलिकेज के एक्टिवेशन मैकेनिज्म पर प्रकाश डाला गया है।

परिचय

- हेलिकेज एक ATP-निर्भर एंजाइम है, जो DNA प्रतिकृति निर्माण (DNA Replication) के दौरान DNA की पूरक शृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर DNA की दोहरी कुंडली (Double Helix) को खोलता है।
- DNA प्रतिकृति निर्माण की शुरुआत विशिष्ट स्थानों से होती है, जिन्हें प्रतिकृति निर्माण के प्रारंभिक स्थल (Origins of Replication) कहा जाता है। इन स्थानों पर हेलिकेज को DNA से जोड़ा जाता है।
- ATP के जल-अपघटन (ATP Hydrolysis) से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके हेलिकेज DNA के साथ आगे बढ़ता है और उसकी दोनों शृंखलाओं को अलग करता है।
- इससे Y-आकार का प्रतिकृति फोर्क (Replication Fork) बनता है, जिससे प्रत्येक मूल DNA शृंखला एक नई पूरक DNA शृंखला के निर्माण के लिए साँचे (Template) के रूप में कार्य करती है।
- DNA के खुलने से सुपरकॉइलिंग (Supercoiling) और मरोड़ संबंधी तनाव (Torsional Stress) उत्पन्न होता है। टोपोआइसोमेरेज (Topoisomerases) एंजाइम इस तनाव को कम करते हैं और DNA को उलझने या टूटने से बचाते हैं।
- DNA प्रतिकृति निर्माण की प्रक्रिया को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, ताकि जीनोम की सटीक प्रतिलिपि तैयार हो सके।
- हालिया अध्ययन से पता चलता है कि निष्क्रिय MCM2-7 डबल हेक्साмер सक्रिय CMG हेलिकेज में बदल जाते हैं, जिससे कोशिका चक्र (Cell Cycle) के सही चरण में ही DNA की दोहरी कुंडली खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है।

- ये निष्कर्ष जीनोम की स्थिरता और DNA प्रतिकृति निर्माण में गड़बड़ी से जुड़ी बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं।



गगनयान का तापीय सुरक्षा तंत्र (TPS)

गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) से सुरक्षित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराना आवश्यक है।

TPS महत्वपूर्ण क्यों है?

- पुनः प्रवेश के दौरान, क्रू मॉड्यूल अतिध्वनिक गति (Hypersonic Speed) से यात्रा करता है, जिससे गतिज ऊर्जा तीव्र ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। प्लाज्मा का तापमान लगभग 1,800°C तक पहुँच सकता है।
- एक बार पुनः प्रवेश शुरू हो जाने के बाद, मिशन को रद्द नहीं किया जा सकता। TPS को किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना विश्वसनीय रूप से कार्य करना आवश्यक है।
- यह एक निष्क्रिय, विफलता-सुरक्षित (Fail-safe) सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो तीव्र मंदन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को अत्यधिक ऊष्मा से बचाता है।
- यह क्रू केबिन तथा उसके नीचे स्थित एल्युमिनियम-मिश्रधातु/CFRP संरचना को भी सुरक्षित तापमान सीमा के भीतर बनाए रखता है।

तापीय सुरक्षा तंत्र

- TPS विशिष्ट सामग्रियों और संरचनाओं का एक संयोजन है, जो पुनः प्रवेश के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को अंतरिक्ष यान की आंतरिक संरचना तक पहुँचने से रोकता है।

TPS के प्रकार

- अपघर्षी TPS (Ablative TPS):** बाहरी ऊष्मा कवच अत्यधिक ऊष्मा के प्रभाव में अपघटित होकर जानबूझकर क्षति होता है। इससे निकलने वाली

गैसों एक सुरक्षात्मक सीमा परत बनाती हैं, जो ऊष्मा के स्थानांतरण को कम करती है। गगनयान में अपघर्षी TPS का उपयोग किया जाएगा।

- ♦ **उदाहरण:** कार्बन-फेनोलिक, सिलिका-फेनोलिक और PICA (Phenolic Impregnated Carbon Ablator)।

- विकिरणीय TPS (Radiative TPS):** यह ऊष्मा को अवशोषित करके मुख्यतः अवरक्त विकिरण के रूप में वापस विकिरित करता है। यह पुनः उपयोग योग्य अंतरिक्ष यानों के लिए उपयुक्त है।
- ऊष्मा-अवशोषक TPS (Heat-Sink TPS):** यह बिना किसी बड़े अपघटन के ऊष्मा को अवशोषित और संचित करता है। तांबा और एल्युमिनियम सामान्यतः प्रयुक्त ऊष्मा-अवशोषक पदार्थ हैं।

गगनयान मिशन

- उद्देश्य:** तीन अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit—LEO) में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना। यह ISRO का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा।
- प्रक्षेपण यान:** LVM3 (Launch Vehicle Mark-3)
- क्रू एस्केप सिस्टम (Crew Escape System—CES):** प्रक्षेपण के दौरान आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से अलग करने के लिए उच्च दहन-दर वाले ठोस मोटर्स का उपयोग करता है।
- ऑर्बिटल मॉड्यूल:** इसमें क्रू मॉड्यूल (Crew Module—CM) और सर्विस मॉड्यूल (Service Module—SM) शामिल होते हैं। क्रू मॉड्यूल रहने योग्य वातावरण प्रदान करता है, जबकि सर्विस मॉड्यूल प्रणोदन, विद्युत आपूर्ति, तापीय नियंत्रण, एवियोनिक्स तथा अन्य सहायक प्रणालियाँ उपलब्ध कराता है।

निर्वात द्विवर्णिता

एक हालिया अध्ययन में मैग्नेटार 1E 1547.0-5408 के आसपास निर्वात द्विवर्णिता के मजबूत प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक्स-रे में 80% तक ध्रुवण देखा गया।

परिचय

- यह क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स (Quantum Electrodynamics—QED) द्वारा पूर्वानुमानित एक क्वांटम परिघटना है।
- इसे पहली बार 1930 के दशक में वर्नर हाइजेनबर्ग और हांस हाइनरिख ओयलर द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, रिक्त स्थान एक द्विवर्णी क्रिस्टल (Birefringent Crystal) की तरह व्यवहार करता है, जिससे विभिन्न ध्रुवण दिशाओं वाली प्रकाश तरंगों के लिए अलग-अलग अपवर्तन गुण उत्पन्न होते हैं।

कार्यप्रणाली

- QED के अनुसार, रिक्त स्थान में अल्पकालिक आभासी इलेक्ट्रॉन-पॉजिट्रॉन युग्म मौजूद होते हैं।

- मैग्नेटार के निकट अत्यंत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र इन आभासी कणों को विकृत कर देता है।
- जब एक्स-रे इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर और लंबवत ध्रुवित प्रकाश अलग-अलग तरीके से संचरित होता है।
- इससे प्रबल रैखिक ध्रुवण (Linear Polarisation) उत्पन्न होता है, जिसके कारण निर्वात एक प्रकाशीय क्रिस्टल की तरह व्यवहार करता है।
- कुछ विशिष्ट एक्स-रे ऊर्जाओं पर निर्वात अनुनाद (Vacuum Resonance) अचानक ध्रुवण की दिशा या उसकी मात्रा को बदल सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस प्रभाव के लिए अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, जो मैग्नेटार के आसपास पाए जाते हैं।
- यह प्रभाव एक्स-रे की ऊर्जा के साथ बदलता है।
- मैग्नेटार इस परिघटना के अध्ययन के लिए प्राकृतिक प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करते हैं।

महत्त्व

- यह अत्यधिक परिस्थितियों में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का प्रत्यक्ष परीक्षण प्रदान करता है।
- यह पुष्टि करता है कि क्वांटम निर्वात केवल रिक्त स्थान नहीं, बल्कि एक गतिशील माध्यम है।
- इससे मैग्नेटार, न्यूट्रॉन तारों के चुंबकीय क्षेत्रों तथा अत्यधिक परिस्थितियों में प्रकाश के संचरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है।

स्वाइन इन्फ्लुएंजा

दिल्ली में स्वाइन इन्फ्लुएंजा (H1N1) के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज की गई। अस्पतालों में सभी आयु वर्गों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यह स्थिति समय पर निदान और निवारक उपायों के महत्त्व को रेखांकित करती है।

स्वाइन इन्फ्लुएंजा क्या है?

- स्वाइन इन्फ्लुएंजा (स्वाइन फ्लू) एक तीव्र श्वसन रोग है, जो इन्फ्लुएंजा A वायरस के कारण होता है। ये वायरस मूल रूप से सूअरों को संक्रमित करते थे, लेकिन मनुष्यों के बीच भी फैल सकते हैं।
- इन्फ्लुएंजा A के सामान्य उपप्रकार H1N1, H1N2 और H3N2 हैं। इन्फ्लुएंजा B भी मौसमी फ्लू के प्रकोप में योगदान देता है।
- H1N1 का अर्थ हेमाग्लुटिनिन-1 (H1) और न्यूरामिनिडेज-1 (N1) से है। ये दो सतही प्रोटीन हैं, जिनका उपयोग इन्फ्लुएंजा A वायरस के वर्गीकरण में किया जाता है।
- A(H1N1)pdm09 स्ट्रेन ने वर्ष 2009 में वैश्विक महामारी का कारण बनाया था और यह वर्तमान में भी एक मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के रूप में प्रसारित होता है।
- भारत में मई 2009 में H1N1 का पहला पुष्ट मामला सामने आया था।

संचरण और निदान

- वायरस मुख्य रूप से खाँसने और छींकने के दौरान निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है।
- संक्रमित सतहों को छूने और उसके बाद मुँह, नाक या आँखों को छूने से भी संक्रमण हो सकता है।
- रुष्मायन अवधि सामान्यतः 1-4 दिन होती है, जो औसतन लगभग 2 दिन रहती है।
- निदान मुख्यतः नैदानिक आधार पर किया जाता है, जबकि RT-PCR उच्च संवेदनशीलता वाला पुष्टिकरण परीक्षण है।

स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सावधानियाँ

सरल कदम, मजबूत सुरक्षा



1. टीकाकरण
मौसमी इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाएँ, यह संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।



2. हाथों की स्वच्छता
वायरस के फैलाव को कम करने के लिए हाथों को बार-बार साबुन से धोएँ या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें।



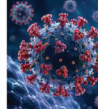
3. भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें
फ्लू के अधिक फैलने के समय भीड़भाड़ वाली बंद जगहों में कम समय बिताएँ।



4. मास्क का उपयोग
संक्रमित बूंदों से बचने के लिए भीड़भाड़ वाली या बंद जगहों पर मास्क पहनें।



5. खाँसने-छींकने की सही आदत
खाँसने या छींकने समय अपने मुँह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढकें।



अतिरिक्त सावधानियाँ



- बाहर खाने से बचें
फ्लू के मौसम में बाहर खाने से बचें।



- ठंडे पेय और आइसक्रीम से बचें
- आराम करें, अच्छा भोजन करें और अच्छी नींद लें। पर्याप्त आराम करें, अच्छा भोजन करें और पर्याप्त नींद लें।



- शरीर में पानी की कमी न होने दें
छाव को पल्ला करने और कफ को बाहर निकालने में मदद के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएँ।



- खुद को क्वारंटीन करें
• अगर परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमित कर सकते हैं।
• 5 दिनों तक घर पर रहें, ताकि वायरस संक्रामक न रहे।
• ऑफिस में अपने नियमित समय पर बापस जाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप घर के वातावरण में उठने-बैठने और चलने-फिरने में सक्षम हैं।
• यदि चलने-फिरने और हल्की गतिविधियाँ करने से आपको परेशानी नहीं होती है, तो आप बाहर जा सकते हैं।



- आज के छोटे कदम, कल बेहतर स्वास्थ्य। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें।



कैंसर पैदा करने वाली दवाओं के तौर पर वर्गीकृत दवाएँ

इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने उपलब्ध वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर तीन आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं - हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, वोरिकोनाजोल और टैक्रोलिमस (Tacrolimus) - को समूह 1 (इंसानों में कैंसर का कारण बनने वाली) श्रेणी में रखा है।

वर्गीकृत दवाएँ

- हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड: उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवा। इसे त्वचा के स्क्वेमस कोशिका कार्सिनोमा और होंठ के

कैंसर से जोड़ा गया है, जिसका मुख्य कारण पराबैंगनी (UV) विकिरण के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता है।

- **बोरिकोनाजोल:** गंभीर आक्रामक फंगल संक्रमणों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली एक एंटीफंगल दवा। लंबे समय तक इसके उपयोग को स्वैमस कोशिका त्वचा कार्सिनोमा से जोड़ा गया है, विशेष रूप से अंग प्रत्यारोपण करवाने वाले रोगियों में।
- **टैक्रोलिमस:** अंग प्रत्यारोपण को अस्वीकार किए जाने से रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिरक्षादमनकारी दवा। इसके प्रतिरक्षादमनकारी प्रभाव के कारण इसे नॉन-हॉजकिन लिंफोमा और प्रत्यारोपण के बाद होने वाले लिम्फोप्रोलिफेरेटिव विकार (PTLD) से जोड़ा गया है।

समूह 1 वर्गीकरण का अर्थ

- समूह 1 का अर्थ है कि पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं कि कोई कारक मनुष्यों में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। यह खतरा वर्गीकरण है, न कि जोखिम का आकलन।
- यह कुछ परिस्थितियों में कैंसर उत्पन्न करने की संभावित क्षमता की पहचान करता है। यह निर्धारित मात्रा में दवा लेने पर वास्तविक जोखिम को नहीं मापता और न ही उपचार के लाभों तथा जोखिमों की तुलना करता है।
- रोगियों को अपने चिकित्सक की सलाह के बिना निर्धारित दवाएँ लेना बंद नहीं करना चाहिए।

कैंसर पर अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी (IARC)

- यह WHO की विशेषीकृत कैंसर अनुसंधान एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी और जिसका मुख्यालय ल्योन, फ्रांस में है।
- यह मानव कैंसर के रोकथाम योग्य कारणों की पहचान करने के लिए पर्यावरणीय, व्यावसायिक और जीवनशैली संबंधी कारकों का मूल्यांकन करती है।
- **IARC वर्गीकरण समूह:**
 - ♦ **समूह 1:** मनुष्यों में कैंसरकारी।
 - ♦ **समूह 2A:** संभवतः मनुष्यों में कैंसरकारी।
 - ♦ **समूह 2B:** संभावित रूप से मनुष्यों में कैंसरकारी।
 - ♦ **समूह 3:** मनुष्यों में कैंसरकारिता के संबंध में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

पॉलीसिलिकॉन

भारत सरकार वर्ष 2030 तक 30 GW घरेलू पॉलीसिलिकॉन विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए एक सहायता योजना बनाने की योजना बना रही है, जिसमें ₹25,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। इसका उद्देश्य देश की सौर विनिर्माण मूल्य शृंखला को मजबूत करना है।

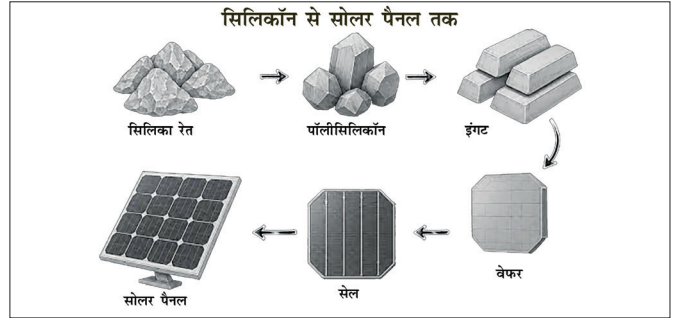
परिचय

- पॉलीसिलिकॉन (बहुक्रिस्टलीय सिलिकॉन या Poly-Si) तत्वीय सिलिकॉन का उच्च-शुद्धता वाला क्रिस्टलीय रूप है और सौर फोटोवोल्टिक कोशिकाओं तथा अर्धचालक चिप्स के लिए प्राथमिक कच्चा माल है।

- यह सौर विनिर्माण शृंखला का प्रारंभिक और अत्यधिक विद्युत-गहन चरण है। विनिर्माण क्रम: पॉलीसिलिकॉन → इंगॉट्स → वेफर्स → सौर कोशिकाएँ → सौर मॉड्यूल।

विनिर्माण प्रक्रिया

- क्वार्ट्ज (SiO_2) को विद्युत आर्क भट्टी में कार्बन के साथ अपचयित करके धातुकर्म-ग्रेड सिलिकॉन (MG-Si) का उत्पादन किया जाता है।



- MG-Si को ट्राइक्लोरोसिलेन (TCS) या मोनोसिलेन में परिवर्तित किया जाता है, जिसके बाद अशुद्धियों को हटाने के लिए प्रभाजी आसवन किया जाता है।
- अति-शुद्ध पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन रासायनिक वाष्प निक्षेपण (Siemens Process) या द्रवित बिस्तर रिएक्टर (FBR) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह सौर-ग्रेड (6N-9N) और इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड (9N-11N) पॉलीसिलिकॉन के रूप में उपलब्ध होता है।
- इसमें उत्कृष्ट अर्धचालक गुण होते हैं, जिससे यह फोटोवोल्टिक और इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
- बहुक्रिस्टलीय सिलिकॉन को बाद में जोक्रालस्की (Czochralski) प्रक्रिया का उपयोग करके एकल-क्रिस्टलीय इंगॉट्स में परिवर्तित किया जाता है।

अनुप्रयोग

- सौर PV वेफर्स, कोशिकाओं और मॉड्यूल के विनिर्माण में।
- अर्धचालक वेफर्स, माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी चिप्स के उत्पादन में।
- MOSFETs, डायोड और थाइरिस्टर जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में।
- AMOLED और एलसीडी डिस्प्ले के लिए पॉली-Si पतली-फिल्म ट्रांजिस्टर (TFTs) में उपयोग।

वैश्विक परिदृश्य

- चीन वैश्विक पॉलीसिलिकॉन उत्पादन का लगभग 94% उत्पादित करता है, इसके बाद जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है।
- भारत में वर्तमान में वाणिज्यिक स्तर पर पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन सीमित है और इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए देश आयात पर अत्यधिक निर्भर है।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा

एक ऐतिहासिक 18 अरब डॉलर के समझौते के बाद, मेटा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर किशोरों के लिए नई डिफॉल्ट सुरक्षा पाबंदियाँ लागू करने की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

- मुकदमों में आरोप लगाया गया कि मेटा ने जानबूझकर अपने मंचों को इस प्रकार बनाया कि बच्चों और किशोरों में बाध्यकारी उपयोग को बढ़ावा मिले, जबकि वह इससे जुड़े मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों से अवगत था।
- मेटा पर 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का व्यक्तिगत डेटा बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (COPPA) का अनुपालन किए बिना एकत्र करने का भी आरोप लगाया गया।

किशोरों की सुरक्षा के प्रमुख उपाय

- **दैनिक उपयोग की सीमा:** फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुल मिलाकर दो घंटे की सीमा। इसे केवल माता-पिता की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है। संदेश भेजने की सुविधा इसमें शामिल नहीं है।
- **रात्रि मोड:** रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच फीड, स्टोरीज और रील्स तक पहुँच अवरुद्ध रहेगी। संदेश भेजने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- **स्वतः चलने वाले वीडियो पर नियंत्रण:** किशोर और माता-पिता स्वतः चलने की सुविधा को बंद कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त सामग्री देखने के लिए मैनुअल रूप से स्क्रॉल या टैप करना आवश्यक होगा।
- **छिपे हुए सहभागिता ऑकड़ें:** नाबालिगों के लिए लाइक और प्रतिक्रियाओं की संख्या डिफॉल्ट रूप से छिपी रहेगी।
- **गैर-एल्गोरिथम आधारित फीड:** किशोर कालानुक्रमिक फीड चुन सकते हैं, जिसमें केवल उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले खातों की सामग्री दिखाई जाएगी।
- **अधिक सशक्त आयु सत्यापन:** उन्नत आयु-पुष्टि तकनीक कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की पहचान करेगी, 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खातों को हटा देगी और उम्र के अनुरूप मंच तक पहुँच सुनिश्चित करेगी।
- **पूरे मंच पर लागू दृष्टिकोण:** मेटा ने अन्य प्रमुख सामाजिक मीडिया मंचों पर भी इसी तरह के बाल सुरक्षा मानकों को अपनाने का आग्रह किया है।

भारत में अधिक सशक्त विनियमन की आवश्यकता

- बच्चों को साइबरबुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और ऑनलाइन शोषण से बचाता है।
- डिजिटल लत को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है।
- हानिकारक, हिंसक और भ्रामक सामग्री के संपर्क को सीमित करता है।
- बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को कम करके उनकी गोपनीयता की रक्षा करता है।

- अत्यधिक स्क्रीन समय को कम करके शैक्षणिक एकाग्रता में सुधार करता है।
- गलत सूचना और ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न किए बिना विश्वसनीय आयु सत्यापन अभी भी कठिन है।
- कई मंचों पर नियमों को लागू करना जटिल है। पूर्ण प्रतिबंध बच्चों की जानकारी तक पहुँच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।
- उपयोगकर्ता कम विनियमित मंचों की ओर जा सकते हैं।
- सोशल मीडिया का उपयोग शिक्षा के लिए करने वाले बच्चों के बीच ऐसे प्रतिबंध डिजिटल विभाजन को बढ़ा सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया का मॉडल

- ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष की न्यूनतम सोशल मीडिया आयु निर्धारित करने वाला पहला देश बना।
- मंचों को 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को रोकना, वर्तमान खातों को हटाना, नए खाते बनाने से रोकना तथा गलत तरीके से हटाए गए खातों को ठीक करने की व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- इस कानून का उद्देश्य बच्चों के बीच साइबरबुलिंग, लत उत्पन्न करने वाली मंच-डिजाइन और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करना है।

स्वैच्छिक मादक पदार्थ जाँच

केंद्र सरकार ने आईआईटी और आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए वैकल्पिक और गोपनीय मादक पदार्थ जाँच प्रारंभ की है। यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी दृष्टि दस्तावेज 2026-29 का हिस्सा है।

पहल का परिचय

- उच्च शिक्षा विभाग ने केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों से नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के स्वैच्छिक मूत्र मादक पदार्थ परीक्षण को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है।
- इसका कार्यान्वयन 2026-27 में आईआईटी, आईआईएम और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से प्रारंभ होगा।
- एम्स दिल्ली का राष्ट्रीय मादक पदार्थ निर्भरता उपचार केंद्र जाँच की कार्यप्रणाली तैयार करेगा।
- इसका उद्देश्य 2029 तक लगभग 170 संस्थानों और 10 लाख से अधिक छात्रों को शामिल करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- जाँच स्वैच्छिक होगी।
- छात्र जाँच कराने से मना कर सकते हैं।
- परीक्षण में एम्फेटामाइन, कोकीन, मारिजुआना, बेंजोडायजेपाइन और फेनसाइक्लिडीन की जाँच की जाएगी।
- रिपोर्ट सीलबंद और गोपनीय लिफाफों में छात्र कल्याण समितियों को भेजी जाएँगी।
- परिणाम गुमनाम रखे जाएँगे और उनका उपयोग केवल परामर्श के लिए किया जाएगा, प्रवेश या अंक निर्धारण के लिए नहीं।

चरणबद्ध कार्यान्वयन

- 2027-28: एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईआईटी, एसपीए और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों को शामिल किया जाएगा।
- 2028-29: केंद्रीय और मानद विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाएगा।

महत्त्व

- यह नीति को दंड देने के बजाय शीघ्र पहचान और पुनर्वास की दिशा में ले जाती है।
- यह निर्भरता के गंभीर होने से पहले शीघ्र हस्तक्षेप को संभव बनाती है और सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मादक पदार्थ उपयोग सर्वेक्षण में सहायता करती है।
- इसका उद्देश्य अधिक सुरक्षित और स्वस्थ परिसरों का निर्माण करना है।

मादक पदार्थों की समस्या के प्रमुख कारण

- भारत की गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के निकटता से मादक पदार्थों की तस्करी का जोखिम बढ़ता है।
- मादक पदार्थों की तस्करी संगठित अपराध, धन शोधन और मादक पदार्थ-आतंकवाद को बढ़ावा देती है।
- तस्कर समुद्री मार्गों, माल ढुलाई और कूटबद्ध संचार का बढ़ते हुए उपयोग कर रहे हैं।

सरकारी पहलें



काशी घोषणा (2025) युवाओं के नेतृत्व में नशा मुक्ति प्रयासों के लिए पाँच वर्षीय रोडमैप निर्धारित करती है। नशा मुक्त भारत अभियान देशभर में नशा-विरोधी जागरूकता को बढ़ावा देता है, जिसमें विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इसका युवा-केंद्रित घटक है।



सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित NAPDDR नशा मुक्ति और पुनर्वास में सहायता करता है। NDPS अधिनियम, 1985 मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कानूनी ढाँचा है, जिसमें एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, संयुक्त समन्वय समिति और NIA के माध्यम से लागू किया जाता है।

प्रमुख चिंताएँ

- इनमें गोपनीयता, वास्तविक सहमति सुनिश्चित करना, कलंक से बचना तथा संस्थागत परामर्श क्षमता और डेटा सुरक्षा का निर्माण शामिल है।

आगे की राह

- कदमों में निःशुल्क परिसर परामर्श, मजबूत डेटा गोपनीयता नियम, अभिभावकों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता, जीवन-कौशल शिक्षा, समय-समय पर मूल्यांकन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून प्रवर्तन को शामिल करने वाला बहु-विषयक दृष्टिकोण शामिल हैं।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

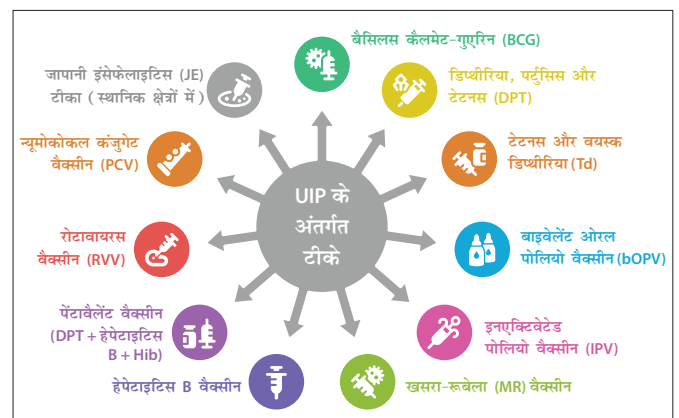
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक अध्ययन में पाया गया कि भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) में हेक्सावैलेंट (छह-इन-वन) टीके को शामिल करने से बचपन के टीकाकरण की दक्षता में सुधार हो सकता है, क्योंकि इससे टीकों के लिए लगाए जाने वाले इंजेक्शनों की संख्या कम होगी और टीका देने की प्रक्रिया सरल होगी।

हेक्सावैलेंट टीका

- हेक्सावैलेंट टीका शिशुओं को एक ही इंजेक्शन के माध्यम से डिप्थीरिया, टेटनस, काली खाँसी (कुकिंग कफ), हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (Hib) से सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह अग्रिम पॉइंट के स्वास्थ्यकर्मियों के कार्यभार को कम करता है, शीत-शृंखला की आवश्यकताओं को कम करता है और देखभाल करने वालों के समय की बचत करता है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

- विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम (EPI) 1978 में प्रारंभ किया गया था और 1985 में इसका विस्तार करके इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) बनाया गया।
- यह विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है।
- यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष लगभग 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.54 करोड़ शिशुओं को शामिल करता है।
- यह गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, बच्चों और किशोरों को 12 टीका-रोकथाम योग्य रोगों के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण प्रदान करता है।

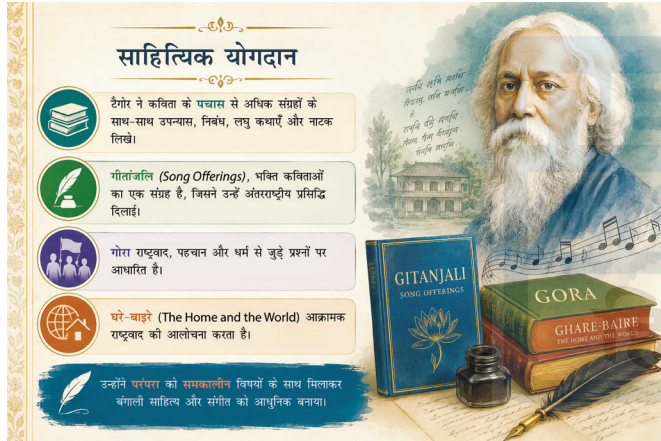


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

कवि-सम्राट गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई।

परिचय

- उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। उनकी जयंती पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पोइला बोइशाख/पच्चिसे बोइशाख के रूप में मनाई जाती है।
- वे एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार और समाज सुधारक थे।
- उनके पिता देवेन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया।



साहित्यिक योगदान

- टैगोर ने कविता के पचास से अधिक खंडों के साथ-साथ उपन्यास, निबंध, लघु कथाएँ और नाटक लिखे।
- गीतांजलि (गीत अर्पण), भक्ति कविताओं के संग्रह ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई।
- गोरा राष्ट्रवाद, पहचान और धर्म से जुड़े प्रश्नों पर आधारित है।
- घरे-बाइरे (घर और संसार) आक्रामक राष्ट्रवाद की आलोचना करता है।
- उन्होंने परंपरा को समकालीन विषयों के साथ जोड़कर बंगाली साहित्य और संगीत का आधुनिकीकरण किया।

शिक्षा और सामाजिक सुधार

- उन्होंने शांतिनिकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की, जो 1921 में विश्वभारती विश्वविद्यालय बना और अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- उन्होंने मानवतावाद, रचनात्मकता, विचारों की स्वतंत्रता, प्रकृति के साथ सामंजस्य और समग्र शिक्षा की वकालत की।

सम्मान एवं विरासत

- उन्होंने गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता और वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय तथा पहले गैर-यूरोपीय साहित्यकार बने।
- उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला रचा।
- उनका गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल पश्चिम बंगाल का राज्य गीत है।
- ब्रिटिश सरकार ने 1915 में उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। उन्होंने जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में यह उपाधि त्याग दी।
- उन्हें गुरुदेव, कविगुरु और विश्वकवि के रूप में सम्मानित किया जाता था।

मैथिलीशरण गुप्त जयंती

मैथिलीशरण गुप्त जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को मनाई जाती है, जो प्रसिद्ध भारतीय कवि की जयंती का प्रतीक है।

परिचय

- उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झाँसी के चिरगाँव में हुआ था। उनका निधन 12 दिसंबर 1964 को 78 वर्ष की आयु में इसी नगर में हुआ।
- उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाया, जिससे आधुनिक कविता में ब्रज भाषा के प्रभुत्व में कमी आई। उनकी रचनाओं में राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को प्रमुखता दी गई।
- उनकी प्रमुख रचनाओं में साकेत (उर्मिला के दृष्टिकोण से रामायण का पुनर्कथन), भारत-भारती, यशोधरा, पंचवटी और जयद्रथ वध शामिल हैं।
- महात्मा गाँधी ने उनकी देशभक्ति से ओत-प्रोत उत्कृष्ट कृति भारत-भारती (1912) के लिए उन्हें "राष्ट्रकवि" की उपाधि दी।
- वे 1952-1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और उन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय

2 अगस्त को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की 165वीं जयंती मनाई गई।

परिचय

- उनका जन्म 2 अगस्त 1861 को खुलना (अब बांग्लादेश में) में हुआ था। उनका निधन 16 जून 1944 को हुआ। वे एक अग्रणी वैज्ञानिक, शिक्षाविद् और उद्योगपति के रूप में प्रसिद्ध हुए।
- उन्होंने 1901 में भारत की पहली औषधि कंपनी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की।

- उन्हें व्यापक रूप से भारत में आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और देश में पहला आधुनिक रासायन विज्ञान अनुसंधान विद्यालय स्थापित किया।
- उन्हें 1896 में मरक्यूरस नाइट्राइट की खोज के लिए जाना जाता है, जिसने धातु नाइट्राइट पर नए शोध का मार्ग खोला और भारत में आधुनिक रासायनिक अनुसंधान की स्थापना में योगदान दिया।
- उन्हें 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026

12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 में हथकरघा क्षेत्र के योगदान को मान्यता दी।

परिचय

- यह प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है और 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने स्वदेशी वस्तुओं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया था।
- सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया।
- 2026 की विषय-वस्तु थी - 'राष्ट्र को बुनने वाले हाथ'।
- यह भारत की बुनाई परंपराओं का उत्सव मनाता है और 35.22 लाख बुनकरों तथा संबद्ध श्रमिकों को मान्यता देता है, जिनमें 72% से अधिक महिलाएँ हैं।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस अवसर पर संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए।

भारत का हथकरघा उद्योग

- यह विश्व के सबसे पुराने और जीवंत कुटीर उद्योगों में से एक है। इसका सर्वेक्षण चार हथकरघा जनगणनाओं के माध्यम से किया गया है - 1987-88, 1995-96, 2009-10 और 2019-20, जो 8-12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की गईं।
- वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था, इसके बाद यूएई, नीदरलैंड, फ्रांस और यूके का स्थान रहा।
- उत्पादों में मेड-अप्स (कुशन कवर, पर्दे, मेज के कपड़े) की हिस्सेदारी सबसे अधिक 42.4% रही, इसके बाद फर्श पर बिछाने वाले उत्पाद (40.6%), परिधान सहायक वस्तुएँ (12.7%) और कपड़े (4.3%) रहे।

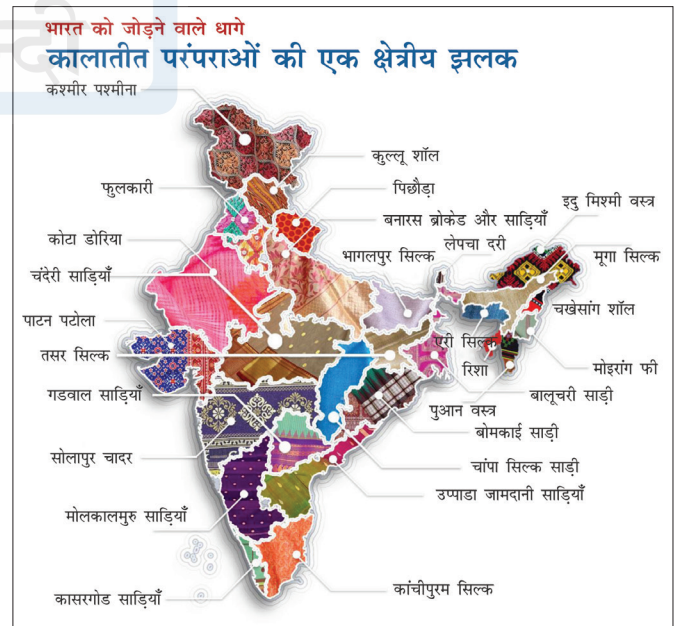


प्रमुख चुनौतियाँ

- कम आय और कौशल की कमी के कारण बुनकर कार्यबल में गिरावट और उसकी बढ़ती औसत आय।
- कच्चे माल की ऊँची लागत के कारण आर्थिक कठिनाई।
- विचौलियों द्वारा शोषण।
- सस्ते पावरलूम उत्पादों से प्रतिस्पर्धा।
- कमजोर विपणन और ई-कॉमर्स उपस्थिति।
- कम उत्पादकता वाले करघे।
- सस्ते आयात, विशेष रूप से चीन और बांग्लादेश से।

सहायता तंत्र

- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (2021-26) आवश्यकता-आधारित, एकीकृत कल्याण दृष्टिकोण अपनाता है।
- कच्चा माल आपूर्ति योजना सूत के परिवहन की लागत की प्रतिपूर्ति करती है और निर्दिष्ट सूत पर 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान करती है।
- 2025 के जीएसटी परिषद सुधारों के अंतर्गत 36 हस्तशिल्प वस्तुओं, हथकरघा कालीनों, गलीचों और सिलाई मशीनों पर कर को 12% से घटाकर 5% किया गया।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में राष्ट्रीय फाइबर योजना, कपड़ा विस्तार एवं रोजगार योजना और महात्मा गाँधी ग्राम स्वराज पहल प्रारंभ की गई, जो खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प और एक जिला एक उत्पाद (ODOP) को समर्थन देती हैं।



पिंगली वेंकैया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। उनका निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ।
- वे एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे, जो बाद में आज के तिरंगे के रूप में विकसित हुआ।

ध्वज का डिजाइन

- 1921 में उन्होंने विजयवाड़ा में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गाँधी के समक्ष ध्वज का एक डिजाइन प्रस्तुत किया।
- उनके डिजाइन में भारत के प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन पट्टियाँ और आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा शामिल था।
- 1947 में इस डिजाइन में बदलाव करके अशोक चक्र को शामिल किया गया, जो कानून और प्रगति का प्रतीक है।

सम्मान

- भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए हैं और उनकी विरासत का उत्सव मनाने के लिए तिरंगा उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

भारत छोड़ो आंदोलन

हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन के वीर प्रतिभागियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

आंदोलन का परिचय

- महात्मा गाँधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इसकी शुरुआत बंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन के दौरान हुई।
- गाँधी ने गोवालिया टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, से अपना आह्वान किया।
- उन्होंने ऐतिहासिक नारा “करो या मरो” दिया। इसने लाखों लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की माँग करने के लिए प्रेरित किया।

01 क्रिप्स मिशन की विफलता

मुख्य कारण 1942 की शुरुआत में क्रिप्स मिशन की विफलता थी।

02 डोमिनियन स्टेट्स को अस्वीकार किया गया

ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के बाद 'डोमिनियन स्टेट्स' देने की पेशकश की। भारतीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया और तत्काल तब पूर्ण स्वतंत्रता की माँग की।

03 युद्धकालीन कमी और महँगाई

युद्धकालीन वस्तुओं की कमी, महँगाई और जापानी आक्रमण के बढ़ते खतरे ने अस्तोष को और बढ़ा दिया।

इन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी कारकों ने मिलकर स्वतंत्रता की माँग को तेज किया।

प्रमुख नेता

- महात्मा गाँधी ने अपने “करो या मरो” के संकल्प के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया।
- औपनिवेशिक सरकार ने कठोर दमन के साथ प्रतिक्रिया दी।
- उसने गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और अबुल कलाम आजाद सहित शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
- युवा भूमिगत नेताओं ने आंदोलन को जीवित रखा। इनमें अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता शामिल थे, जिन्होंने एक गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया।

प्रभाव

- ब्रिटिश दमन अत्यंत कठोर था। इसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ और संसर्शित शामिल थीं।
- इसके कारण आंदोलन एक स्वतःस्फूर्त, नेतृत्वविहीन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया।
- इसने किसानों, कारखाना श्रमिकों, महिलाओं, छात्रों और ग्रामीण समुदायों को सक्रिय विरोध में एकजुट किया। इससे गहरी राष्ट्रीय एकता का निर्माण हुआ।
- इसने स्वतंत्रता संघर्ष की दिशा को पुनर्निर्भाषित किया। राजनीतिक एजेंडा छोटे सुधारों पर बातचीत से हटकर ब्रिटेन के पूर्ण और बिना किसी समझौते के भारत से चले जाने की माँग पर केंद्रित हो गया।

उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली के लाजपत भवन में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया।

परिचय

- पंडित गोपबंधु दास (1877-1928), जिन्हें लोकप्रिय रूप से उत्कलमणि (ओडिशा के रत्न) के नाम से जाना जाता है, ओडिशा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद्, कवि और पत्रकार थे।
- गरीबों की सेवा के लिए समर्पित गोपबंधु दास ने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवादी आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए साखीगोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की।
- 1912 की बाढ़ और 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान उनके राहत कार्यों ने उन्हें व्यापक जनसम्मान दिलाया।
- वे 1917 में विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए और कांग्रेस सदस्य के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- उन्होंने 1919 में ओडिशा समाचार पत्र ‘द समाज’ की स्थापना की, जो राष्ट्रवाद और जन-जागरूकता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच था।
- उन्होंने ओडिशा साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रमुख रचनाओं में अबकाश चिंत, गो-माहात्म्य, नचिकेता उपाख्यान, कारक कविता, धर्मपद और बंदीर आत्मकथा शामिल हैं। इनमें से कई रचनाएँ उन्होंने रेवेन्शॉ कॉलेज में अपने समय के दौरान लिखीं।

श्री अरविंद (1872-1950)

15 अगस्त को भारत के प्रमुख क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों, दार्शनिक, योगी और आध्यात्मिक चिंतक श्री अरविंद की जयंती मनाई जाती है।

परिचय

- उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। उनका निधन 5 दिसंबर 1950 को पुदुचेरी में हुआ।
- उन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल, लंदन और किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की।
- उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (ICS) की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अनिवार्य घुड़सवारी परीक्षा में अनुपस्थित रहने के बाद उन्होंने सेवा में प्रवेश नहीं किया।
- वे 1893 में भारत लौटे और बड़ौदा राज्य में कार्य किया। उन्होंने बड़ौदा कॉलेज में अध्यापन भी किया।

स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका

- वे ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करने वाले शुरुआती नेताओं में शामिल थे।
- उनकी प्रसिद्ध लेखमाला 'न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड' ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी दृष्टिकोण की आलोचना की।
- वे अनुशीलन समिति से जुड़े थे और वंदे मातरम् तथा युगांतर जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में योगदान दिया।
- उन्होंने दो प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र भी प्रारंभ किए - कर्मयोगिन (अंग्रेजी) और धर्म (बंगाली)।
- 1906 में वे बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य बने और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- उन्हें अलीपुर बम मामले (1908) में गिरफ्तार किया गया और चित्तरंजन दास ने सफलतापूर्वक उनका बचाव किया।

आध्यात्मिक और साहित्यिक योगदान

- 1910 में वे पुदुचेरी चले गए और सक्रिय राजनीति से हट गए।
- उन्होंने समग्र योग (इंटीग्रल योग) का विकास किया, जिसका उद्देश्य योग के विभिन्न मार्गों के समन्वय के माध्यम से मानव चेतना का समग्र रूपांतरण करना है।
- उन्होंने 1926 में मिरा अल्फासा (द मदर) के साथ श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की। बाद में मिरा अल्फासा ने ऑरोविल की स्थापना की।
- उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में शामिल हैं:
 - ♦ **द लाइफ डिवाइन** - समग्र योग की दार्शनिक आधारभूमि की व्याख्या करता है।
 - ♦ **द सिंथेसिस ऑफ योगा** - समग्र योग के सिद्धांतों और विधियों पर चर्चा करता है।
 - ♦ **सावित्री: ए लीजेंड एंड ए सिंबल** - एक दार्शनिक महाकाव्यात्मक कविता।
 - ♦ **एसेज ऑन द गीता और द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर**।
 - ♦ उन्हें 1943 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार और 1950 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
 - ♦ उन्होंने भारत के आध्यात्मिक और सभ्यतागत पुनरुत्थान की परिकल्पना की, जिसमें मानव एकता और मानव चेतना के विकास पर जोर दिया गया।

रॉयल इंडियन नेवी (RIN) विद्रोह, 1946

भारत ने 1946 के रॉयल इंडियन नेवी (RIN) विद्रोह की 80वीं वर्षगांठ मनाई। इसे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसे एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक-विरोधी विद्रोह के रूप में याद किया जाता है, जिसने ब्रिटिश सत्ता को गंभीर रूप से कमजोर किया और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज किया।

परिचय

- RIN विद्रोह फरवरी 1946 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय नौसैनिक रेंटिंग्स द्वारा किया गया एक बड़े पैमाने का विद्रोह था।
- यह बंबई में तट-आधारित सिग्नल प्रतिष्ठान HMIS तलवार से प्रारंभ हुआ और वायरलेस संचार नेटवर्क के माध्यम से 78 जहाजों, 20 तटीय प्रतिष्ठानों और लगभग 20,000 नौसैनिक कर्मियों तक फैल गया। इसमें बंबई, कराची, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, जामनगर और अन्य केंद्र शामिल थे।
- इसे स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश शासन के सामने आने वाली अंतिम प्रमुख सैन्य चुनौतियों में से एक माना जाता है।

कारण

- **युद्धोत्तर अनिश्चितता:** द्वितीय विश्व युद्ध से पहले RIN में 2,000 से कम कर्मचारी थे, जो युद्ध के दौरान बढ़कर लगभग 30,000 हो गए। युद्ध के बाद प्रस्तावित सैनिकों की संख्या में कमी से नौसैनिकों में असुरक्षा उत्पन्न हुई।
- **सेवा संबंधी शिकायतें:** नौसैनिकों को नस्लीय भेदभाव, खराब भोजन, अपर्याप्त आवास, कम वेतन, सीमित भत्तों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता था।
- **राष्ट्रवादी प्रभाव:** INA के मुकदमों और व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन ने नौसैनिक कर्मियों में औपनिवेशिक-विरोधी भावना को मजबूत किया।
- **तत्काल कारण:** कमांडर आर्थर फ्रेडरिक किंग पर भारतीय नौसैनिकों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने और उनकी शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप था, जिसके कारण 18 फरवरी 1946 को हड़ताल प्रारंभ हुई।

प्रमुख मांगें

- भोजन, आवास, वेतन, भत्तों और उचित रूप से सैनिकों की सेवा समाप्ति सहित बेहतर सेवा स्थितियाँ।
- रॉयल नेवी के कर्मियों के समान सुविधाएँ, जिनमें NAAFI सेवाओं तक पहुँच भी शामिल थी।
- राजनीतिक माँगों में INA के कैदियों की रिहाई, कमांडर किंग के विरुद्ध कार्रवाई, इंडोनेशिया से ब्रिटिश सेनाओं की वापसी और ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के लिए भारतीय सैनिकों के उपयोग को समाप्त करना शामिल था।

विद्रोह का क्रम

- नौसैनिकों ने नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति (NCSC) का गठन किया।
- उन्होंने स्वयं को इंडियन नेशनल नेवी (आजाद हिंद) के रूप में संबोधित किया।
- उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए, जो व्यापक औपनिवेशिक-विरोधी एकता का प्रतीक था।

- विद्रोह को श्रमिकों, छात्रों और रेलवे कर्मचारियों से व्यापक जनसमर्थन मिला, जबकि नागरिकों ने नौसैनिकों को भोजन उपलब्ध कराया।
- ब्रिटिशों ने बल प्रयोग करके विद्रोह को दबा दिया। बंबई में पुलिस की गोलीबारी में बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए। रॉयल इंडियन एयर फोर्स और भारतीय सेना के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की अशांति दिखाई दी।

महत्व

- इसने भारतीय सशस्त्र बलों पर ब्रिटिश नियंत्रण के कमजोर होने को उजागर किया।
- इसने दिखाया कि भारतीय सैन्य कर्मियों की ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा अब सुनिश्चित नहीं थी।
- INA आंदोलन के साथ मिलकर इसने भारत से शीघ्र ब्रिटिश वापसी के पक्ष में तर्क को मजबूत किया।
- इसने यह भी उजागर किया कि आर्थिक शिकायतें और राष्ट्रवादी आकांक्षाएँ धार्मिक तथा क्षेत्रीय विभाजनों से ऊपर उठकर सैनिकों को एकजुट कर सकती थीं।

दही हांडी उत्सव

महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) सूची में शामिल किए जाने की दिशा में औपचारिक प्रयास प्रारंभ किए हैं। सरकार सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए गोविंदा टीमों को स्पेन भेजकर इस परंपरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है।

परिचय

- दही हांडी एक पारंपरिक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक उत्सव है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है।
- यह माखन चोर की कथा से प्रेरित है, जिसमें बाल कृष्ण और उनके साथी गोपियों द्वारा ऊँचाई पर लटकाए गए मखन और दही से भरे मिट्टी के मटकों तक पहुँचने के लिए मानव पिरामिड बनाते थे।
- गोविंदा पथक के नाम से जाने जाने वाले दल दही, मखन, दूध, पोहा और फलों से भरे लटके हुए मिट्टी के मटके (हांडी) को तोड़ने के लिए बहु-स्तरीय मानव पिरामिड बनाते हैं।
- पिरामिड के सबसे ऊपर का गोविंदा उसके शीर्ष तक चढ़कर मटका तोड़ता है, जो कृष्ण के चंचल बाल्यकाल का प्रतीक है।
- यह उत्सव महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, विशेष रूप से मुंबई, ठाणे, पुणे और कोंकण क्षेत्र में। पश्चिमी भारत में इसे गोपालकाला और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के कुछ हिस्सों में उल्लोत्सव के नाम से भी जाना जाता है।
- आधुनिक आयोजनों में प्रशिक्षित गोविंदा पथक शामिल होते हैं, जिनमें सभी महिलाओं की टीमें भी शामिल हैं, जो कई महीनों तक अभ्यास करती हैं। परंपरागत रूप से दर्शक प्रतिभागियों पर पानी डालते हैं, जिससे चुनौती और उत्सव का उत्साह बढ़ जाता है।

यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH)

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मौखिक परंपराएँ, प्रदर्शन कलाएँ, सामाजिक प्रथाएँ, अनुष्ठान, उत्सव संबंधी आयोजन, पारंपरिक ज्ञान और शिल्प कौशल शामिल हैं, जिन्हें समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानते हैं।
- यूनेस्को ने 2003 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय को अपनाया। भारत ने 2005 में इस अभिसमय की पुष्टि की।
- वर्तमान में भारत के 16 तत्व यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हैं।

राजघाट उत्खनन, वाराणसी

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने हाल ही में 22 सीलबंद बक्सों को दोबारा खोला, जिनमें 1957 में पुरातत्त्वविद् टी. एन. रॉय के नेतृत्व में राजघाट, वाराणसी में किए गए उत्खनन से प्राप्त 10,000 से अधिक पुरातात्विक कलाकृतियाँ रखी गई थीं।

उत्खनन परिचय

- राजघाट वाराणसी के उत्तर-पूर्वी किनारे पर, गंगा और वरुणा नदियों के संगम के निकट स्थित है।
- यह प्राचीन वाराणसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो काशी महाजनपद की राजधानी थी। इसलिए यह उत्तर भारत में प्रारंभिक नगरीकरण को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है।
- सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेषों की पहचान 1939 में काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार के दौरान हुई थी।
- 1957 से 1969 के बीच BHU और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा ए. के. नारायण और टी. एन. रॉय के पर्यवेक्षण में प्रमुख उत्खनन किए गए।

प्रमुख खोजें

- दोबारा खोले गए बक्सों में 10,000 से अधिक कलाकृतियाँ थीं, जिनमें लगभग 3,000 वर्ष पुरानी चित्रित काली मिट्टी की वस्तुएँ शामिल हैं।
- अन्य खोजों में प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, औजार, मुहरें और तांबे, हाथीदाँत तथा हड्डी से बनी वस्तुएँ शामिल हैं।
- ब्राह्मी लिपि के उदाहरणों सहित कई अभिलेखयुक्त मुहरें प्राप्त हुईं।
- “वाराणसी” नाम वाली मुहरों और मुहर-छापों से इस स्थल की पहचान प्राचीन वाराणसी के रूप में होने की पुष्टि करने में मदद मिली।
- शोधकर्ताओं ने एक सीलबंद बक्सा भी दोबारा खोला, जिसमें लगभग 70 वर्ष पहले इस स्थल से उत्खनित एक मानव कंकाल रखा था।
- इस संग्रह में लगभग 3,000 काँच की स्लाइडें और 5,000 से अधिक फोटोग्राफिक निगेटिव शामिल हैं, जिनमें राजघाट, मांझी, रत्नागिरी, अजंता और एलोरा जैसे पुरातात्विक स्थलों का दस्तावेजीकरण किया गया है।
- ये अभिलेखीय तस्वीरें स्मारकों और मूर्तियों की मूल स्थिति को संरक्षित करती हैं, जो बाद में मौसम के प्रभाव, संरक्षण कार्यों और आधुनिक विकास के कारण बदल गईं।

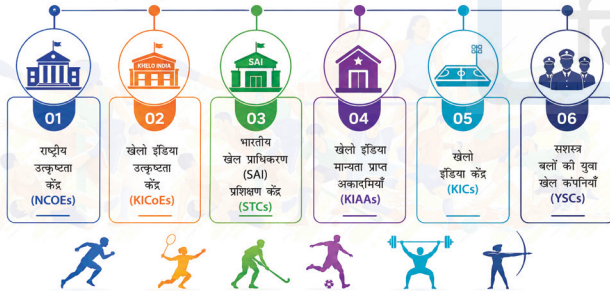
संशोधित खेलो इंडिया योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना तथा राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता (ANSFs) को बढ़ाने की मंजूरी दी है। 2026-27 से 2030-31 तक इन दोनों के लिए ₹36,441 करोड़ का संयुक्त परिव्यय रखा गया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक भारत की खेल व्यवस्था को मजबूत करना है।

परिचय

- खेलो इंडिया, जिसे आधिकारिक रूप से खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा जाता है, देशभर में व्यापक जनभागीदारी और खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 2016-17 में प्रारंभ किया गया था।
- संशोधित योजना का उद्देश्य विद्यालयों और गाँवों से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, जिसमें ओलंपिक और पैरालंपिक खेल भी शामिल हैं, तक खिलाड़ियों के निरंतर विकास का मार्ग तैयार करना है।
- यह खेलो भारत नीति, 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप है तथा खेलों को शिक्षा, शारीरिक दक्षता और युवा विकास के साथ एकीकृत करती है।

यह योजना एक राष्ट्रीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करती है, जिसमें शामिल हैं:



- ये संस्थान वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान सहायता, आधुनिक बुनियादी ढाँचा और खिलाड़ी विकास उपलब्ध कराएँगे।
- उभरते खेलो इंडिया खिलाड़ी (E-KIA) की एक नई श्रेणी प्रारंभ की जाएगी, जिससे व्यवस्थित प्रतिभा पूल का काफी विस्तार होगा।
- खेलो इंडिया फीडर स्कूल और खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय विद्यालय स्तर पर खेल शिक्षा को मजबूत करेंगे।
- फिट इंडिया आंदोलन का विस्तार किया जाएगा, ताकि शारीरिक दक्षता, महिलाओं की भागीदारी, स्वदेशी खेलों, पैरा-खेलों तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध खेल-आधारित जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रत्यायन बोर्ड (NCAB) प्रशिक्षकों की योग्यताओं को मानकीकृत करेगा और पेशेवर मानकों में सुधार करेगा।
- एक डिजिटल खेल मंच खिलाड़ियों की निगरानी, प्रतिभा पहचान और खेल शासन में सहायता करेगा।

राष्ट्रीय खेल महासंघों को बढ़ी हुई सहायता

- सुदृढ़ राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता योजना (2026-31) निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी:
 - प्रशिक्षण और खेल विज्ञान
 - आधुनिक उपकरण
 - प्रशिक्षण शिविर
 - अंतरराष्ट्रीय अनुभव
 - विदेशी विशेषज्ञ
 - प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी
- यह योजना वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ खेल सहयोग को भी बढ़ावा देती है और भारत के स्वदेशी खेलों के अंतरराष्ट्रीय प्रचार का समर्थन करती है।

महत्त्व

- संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर से उच्च स्तर तक एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।
- इससे भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल प्रदर्शन में सुधार की दिशा में सहायता मिलेगी।
- यह भारत को वैश्विक खेल राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करता है।

फील्ड्स पदक 2026

फील्ड्स पदक 2026, जिसे गणित के क्षेत्र में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है, यू दॅंग, जॉन पार्डन, जैकब त्सिमरमैन और होंग वांग को गणितीय अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया।

परिचय

- फील्ड्स पदक की स्थापना 1936 में कनाडाई गणितज्ञ जॉन चार्ल्स (जे. सी.) फील्ड्स के प्रयासों से हुई थी।
- यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ (IMU) द्वारा अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञ कांग्रेस (ICM) के दौरान प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार उत्कृष्ट गणितीय उपलब्धियों के साथ-साथ भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान की क्षमता को भी मान्यता देता है।
- यह हर चार वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है।
- पात्रता:** पुरस्कार प्राप्तकर्ता की आयु पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ता:** प्रत्येक पुरस्कार चक्र में दो से चार गणितज्ञों को पदक दिया जा सकता है।

• वित्तपोषण:

- ♦ पदक और नकद पुरस्कार का वित्तपोषण टोरंटो विश्वविद्यालय में जे. सी. फील्ड्स द्वारा स्थापित एक न्यास के माध्यम से किया जाता है।
- ♦ 2026 के पुरस्कार को फील्ड्स संस्थान से भी वित्तीय सहायता मिली।

- **पुरस्कार:** प्रत्येक प्राप्तकर्ता को फील्ड्स पदक और 15,000 कनाडाई डॉलर की नकद राशि दी जाती है।

विचारणीय बिंदु

- होंग वांग फील्ड्स पदक प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बनीं। उनसे पहले मरियम मिर्जाखानी (2014) और मरिना वियाजोव्स्का (2022) यह पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।
- यू देंग और होंग वांग यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी नागरिक बने।
- भारतीय मूल के गणितज्ञ मंजुल भार्गव (2014) और अक्षय वेंकटेश (2018) इससे पहले फील्ड्स पदक प्राप्त कर चुके हैं।

कॉसपार विक्रम साराभाई पदक 2026

भारतीय खगोलभौतिक विज्ञानी प्रो. अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम, जो भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (IIA), बेंगलुरु की निदेशक हैं, को अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉसपार विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया है।

परिचय

- यह एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1990 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई की विरासत को सम्मानित करने के लिए की गई थी।
- यह पदक अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (COSPAR) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है।
- कॉसपार (COSPAR) अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद (ISC) से संबद्ध एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक निकाय है और इसे अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति (UN-COPUOS) द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- यह पदक विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसके लिए किसी भी देश के उम्मीदवार पात्र हैं।
- यह पुरस्कार कॉसपार वैज्ञानिक सभा के दौरान प्रदान किया जाता है, जिसका आयोजन हर दो वर्ष में होता है।

2026 की पुरस्कार प्राप्तकर्ता

- प्रो. अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को तारकीय आबादी, तारागुच्छों, आकाशगंगा के विकास तथा एस्ट्रोसैट के पराबैंगनी इमेजिंग दूरबीन (UVIT) में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
- वह यह सम्मान प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय हैं।
- वह यह पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व स्तर पर तीसरी महिला हैं।

पूर्व भारतीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता

- उडुपी रामचंद्र राव - 1996
- गुरबक्स सिंह लखिना - 2014
- अनिल भारद्वाज - 2024

ब्लू जोन

ओकिनावा (जापान), जिसे विश्व के मान्यता प्राप्त ब्लू जोन में शामिल किया जाता है, अपनी उच्च जीवन प्रत्याशा और असाधारण स्वस्थ वृद्धावस्था के कारण वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है।

परिचय

- ब्लू जोन ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ लोग वैश्विक औसत की तुलना में काफी अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं।
- इन क्षेत्रों में शतायु लोगों, अर्थात् 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों, की संख्या असामान्य रूप से अधिक होती है।
- इस अवधारणा का विकास असाधारण दीर्घायु वाली आबादी पर किए गए शोध के आधार पर डैन ब्यूटनर, मिशेल पौलेन और जियानी पेस ने किया।
- **मान्यता प्राप्त पाँच ब्लू जोन हैं:**
 - ♦ ओकिनावा - जापान
 - ♦ सार्डिनिया - इटली
 - ♦ निकोया प्रायद्वीप - कोस्टा रिका
 - ♦ इकारिया - यूनान
 - ♦ लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया - संयुक्त राज्य अमेरिका

महत्त्व

- ब्लू जोन से स्वस्थ वृद्धावस्था, दीर्घायु और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।
- इसलिए ये सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ मॉडल के रूप में कार्य करते हैं।

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार

रामनाथपुरम की पी. पेचियम्माल और विल्लुपुरम की गोविंदम्माल को पर्यावरण संरक्षण और सतत् आजीविका के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया।

पुरस्कार का परिचय

- इस पुरस्कार की स्थापना रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट (RCME) द्वारा डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की स्मृति में की गई थी।
- इसे कैविनकेयर प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन प्राप्त है।
- यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरणीय संवर्धन और पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति, संगठन या कंपनी को सम्मानित करता है।

वर्ष 2026 के पुरस्कार प्राप्तकर्ता

- पी. पेचियम्माल को परित्यक्त मछली पकड़ने के जाल, नायलॉन की रस्सियों और प्लास्टिक कचरे सहित भूतिया मछली पकड़ने के उपकरणों के संग्रह की अग्रणी पहल के लिए सम्मानित किया गया। इससे समुद्री प्रदूषण को कम करने में सहायता मिली है।
- गोविंदम्माल को बेहतर बीजों, उन्नत कृषि पद्धतियों और किसानों के सशक्तीकरण के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया।

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन

- **जन्म:** 7 अगस्त 1925, कुंभकोणम, तमिलनाडु
- **प्रेरणा:** 1943 के बंगाल अकाल से प्रेरित होकर उन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कृषि विज्ञान को अपनाया।

प्रमुख योगदान

- अधिक उपज देने वाली अर्ध-बौनी गेहूँ की किस्मों और उन्नत चावल की किस्मों को बढ़ावा देकर भारत की हरित क्रांति का नेतृत्व किया, जिससे भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिली।
- नॉर्मन ई. बोरलॉग और ऑरविल वोगेल् के साथ मिलकर मैक्सिकन बौने गेहूँ को भारत में लाने में सहयोग किया, जिसने भारत की गेहूँ क्रांति की नींव रखी।
- अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI), फिलीपींस के पहले भारतीय महानिदेशक के रूप में 1982 से 1988 तक कार्य किया।
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त किया।
- मैंग्रोव संरक्षण और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से ओडिशा के केंद्रपाड़ा में। उन्होंने 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद बड़े पैमाने पर मैंग्रोव रोपण की भी वकालत की।
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के सहयोग से गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट की स्थापना में सहायता की।
- राष्ट्रीय किसान आयोग (2004-06) के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने व्यापक कृषि लागत (C2) से कम-से-कम 50% अधिक यानी C2+50% के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की।
- उन्हें 2024 में मरणोपरान्त भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने उन्हें “आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक” के रूप में मान्यता दी।

2026 डिराक पदक

प्रसिद्ध भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी, विशेष रूप से एबेलियन सैंडपाइल मॉडल, में उनके अग्रणी योगदान के लिए अब्दुस सलाम अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र (ICTP), ट्रिएस्टे, इटली द्वारा 2026 डिराक पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह सम्मान बर्नार्ड डेरिडा, मार्क मेज़ार्ड और हाइम सोमपोलिंस्की के साथ साझा किया है।

परिचय

- **स्थापना:** 1985 में ICTP द्वारा
- **नामकरण:** नोबेल पुरस्कार विजेता और क्वांटम यांत्रिकी के संस्थापकों में से एक पॉल ए. एम. डिराक के नाम पर।
- **प्रदान:** प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त, पॉल डिराक की जयंती पर।
- यह सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है।
- परंपरा के अनुसार यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, फील्ड्स पदक या वुल्फ पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को नहीं दिया जाता, हालाँकि कई पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने बाद में ये सम्मान प्राप्त किए हैं।
- प्रत्येक प्राप्तकर्ता को डिराक पदक और 5,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिलती है।
- ICTP की स्थापना 1964 में अब्दुस सलाम ने की थी। यह विशेष रूप से विकासशील देशों में उन्नत अनुसंधान और वैज्ञानिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है।
- यह यूनेस्को, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और इटली सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत संचालित होता है।

एबेलियन सैंडपाइल मॉडल

- इसे दीपक धर ने 1990 में विकसित किया था। यह 1987 में प्रस्तावित स्व-संगठित क्रांतिकता की अवधारणा का कठोर गणितीय विस्तार है।
- यह समझता है कि किस प्रकार सरल स्थानीय अंतःक्रियाएँ किसी प्रणाली को स्वाभाविक रूप से एक क्रांतिक अवस्था में पहुँचा सकती हैं, जहाँ एक छोटा-सा व्यवधान जटिल शृंखलाबद्ध घटनाओं को जन्म दे सकता है।
- इसकी एबेलियन विशेषता यह सिद्ध करती है कि अंतिम स्थिर विन्यास, ढहने की प्रक्रिया के क्रम पर निर्भर नहीं करता, जिससे यह मॉडल गणितीय रूप से अधिक सुगम बनता है।
- इस मॉडल का उपयोग भूकंप, जंगल की आग, यातायात प्रवाह, तंत्रिका गतिविधि, विद्युत ग्रिड की विफलता और वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव को समझने में किया जाता है।

दीपक धर का परिचय

- **जन्म:** 1951, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
- **शिक्षा:** इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आईआईटी कानपुर में अध्ययन किया तथा कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान (Caltech) से 1978 में पीएचडी प्राप्त की।
- अपने डॉक्टरेट अध्ययन के दौरान उन्होंने रिचर्ड फाइनमैन के शिक्षण सहायक के रूप में कार्य किया।
- वे बोल्ट्जमान पदक (2022) प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। इसे व्यापक रूप से सांख्यिकीय भौतिकी का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मान माना जाता है।
- **अन्य प्रमुख सम्मान:**
 - ♦ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार - 1991
 - ♦ TWAS पुरस्कार - 2002

- ♦ पद्म भूषण – 2023
- ♦ वे विश्व के उन गिने-चुने वैज्ञानिकों में शामिल हैं जिन्हें बोल्ट्जमान पदक और डिराक पदक दोनों प्राप्त हुए हैं।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की घोषणा 31 अक्टूबर को किए जाने की उम्मीद है। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

परिचय

- इसकी स्थापना सितंबर 2019 में सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर की गई थी।
- यह भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान के लिए नागरिकों, संस्थानों और संगठनों को प्रदान किया जाता है।
- इसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है और इसे पद्म भूषण के समकक्ष माना जाता है।
- पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर (राष्ट्रीय एकता दिवस) को की जाती है।
- यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।



पात्रता

- प्राप्तकर्ता ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने की दिशा में उत्कृष्ट और प्रेरणादायक योगदान दिया होना चाहिए।

पुरस्कार समिति

- समिति का गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
- इसमें शामिल होते हैं:
 - ♦ कैबिनेट सचिव
 - ♦ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
 - ♦ राष्ट्रपति के सचिव
 - ♦ गृह सचिव
 - ♦ प्रधानमंत्री द्वारा नामित तीन या चार प्रतिष्ठित व्यक्ति

पुरस्कार की विशेषताएँ

- पुरस्कार में पदक और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।
- इसके साथ कोई नकद पुरस्कार या मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता।
- पदक कमल की पत्ती के आकार का होता है और सोने तथा चाँदी से बना होता है। इसके एक ओर सरदार पटेल का चित्र और दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रतीक अंकित होता है।
- सामान्यतः यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन अत्यंत दुर्लभ और अत्यधिक योग्य मामलों में अपवाद हो सकता है।
- एक वर्ष में तीन से अधिक पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते।

2026 संस्करण

- पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा 31 अक्टूबर 2026 को किए जाने की उम्मीद है।
- प्रथम संस्करण में दो या तीन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA) 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं।

परिचय

- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक हैं।
- इन पुरस्कारों की शुरुआत राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत 2021 में की गई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर) को प्रदान किए जाते हैं।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन, दिसंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य स्वदेशी गोवंशीय नस्लों का वैज्ञानिक संरक्षण, विकास और संवर्धन करना है।
- ये पुरस्कार दूध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों (MPCs), डेयरी किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (AITs) के बीच उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करते हैं।

पुरस्कार की श्रेणियाँ

- सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान – स्वदेशी गाय या भैंस की नस्लों का पालन करने वाले।
- सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति (DCS), दुग्ध उत्पादक कंपनी (MPC) या डेयरी किसान उत्पादक संगठन (FPO)
- सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AIT)
- विशेष पुरस्कार – डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) और हिमालयी राज्यों के योग्य नामांकित व्यक्तियों को भी दिया जाता है।

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन

- सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान तथा सर्वश्रेष्ठ DCS/MPC/FPO श्रेणी में:
 - ♦ प्रथम पुरस्कार – ₹5 लाख
 - ♦ द्वितीय पुरस्कार – ₹3 लाख
 - ♦ तृतीय पुरस्कार – ₹2 लाख
 - ♦ साथ में प्रशस्ति प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिह्न।
 - ♦ विशेष पुरस्कार में ₹2 लाख, प्रशस्ति प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिह्न दिया जाता है।
- सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AIT) श्रेणी में प्रशस्ति प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिह्न दिया जाता है। इसमें कोई नकद पुरस्कार नहीं है।

गर्भिणी मित्र पाठ्यक्रम

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए गर्भिणी मित्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है।

पाठ्यक्रम का परिचय

- यह छह महीने का, ऑफलाइन स्वास्थ्य कौशल-विकास कार्यक्रम है, जिसका आयोजन सरिता विहार, नई दिल्ली स्थित AIIA परिसर में किया जाता है।
- इसका उद्देश्य समुदाय स्तर पर मातृ-कल्याण मार्गदर्शकों का एक प्रशिक्षित समूह तैयार करना है, जो गर्भाधारण से पूर्व, गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि में गैर-चिकित्सकीय सहायता प्रदान कर सकें।
- यह पाठ्यक्रम पेशेवर चिकित्सा और प्रसूति देखभाल का विकल्प नहीं, बल्कि उसका पूरक है। इसका उद्देश्य समय पर मार्गदर्शन और उचित स्वास्थ्य केंद्र पर भेजने की सुविधा प्रदान करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह तीन शास्त्रीय आयुर्वेदिक अवधारणाओं पर आधारित है:
 - ◆ गर्भाधान विधि: गर्भाधारण से पूर्व की देखभाल।
 - ◆ गर्भिणी परिचर्या: गर्भावस्था के दौरान की देखभाल।
 - ◆ सूतिका परिचर्या: प्रसव के बाद की देखभाल।
- पाठ्यक्रम में शामिल विषय:
 - ◆ गर्भावस्था की प्रत्येक तिमाही के अनुसार आहार और जीवनशैली प्रबंधन
 - ◆ गर्भावस्था के लिए सुरक्षित योग और श्वसन अभ्यास
 - ◆ प्रसव के दौरान भावनात्मक सहायता
 - ◆ नवजात शिशु की मालिश (अभ्यंग)
 - ◆ बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS)
 - ◆ संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन
- प्रतिभागियों को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के चेतावनी संकेतों की पहचान, सामान्य स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी और योग्य स्वास्थ्य पेशेवरों के पास समय पर भेजने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक समूह में 20 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

पात्रता

- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
- कक्षा 12 के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार भी अस्थायी रूप से आवेदन कर सकते हैं।

वैश्य टेकरी स्तूप, उज्जैन

मध्य प्रदेश सरकार वैश्य टेकरी, उज्जैन में नए सिरे से उत्खनन पर विचार कर रही है। यहाँ 1938-39 में किए गए उत्खनन में मौर्य काल के एक विशाल बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले थे, जिसके बारे में माना जाता है कि यह संभवतः सांची के महान स्तूप से भी बड़ा हो सकता है।

वैश्य टेकरी

- वैश्य टेकरी मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट स्थित एक बड़ा पुरातात्विक टीला है।
- 1938-39 में किए गए उत्खनन में मुख्य बौद्ध स्तूप के कुछ हिस्से और दो छोटे स्तूपों के अवशेष सामने आए।
- इस स्थल का काल-निर्धारण अस्थायी रूप से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व (मौर्य काल) का किया गया है।
- इसे परंपरागत रूप से सम्राट अशोक से जोड़ा जाता है, जिन्होंने सम्राट बनने से पहले उज्जैन में मौर्य राज्यपाल के रूप में कार्य किया था।
- हालाँकि, यह संबंध अभी तक पुरातात्विक साक्ष्यों से निर्णायक रूप से स्थापित नहीं हुआ है।
- पहले के उत्खनन प्रतिवेदनों में इस स्मारक का व्यास लगभग 350 फीट और ऊँचाई 100 फीट से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था।
- यदि नए उत्खनन से इसकी पुष्टि होती है, तो यह सांची के महान स्तूप से बड़ा हो सकता है।
- प्राचीन उज्जैन अर्वांत महाजनपद की राजधानी था और बाद में मौर्यों के अधीन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया।



डेटा पुनर्कथन

- जनगणना 2027 में 1931 के बाद पहली बार नियमित जनगणना में जाति का अभिलेखन किया जाएगा। सबसे पहले लद्दाख में सितंबर 2026 से गणना की जानी है।
- पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना 1,425 संस्थानों के विद्यार्थियों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराती है, जिसके लिए ₹7.5 लाख तक के ऋण पर 75% ऋण गारंटी दी जाती है।
- क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वैधानिक निकाय हैं; 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु में हुई।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 11 हवाई अड्डों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत पाँच समूहों में 50 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाएगा, जिसमें मजबूत और कमजोर हवाई अड्डों को एक साथ जोड़ा जाएगा।
- भारत 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक रहा है; इसका हिमाद्रि अनुसंधान केंद्र 2008 से स्वालबार्ड, नॉर्वे में स्थित है।
- आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में तीन से चार गुना अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, जिसका भारत के मानसून और समुद्र-स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- ईरान सदस्य देशों के साथ बैंकिंग सहयोग को गहरा करने के लिए ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की योजना बना रहा है।
- सीबीएएम, अर्थात यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, लोहा और इस्पात जैसे अधिक कार्बन उत्सर्जन वाले आयातों को लक्षित करता है। इसके जवाब में भारत ने साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत का उल्लेख किया है।
- नौ उद्योगों को शामिल करने वाले भारत के मूलभूत क्षेत्र की वृद्धि जुलाई 2026 में घटकर 5.4% रह गई, जो जून में 6% थी।
- एपीडा ने बिहार से ऑस्ट्रेलिया के लिए जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना, अर्थात फॉक्स नट, की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप भेजी।
- अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस, 4 अगस्त, के अवसर पर एशिया की जंगली बिल्लियों के संरक्षण के लिए क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना प्रारंभ की गई।
- काजीरंगा, असम के जटायु केंद्र में पाँच बंदी-प्रजनित स्लेडर-बिल्ड गिद्ध और पाँच व्हाइट-रम्प गिद्धों को नियंत्रित मुक्तिकरण के माध्यम से छोड़ा गया।
- लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र के 12 हिमनदों की गति 1992 से 2023 के बीच प्रति दशक औसतन 2.4 मीटर प्रति वर्ष धीमी हुई।
- विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है; हाथियों का गर्भकाल सभी स्थलीय स्तनधारियों में सबसे लंबा होता है।
- बंजर-भूमि भ्राति में स्वाभाविक रूप से वृक्ष-विहीन भू-दृश्यों को गलती से क्षतिग्रस्त माना जाता है, जिससे अनुपयुक्त वनीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
- ब्रॉड पीक, जिसे फाल्चन कांग्री भी कहा जाता है, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित विश्व का 12वाँ सबसे ऊँचा पर्वत है, जिसकी ऊँचाई 8,051 मीटर है।
- अमेरिका का सबसे बड़ा जलाशय लेक मीड, जो हूवर बाँध के कारण बना है, लगभग 90 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया।
- BESIII प्रयोग में इस बात के मजबूत प्रमाण मिले कि कण X(2370) एक ग्लूबॉल हो सकता है, जो मुख्यतः ग्लूऑन से बना होता है।
- भारतीय स्टार्ट-अप डी-प्रोपल्स ने हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की सुविधा में भारत के पहले स्वदेशी 5 किलो न्यूटन वायु-श्वसी घूर्णी विस्फोटन इंजन का परीक्षण किया।
- भारत की योजना 2030 तक 30 गीगावाट घरेलू पॉलीसिलिकॉन उत्पादन की है, जिसके लिए ₹25,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है।
- मैथिलीशरण गुप्त, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगाँव, झाँसी में हुआ था, को प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती पर स्मरण किया जाता है।
- पिंगली वेंकैया, जिनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था, ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की थी।
- वैश्य टेकरी, उज्जैन में मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप स्थित है, जिसकी खुदाई 1938-39 में हुई थी। यह संभवतः साँची के महान स्तूप से भी बड़ा था।
- फील्ड्स पदक 2026, जो गणित के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, यू दॅंग, जॉन पार्डन, जैकब त्सिमरमैन और होंग वांग को प्रदान किया गया। इसके लिए प्राप्तकर्ताओं की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- होंग वांग फील्ड्स पदक जीतने वाली तीसरी महिला बनीं। उनसे पहले मरियम मिर्जाखानी (2014) और मरिना वियाजोव्स्का (2022) यह सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं।
- ब्लू जोन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग असाधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इनमें ओकिनावा, सार्डिनिया, निकोया प्रायद्वीप, इकारिया और लोमा लिंडा शामिल हैं।
- संशोधित खेलेो इंडिया योजना के लिए 2026-27 से 2030-31 तक कुल ₹36,441 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
- सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी, को पद्म विभूषण के समकक्ष माना जाता है और इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को की जाती है।
- भारत की 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 2022 में 14.9 करोड़ से बढ़कर 2050 तक 34.7 करोड़ होने का अनुमान है।
- फरवरी 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह बंबई के एचएमआईएस तलवार से प्रारंभ हुआ और 78 जहाजों तथा 20,000 कर्मियों तक फैल गया।
- भारत ने 2005 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अभिसमय की पुष्टि की थी और अब उसके 16 तत्त्व प्रतिनिधि सूची में शामिल हैं।
- गर्भिणी मित्र पाठ्यक्रम, जिसे नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है, शास्त्रीय आयुर्वेदिक अवधारणाओं के माध्यम से सामुदायिक मातृ-कल्याण मार्गदर्शकों को प्रशिक्षित करता है।

स्वयं परीक्षण

Visit: www.nextias.com for monthly compilation of Current based MCQs

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. “एक सशक्त देखभाल अर्थव्यवस्था केवल कल्याणकारी पहल नहीं, बल्कि मानव पूँजी में एक रणनीतिक निवेश है।” नीति आयोग की रिपोर्ट ‘रीइमैजनिंग केयर’ के आलोक में भारत की देखभाल व्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों का परीक्षण कीजिए तथा इसे व्यावसायिक और संगठित बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए।
2. “सीमित व्यवधान लोकतांत्रिक साधन के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन लगातार व्यवधान संसद की संवैधानिक भूमिका को कमजोर करता है।” भारतीय संसद में बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा विधायी समीक्षा और कार्यपालिका की जवाबदेही पर इनके प्रभाव की चर्चा कीजिए।
3. भारतीय संसद के विधायी, वित्तीय और जवाबदेही संबंधी कार्यों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए कि अनुच्छेद 93 के अंतर्गत उपाध्यक्ष के पद का लगातार रिक्त रहना संस्थागत संतुलन को लेकर चिंताएँ क्यों उत्पन्न करता है।
4. जनगणना 2027 में जातिगत गणना का समावेश भारत की 1931 के बाद की प्रथा से एक ऐतिहासिक बदलाव है। साक्ष्य-आधारित कल्याणकारी योजना निर्माण और सकारात्मक कार्रवाई के लिए जातिगत आँकड़ों के महत्व पर चर्चा कीजिए तथा इससे उत्पन्न आँकड़ों की गुणवत्ता और निजता संबंधी चिंताओं का परीक्षण कीजिए।
5. “राजनीति का अपराधीकरण विधि के शासन को धन और बाहुबल के शासन से प्रतिस्थापित करता है।” भारत में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधायकों की बढ़ती संख्या के पीछे मौजूद संरचनात्मक कारणों का परीक्षण कीजिए तथा वर्तमान कानूनी सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता पर चर्चा कीजिए।
6. परीक्षण कीजिए कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 जैसे कानूनी प्रावधान गंभीर अपराधिक आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने और जीतने से रोकने में क्यों विफल रहे हैं तथा अधिक कठोर अयोग्यता मानदंडों के पक्ष में तर्कों पर चर्चा कीजिए।
7. “हिमालय, जिसे तीसरे ध्रुव के रूप में मान्यता प्राप्त है, भारत को ध्रुवीय शासन में वैध हित प्रदान करता है।” भारत के लिए आर्कटिक क्षेत्र के सामरिक, आर्थिक और वैज्ञानिक महत्व पर चर्चा कीजिए।
8. सांस्कृतिक कूटनीति सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो राष्ट्रों को बल प्रयोग के बजाय आकर्षण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के प्रमुख आयामों पर चर्चा कीजिए तथा इसकी प्रभावशीलता को सीमित करने वाली संस्थागत चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
9. आईएसआई जैसे प्रमुख शोध संस्थानों को वैधानिक स्वरूप प्रदान करना प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय जवाबदेही में किस प्रकार सुधार कर सकता है, इसका परीक्षण कीजिए। साथ ही, शैक्षणिक शासन में अत्यधिक कार्यपालिका नियंत्रण के जोखिम का भी आकलन कीजिए।
10. भारत में प्रत्यर्पण और भगोड़े आर्थिक अपराधियों की स्वदेश वापसी को नियंत्रित करने वाले कानूनी और संस्थागत ढाँचे का परीक्षण कीजिए तथा दोहरे अपराध की आवश्यकता और संधि संबंधी कमियाँ जैसी लगातार बनी हुई चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, जो उनकी वापसी में बाधा डालती हैं।
11. कार्यपालिका के प्रभाव, प्रशासनिक विखंडन और पहुँच से संबंधित उन प्रमुख चिंताओं पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भारत में अधिकरणों के कार्यकाज को कमजोर किया है। साथ ही, परीक्षण कीजिए कि राष्ट्रीय अधिकरण आयोग इन समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकता है या नहीं।
12. राज्य पंजाब बनाम दर्विंदर सिंह (2024) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के महत्व पर चर्चा कीजिए, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संदर्भ में, तथा परीक्षण कीजिए कि यह क्रीमी लेयर सिद्धांत के प्रयोग से किस प्रकार भिन्न है।
13. उत्तरी समुद्री मार्ग और आर्कटिक के महत्वपूर्ण खनिज भंडार भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका परीक्षण कीजिए।
14. उज्बेकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में संपर्क संबंधी बाधाओं और मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न चुनौती का परीक्षण कीजिए तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की पूर्ण क्षमता को साकार करने के उपाय सुझाइए।
15. बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष की स्थापना भारत में बीमा की पहुँच को व्यापक बनाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका परीक्षण कीजिए।
16. “कार्यगारों का गलत वर्गीकरण प्लेटफॉर्म कार्यगारों को उनके मूल श्रम अधिकारों से वंचित करता रहता है।” भारत के गिग और प्लेटफॉर्म कार्यगारों की सुरक्षा में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की पर्याप्तता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा इस कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय सुझाइए।
17. भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय के लिए महत्व पर चर्चा कीजिए तथा खाद्य सुरक्षा, जल उपयोग और वाहनों के अनुकूलन से संबंधित इसके समक्ष उत्पन्न चिंताओं का परीक्षण कीजिए।
18. भारत में हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के महत्व पर चर्चा कीजिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए कि निजी निवेश जनहित से समझौता किए बिना संपर्क सुविधा और यात्री सेवाओं में सुधार करे।
19. नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों के निजीकरण के प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए तथा परिचालन दक्षता, उपभोक्ता संरक्षण और क्षेत्रीय संपर्क के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली नियामक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
20. “हिमालयी क्षेत्र केवल संवेदनशील ही नहीं है; प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय हस्तक्षेप दोनों के कारण यह सक्रिय रूप से अस्थिर हो रहा है।” बार-बार आने वाली हिमालयी आकस्मिक बाढ़ आपदाओं के पीछे भूवैज्ञानिक, जलवायवीय और मानवजनित कारकों का परीक्षण कीजिए।